(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 1] सप्तम विधान सभा के प्रथम सत्र का 46 वां दिवस [संख्या 22

सोमवार,

दिनांक 18 अगस्त, 1980

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री श्रीराम गोटेवाला !

अगस्त 1980 में पड़ने वाले त्योहारों की दृष्टि से प्रति व्यक्ति 1 किलो माहवार चीनी का प्रदाय

512. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार माह अगस्त, 1980 में पड़ने वाले धार्मिक त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए जयपुर शहर के निवासियों को माह जुलाई व अगस्त, 1980 की चीनी 400 ग्राम से बढ़ाकर एक किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से दिनांक 10 अगस्त, 1980 से नियंत्रित मूल्य की दुकानों के माध्यम से प्रदाय करने की व्यवस्था करना उचित समझती है ?

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समान रूप से चीनी वितरण किये जाने की नीति एवं एक किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह के अनुपात से चीनी उपलब्ध न होने के कारण माह जुलाई व अगस्त में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जयपुर शहर के निवासियों को एक किलो ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से चीनी दिलाई जाना संभव नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं, कि पिछले महीने कितनी चीनी आई और वह किस तारीख को विक्रय की गई ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : पिछले माह कुल 12,757 टन चीनी भारत सरकार से मिली। तारीख की बात आपने पूछी नहीं। केवल 12,757 टन चीनी मिली।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने जयपुर शहर के लिए प्रश्न पूछा है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जयपुर शहर के लिए कितनी दी ? ईद बहुत बड़ा त्योहार है, उस मौके पर आपने कैसे दी ? अभी त्योहार आ

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
रहे हैं, जैसी कि समाचार पत्रों से जानकारी मिल रही है, चीनी मिलें 5 रुपये किलो चीनी देने का प्रस्ताव कर रही हैं। क्या मैं आशा करूं कि जयपुर शहर के नागरिकों या जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को एक किलो प्रति व्यक्ति त्यौहार के मौके पर चीनी दिलायी जायेगी ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया है कि अभी जो शक्कर मिल रही है वह 79 की जनसंख्या के आधार पर मिल रही है। उसमें केवल 10 प्रतिशत बढ़ाई गई है। यह जो बढ़ाई गई है यह जनसंख्या के आधार पर बढ़ाई है। उस हिसाब से सवा चार सौ ग्राम दी जाती है। हमने इसके विपरीत आदेश दिया है कि जो अनुपात है उसको कम कर दीजिये, जिससे सभी लोगों को चीनी मिल जाये। वर्तमान जो नीति है, यदि एक किलो प्रति व्यक्ति शक्कर दी जाये तो राजस्थान के चाहे शहरी क्षेत्र हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हों, एक नीति पर चलना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने हिन्दुस्तान में त्यौहार सीमित नहीं हैं, होली है, दीवाली है, उस हिसाब से किसी भी त्यौहार पर राजस्थान में चीनी दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो जुलाई और अगस्त की चीनी है वह कौनसी तारीख को वितरित करने को दी गई ? 2-2 महीने की चीनी आप दिलाते। समय के ऊपर चीनी मिलती नहीं है, इसलिए बाजार से लोगों को चीनी खरीदनी पड़ रही है, दूसरी बात यह है कि जो साढ़े चार या पांच रुपये देने की जो समाचार पत्रों में बात प्रकाशित हुई है या दी जायेगी की बात मिल मालिकों ने आकर की है उसमें भी कोटा मिलेगा ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : दो प्रश्न हैं ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : दो प्रश्न हैं, अध्यक्ष महोदय। यह जो 12,757 टन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी वह 17-12-79 से लागू की गई। इसके पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। 17-12-79 से यह बात चल रही है। जुलाई और अगस्त की चीनी, हो सकता है, चीनी का कोटा न मिलने के कारण दे रहे हैं। हम दोनों महीने का कोटा देने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने पूछा है उसकी विस्तृत जानकारी राजस्थान को प्राप्त नहीं हुई है उसके सम्बन्ध में आप जानकारी चाहेंगे तो दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री गोपाल पचेरवाल।

ग्राम बसोली सेवा सहकारी समिति द्वारा शक्कर एवं आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी

513. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है शक्कर एवं आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी किये

(श्री गोपाल पचेरवाल)
जाने के कारण जिला बून्दी की ग्राम बसोली सेवा सहकारी समिति के विरुद्ध जून, 1980 में प्रवर्तन निरीक्षक, हिण्डौली द्वारा केस तैयार कर जिला प्रशासन को सौंप दिया गया था ? यदि हां, तो कब और इस पर जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(2) उक्त समिति के अध्यक्ष का क्या नाम है और वे किन-किन पदों पर कार्यरत हैं ?

खाद्य मन्त्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध मे थोड़ी-सी जानकारी देना चाहूंगा। मेरे पास जो मूल प्रश्न प्राप्त हुआ है, उत्तर के लिए उसमें हिण्डोन है, हिण्डोली नहीं है। तो प्रश्न हिण्डोली का है, मैं समझता हूं कि जो जानकारी मैं लाया हूं, उसमें हिण्डौन लिखा है।

श्री अध्यक्ष : हिण्डोली है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : उसमें हिण्डौन……

श्री अध्यक्ष : आप चाहते हैं…

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं जवाब दूंगा।

(1) जी नहीं।

(2) समिति के अध्यक्ष पद पर श्री प्रभुदयाल शर्मा हैं, जो इस समय हिण्डोली विधान सभा क्षेत्र के विधायक भी हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस सहकारिता समिति की 16 जून को जांच हुई है। इस जांच के दौरान क्या क्या आरोप लगाये गये हैं, वह माननीय मन्त्री महोदय बतायें ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रश्न का भाग्य ऐसा है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। आपने जिस समिति के सम्बन्ध में पूछा है उसको जांच नहीं हुई है। यह समिति बसोली है, बड़नियां गांव की नहीं हुई है। हमारे पास जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसमें सरपंच है। जिस तारीख की आप बात कर रहे हैं वह बसोली की…

श्री गोपाल पचेरवाल : 16 जून की बात बताना चाहता हूं। केस तैयार किया गया, उसमें घोटाला पाया गया है। उसके बारे में आप गुमराह करना चाहते हैं। 16 जून को हुई है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : केवल आपसे कहा कि जांच नहीं हुई है।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 16 जून को जांच हुई है आप जो बता रहे हैं वह सहकारी समिति अलग है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मेरे पास जो सूचना है वह उस गांव की नहीं है। एक और बात कहना चाहता हूं कि जो ग्राम पंचायत है, वह अलग है, जो बसोली ग्राम पंचायत है वह अलग है। दोनों ग्राम पंचायतों के सरपंच अलग हैं। उसके सम्बन्ध में न केवल उस दिन बल्कि आज तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई।

श्री गोपाल पचेरवाल : मन्त्री महोदय, आप जांच करवा लीजिये कि 16 जून को

Page No. 4

(५)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

जांच हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद भ्रष्टाचार कराया गया, उसके बाद उनको धमकी दी गई। वहां के कांग्रेस (आई) के विधायक मिले हुए हैं इसलिए इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्सपेक्टर को धमकी दी गई है उसने केस तैयार किया है। रिपोर्ट जिलाधीश को पेश की है। वहां के कांग्रेस के जनरल सैक्रेटरी, तीनों चारों विधायक द्वारा मिलकर केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। आप जांच करवायें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : ऐसी कोई शिकायत जिलाधीश के पास और राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

श्री गोपाल पचेरवाल : पेश की गई है।

श्री अध्यक्ष : दुबारा मालूम कीजिए! आॅर्डर प्लीज।

श्री गोपाल पचेरवाल : आप जांच करा लीजिए, आश्वासन दीजिए, आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : वह सरपंच हैं या सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं? स्पष्ट तो कीजिए।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सहकारी समिति के अध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूं। उसके सम्बन्ध में न कोई शिकायत प्राप्त हुई न कोई जांच हुई है।

श्री गोपाल पचेरवाल : आप पुलिस द्वारा जांच कराने को तैयार हैं? इन्सपेक्टर ने अपना टूर प्रोग्राम पेश किया है, जांच की है, रिपोर्ट पेश की है। इन्सपेक्टर को दबाया जा रहा है। कांग्रेस (आई) के लोग बचाने में लगे हुए हैं, उसको धमकी दी गई है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यदि कोई लिखित में शिकायत प्राप्त हुई तो जांच करा ली जाएगी।

श्री गोपाल पचेरवाल : लिखित में क्या करेंगे? क्या यह सही है कि उस तारीख को इन्सपेक्टर वहां गया था? 16 जून को ग्राम बसोली में वह गया था और सहकारी समिति की जांच की थी।

श्री अध्यक्ष : आपके पास सूचना है कि इन्सपेक्टर वहां जांच के लिए गया था?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मेरे पास बड़निया गांव की सूचना है।

श्री अध्यक्ष : किसी अन्य तरीके से इस सवाल को रखें। अगला प्रश्न।

श्री गोपाल पचेरवाल : आप जिस गांव की बात कर रहे हैं, वह बसोली से कितनी दूरी पर है?

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावां) : वह गांव बसोली से एक डेढ़ मील की दूरी पर है, मैं वहां के गांवों को जानता हूं न कोई जांच हुई, न इन्सपेक्टर गया, यह राजनीति से प्रेरित मामला है। विधायकों को बदनाम करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : और किसी तरीके से इस सवाल को उठायें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ग्राम बसोली, जहां की इन्क्वायरी हुई है, की सहकारी समिति के अध्यक्ष कौन हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री ने बता दिया।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : वर्तमान अध्यक्ष कन्हैयालाल पंचोली हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य ने जो 16 जून को ग्राम बसोली में जांच की सूचना दी है, क्या मंत्री महोदय माननीय सदस्य के कहने के अनुसार इस बात की जानकारी करेंगे कि 16 जून को ग्राम बसोली में एक इन्क्वायरी हुई है ? अगर हुई है तो रिपोर्ट क्या है ? अगर आपके पास सूचना गलत है तो उस अधिकारी, जिसने गलत सूचना दी है, के विरुद्ध जांच करेंगे ? इस बात का आश्वासन देना चाहेंगे ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : कोई जांच नहीं हुई। यदि लिखित में कोई शिकायत प्राप्त होगी तो जांच की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मंत्री की जानकारी के अनुसार जांच नहीं हुई है। माननीय सदस्य ने कहा कि जांच हुई है तो क्या इसकी जानकारी आप विभाग से करेंगे ? अगर जांच नहीं हुई है तो कुछ नहीं कहना है लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा, जांच हुई है, रिपोर्ट हुई है। जिसने आपको गलत सूचना दी है उस अधिकारी को आप दंडित करेंगे ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : प्रश्न पूछने के बाद उत्तर दिया जाता है। बसनियां गांव में जांच हुई है। ग्राम बसोली के बारे में किसी भी सदस्य को कोई शिकायत है तो लिखित में दें हम जांच करायेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें। मंत्री जी कहते हैं कि जांच नहीं हुई। अन्य किसी तरीके से इस प्रश्न को उठाया जा सकता है। इस चर्चा को यहीं समाप्त किया जाता है।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं कहता हूं कि 16 जून को जांच हुई है।

श्री अध्यक्ष : उसका हल क्या है ?

श्री गोपाल पचेरवाल : मंत्री महोदय फर्मा रहे हैं कि जांच नहीं हुई। मेरा कहना है कि जांच हुई है तो मंत्री महोदय जांच करायेंगे कि 16 जून को जांच हुई है और रिपोर्ट हुई है ? रिपोर्ट मंगवा लें। इन्सपेक्टर ने जांच की या नहीं ? जांच की तो क्या हुआ ?

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : वहां न कोई गया, न जांच हुई, न कोई सूचना दी गई है।

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : आप मंत्री नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। विवाद नहीं होगा।

Page No. 6

(6)

श्री गोपाल पचेरवाल : यह काला-बाजारी का मामला है। शक्कर के ... बड़े हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

यदि सदन में कोई गलत इत्तला दी गई है तो उसके लिए प्रक्रिया के अन्दर प्रावधान है। उस हिसाब से प्रश्न उठाया जाएगा तो सारा मामला आगे आ जाएगा।

प्रश्न संख्या 514

अगला प्रश्न : श्री सूरजपालसिंह !

(अनुपस्थित. कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 515

श्री जनार्दनसिंह गहलोत !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें।)

श्री मानसिंह देवड़ा।

श्री उम्मेद कन्या माध्यमिक विद्यालय, सोजती गेट, जोधपुर

516. श्री मानसिंह देवड़ा (सरदार-पुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री उम्मेद कन्या माध्यमिक विद्यालय, सोजती गेट, जोधपुर को कब उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किया गया ?

(2) जब उपरोक्त विद्यालय प्राथमिक स्तर तक था, तब मकान किराये के रूप में कितने रुपये प्रति माह सरकार मेंचिंग अनुदान देती थी ?

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त विद्यालय दो बार क्रमोन्नत होने पर भी अब तक उसको प्राथमिक स्तर तक के किराये का ही अनुदान मिल रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त विद्यालय के व्यवस्थापक ने सरकार से संशोधित किराये के अनुपात में अनुदान की मांग की है ?

(5) यदि हां, तो उपरोक्त संशोधित किराया कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) उच्च प्राथमिक विद्यालय दिनांक 1-7-64 को व माध्यमिक विद्यालय दिनांक 1-7-76 को क्रमोन्नत किए गए थे।

(2) संस्था को प्राथमिक स्तर तक रुपया 80) प्रति माह किराया स्वीकृत होता रहा है।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) मामला विचाराधीन है।

श्री मानसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, जब उम्मेद कन्या विद्यालय प्राइमरी विद्यालय के रूप में था, सिर्फ तीन कमरे थे। आज जब कि वह दो बार क्रमोन्नत हो चुका है उसमें 18 कमरे बन चुके हैं और अभी भी उसको 80) रुपये किराये के दिए जा रहे हैं। कमरों के अनुपात से आज कहां तक यह

(श्री मानसिंह देवड़ा)
वाजिब है ? पी. डब्लू. डी. द्वारा मूल्यांकन किया गया है जिसने 1200) रुपये किराया आंका है, क्या सरकार उस हिसाब से किराये का इन्तजाम करेगी ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : बात यह है कि उसके बाद निदेशक, शिक्षा विभाग से संस्था के संचालकों को लिखा गया है कि आप किराया चिट्ठी की नकल की कापी भेज दें कि प्राथमिक शाला का कितना किराया दे रहे हैं, दूसरे के लिए कितना किराया दे रहे हैं। उनका उत्तर प्राप्त हुआ है लेकिन किराये की चिट्ठी की नकल नहीं भेजी है। जैसे ही नकल प्राप्त हो जाएगी, कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया !

खान एवं भू-गर्भ विभाग के वाहनों का पंजीकरण

517. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) एवं श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खान एवं भू-गर्भ विभाग में भार ढोने व अन्य कार्यों के लिए कितने वाहन हैं व उन पर कार्यरत कर्मचारी कितने हैं ?

(2) क्या यह सही है कि किसी विभाग में 2 या उससे अधिक वाहन होने पर मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्क्स एक्ट, 1962 के अन्तर्गत श्रम विभाग में पंजीकरण करवाना आवश्यक है ? यदि हां, तो इस विभाग ने अपना पंजीकरण कब से करवा रखा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मन्त्री खनिज (श्री रामपाल उपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, सदस्य महानुभावों का जो प्रश्न आया है उस बारे में मैंने आपसे अनुरोध किया है और प्रार्थना की है कि इसकी तारीख को आगे बढ़ाया जावे क्योंकि सूचना पूरे राजस्थान से नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसी सत्र में ?

श्री अध्यक्ष : कोशिश यही रहेगी।

श्री उम्मेदसिंह !

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित हरिजन छात्रावास

518. श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कहां-कहां समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित हरिजन छात्रावास बन्द पड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) डीडवाना के किसान हरिजन छात्रावास के बन्द होने के क्या कारण हैं और यह कब से बन्द पड़ा है ? क्या इस छात्रावास को चालू वर्ष में तत्काल प्रारम्भ करने का सरकार इरादा रखती है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती कमला): (1) राजस्थान में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कोई भी हरिजन छात्रावास बन्द नहीं पड़ा है।

Page No. 8

(8)

(श्रीमती कमला)

(2) राष्ट्रीय हरिजन किसान छात्रावास, डीडवाना एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा चलाया जा रहा था। इसके पदाधिकारियों, कार्यकारिणी के सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद के कारण वर्ष 1979-80 से यह बन्द है। राशन के व्यापारी के बिलों का भुगतान कार्यकारिणी द्वारा न किए जाने पर व्यापारी ने दावा किया और डिग्री लेकर छात्रावास भवन कोर्ट द्वारा नीलाम कर दिया। ऐसी स्थिति में इस छात्रावास को प्रारम्भ करना कठिन है।

श्री उम्मेदसिंह : यह कब तक चालू कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ गया।

श्रीमती कमला : मैंने निवेदन किया कि इसके खिलाफ अदालती कार्यवाही हो चुकी है। उसमें इस भवन की नीलामी हो चुकी है। विवाद अभी तक जारी है, इसलिए सरकार की तरफ से चालू करने का सवाल नहीं है। संस्था खुद गड़बड़ी में पड़ी हुई है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि यह छात्रावास, जो हरिजनों का है, बन्द हो गया है। यह छात्रावास प्राइवेट संस्था द्वारा चलाया जा रहा है। इसके बन्द हो जाने से एक तरह से वहां पर वेक्यूम क्रियेट हो गया है। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि क्या राज्य सरकार अपनी तरफ से इस छात्रावास को चलाने का प्रयत्न करेगी ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह छात्रावास आज तो बन्द हुआ नहीं है यह तो पिछले दो तीन साल से बन्द पड़ा है। राज्य सरकार की अभी तो उस छात्रावास को चालू करने की मर्जी नहीं है लेकिन जब नये छात्रावास खोले जायेंगे तब इस पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न। श्री रामसिंह विश्नोई, श्री मानसिंह देवड़ा, श्री रामनारायण डूडी व श्री माधवसिंह दीवान।

राज्य पथ परिवहन निगम का लेखा-जोखा

*519. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी), श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा), श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) एवं श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को पिछली जुलाई, 1978 से 30 जून, 1980 तक कितना लाभ व हानि हुई ? यदि हानि हुई तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) निगम में कुल कितने ड्राइवर्स व कण्डक्टर्स हैं व निगम की राजस्थान में कितनी बसें चल रही हैं ? क्या यह सही है कि चलने वाली कई बसें टायर व ट्यूब की कमी के कारण बन्द पड़ी हैं ? यदि हां, तो उन बसों के ड्राइवर्स व कण्डक्टर्स की सेवाओं का निगम कहां उपयोग कर रहा है ? उन बस रूट्स, जहां की बसें बन्द कर दी गई हैं, की बसों के ड्राइवर्स व कण्डक्टर्स की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(3) क्या सही है कि निगम के पास दूसरे राज्यों की अपेक्षा ड्राइवर्स, कण्डक्टर्स

(श्री रामसिंह विश्नोई)
व दूसरे अधिकारी बसों के अनुपात में अधिक हैं ? निगम को स्टाफ के कारण कितना आर्थिक भार सहन करना पड़ता है ? सरकार इस अनावश्यक आर्थिक भार को कम करने हेतु क्या उपाय सोच रही है व भविष्य में इस संबंध में क्या नीति रहेगी ?

(4) निगम के पास ऐसे कितने बस रूट्स हैं जिन पर प्राइवेट बसें अनुबन्धित की हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ?

(5) क्या सभी अनुबन्धित बसों का किराया निगम को एक ही निर्धारित दर से भुगतान करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो अनुबन्धित बसों की हालत, सीट्स कैपेसिटी आदि भी क्या एक समान है ? यदि नहीं, तो सरकार की इस संबंध में क्या नीति है ?

यातायात मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) निगम को जुलाई, 1978 से जून, 1980 तक की अवधि में 715.25 लाख रुपयों की हानि हुई है। इस हानि के प्रमुख कारण निम्न रहे हैं:—

(1) डीज़ल, लुब्रिकेन्ट्स के मूल्यों में वृद्धि।

(2) वाहन चेसिस एवं कल पुर्जों के मूल्यों में वृद्धि,

(3) निगम कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों आदि में बढ़ोतरी एवं बोनस का भुगतान,

(4) पूंजी के अभाव में व्यावसायिक बैंकों एवं अन्य संस्थानों से प्राप्त किये गये ऋण पर ब्याज की बढ़ोतरी।

(2) निगम में दिनांक 7-8-80 के अनुसार वांछित सूचना निम्न प्रकार है:—

कुल चालकों की संख्या	3118
कुल परिचालकों की संख्या	3620
कुल वाहन	2254

निगम में उक्त वाहनों में से 278 वाहन टायर व ट्यूब व अन्य कलपुर्जों के अभाव में संचालन योग्य नहीं हैं। इन वाहनों पर कार्यरत परिचालकों की सेवायें परिवहन निगम से संबंधित अन्य कार्यों में उपयोग में ली जा रही हैं। जहां की बसें बन्द कर दी गई हैं उन बसों के चालक, परिचालकों की संख्या की सूची सदन के टेबल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। निगम के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों पर प्रतिमाह 89.63 लाख रुपये (माह मई, 80 के अनुसार) का भार वहन करना पड़ता है इस आर्थिक भार को कम करने हेतु निम्न उपाय किये जा रहे हैं:—

(1) मानव शक्ति पर प्रभावी नियन्त्रण रखने एवं खर्चों में मितव्ययता के दृष्टिकोण से नई नियुक्तियों एवं पद सृजन पर अंकुश रखा जा रहा है।

(2) संचालन एवं अन्य प्रकार के व्यय पर समुचित नियन्त्रण रखने के दृष्टिकोण से परफार्मेन्स बजटिंग प्रणाली लागू की गयी है।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

इसके अलावा निगम मण्डल द्वारा अपने प्रस्ताव दिनांक 19-6-80 के अन्तर्गत एक उप समिति का गठन किया गया है जिसमें श्रमिक प्रतिनिधि भी सम्मिलत हैं। समिति से अपेक्षा की गई है कि वह निगम में अनावश्यक खर्चों में कमी के सन्दर्भ में अपने सुझाव निगम मण्डल को प्रस्तुत करे। जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है।

(4) वांछित सूचना अनुक्रम (1) में सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(5) जी नहीं। निगम द्वारा अनुबंधित किराया मॉडल एवं दूरी के हिसाब से अलग-अलग दर पर भुगतान किया जाता है। निगम द्वारा सुविधाजनक वाहनों को छोड़ कर अन्य वाहन 52 सीट कैपेसिटी से कम के अनुबन्ध पर नहीं ली जाती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपके निगम की आन रूट कितनी बसें चल रही हैं उसके अनुपात से निगम में कितने ड्राइवर्स और कण्डक्टर्स रखे गये हैं ?

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, ड्राइवर्स और कण्डक्टर्स कितने हैं इसका जवाब तो इस प्रश्न के उत्तर के भाग (2) में स्पष्ट किया हुआ है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपने तो टोटल नम्बर बताया है। मेरा पूछना है कि उसके अनुपात में कितने ड्राइवर्स, कण्डक्टर्स होने चाहिएं और आपने कितने भर्ती कर रखे हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया कि 3118 ड्राइवर्स हैं और 3620 कण्डक्टर्स हैं इसके साथ साथ उन्होंने कुल 2254 वाहन भी बताये हैं जिनमें से 278 बसें खराब पड़ी बताई हैं। मेरा निवेदन यह है कि इतना अधिक स्टाफ क्यों भर रखा है ? आज हमारी बसें चल नहीं रही हैं और निगम को घाटा हो रहा है। आखिर आप क्या करने जा रहे हैं ? आपने अनावश्यक रूप से इतनी बड़ी फौज को क्यों भर्ती कर रखा है ? आपको करोड़ों रुपये सालाना घाटा हो रहा है आखिर इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ? आप इस घाटे को कैसे पूरा करेंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप तो बता रहे हैं कि 2254 बसें हैं उनमें 278 खराब पड़ी हैं लेकिन सभी के अगेन्स्ट में आपने लोगों को भर्ती कर रखा है। मेरा पूछना यह है कि बसों के अनुपात में इतनी अधिक भर्ती अधिक क्यों की है ? दूसरे आज जो निगम को सात आठ करोड़ का घाटा हो रहा है इसकी पूर्ति निगम किस प्रकार से करेगा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ यह भी बतावें कि क्या उपाय किये हैं इस घाटे को समाप्त करने के लिये ? आपकी सेवायें कुल कितनी स्वीकृत हैं ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि कई लम्बे रूट्स में एक-एक बस में दो ड्राइवर्स भी जाते हैं। दूसरे बीमारी के कारण कुछ लोग छुट्टी पर भी जाते हैं, उनकी जगह काम करने के लिए भी भर्ती करनी पड़ती है। 15 प्रतिशत इस प्रकार के लोग हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पर, अध्यक्ष महोदय, यह जस्ट डबल है। It is almost double. अध्यक्ष महोदय, 2254 बसें हैं। 15 प्रतिशत बीमारी-हारी के लिए रखे हैं पर यह तो डबल हो रहे हैं। कण्डक्टर्स, ड्राइवर्स की एक बहुत बड़ी अनावश्यक रूप से फौज भर रखी है। लम्बे रूट की बात आप कह रहे हैं उसके लिए तो मेरा निवेदन है कि 50 से ज्यादा लम्बे रूट नहीं हैं। मैं आपको धौलपुर की बात बता दूं। जहां पर नाइट सर्विस है वहां एक ड्राइवर ही रहता है। लांग रूट और नाइट बसेज 50 से अधिक नहीं होंगी।

श्री रामसिंह बिश्नोई : आप तो हमें 50 से अधिक नाइट बसें ही बतादें। उसमें भी जो भर्ती है वह अधिक है अनुपात से।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपा-धापी करके लोगों को भर्ती किया गया है, एक बहुत बड़ी फौज भर्ती कर रखी है। आप अलग से अनुपात बता दें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : ऐसा है, साहब, संख्या तो अलग अनुपात से मेरे पास है नहीं, पर यह मैं मानकर चलता हूं कि लोगों की संख्या अधिक है। इसके लिए मैंने निवेदन किया कि एक समिति जून में गठित की गयी है। मैंने आपको डेट भी बताई है। 19-6-80 को एक समिति का गठन किया गया है जो इस प्रश्न पर विचार कर रही है। अभी दो, तीन महीने ही हुए हैं। बड़ा लम्बा प्रश्न है। सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा। इसलिए समिति को विचार करने में समय तो लगेगा ही।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन कर दूं कि प्रति वाहन के ऊपर जो हमारे राजस्थान में मानव शक्ति का जो उपयोग किया जा रहा है वह 8.24 है जबकि महाराष्ट्र में वह 9.41 है, गुजरात में 9.97 है, कर्नाटक में 9.3 है और मध्य-प्रदेश में 8.7 है, दूसरे प्रदेशों के मुकाबले हमारे यहां पर जो मानव शक्ति का उपयोग हो रहा है वह तो 8.24 ही है, उनसे तो कम है। इतना बड़ा निगम है, साहब, इसमें स्टाफ तो होता ही है। पर, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसा कि हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने बजट पर सामान्य वाद-विवाद के उत्तर में कहा था, यह सही है कि निगम में घाटा है लेकिन हम इसकी गहराइयों में जाकर इसको किस प्रकार कम किया जाये उसके लिए कुछ रास्ते निकालने की कोशिश करेंगे, यह भी सही है कि जितनी सुविधा हमारे यहां पर जनता को निगम द्वारा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। इन सभी के बारे में राज्य सरकार विचार करेगी।

श्री रामसिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूछने का स्पष्ट मकसद यह है कि आज अधिक लोगों की भर्ती की हुई है। वहां जो जनरल मैनेजर और चेयरमैन वगैरह बैठे हुए हैं वे कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। उनकी लापरवाही के कारण निगम को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो क्या राज्य सरकार इन अधिकारियों को बदलने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है जिससे कि यह घाटा होना बन्द हो? जिस निगम की वजह से करोड़ों का फायदा हो रहा था दो साल पहले वही निगम अब करोड़ों का घाटा उठा रहा है। क्या राज्य सरकार

(श्री रामसिंह विश्नोई)
अधिकारियों को बदलने की कार्यवाही करेगी ? दूसरे, किस प्रकार निगम को घाटे से बचाया जाये इसके लिए भी कोई कदम उठाने का विचार रखती है ?

श्री सुनीलकुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इन स्वायत्तशासी संस्थाओं में पहले कभी लाभ हुआ है क्या? अगर हुआ है तो बतायें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, यह निगम दो साल पहले लाभ में रहा है पर पिछले दो सालों से निगम में लगातार घाटा हो रहा है। इसके लिये माननीय सदस्य जब बजट पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तभी कहा था यह सही है कि घाटा हो रहा है पर एक तरफ तो हम जनता को सुविधा पहुंचाने की बात करते हैं दूसरी ओर यह कह रहे हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसे कि आज जयपुर की सिटी बसें हैं ये निगम को करीब एक करोड़ रुपये का घाटा दे रही है। इनको अगर हम बन्द करदें तो इसका आल्टरनेटिव क्या होगा ? यह घाटा होना है इसके कई कारण हैं, स्टूडेन्ट्स को फेसिलिटीज दी जाती हैं दूसरी भी बातें हैं। पर अध्यक्ष महोदय, इसका तत्काल ही कोई हल निकल जाय यह सम्भव नहीं है। इसके लिये हमें बैठकर सोचना होगा। वैसे राज्य सरकार की विवशता है। फिर भी राज्य सरकार इस नुकसान को बचाने के लिए जो भी प्रयत्न हो सकेगा जरूर करेगी।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने जो प्रशासन में परिवर्तन करने की बात कही है उसके लिये भी मेरा माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर प्रशासन में परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई तो उसमें भी परिवर्तन किया जायेगा। परन्तु इसमें कुछ समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि इस घाटे, जो कि 7 करोड़ का घाटा है, को देखते हुए भविष्य के अन्दर जब तक आप मुनाफे में नहीं आ जाते आप फरदर नेशनलाइजेशन नहीं करेंगे ? इसके बारे में सरकार की क्या नीति है, यह बता दें। जब तक आप फरदर नेशनलाइजेशन करेंगे आप घाटे में ही जायेंगे।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यह प्रश्न ऐसा है कि जिस पर मन्त्रिमण्डल में विचार करना होता है। एक मन्त्री इस पर कुछ नहीं कर सकता।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो रोडवेज निगम द्वारा बसें चलाई जाती हैं क्या उन बसों के लिए आर. एफ. सी. की तरफ से पैसा दिया जाता है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत!

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
चाहूंगा कि जितनी बसें राजस्थान में अनुबन्धित रूप से चल रही हैं उनके मुकाबले में जो रोडवेज की बसें चल रही हैं आपको मुनाफा किस से ज्यादा प्राप्त हो रहा है ? जैसी मुझे जानकारी मिली है रोडवेज के एडमिनिस्ट्रेशन और बसों को बनाने में खर्चा ज्यादा आता है, अनुबन्धित बसों के अनुपात में। जो अनुबन्धित बसें लगाई हुई हैं वह ज्यादा मुनाफे में चल रही हैं और सुविधायें भी ज्यादा दे रही हैं। क्या सरकार इसमें कोई परिवर्तन करने की बात सोच रही है या और अनुबन्धित बसों को बढ़ाने की बात सोच रही है या किराया उनके बराबर कर देने की सोच रही है ? इसमें डिफरेन्स कितना है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर: अनुबन्धित बसों की स्थिति और हमारी बसों की जो स्थिति है इसको मूल में समझना होगा। मैंने निवेदन किया कि 8 आदमी हमारी बसों पर लगे हुए हैं और अनुबन्धित बसों पर एक कण्डक्टर होता है, एक ड्राइवर होता है इस तरह से दो आदमी चलते हैं। अब आप अन्दाजा लगा लें कि एक जगह दो आदमी और दूसरी जगह आठ आदमी चलते हैं तो निश्चित रूप से अपनी बसों से प्राफिट नहीं होता और अनुबन्धित बसों से प्राफिट होता है। मैं इसको स्वीकार करके चलता हूं। मैंने कहा कि यह नीति संबंधी प्रश्न है। हम राष्ट्रीयकरण की नीति को किस सीमा तक ले जाना चाहते हैं इस प्रश्न पर अभी मंत्रिमण्डल में विचार नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और गुजरात में 98 प्रतिशत रूट्स का नेशनलाइजेशन किया हुआ है और वहां रोडवेज 13 करोड़ के प्राफिट में चल रहा है यहां 1977 के अन्दर यह प्राफिट में था। उसके बाद लगातार घाटे के अन्दर जा रहा है। आप नीति संबंधी बातें कर रहे हैं और व्यवस्था संबंधी बात नहीं कर रहे हैं। क्या सरकार इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए शीघ्र कदम उठायेगी ? गुजरात में प्राफिट है, महाराष्ट्र में है, सब जगह प्राफिट में है।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में जो बसें चलती हैं वे हर साल करोड़ों रुपया कमाती हैं और राजस्थान में करोड़ों का घाटा है। यहां ठीक व्यवस्था नहीं होने के कारण से घोटाला हो रहा है। टिकट नहीं काटे जाते हैं। जो प्राइवेट बसें चलती हैं वे लाखों रुपया हर साल कमाती हैं जबकि परिवहन निगम की बसें घाटे में चलती हैं। इस पर गहराई से सोचना पड़ेगा। आखिर कब तक घाटा सहते जायेंगे ?

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, एक प्राइवेट आदमी के पास प्राइवेट बस होती है। उसके पास बीस मील का रूट ही होता है फिर भी वह सारे परिवार को पालता है। दूसरी तरफ रोडवेज की स्थिति यह है कि रोडवेज की बसों के अन्दर और ऊपर सवारियां रहती हैं। फिर तो कोई प्रश्न नहीं होना

(श्री मोहनलाल मोदी)
चाहिए घाटे का? यदि जनता को उसका आराम मिले तो घाटा भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन रोडवेज की ऐसी स्थिति है कि जनता उससे त्राहि-त्राहि कर रही है। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी तरफ बहुत ही ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए · ·

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मोहनलाल मोदी : जैसे हरियाणा रोडवेज है · · ·

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में। फर्मा दिया आपने।

श्री मोहनलाल मोदी : · · · इस तरह से देखो तो आराम मिले। घाटा हो तो कोई बात नहीं है लेकिन जनता को आराम भी नहीं मिले और बसें समय पर उपलब्ध नहीं हों · · · ·

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : राष्ट्रीयकरण की नीति पर पुनर्विचार का प्रश्न नहीं है। और पुनर्विचार की आवश्यकता आती है तो मंत्रिमण्डल को विचार करना है। दूसरे प्रश्न व्यवस्था, सुधार और स्टाफ ज्यादा होना नुकसान आदि से सम्बन्धित हैं। इन सब प्रश्नों पर मैंने सदन को अवगत करा दिया है। इस संबंध में हम विचार कर रहे हैं, प्रयत्न करना चाहते हैं, कदम उठाना चाहते हैं, समय दीजिए, कृपा कीजिए।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 520

श्री सुखलाल सैंगाचा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें।)

श्री चुन्नीलाल !

तहसील खण्डार के ग्राम बालेर को जलप्रदाय

521. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक, मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) ग्राम बालेर, तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर की नल योजना के लिए योजना समिति जिला सवाई माधोपुर की सिफारिश के बावजूद अब तक क्यों नहीं कार्य चालू किया गया? ग्राम बालेर में नल योजना का कार्य कब तक आरम्भ किया जावेगा?

(2) ग्राम पंचायत बालेर द्वारा ग्राम की नल योजना हेतु क्या जल-दाय विभाग को कोई अमानत राशि जमा कराई गई है? यदि हां, तो कितनी और कब?

उप-मंत्री, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) ग्राम बालेर, तहसील खण्डार, जिला आयोजना समिति सवाई माधोपुर द्वारा वर्ष 1978-79 में प्रस्तावित किया गया था, एवं इस ग्राम में वर्ष 1979-80 में परम्परागत जल स्रोत योजना स्वीकृत की गई परन्तु ग्राम के सरपंच द्वारा स्वीकृत योजना के लिए मना कर देने पर कार्य नहीं कराया जा सका। इस ग्राम को अब छठी पंचवर्षीय योजना में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

(2) ग्राम पंचायत बालेर द्वारा वर्ष 1973 में जन सहयोग के रूप में 3,500 रु. की राशि जमा करायी है।

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी बताया, सरपंच द्वारा इस तरह लिखकर दिया गया है कि योजना चालू नहीं की जाये। यह बात बिलकुल गलत है। आप ग्राम बालेर की स्थिति को देखें वहां पर 500 की आबादी है। अध्यक्ष महोदय, लोग बरसाती पानी पीते हैं। पूरी बस्ती में एक ही कुआं है। यह योजना चालू होनी चाहिये। मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस योजना को कब तक चालू कर दिया जायेगा? इसका कार्य कब तक चालू कर दिया जायेगा?

एक माननीय सदस्य : सरपंच द्वारा जो लिखकर दिया गया है क्या वह बताया जा सकता है?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, पेयजल की समस्या गम्भीर समस्या है इसको सरकार गम्भीरता से ले रही है। भूतपूर्व सरकार इस समस्या को दस वर्षों में पूरा करना चाहती थी, इसे 5 वर्ष में वर्तमान सरकार करना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि संबंधित सरपंच ने इस परम्परागत जल स्रोत योजना को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सम्भवतः यह सोचा कि पम्प्स एण्ड टैंक्स स्कीम इससे बड़ी होती है तथा उससे अधिक सुविधा होती है। सम्भवतः उन्होंने इसकी मांग की है।

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वहां के जो सरपंच है उन्होंने प्राइवेट इंजन लगा रखा है। पैसे के बल पर और पानी को बेचा जाता है। वहां पर पानी की किल्लत है। एक कुआं पूरे गांव में है। आप यह समझें कि उन लोगों से देखा नहीं जाता है। आप कहते कि सरपंच के कहने के आधार पर चालू नहीं की गयी तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस योजना को कब तक चालू कर दिया जायेगा?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, परम्परागत स्रोत की जो योजना है उसके लिए अनिवार्य स्वीकृति लिखित में संबंधित सरपंच की जरूरी है, उसकी सहमति जरूरी है तभी जाकर यह किया जा सकता है। बावजूद कई प्रयत्नों के भी उनकी लिखित में स्वीकृति नहीं आई। जैसा मैंने माननीय सदस्य महानुभाव से निवेदन किया है, सम्भवतः उनकी मंशा है कि छोटी योजना नहीं लगाकर बड़ी योजना लगाने की बात है। तो जैसा मैंने निवेदन किया है कि छठी पंचवर्षीय योजना में सरकार पेयजल की समस्या को सम्पूर्ण रूप से हल करने पर दृढ़ संकल्प है। मैं निवेदन करता हूं कि इसको लेने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री चुन्नीलाल : क्या सरपंच की सिफारिश करने पर योजना को तत्काल लागू कर दिया जायेगा?

श्री रामपाल उपाध्याय : सरकार की यही मंशा है।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या कोई सरपंच यदि किसी गांव विशेष से प्रिजुडिज

(सुश्री पुष्पा जैन)
होकर अपनी स्वीकृति न दे तो यह मान लिया जाये कि राज्य सरकार उस योजना को लागू नहीं करेगी ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न कई बार मेरे विचार में आता है वही माननीय सदस्या ने पूछा है। दरअसल में यह बात सही है लेकिन मैं, अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस योजना के लिए सरपंच के बजाय वहां की पंचायत ही लिखकर दे दे या फिर उप-सरपंच को अधिकृत करें, यदि सरपंच लिखित में नहीं देता है तो सरकार इस योजना को हाथ में नहीं ले सकती है वहां पर मोटर लगाई जायेगी। मिनिमम चार्जेज लगाये जायेंगे। जितना भी खर्चा होगा बिजली का, उसकी व्यवस्था की जायेगी। सम्बन्धित पंचायत द्वारा नई योजना बनाई जाती है, यद्यपि धनराशि विभाग देता है। ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर सरकार अगर पुनर्विचार करना उचित समझेगी तो करेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह सहमति केवल सरपंच महोदय की होती है या पूरी पंचायत की होती है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, सरपंच वही बात कहता है जो लिखित में प्रस्ताव के रूप में पारित की जाती है।

प्रश्न संख्या 522

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री नाथू सिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें।)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो एक प्रश्न मैं पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैंने अगला प्रश्न पूछ लिया है।

प्रश्न संख्या 523

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर)

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें।)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर

जिलाधीश व उप खण्ड अधिकारी अजमेर के न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमे

524. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) अजमेर में जिलाधीश व उप-खण्ड अधिकारी के न्यायालयों में दो साल से पुराने कितने मुकदमे विचाराधीन हैं ?

(2) उक्त अवधि में इन दोनों न्यायालयों में कितने नये दावे व प्रार्थना-पत्र अपील आदि प्रस्तुत किये गये ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) न्यायालय जिलाधीश, अजमेर 90

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अजमेर 61

(2) न्यायालय जिलाधीश, अजमेर 426

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, अजमेर 656

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि जो कलेक्टर और एस. डी. ओ. जिले में लगे हुऐ हैं उनके पास दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के काम इतने अधिक हैं कि वे न्यायालय का काम नहीं कर पाते हैं। हालत यह हो रही है कि कलेक्टर Jack of all and master of none हैं। इसलिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिले में जुडिशियल वर्क के लिये अलग एस.डी.ओ. मुकर्रर करने का विचार करें।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का विचार आज दिन तक सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस विचार के नहीं होने से जो काम जिले में होना चाहिये, न्यायालय का उसमें बड़ी बाधा पहुंच रही है। हफ्ते में एक या दो दिन उन्होंने नियत किये हुए हैं उस दिन भी जिलाधीश महोदय एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की वजह से उपस्थित नहीं होते हैं। जरूरी काम भी नहीं हो पाता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार इस प्रश्न पर विचार करे और इस संबंध में कोई व्यवस्था करे।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के आग्रह पर सरकार विचार करने का प्रयत्न करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

पूर्ण पेंशन लाभ के लिए सेवाकाल की 33 वर्ष की अनिवार्यता समाप्त करना

525. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि केवल 33 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ही 50 प्रतिशत पेंशन मिलने की व्यवस्था है और उससे कम सर्विस वाले कर्मचारी को काफी कम ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार कर्मचारियों को उचित पेन्शन दिलाने हेतु एक निश्चित सेवाकाल की अनिवार्यता के प्रतिबन्ध को हटायेगी ताकि सभी कर्मचारियों को 50 प्रतिशत पेन्शन मिल सके या फिर केन्द्रीय सरकार की तरह सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष करने के आदेश प्रदान करेगी ?

उप मन्त्री, वित्त (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) जी नहीं। जिन कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति के समय 10 वर्ष या इससे अधिक की क्वालीफाइंग सेवा पूरी की है लेकिन 33 वर्ष से कम की है तो उनकी पेन्शन की राशि अधिकतम स्वीकार्य पेन्शन के उस अनुपात में होगी जितना अनुपात उनके द्वारा की गई सेवा का और 33 वर्ष की अधिकतम सेवा का होता है।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, 33 वर्ष की सेवा करने पर 50 प्रतिशत पेन्शन मिलती है अर्थात् 22 वर्ष की आयु में नौकरी लगती है उसको 50 प्रतिशत पेन्शन मिलती है। जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके नौकरी में जाते हैं ऐसे लोगों को 50 प्रतिशत पेन्शन मिले, इसके लिये सरकार क्या प्रयत्न करेगी ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य महानुभाव

(श्री रामपाल उपाध्याय)
को इस प्रश्न का उत्तर दिया। थोड़ा विस्तार से बता दूं तो अधिक स्पष्ट होगा।

एक हजार रुपया वेतन प्राप्त करने वाले के सेवा निवृत्त होने पर, राज्य सरकार ने तय कर रखा है कि पेन्शन की राशि इस प्रकार है :—

(1) 33 वर्ष की सेवा -- 500 रुपये

(2) 30 वर्ष की सेवा -- 454.54 अथवा 455 रुपये

(3) 25 वर्ष की सेवा -- 378.78 अथवा 379 रुपये

(4) 20 वर्ष की सेवा - 304 रुपये

(5) 15 वर्ष की सेवा -- 227 रुपये अथवा 228 रुपये।

मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि इस आधार पर क्राइटेरिया बनाकर तय कर रखा है। मैं समझता हूं, यह जानकारी पर्याप्त है।

श्री हीरालाल आर्य : पेन्शन में अन्तर है, किसी को अधिक, किसी को कम मिलती है। सभी कर्मचारियों को पचास प्रतिशत पेन्शन मिल सके इसके लिये सरकार का क्या प्रयत्न है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री नन्द लाल मीणा !

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (2) में दिया है केन्द्रीय सरकार की तरह 58 वर्ष करने का आदेश प्रदान करेगी, इस बारे में ..

श्री रामपाल उपाध्याय : मैंने बहुत स्पष्ट कहा, प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

प्रश्न संख्या 526

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री नन्द लाल मीणा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री हरीश शर्मा!

रामगंज मण्डी एवं लाडपुरा तहसील की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

527. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : [श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) की अनुपस्थिती में] : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि रामगंज मंडी एवं लाडपुरा तहसील की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अनेक गांवों का विद्युतीकरण करने की स्वीकृति है लेकिन अभी तक क्रियान्विति नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक कर दी जावेगी ?

उप मंत्री, विद्युत् (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) : जी हां। रामगंज मंडी तहसील का ग्रामीण विद्युतीकरण की एक योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा वर्ष 1975-76 में स्वीकृत की गई थी। योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सभी ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(श्री अब्दुल रहमान चौधरी)

लाडपुरा तहसील की एक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना माह मई, 80 में स्वीकृत की गई है। योजना पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व की आवश्यक प्रशासनिक औपचारिकतायें पूरी की जा रही हैं। स्वीकृत योजना का कार्यकाल पांच वर्ष का है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पहले वर्ष में कितने गांवों को विद्युतीकरण करने की योजना है ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : आप यह बतायें, रामगंज मण्डी के लिये पूछ रहे हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : लाड़पुरा तहसील में मई, 80 में जो आर. ए. सी. की योजना स्वीकृत हुई है, उसके प्रथम वर्ष में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : प्रथम वर्ष में 47 गांवों का विद्युतीकरण करने की योजना है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा, वे विधान सभा में प्रश्नों के उत्तर देते हैं, वे कहते हैं, यह योजना स्वीकृत हो गई, यह विद्युतीकरण हो गया है। मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि मेरे क्षेत्र के इन-इन गांवों में बिजली पहुंच गई। मेरे क्षेत्र में जब मैं गया तो वहां देखता हूं बिजली का खम्भा ही नहीं पहुंचा है। क्या इसी प्रकार के जवाब आप द्वारा दिये जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। स्थगित प्रश्न।

श्री भूपालसिंह !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 29 जुलाई, 1980)

विभिन्न किस्म के खाद के विक्रय में गड़बड़ी

172. **श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में बिकने वाले विभिन्न प्रकार के खाद की कीमत मई, 1980 में क्या थी एवं जून, 1980 में और बढ़ने का कारण क्या है ?

(2) उक्त खाद की दैनिक बिक्री होलसेल व रिटेल मई, 1980 में क्या थी और माह जून, 80 में क्या रही ?

(3) क्या यह सही है कि कीमतें बढ़ जाने के कारण सहकारी समितियों तथा मार्केटिंग सोसाइटीज आदि खाद विक्रेताओं द्वारा पिछली तारीखों में खाद का भारी मात्रा में फर्जी बेचान दिखाया गया ?

(4) क्या उसी खाद को अधिक कीमत में बेचकर हजारों रुपया कमाने की छूट सरकार ने किसी आदेश के तहत दी ? यदि नहीं, तो अधिक कीमत लेने वालों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

कृषि मंत्री(श्रीमती कमला): अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके पुनः स्थगन के लिये आपसे निवेदन किया है। जो इन्होंने विवरण मांगा है। वह इतने डिटेल से मांगा है कि पांच हजार केन्द्रों पर कितनी बिक्री हुई, कितने भावों से बेचा, कितने बड़े, हुए भाव से बेचा। दो हजार केन्द्रों से तो जानकारी प्राप्त करली है। अभी कुछ और जानकारी प्राप्त करनी है। कोशिश यही करूंगी, इसी सत्र में उत्तर दे दूं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। इतनी लम्बी चौड़ी सूचनाएं एकत्रित करने में समय लगता है। नेक्स्ट। श्री भंवरलाल शर्मा !

(दिनांक 31 जुलाई, 1980)

उप-निरीक्षक के पद पर बिना प्रारम्भिक प्रशिक्षण स्थायीकरण

245. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गृह विभाग में उप-निरीक्षक पद पर नियुक्ति होने के बाद बिना इनिशियल ट्रेनिंग किये स्थायीकरण किया जा सकता है ? यदि हां, तो किस नियम के अनुसार एवं कितने उप-निरीक्षकों को इस तरह स्थायी किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि नरेन्द्र कुमार ओला को टेक्निकल ब्रांच एफ. पी. बी. से जनरल में स्थानान्तरण के बाद बिना इनिशियल ट्रेनिंग के स्थायी कर दिया गया जबकि श्री ओम प्रकाश गोयल को एक वर्ष तथा 4 माह की ट्रेनिंग करवाई गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि श्री ओला को सबसे जूनियर होने के बाद भी उन्हें नियम विरुद्ध ढंग से पदोन्नति दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार श्री ओला की नियुक्ति पदोन्नति आदि के मामले की जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी से करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ?

उप मन्त्री, गृह (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) जी नहीं। किसी भी उप-निरीक्षक को बिना इनिशियल ट्रेनिंग स्थायी नहीं किया गया है।

(2) श्री नरेन्द्र कुमार ओला का कभी सिविल पुलिस में स्थानान्तरण नहीं किया गया। इनका स्थायीकरण कलकत्ता से फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो का तीन वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् किया गया था। श्री ओमप्रकाश बोहरा का स्थानान्तरण फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो में राज्य सरकार के आदेशानुसार वर्ष 1970 में सिविल पुलिस में किया गया था इस कारण सिविल पुलिस की ट्रेनिंग भी करवाई गई थी।

(3) श्री ओला को नियमित पदोन्नति कभी नहीं दी गई। नियमानुसार अस्थाई पदोन्नति दी गई है।

(4) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह जो ट्रेनिंग है एफ. पी. बी. की, यह क्या स्थायीकरण करने के

(श्री भंवरलाल शर्मा)
लिये पर्याप्त है ? यदि है तो कितने लोगों को स्थायी किया गया है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : जहाँ तक स्थायीकरण का प्रश्न है कोई न कोई योग्यता चाहिये। जो निर्धारित योग्यता होती है वह आवश्यक होती है। कितने लोगों को स्थायी किया गया, यह सूचना मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : एफ. पी. बी. की जो ट्रेनिंग है, क्या स्थायीकरण के लिये पर्याप्त है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट निवेदन किया है निर्धारित योग्यता के अनुसार निश्चित स्टेज पर जो प्रशिक्षण आवश्यक है वह दिया जाता है। दूसरे निर्धारित अवधि में निर्धारित ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वह भी दी जाती है।

श्री भंवरलाल शर्मा : श्री ओला को एफ. पी. बी के अलावा कोई और ट्रेनिंग दी गई है क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दुबारा पूछें। मन्त्री महोदय ने सुना नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : श्री ओला को एफ. पी. बी. के अलावा और कोई दूसरी ट्रेनिंग दी गई है क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं, माननीय सदस्य।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैंने निवेदन किया, कलकत्ता में फिंगर प्रिन्ट की जो निर्धारित योग्यता होती है वह इन्होंने प्राप्त की है।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर यह बतायें, यह स्थायीकरण के लिये पर्याप्त है क्या ? इनिशियल ट्रेनिंग के बजाय यह एफ. पी. बी. की ट्रेनिंग है, यह स्थायीकरण के लिये पर्याप्त है क्या ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया है और निवेदन कर रहा हूं यह ट्रेनिंग आवश्यक है। जैसा दूसरा प्रश्न पूछा गया ओमप्रकाश के लिये ..

श्री भंवरलाल शर्मा : आप तो ओला के लिये बता दीजिये।

श्री रामपाल उपाध्याय : उन्होंने कलकत्ता में ट्रेनिंग ली है। तीन साल का कोर्स पूरा किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो ट्रेनिंग उन्होंने ली है, वह स्थायीकरण के लिये पर्याप्त है क्या ? बिना इनिशियल ट्रेनिंग लिये स्थायी किया जा सकता है क्या ?

श्री रामपाल उपाध्याय : श्री ओला ने जो कलकत्ता में ट्रेनिंग ली है वह पर्याप्त रूप से है।

श्री भंवरलाल शर्मा : जब तक इनिशियल ट्रेनिंग नहीं होती है तब तक इस पद पर स्थायी किया जा सकता है क्या ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट निवेदन कर दिया है माननीय

(श्री रामपाल उपाध्याय)
सदस्य के सामने सारी स्थिति रख दी है। श्रोला के बारे में उनका प्रश्न है...

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा तो स्पेसिफिक प्रश्न है बिना इनिशियल ट्रेनिंग के क्या इस पद पर स्थायी किया जा सकता है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : उनकी अन्तिम योग्यता इनिशियल ट्रेनिंग से अधिक योग्यता रखती है तो स्थायी किया जा सकता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिंगर प्रिन्ट की योग्यता तो पर्याप्त नहीं है। ...मैं यह निवेदन कर रहा हूं बिना इनिशियल ट्रेनिंग के भी अगर कोई व्यक्ति स्थायी किया जा सकता है तो दूसरे केसेज में क्यों नहीं किया जाता है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे बैठे बातें न करें...

श्री भंवरलाल शर्मा : ...और क्या यही ट्रेनिंग लेते हैं तो उनको स्थायी किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने इसका उत्तर हां में दे दिया।

अगला प्रश्न। 249

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है।

श्री भंवरलाल शर्मा : पर्याप्त नहीं है, माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष : आप सबके प्रश्न हैं, उन सबका उत्तर उनके पास एक है..

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय जो करप्शन हुआ है उसकी तो जांच करवा लें। बिना इनिशियल ट्रेनिंग दिये हुए किसी दूसरी ट्रेनिंग में चले गये, इसकी जांच तो करवा लें ऐसी क्या बातत है ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न 249।

मेजर एवं माइनर मिनरल्स के खनिज पट्टे

249. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भूतपूर्व सरकार द्वारा राजस्थान में पूर्व में जारी किये गये मेजर एवं माइनर मिनरल्स के खनिज पट्टे निरस्त किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या गत सरकार की तुलना में निरस्त करने का प्रतिशत अधिक है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या गत सरकार द्वारा मेजर व माइनर खनन पट्टों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में क्रमशः 5 व 3 वर्ष की रोक लगाई गई थी ?

(4) क्या इस सरकार द्वारा नियमान्तर्गत इस रोक को हटाने का विचार है ?

उप मन्त्री, खनिज (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) जनता सरकार के कार्यकाल में कुल 123 मेजर मिनरल और 443 माइनर मिनरल के खनन पट्टे निरस्त किये गये।

(2) जनता सरकार के कार्यकाल में प्रधान व अप्रधान खनिजों के स्वीकृत पट्टों में से क्रमशः 34 एवं 23 खनन पट्टे निरस्त किये गये, जबकि उतने ही काल में (लगभग तीन वर्ष) इससे पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधान एवं अप्रधान खनिज पट्टों के 22 तथा 17 खनन पट्टे निरस्त किये गये।

खनन पट्टे जो निरस्त किये जाते हैं वे शर्तों के उल्लंघन करने और नोटिस पीरियड में यदि कोई कमियां दर्शायी गई हों तो उन्हें समय रहते निवारण न किये जाने के कारण किये जाते हैं।

(3) खनन पट्टों को हस्तान्तरण करते समय आर्थिक लाभ की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने तथा खानों के विकास को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 78 में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि यह उपयुक्त होगा कि अपरिहार्य कारणों को छोड़ते हुए प्रधान खनिज पट्टों का स्थानान्तरण/हस्तान्तरण 5 वर्ष और अप्रधान खनिजों के पट्टे का हस्तान्तरण 2 वर्ष पूर्व नहीं किया जावे।

(4) इस नीति में परिवर्तन करने का राज्य सरकार का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। 261 श्री हरिसिंह!

(दिनांक 1 अगस्त, 1080)

कृषि भूमि पर किसानों द्वारा निर्मित आवासों का नियमितिकरण

261. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार ने कृषि भूमि पर नगरपालिका क्षेत्रों में किसानों द्वारा अपने आवास हेतु बिना स्वीकृति बनाये गये मकानों का नियमन किया है? यदि हां, तो भरतपुर जिले में इस नीति का अनुसरण क्यों नहीं किया जा रहा है?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री रामपाल उपाध्याय) : कृषि भूमि के आवासीय प्रयोजन के लिये रूपान्तरण एवं नियमन के लिये राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम, 1968 बनाये गये हैं। जिनका प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र में दिनांक 26-10-78 को हो चुका है।

जिलाधीश ने सूचित किया है कि उक्त नियमों के अधीन जिला भरतपुर में 17 प्रकरणों में नियमन एवं संपरिवर्तन के आदेश पारित किये जा चुके हैं। 105 प्रकरण इस समय विचाराधीन हैं। जिनमें तहसीलदार एवं नगरपरिषद् की सलाह चाही गई है इन मामलों में जिलाधीश कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश महोदय जब तक विचार करेंगे नियमन के लिये तब तक क्या उन बने हुए मकानों को न तोड़ने के लिये सरकार आदेश देगी?

श्री रामपाल उपाध्याय : जब तक जांच करके हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक बने हुए मकानों को गिराना असंगत है। इस पर सरकार विचार करेगी।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या 1971 के पहले के बने हुए मकानों पर भी दुबारा विचार किया जा रहा है ?

(व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : दुबारा पूछें।

श्री भगवान दास शास्त्री : मैंने कहा क्या सरकार की पॉलिसी है कि 1971 तक जो बने हुए मकान हैं, उनकी जमीनें अगर गैर कानूनी भी हैं तो उनको रेगुलेराइज कर रहे हैं या उस पर भी विचार कर रहे हैं ?

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं, माननीय सदस्य महानुभाव को बहुत स्पष्ट निवेदन कर चुका हूं कि नगरपरिषद् और तहसीलदार के पास यह चर्चा का विषय है। वे वैधानिक स्थिति देख रहे हैं इसलिये मैं नहीं कह सकता हूं। जिलाधीश महोदय किसी मकान को गिराने के औचित्य के बारे में विचार करें......

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सं. 537 रह गया है, डूंगरपुर जिले के बारे में प्रश्न है, उसका उत्तर दिलवा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : इस प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिए, साहब। पेयजल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय से चैम्बर में मिल लेना।

श्री अध्यक्ष : यदि आप पूरक प्रश्न नहीं पूछें तो उत्तर दिलवाया जा सकता है।

श्री महेन्द्रकुमार मीणा : नहीं पूछूंगा साहब।

उप मंत्री, भू-जल (श्री रामपाल उपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल समाप्त होने के पश्चात् इस तरह से उत्तर दिलवाने की परम्परा ठीक नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : आप इसका उत्तर दे दीजिए, पूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे।

सुश्री पुष्पा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न सं. 539 है, उसका भी उत्तर दिलवा दीजिए।

चिकित्सा मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : पूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे तो भी उनको जवाब तो वैसे भी मिल ही गया है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर पढ़ दीजिए।

डूंगरपुर जिले की पेयजल समस्या के निवारण हेतु प्रयास

537. श्री महेन्द्र कुमार मीणा (आसपुर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

(1) क्या यह सही है कि पेयजल समस्या के निवारण हेतु पिछड़े क्षेत्रों में कुओं को गहरे करने हेतु ब्लास्टिंग विभाग द्वारा नल कूप और हैण्ड पम्प लगाये गये हैं? यदि हां, तो डूंगरपुर जिले के कितने हैंड पम्प बेकार पड़े हुये हैं और उनको ठीक कराने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है?

(2) ब्लास्टिंग विभाग द्वारा आदिवासियों को कुए गहरे करने में कितना सस्ता एवं सरल सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

(3) क्या यह सही है कि अधिकतर गरीब आदिवासियों को ब्लास्टिंग की सुविधा हेतु उचित रकम जमा कराने पर भी उनका कार्य नहीं हो रहा है, यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार सार्वजनिक स्थानों तथा स्कूल, हॉस्पिटल, प्रशिक्षण संस्थान या बस स्टेण्ड पर हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) इस योजना के तहत कितना अनुदान आदिवासियों को दिया जाता है वह कब और क्या वास्तव में इसका भुगतान होता है?

उप मंत्री, भू-जल (श्री रामपाल उपाध्याय): (1) जी हां। डूंगरपुर जिले के बेकार पड़े हुये हैण्ड पम्पों की जानकारी जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सर्वेक्षण करके प्राप्त की जा रही है। खराब हैण्ड पम्पों की सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त ठीक कराने की व्यवस्था जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जाएगी।

(2) आदिवासी, जो कि लघु एवं सीमान्त कृषक होते हैं, के कुओं को ब्लास्टिंग द्वारा गहरा करने के लिए शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। जो कि आदिवासी उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते उनसे उचित धन राशि जमा करवाने के पश्चात् ही भू-जल विभाग द्वारा ब्लास्टिंग से कुए गहरे करने का कार्य किया जाता है।

(3) जी नहीं। गरीब आदिवासी, जो कि लघु एवं सीमान्त कृषक होते हैं, को शतप्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जाता है जिसकी राशि भू-जल विभाग के पास जमा होते ही उनका ब्लास्टिंग का कार्य तुरन्त कर दिया जाता है।

(4) जी हां। सामान्यतया जनसंख्या, भूमि की उपलब्धि एवं जल स्तर की उपलब्धि के आधार पर निर्णय लिया जाकर ही जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं।

(5) इस योजना के अन्तर्गत आदिवासियों को किसी प्रकार के अनुदान का सीधा भुगतान नहीं किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री अनंगकुमार जैन: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 531 के सम्बन्ध में मैंने जो सूचना मांगी थी उसके लिए यह जवाब दिया गया था कि सूचना मेज पर रख दी गई

(श्री अनंग कुमार जैन)

है। लेकिन वह सूचना मुझे अभी तक नहीं मिली है। नियमों के अनुसार प्रश्नकाल शुरू होने से दस मिनट पहले ही मुझे उक्त सूचना मिल जानी चाहिये थी लेकिन अभी तक सूचना नहीं मिली हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न था...

श्री अध्यक्ष : आपकी बात सुन ली, मैं देख लूंगा। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

गत तीन वर्षों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में ह्रास

514. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति काफी बिगड़ी है? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि अपराधों के बढ़ने के मुख्य कारण पुलिस विभाग की लापरवाही एवं पुलिस विभाग की इन्टेलीजेन्स विंग का कमजोर होना है?

(3) क्या यह भी सही है कि पुलिस थानों में चोरियों, हत्याओं आदि पर रोक लगाने में विभाग की निष्फलता का कारण पुलिस थानों का हल्का बड़ा होने तथा पुलिस थानों में वाहनों का अभाव है? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस थानों का पुनर्गठन एवं पुलिस थानों में वाहन व्यवस्था उपलब्ध करना उचित समझती है? अब यह व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) वस्तुस्थिति इस प्रकार है:—वर्ष जुलाई, 1977 से जून, 1978 तक 66,856 तथा वर्ष जुलाई, 1978 से जून, 1979 तक 60,519 तथा वर्ष जुलाई, 1979 से जून, 1980 तक 61,342 अपराध पंजीबद्ध हुये। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगीकरण, उक्त अवधि में असामाजिक तत्वों, आर्थिक अपराधियों की रिहाई आदि कुछ सम्भावित कारण जिनसे अपराधों में वृद्धि हुई है।

लेकिन 1980 के प्रथम 6 माह में इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगा है।

(2) जी नहीं।

(3) थानों के सीमा क्षेत्र के बड़े होने एवं प्रत्येक थाने पर वाहनों की उपलब्धता न होने से अपराधों पर नियंत्रण पाने में कठिनाई एवं अनुसंधान में समय लगना स्वाभाविक है। वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए ही नये थानों का सृजन एवं वाहनों को उपलब्ध कराने में सरकार प्रयत्नशील है।

महावीर जी के मेले में बस मालिकों को प्रदत्त डीजल

515. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : क्या रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर जिले में इस वर्ष महावीर जी के मेले की अवधि में किन-किन

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)
बस मालिकों को कितना-कितना डीजल कब-कब दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि किसानों को डीजल नहीं मिलने के बावजूद निजी बस मालिकों को यह डीजल उपलब्ध कराया गया ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में महावीर जी के मेले की अवधि में विभिन्न बसों को भिन्न-भिन्न समय पर दिए गए डीजल की सूची संलग्न है।

(2) जी, नहीं। किसानों को भी परिचय-पत्रों पर निर्धारित मात्रा में डीजल यथा समय उपलब्ध कराया गया।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

जिला पाली में पुजारियों द्वारा मन्दिरों की भूमि का बेचान

520. श्री सुखलाल सैंणचा (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार भू-प्रबन्ध आयुक्त एवं पदेन संचालक, भूमि एकीकरण का आदेश नं. एफ./25/69 एस. सी. आर. ए. आर. टी. वन दि. 14/7/1979 की पालना में पाली जिला में सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों द्वारा कोई कारगर कदम उठाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जिला पाली में मन्दिरों की भूमि कई पुजारियों ने बेच दी है जिसका राजस्व रिकार्ड में भी उन खरीददारों के नाम पर इन्द्राज कर दिया गया है ? यदि हां, तो आगे क्या कार्यवाही की जायेगी ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय सदस्य द्वारा जिस आदेश का संदर्भ दिया गया है वह सही नहीं है। भू-प्रबन्ध आयुक्त एवं पदेन संचालक भूमि एकीकरण द्वारा मन्दिर की भूमियों के बाबत विभागीय अधिकारियों को प्रथम बार आदेश क्रमांक एफ. 25/69/एस.सी.आर./ए.एस.टी./जन./1993, दि. 16-7-71 को जारी किये गये व समय समय पर और भी आदेश इस विषय में प्रसारित किये गये हैं। इन आदेशों की पालना में भू-प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर व उनके अधीन सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा कुछ मामलों में कार्यवाही भी की गई है। कुल 574 मामलों में अभी कार्यवाही नहीं हुई है। तहसीलवार सूची संलग्न है। इन शेष मामलों में शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही हेतु उन्हें पुनः हिदायत जारी की जा रही है।

(2) जी, हां। यह सही है कि पाली जिले में मन्दिरों की भूमि कई पुजारियों ने बेच दी है और जिसका राजस्व रिकार्ड में भी उन खरीददारों के नाम पर इन्द्राज हो गया है। ऐसे बेचानों की कुल संख्या 270 है एवं तहसीलवार सूची संलग्न है। 43 मामलों में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स तैयार कर लिये गये हैं तथा राजस्व मण्डल को प्रेषित

(श्री सुखलाल सैंणचा)

किये जा रहे हैं। शेष मामलों में उक्त लिखित धारा 82 के अन्तर्गत रेफ़रेन्स तैयार कर भिजवाने की कार्यवाही जारी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

कोटपूतली तहसील में नकबजनी, लूटपाट आदि की घटनाएँ

522. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अप्रेल, मई और जून, 1980 में कोटपूतली तहसील में किस-किस व्यक्ति द्वारा नकबजनी, लूटपाट, घरों में जबरन प्रवेश सामान व मवेशियों को चुराने की कार्यवाही की गई? कृपया ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि टोरडा प्रागपुरा थाना अन्तर्गत ओम्कार सरपंच और भाइयों ने मिलकर एक मकान को लूटा और सामान, मवेशियों व रुपये आदि को ले गये?

(3) क्या यह सही है कि घर के गरीब कमजोर व्यक्तियों व महिलाओं को पीटकर घर से निकाल दिया और घरों पर ताला लगा दिया जिसकी रिपोर्ट पुलिस में व उच्चाधिकारियों को करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई और सरपंच ने डरा-धमका कर राजीनामा लिखा लिया और प्रभावित परिवारों को दबाव से बेघर व बेजमीन होना पड़ा।

(4) सरकार इस मामले में व अन्य दर्ज मामलों में क्या तात्कालिक कार्यवाही कर रही है।

उत्तर

(1) जिन अभियोगों में अभियुक्तों के नाम मालूम हो चुके हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ऐसे आरोपों का एक अपराध थाना प्रागपुरा पर पंजीबद्ध हुआ है जिसमें अनुसंधान जारी है।

(3) जी नहीं। अभी अभियोग अनुसंधानाधीन है।

(4) इस मामले में अनुसंधान जारी है। शेष मामलों में से 2 में एफ. आर. दे दी गई है 3 में चालान कर दिये गये हैं। शेष अनुसंधानाधीन हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

तहसील परबतसर के ग्राम गूलर में अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को राहत

523. श्री सेठमल बरवड़ (परबतसर): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गूलर, तहसील परबतसर, जिला नागौर में सम्वत् 2032 में अतिवृष्टि होने से बाढ़ आने पर अनुसूचित जाति (रैगरों) के 15 व्यक्तियों के घर तथा उनके कई जानवर भी बह गये थे?

(2) क्या सम्वत् 2036 में भी बाढ़ आने से फिर 7 घर बह गये थे? यदि हां, तो सरकार द्वारा इन बेघर परिवारों को क्या सहायता दी गई? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(श्री जेठमल वरबड़)

(3) क्या इस नदी के किनारे पर बसे हुए 70 परिवारों के घरों को बचाने हेतु प्रोटेक्शन वाल बनाने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि ग्राम गूलर, तहसील परबतसर में सम्वत् 2032 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ आई थी। इस अतिवृष्टि एवं बाढ़ में 12 परिवार अनुसूचित जाति (रैगरो) के घर तथा 3 जानवर बह गये थे।

(2) जी, नहीं। सम्वत् 2036 में ग्राम गूलर में कोई बाढ़ नहीं आई न ही किसी प्रकार की हानि हुई।

(3) इस समय कोई योजना विचाराधीन नहीं है और न ही इस सम्बन्ध में जिलाधीश, नागौर एवं सिंचाई विभाग, जयपुर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

कोयला आधारित औद्योगिक इकाइयों को आवश्यकतानुसार कोयले का वितरण

526. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील सोजत जिला पाली में कितनी कोयला आधारित औद्योगिक इकाईयां वर्तमान में उत्पादनरत हैं? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या इन इकाइयों को अपनी आवश्यकतानुसार कोयला उपलब्ध कराया जा रहा है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितना-कितना कोयला उपलब्ध कराया गया? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रान्त में कोयला वितरण की क्या प्रणाली है और क्या इस प्रणाली से औद्योगिक इकाइयों को कोयला आवश्यकतानुसार समय पर उपलब्ध हो जाता है?

उत्तर

(1) तहसील सोजत में कोयले पर आधारित इकाइयों की सूची 'क' सदन के पटल पर रखदी गई है।

(2) इन इकाइयों की उपलब्ध मात्रा को ध्यान में रखते हुए कोयला उपलब्ध कराया जा रहा है। गत तीन वर्षों में उपलब्ध कराये गये कोयले की सूची 'ख' सदन के पटल पर रखदी गई है।

(3) कोयले के रेलवे मूवमेन्ट के लिए प्रत्येक राज्य के लिए वैगनों की सीमा निर्धारित है। इस निर्धारित सीमा के अन्दर ही औद्योगिक इकाइयों को आवंटन उनकी खपत, उत्पादन की प्रकृति, जिला स्तरीय अधिकारियों की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए रेलवे को स्पोन्सर किया जाता है। राजस्थान में कोल/कोक के उपार्जन एवं वितरण के कार्य हेतु राजस्थान लघु उद्योग निगम को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया हुआ है। निगम द्वारा कोयले का लदान होने पर निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा कोयला स्पोन्सर्ड इकाइयों को निर्धारित समान प्रतिशत के आधार पर आवंटित किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि हर स्पोन्सर्ड इकाइयों को कोयला मिल रहा है।

(उद्योग मन्त्री)

रेलवे वैगनों की अनुपलब्धता के कारण अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी समय पर आवश्यकतानुसार कोयला प्राप्त नहीं होता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें

राज्य में बेरोजगारी उन्मूलन हेतु प्रस्तावित योजना

405. श्री रामकंवार बैरवा (फागी): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राज्य में बेरोजगारी मिटाने के लिए तत्काल कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) राज्य में पढ़े-लिखे बेरोजगारों की संख्या जिलेवार कितनी है ?

(3) जिन श्रमिकों, मजदूरों व अन्य वर्ग के नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज नहीं हैं तथा बेरोजगार हैं, उनकी जिलेवार संख्या कितनी है ?

उत्तर

(1) इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(2) रोजगार कार्यालयों में पंजीयन की चालू पंजिका के अनुसार पढ़े-लिखे बेरोजगारों की सूचना जिलेवार परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

(3) इस विभाग में इस प्रकार की सूचना का संकलन नहीं किया जाता है। (सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

बांसवाड़ा जिला सेवा संघ, परतापुर द्वारा जिले में संचालित छात्रावास

406. श्री बहादुरसिंह (दानपुर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बांसवाड़ा जिला सेवा संघ, परतापुर द्वारा कितने छात्रावास चलाये जा रहे हैं। कृपया स्थानों के नाम की सूची प्रस्तुत करें।

(2) इन छात्रावासों को प्रत्येक को कितनी-कितनी धनराशि वर्ष 1978-79 एवं 79-80 में अनुदान के रूप में दी गई तथा प्रत्येक छात्र पर प्रतिमाह कितनी धनराशि व्यय की गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विभाग के किन किन उच्च अधिकारियों ने वर्ष 1977-78, 78-79 एवं 79-80 में इन छात्रावासों का निरीक्षण किया है तथा निरीक्षण में क्या-क्या कमियां प्रतिवेदन में बताई गई ?

(4) इन छात्रावासों में छात्रों को क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिला सेवा संघ, परतापुर, बांसवाड़ा द्वारा जिले में 12 छात्रावास चलाये जा रहे हैं: 1) परतापुर 2) खमेरा 3) खोडन 4) गनोड़ा 5) बागीदोरा 6) भूखियां 7) चांदरवाड़ा 8) जौलाना 9) करजी 10) अरथूना 11) भूंगड़ा (12) खांदू।

(समाज कल्याण मन्त्री)

(2) इन छात्रावासों को वर्ष 78-79 व वर्ष 79-80 के अनुदान के रूप में दी गई सहायता संलग्न तालिका में दी गई है जिसके अनुसार प्रत्येक छात्र पर प्रतिमाह आवेत्यय भी त विशा में दिया गया है।

(3) वर्ष 77-78 से 79-80 के बीच इन छात्रावासों का निरीक्षण जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, बांसवाड़ा एवं उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर द्वारा किया गया जिनमें भोजन वस्त्र आदि समय पर नहीं दिये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया गया।

(4) छात्रों को छात्रावासों में भोजन, पानी, रोशनी, नाश्ता, विशेष भोजन (माह में एक बार), पुस्तकें, स्टेशनरी, बिस्तर, जूते आदि व आवास सुविधा दी जाती है।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

अनूसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों की शिकायतें

407 श्री लच्छराम (मण्डावा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष में राज्य के कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों की शिकायतें प्राप्त हुई थीं तथा उनकी जांच के परिणाम स्वरूप कितने छात्रावास दोषी पाये गये ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम टमकोर, जिला झुंझुनू में दो छात्रावास चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें अनुदान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो किस कारण ?

उत्तर

(1) गत वर्ष में अनुसूचित जाति के 5 अनुदानित छात्रावासों की शिकायतें प्राप्त हुईं जिन्हें निरीक्षण करने पर दोषी पाया गया यह छात्रावास निम्न हैं :—

1. बापू छात्रावास, झुंझुनू
2. राजेन्द्र छात्रावास, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
3. ठक्कर बापा छात्रावास, मनोहरपुर, जिला जयपुर
4. राष्ट्रीय हरिजन किसान छात्रावास, डीडवाना, जिला नागौर
5. श्रीकृष्ण छात्रावास, सीकर

(2) जी हां। ग्राम टमकोर में 2 अनुदानित छात्रावास चल रहे हैं। श्री नेहरू छात्रावास विभाग से मान्यता प्राप्त है तथा उसे अनुदान दिया जा रहा है दूसरा छात्रावास जिसका नाम गांधी छात्रावास है उसे विभाग द्वारा कोई मान्यता नहीं दी गई है और वह संस्था द्वारा ही चलाया जा रहा है कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है। श्री गांधी छात्रावास वर्ष 78-79 से चलाया जा रहा है।

वृक्षारोपण हेतु किसानों की भूमि का अवाप्तिकरण

408. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ छोटी मार्ग पर वृक्षारोपण का कार्य वर्ष

(श्री नन्दलाल मीणा)
1980 से प्रारम्भ किया गया है ? यदि हां, तो प्रतापगढ़ से अम्बामाता तक कितने किसानों की कितनी-कितनी जमीन सिंचित, असिंचित अवाप्त की गयी ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन किसानों में अधिकांश आदिवासी किसान हैं और उनके पास 15 बीघा से अधिक जमीन नहीं है ?

(3) क्या इससे किसानों को काफी परेशानी होती है ? यदि हां तो कृषि भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य कब तक बंद कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। वृक्षारोपण के कार्य हेतु भूमि वन विभाग द्वारा अवाप्त नहीं की गई है। वन विभाग द्वारा सड़कों के किनारे जो वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है वह या तो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क हेतु अवाप्त भूमि पर अथवा अन्य बिलानाम राजकीय भूमि पर किया जाता है। परन्तु इस सड़क के किनारे जबकि 6,432 पेड़ राजकीय भूमि पर लगाये गये हैं, 366 पेड़ खातेदारों की 19 बिस्वा भूमि पर लगा दिये गये जिसके लिये अलग से योजना है।

(2) जब वन विभाग द्वारा इस प्रयोजन हेतु भूमि अवाप्त ही नहीं की गई तो इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) उपरोक्त क्रम 1 व 2 पर अंकित उत्तर के अनुसार यह प्रश्न नहीं उठता है।

सरपंच, ग्राम पंचायत कोलिया के विरूद्ध शिकायतों पर कार्यवाही

409. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री हनुमान मल मेह, सरपंच, ग्राम पंचायत कोलिया, पंचायत समिति डीडवाना, जिला नागौर के विरुद्ध जिला विकास अधिकारी, नागौर, जिलाधीश, नागौर एवं विकास विभाग, जयपुर के पास जनता एवं ग्राम पंचायत के पंचों द्वारा वर्ष 1978 के चुनावों के बाद से अब तक कई शिकायतें की गई हैं ?

(2) क्या इन शिकायतों पर जांच अधिकारी की रिपोर्ट आ गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सरपंच, ग्राम पंचायत, कोलिया के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच श्री राधेश्याम दाधीच तत्कालीन उप विकास आयुक्त (जांच) राजस्थान, जयपुर द्वारा कराई गई थी। जिसकी रिपोर्ट दिनांक 28-9-79 को प्राप्त हुई। राज्य सरकार ने इस संबंध में जिलाधीश, नागौर को दिनांक 28-11-79 को लिखा है कि काम के बदले अनाज योजना में पंचायत कोलिया द्वारा जो निर्माण कार्य करवाये गये हैं उनकी तकनीकी जांच कराकर रिपोर्ट भिजवायें ताकि यह पता चल सके कि निर्माण कार्यों को कराने में धन राशि का दुरुपयोग तो

(पंचायत मंत्री)

नहीं किया गया है। पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 5-3-79 के अनुसार श्री जानकीलाल बलदवा के मकान के सामने का पुराना पक्का खुर्रा गांव वालों की शिकायत पर तुड़वाया गया था। इस खुर्रे का पंचायत माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र तकनीकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्माण कराया जावे, के संबंध में भी लिखा गया है ताकि ग्रामवासियों को आवागमन में सुविधा मिल सके। श्री हनुमानमल के विरुद्ध जिला स्तर पर जांच की कार्यवाही चल रही है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी। जिलाधीश को रिपोर्ट शीघ्र भेजने हेतु तार द्वारा लिखा गया है।

आवासन मण्डल की (दक्षिणी क्षेत्र चौपासनी आवासीय योजना हेतु) अवाप्त भूमि का मुआवजा

410. श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर), **श्री मानसिंह देवड़ा** (सरदारपुरा) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी (प्रथम), सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ), जोधपुर ने अपने पत्र संख्या एल ए/फर्स्ट/490–91; दिनांक 18-7-80 द्वारा रेजीडेन्ट इंजीनियर, राजस्थान आवासन बोर्ड, जोधपुर को सूचित किया कि वह बोर्ड की साउथ जोन चौपासनी स्कीम के लिए उसके द्वारा लगभग 25 खातेदार किसानों से ग्राम सुंथला में अवाप्त लगभग 926 बीघा भूमि के मुआवजे की रकम के रु. 8,04,494 किसानों को भुगतान के लिए अदा करें ?

(2) उपरोक्त किसानों को उनके मुआवजे की रकम कब तक भुगतान कर दी जायेगी ?

(3) क्या यह सत्य है कि वर्ष 1971 के लगभग उपरोक्त क्षेत्र में उपरोक्त स्कीम के लिए राजस्थान आवासन बोर्ड द्वारा क्रय की गई ऐसी ही भूमि का मूल्य रु. 1,450 प्रति बीघा की दर से खातेदार किसानों को दिया गया जबकि अवाप्ति अधिकारी ने केवल रु. 2,100 प्रति बीघे के मुआवजे का एवार्ड निर्धारित कर उपरोक्त गरीब किसानों को रु. 1,525 प्रति बीघा मुआवजा कम देने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस 926 बीघा जमीन में से 381 बीघा जमीन खातेदारों की है एवं शेष 545 बीघा सरकारी जमीन है।

(2) उपरोक्त रकम का भुगतान जमीन के सर्वेक्षण व फिजिकल पजेशन (Physical Possession) लेने एवं बोर्ड की स्वीकृति के बाद आवासन अभियन्ता, जोधपुर को भुगतान के आदेश दिये जायेंगे।

(3) यह सत्य है कि चौपासनी स्कीम, जोधपुर के लिए वर्ष 1971 में 1,450 रु. प्रति बीघा के हिसाब से जमीन ली गई थी। भूमि अवाप्ति अधिकारी का निर्णय न्यायिक निर्णय होता है और यदि किसी व्यक्ति को ऐसे निर्णय से पीड़ा होती है तो वह सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स कर सकते हैं।

चम्बल क्षेत्र के विकास कार्य में संलग्न मशीनें

411. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि चम्बल क्षेत्र में कार्य कर रही मशीनें कई दिनों से खराब पड़ी हैं ? यदि हां, तो कौन-सी मशीन, कब से तथा कुल कितने की मशीनें बेकार हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मशीनों पर डीजल आदि का खर्च होता रहा है और यह डीजल ब्लैक में बिकता रहा ?

(3) इन मशीनों के खराब पड़े रहने से विभाग को कितनी राशि का नुकसान हुआ ?

(4) क्या सरकार उक्त मामले में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा उक्त मशीनें शीघ्र कार्य करने लगें इस हेतु शीघ्र व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि चम्बल क्षेत्र में कार्य कर रही सारी मशीनें खराब पड़ी हैं। चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास संस्थान में भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 98 मशीनें हैं जिनमें से मात्र सात मशीनें इस समय खराब हैं। जिनका कुल अनुमानित मूल्य चौदह लाख चालीस हजार रुपया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही नहीं है। उक्त खराब पड़ी मशीनों पर डीजल आदि इश्यू ही नहीं किया जाता अत: इन पर डीजल खर्च होने तथा इसके ब्लैक में बिकने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) उक्त सातों मशीनों के खराब होने से विभाग को कोई हानि नहीं हुई।

(4) उक्त मशीनों की खराबी के लिये कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। जैसे ही सामान (कल पुर्जे इत्यादि) उपलब्ध हो सकेगा इन मशीनों की मरम्मत कर इन्हें पुन: उपयोग में लाया जा सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में पदोन्नत के स्थानान्तरण अध्यापक का प्रकरण

412. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री पूनमचन्द, द्वितीय श्रेणी अध्यापक को द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में पदोन्नत करके सांचोर से अन्य जिले में स्थानान्तरित किया गया था ? यदि हां, तो कब एवं किस स्थान पर ?

(2) क्या यह भी सही है कि एक राज्य कर्मचारी जब पदोन्नत किया जाता है तो उसको साधारणतया दूसरी जगह भेजा जाता है ? अगर हां, तो क्या उक्त शिक्षक को भी उसी आधार पर अन्य जिले में स्थानान्तरित किया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त शिक्षक का तबादला रद्द करके फिर उसी

Page No. 35

(35)

(श्री सूरजपाल सिंह)

स्थान सांचोर पर ही उच्च माध्यमिक पाठशाला सांचोर में लगा दिया गया एवं उक्त शिक्षक ने सरकार के पदोन्नत आदेश की तामील भी नहीं की ? यदि हां, तो उनका तबादला रद्द कर उसी स्थान पर क्यों लगाया गया ? क्या सरकार अब उक्त शिक्षक को अपने गृह निवास से दूर अन्य जिले में प्रशासनिक दृष्टि से लगाना उचित समझेगी ? यदि हां तो, ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। शिक्षा निदेशालय के आदेश दिनांक 20-11-78 के द्वारा श्री पूनम चन्द को प्रथम श्रेणी में पदोन्नत किया जाकर उप निदेशक, उदयपुर के निस्तारण पर रखा गया था।

(2) जी नहीं। श्री पूनम चन्द को उदयपुर मण्डल में पदोन्नति पर पदस्थापन इसलिए किया गया था जो कि चूंकि उस समय जोधपुर मण्डल में पद रिक्त नहीं था।

(3) जी हां। जोधपुर मण्डल में पद रिक्त होने के कारण तथा उनके आवेदन पत्र पर श्री पूनम चन्द को जोधपुर मण्डल में दिनांक 13-12-78 द्वारा निस्तारण पर दिया गया था। उप निदेशक, जोधपुर ने उसे सांचोर में पदस्थापन कर दिया। इस समय श्री पूनम चन्द को अपने गृह निवास से दूर अन्य जिले में भेजने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समिति झालरापाटन की कुछ पंचायतों के कार्यों में गड़बड़ी की जांच

413. श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति झालरापाटन की ग्राम पंचायत डोंज, झूमकी, पिपलोद, खानपुरिया, जूनाखेड़ा रूपारेल, गोरधनपुरा, गोविन्दपुरा और पनवासा में काम के बदले अनाज योजना में सन् 1977-78 और 79 में कितना-कितना कार्य कहां-कहां हुआ ?

(2) इनमें से कितने कार्यों के पूरे होने के प्रमाण-पत्र सरकार को प्राप्त हो गये और किन-किन के नहीं हुये ?

(3) किन-किन पंचायतों के कार्यों में गड़बड़ी पाई गई उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति झालरापाटन की ग्राम पंचायत डोडा, झूमकी, पिपलोद, खानपुरिया, गोविन्दपुरा, रूपारेल, जूनाखेड़ा, गोरधनपुरा और पनवास में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 77-78 में कोई कार्य नहीं हुआ। वर्ष 78-79 व 79-80 में 112 कार्य उक्त ग्राम पंचायतों में विभिन्न ग्रामों में करवाये गये जिनकी विस्तृत सूची संलग्न है।

(2) उक्त 112 कार्यों में से अब तक 78 कार्य पूर्ण हो गये हैं जिनमें से 69

(श्री सहायता मंत्री)
कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गये, 9 पूर्ण कार्यों के प्रमाण-पत्र आने बाकी हैं। जारी किये गये प्रमाण पत्रों की विस्तृत सूचना संलग्न सूची 'अ' में अंकित है।

(3) ग्राम पंचायत डोडा, झूमकी, पिपलोद, खानपुरिया, रूपारेल, गोरधनपुरा, पनवास में कराये गये कार्यों में गड़बड़ी की कोई शिकायत जिलाधीश कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। ग्राम पंचायत जूनाखेड़ा में कराये गये कार्यों में हुई अनियमितता के विषय में शिकायत प्राप्त होने पर जांच के लिए विकास अधिकारी झालरापाटन को भेजी गई है जांच अभी जारी है।

ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा की 22 बोरियां चावल के अवैध भंडारण व कथित दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर जांच करवाई गई तथा शिकायत सही पाये जाने पर दोषी व्यक्ति लक्ष्मीकान्त अग्रवाल, खाद्य विक्रेता, बजरंग लाल, ग्रुप सचिव व ज्वाला प्रसाद, कनिष्ठ लिपिक, पंचायत समिति, झालरापाटन के विरुद्ध थाना पाटन में दिनांक 25-6-80 को एक एफ. आई. आर. दर्ज करवाने पर मुकदमा नम्बर 61/80 दर्ज हुआ। मुकदमे में अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है। श्री बजरंग लाल, ग्रुप सचिव व ज्वालाप्रसाद, कनिष्ठ लिपिक को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के भी आदेश दिये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

बीकानेर जिले में फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठान

414. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीकानेर जिले में कितने व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान फैक्ट्री अधिनियम के तहत पंजीकृत किये जा चुके हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इकाइयों ने किन-किन फैक्ट्री अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिये आवेदन किया है? कृपया सूची प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत बीकानेर जिले में 186 कारखाने पंजीकृत हैं। सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

कस्बा किशनगढ़ बास (अलवर) का मास्टर प्लान

415. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा किशनगढ़ बास (अलवर) के विकास योजना के अधीन एक मास्टर प्लान बना था?

(2) इस योजना में किशनगढ़ के खसरा नं. 272/273 के रकबों में कर्नल नासिर की मूर्ति बनी हुई थी?

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(3) क्या यह सही है कि श्री सूर्यदेव सिंह, प्रधान ने पंचायत समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर उस मास्टर प्लान को समाप्त कर दिया ? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रधान ने पंचायत समिति द्वारा अधिक अन्न उपजाओ योजना के अधीन जमीन मालिक के नाम का फर्जी प्रार्थना-पत्र लिखकर फर्जी दस्तखत कराके दो बिस्वा पर बनी मूर्ति केवल मात्र रु. 200/- में मलवे के नाम पर बेच दी ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) मास्टर प्लान समाप्त करने के क्रम में पंचायत समिति द्वारा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है।

(4) दो बिस्वा जमीन में कर्नल नासिर की कोई मूर्ति नहीं बनी हुई थी परन्तु कर्नल नासिर के आगमन पर भाषण देने हेतु एक चबूतरा बनाया हुआ था जो बेकार, अनुपयोगी था। प्रार्थी, जिसके खेत में चबूतरा था, के प्रार्थना-पत्र के अनुसार उसे हटवाया गया तथा मलवे को 200 रुपये में नीलाम कर जमीन मालिक को बताई गई।

सुनेल नगरपालिका क्षेत्र में घरों को नियमित जल प्रदाय में बाधा

416. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग): **श्री शोबान सिंह** (पिड़ावा):– क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या यह सच है कि सुनेल नगरपालिका क्षेत्र में करीब एक चौथाई घरों के नलों में पानी बिलकुल नहीं आ रहा है ? यदि हां, तो इस समस्या का समाधान कब तक हो जावेगा ?

उत्तर

जी नहीं। ग्रीष्म ऋतु में पानी की खपत अधिक बढ़ जाने के कारण कुल 580 जल सम्बन्धों में से लगभग 30 जल सम्बन्धों में कम पानी पहुंचने की शिकायत है।

जिला चूरू में काम के बदले अनाज योजना के तहत स्वीकृत कार्य

417. श्री मोहनलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार काम के बदले अनाज योजना को चालू रखने का विचार रखती है ? अगर हां, तो चूरू जिले में चुनाव परिणामों के बाद दिनांक 1-6-80 से कितने नये कार्यों को चालू करने की स्वीकृति दी है ?

(2) चूरू जिले में इस योजना के अन्तर्गत कितने कार्य अधूरे पड़े हैं और कब तक पूरे हो जायेंगे ?

(3) चूरू जिले में इस योजना के अन्तर्गत किस-किस तहसील की कितनी मजदूरी किस-किस कार्य की बाकी पड़ी है ?

(श्री मोहनलाल शर्मा)
ग्रामानुसार नकद व अनाज की बकाया अलग-अलग सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या इस मजदूरी को सरकार चुकाने की व्यवस्था कर रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

(5) सरदारशहर तहसील के ग्रामों में इस योजना के अन्तर्गत मजदूरी चुकारा नहीं करने, फर्जी मस्टर रोल भरने आदि शिकायतें किस-किस सरपंच की हैं और उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? अगर नहीं, तो कब तक की जावेगी ?

उत्तर

(1) काम के-बदले-अनाज योजना को राज्य सरकार भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न के आधार पर चलाती है। इस योजना को आगे चलाते रहने का विचार है किन्तु इसके आकार प्रकार का निर्धारण भारत सरकार द्वारा उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा एवम्, पद्धति पर निर्भर रहेगा। चूरू जिले में चुनाव परिणाम के बाद दिनांक 1-6-80 से 6 नये कार्य काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के माध्यम से चालू करने की स्वीकृति दी है।

(2) चूरू जिले में काम-के-बदले अनाज योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के माध्यम से 319 कार्य अधूरे पड़े हुये हैं। जिनको प्राथमिकता से पूरा कराने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(3) चूरू जिले में कितनी-कितनी मजदूरी किस-किस कार्य की बाकी पड़ी है। ग्रामानुसार नकद व अनाज की बकाया की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) राज्य सरकार बकाया मजदूरी के भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। भारत सरकार से पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न आवन्टन के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। अभी हाल 20 हजार मैट्रिक टन का आवन्टन और प्राप्त हुआ है जिसका विभिन्न जिलों को आवन्टन कर दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत कार्यों पर लगे मजदूरों को 31-5-80 तक की मजदूरी का भुगतान सब जिलों में किया जा चुका है। जिलाधीशों को 30-6-80 तक की मजदूरी के भुगतान के बारे में तुरन्त कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं।

(5) सरदारशहर तहसील में 26 ग्राम पंचायतों की 55 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 15 शिकायतों की जांच की जा चुकी है व जांच के आधार पर शिकायतें निराधार पाई गई हैं, शेष की जांच की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान आवासन मंडल में भवन आवंटन हेतु जमा करायी गई राशि

418. श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन बोर्ड में जनता द्वारा सन् 1973

(श्री मानसिंह देवड़ा)
में मकान आवंटन हेतु राशि जमा कराई गई थी ? यदि हां, तो किन-किन श्रेणी के कितने व्यक्तियों द्वारा राशि जमा कराई तथा उनमें कितने, अनुसूचित जाति व जनजाति तथा भूतपूर्व सैनिकों की राशि जमा थी ? पूरा ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या 1973 में जमा राशि में किन-किन व्यक्तियों को किस-किस श्रेणी के कितने मकान आवंटित किये गये तथा कितने व्यक्तियों को मकान न मिलने पर लौटाई गई ? यदि हां, तो यह राशि ब्याज सहित लौटाई गयी या मूल राशि में से काट कर ?

(3) क्या यह सही है कि बहुत से मकान बनकर तैयार होने पर भी अभी तक उनको आवंटित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो किस कारण ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान आवासन बोर्ड में 1973 में मकान आवंटन हेतु राशि जमा कराई गई थी। किन-किन श्रेणी के कितने व्यक्तियों द्वारा राशि जमा कराई गई थी उसका विवरण विभिन्न नगरों में निम्न प्रकार है : —

(नगर आयोजना मंत्री)

नगर	जनता आय वर्ग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	उच्च आय वर्ग	कुल
	वार्षिक आय 2,400 रु. तक जमा राशि रु.100/-	वार्षिक आय 2401 से 4,200 रु. तक जमा राशि रु. 500/-	वार्षिक आय रु. 4,201 से 7,200 रु. तक जमा राशि रु. 2,500/-	वार्षिक आय 7,201 से 18,000 रु. तक जमा राशि रु. 5,000/-	वार्षिक आय 18,000 से ऊपर जमा राशि 10,000/- प्रत्येक	
जयपुर	4,000	5,078	3,572	2,479	436	15,565
कोटा	1,315	1,096	235	88	4	2,738
उदयपुर	1,061	418	130	28	—	1,637
अजमेर	284	249	118	43	—	694
भीलवाड़ा	287	155	28	8	—	478
बीकानेर	691	444	15	23	—	1,173
अलवर	352	532	168	43	—	1,095
जोधपुर	1,961	514	159	67	—	2,701
योग	9,951	8,486	4,425	2,779	440	26,081

(नगर आयोजता मन्त्री)

(2) 1973 में पंजीकृत व्यक्तियों में से विभिन्न आय वर्गों के अनुसार निम्नांकित शहरों में जितने मकान आवंटित किए गए हैं उनकी संख्या इस प्रकार है:—

शहर	जनता	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	उच्च आय वर्ग	कुल
जयपुर	446	1281	1102	836	299	3964
कोटा	681	720	161	67	—	1629
उदयपुर	432	146	82	17	—	677
अजमेर	171	139	51	22	—	383
भीलवाड़ा	87	39	16	3	—	145
अलवर	75	70	59	28	—	232
बीकानेर	308	117	7	5	—	437
जोधपुर	697	281	69	25	—	1072
	2,897	2,793	1,547	1,003	299	8,539

यदि व्यक्ति स्वयं चाहे तो जमा राशि वापस ले सकता है किन्तु आवासन बोर्ड मकान नहीं मिलने पर शेष व्यक्तियों की राशि अपनी ओर से नहीं लौटाता क्योंकि जिन्हें मकान नहीं मिल पाये हैं, उन्हें अगली लॉटरी योजनाओं में मकान दिये जाते हैं।

(नगर आयोजना मंत्री)

यदि आवेदक स्वयं जमा राशि वापस लेना चाहता हो तो 18 माह तक जमा राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज दिया जाता है तथा 18 माह से पहले राशि वापस चाहने पर 5 प्रतिशत काट कर लौटाई जाती है।

(3) जी नहीं, मकान बन कर तैयार होते ही आवंटित कर दिये जाते हैं। आवंटित मकानों में से आवंटियों द्वारा समय पर राशि जमा नहीं कराने के कारण निरस्त किये गये या आवंटी द्वारा मकान छोड़ने के कारण जो मकान अवशिष्ट रह जाते हैं, उन्हें अगली लॉटरी के समय सम्मिलित करके आवंटित कर दिया जाता है। लॉटरी योजना में प्रसारित कर दिये गये सभी मकानों की आवंटन प्रक्रिया जारी है।

उपर्युक्त व्यक्तियों में से विभिन्न नगरों में अनुसूचित जाति/जन जाति तथा भूतपूर्व सैनिकों की संख्या इस प्रकार है:—

नगर	अनुसूचित जाति/जनजाति	भूतपूर्व सैनिक
जयपुर	468	24
बीकानेर	44	—
कोटा	101	1
जोधपुर	616	12
भीलवाड़ा	52	—
अजमेर	64	—
उदयपुर	159	3
अलवर	44	13
योग..	1548	53

विकास अधिकारी, दांतारामगढ़ द्वारा सामान की खरीद

419. श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति दांतारामगढ़ ने सन् 1979-80 में काफी सामान की खरीद की है? यदि हां, तो क्या-क्या सामान किस-किस फर्म से खरीदा गया?

(2) क्या यह सही है कि भूतपूर्व विकास अधिकारी, दांतारामगढ़ ने किसी फर्म से स्कूल के लिए घंटियां खरीदी हैं? यदि हां, तो किस दर से?

(3) क्या यह भी सही है कि जनता की शिकायत होने पर उसने घंटियों को तोड़कर एक की दो की हैं? यदि हां, तो उक्त विकास अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। घंटियां 7/- रु. प्रति किलो की दर से क्रय की गई थी।

(3) घंटियों के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। घंटियों का वजन अधिक होने के कारण स्थानीय बाजार से उन्हें तुड़वाकर एक घंटी की दो-दो घंटियां बनवाई गई थीं। विकास अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

पथ परिवहन निगम को प्राप्य लाभ-हानि

420. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अपनी स्थापना काल से कितना लाभ व हानि अर्जित की है ? वर्षानुसार लाभ-हानि का विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

निगम की स्थापनाकाल से वर्ष 1979-80 तक का लाभ-हानि विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

पाबोलाव तालाब, जसवन्तगढ़

421. श्री रामधन (लाडनूं) क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि पाबोलाव तालाब जसवन्तगढ़, जिला नागौर की खुदाई का कार्य 25 जून को शुरू हुआ एवं 26 तारीख की रात को वर्षा के होने से पानी भर गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकारी मस्टर रोल में 25 जून से पूर्व की उपस्थिति अंकित की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। पाबोलाव तालाब की खुदाई का कार्य 21 जून, 1980 को शुरू हुआ और 25 जून, 1980 की सायं के पांच बजे बाद वर्षा हो जाने से तालाब में पानी आ जाने से खुदाई का कार्य बन्द हो गया।

(2) यह सही है कि सरकारी मस्टर-रोल में 25 जून से पूर्व की उपस्थिति अंकित की गई है क्योंकि पाबोलाव तालाब का कार्य 21-6-80 से प्रारम्भ हुआ था।

लेखकों और प्रकाशकों के लिये प्रोत्साहन की योजना

422. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के लेखकों और प्रकाशकों को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार ने क्या कोई योजना आरम्भ की थी ? अगर हां, तो कब से ?

(2) क्या राजस्थान के लेखकों की कृतियां व सम्पादक और प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण विषयों की पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं को राज्य सरकार के समाज शिक्षा विभाग द्वारा केन्द्रीय क्रय करने का प्रावधान है ? अगर हां, तो सन् 1975 से सन् 1979 तक की सम्पूर्ण ब्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) समाज शिक्षा विभाग द्वारा पुस्तकें व पत्र-पत्रिकायें क्रय करने के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान है ? सन् 1975 से 1979 तक की धनराशि का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने 28 जनवरी, 1958 को राज्य के साहित्यिक अभ्युत्थान

(शिक्षा मन्त्री)
के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना की जिसके अन्तर्गत लेखकों और प्रकाशकों को प्रोत्साहन देना भी समाहित है। राजस्थान सरकार अकादमी को उक्त प्रयोजनार्थ अपनी प्रवृत्तियां एवं गतिविधियां चलाने के लिये अनुदान देती है। राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक एफ. 2(70) शिक्षा-4/65, दिनांक 19-7-65 द्वारा पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों को क्रय करने के संबंध में जो आदेश जारी किये थे उनमें राजस्थान के लेखकों एवं प्रकाशकों को प्रोत्साहन देने के लिये प्रावधान रखा था।

(2) केन्द्रीय क्रय के लिये स्वीकृत मद में से पुस्तकें क्रय करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक केन्द्रीय क्रय समिति निर्मित की गई है। इस समिति द्वारा राजकीय विद्यालयों, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिये पुस्तकों और पत्रिकाओं का क्रय किया जाता है। यह समिति राजस्थान के लेखकों और सम्पादकों के प्रकाशनों को ध्यान मे रखते हुए केन्द्रीय क्रय के लिए अपनी अभिशंसा करती है। समिति द्वारा चयनित पुस्तकों और पत्रिकाओं का केन्द्रीय रूप से क्रय किया जाता है। 1975 से 1979 तक राजस्थान के लेखकों और प्रकाशकों की पुस्तकों के लिये अलग से राशि निर्धारित नहीं की गई थी।

(3) पुस्तकें एवं पत्रिकाएं क्रय करने हेतु बजट प्रावधान निम्न प्रकार से रखा गया था :—

क्र. सं.	वर्ष	आयोजना मद	आयोजना भिन्न मद	योग
1.	1975-76	13,000	1,58,000	1,71,000
2.	1976-77	--	1,58,000 16,885	1,75,000
3.	1977-78	--	1,58,000	1,58,000
4.	1978 79	11,900	1,58,000	1,70,000

केशोरायपाटन क्षेत्र के पूर्ण तथा अपूर्ण कुए

423. **श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केशोरायपाटन निर्वाचन क्षेत्र में कितने कुए अपूर्ण हैं तथा कब तक पूर्ण कर दिये जावेंगे ?

(2) केशोरायपाटन क्षेत्र में ऐसे कितने गांव हैं जहां पर पेयजल का संकट है ? और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

(3) कितनी पंचायतों द्वारा पेयजल हेतु कितने कुओं के निर्माण का प्रस्ताव है तथा स्वीकृति दी गई या नहीं ?

उत्तर

(1) केशोरायपाटन निर्वाचन क्षेत्र में 81 कुए अपूर्ण हैं। धनराशि उपलब्ध होने

(पंचायत मंत्री)

पर अपूर्ण कूओं को पूर्ण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) केशोरायपाटन क्षेत्र में ऐसे 5 ग्राम पाली, बांसवाड़ा, माखीदा, गुहाटा एवं कांकरामेज हैं, जिनमें पेयजल संकट है। जलदाय विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त ग्रामों में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) केशोरायपाटन क्षेत्र में वर्तमान में पेयजल के सम्बन्ध में 8 ग्राम पंचायतों द्वारा 12 कूप निमार्ण हेतु प्रस्ताव हैं जिनके लिये स्वीकृति दी जा चुकी है।

पंजाब नेशनल बैंक, अजमेर के भवन से मीटर की चोरी

424. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंजाब नेशनल बैंक, अजमेर से बिजली का मीटर चोरी हो गया था और बैंक के सचिव ने 19-3-80 को चोरी की सूचना पुलिस को दी थी ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी हां। अनुसंधान से मामला भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 39 में पाया जाने पर पुलिस द्वारा अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट देकर कार्यवाही हेतु राज्य विद्युत मण्डल को लिख दिया गया है।

संजय बाजार, सांगानेरी गेट, जयपुर से प्रभावित व्यक्ति

425. श्री तकीउद्दीन अहमद (जोहरी बाजार) : क्या स्वायत्त शासन मंत्र यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि 1976 में जयपुर शहर में 'संजय बाजार' के निर्माण हेतु सांगानेरी गेट से घाट गेट के बीच आबाद निवासियों के पक्के मकानों को अवाप्त किया गया था ? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या बाजार के विकास कार्य के नाम पर इस क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों की निजी दुकानें तोड़कर नगर परिषद् ने उन्हें प्रमाण-पत्र दे दिये हैं ? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने निजी दुकानदार हैं जिन्हें प्रमाण-पत्र जारी किये गये ?

(3) क्या ऐसे दुकानदारों को कोई मुआवजा सरकार द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ? दुकानदारों के रोजगार हेतु प्रस्तावित बाजार में दुकानें देने की क्या योजना है ?

(4) क्या नगर नियोजन विभाग ने बाजार के लिये कोई मानचित्र बनाया है ?

(5) क्या जनता शासन में संजय बाजार का नाम बदल कर म्युनिसिपल मार्केट कर दिया गया है ?

(6) इस बाजार से प्रभावित व्यक्तियों को किस प्रकार मुआवजा दिया जायेगा व इनका पुनर्वास कहां व किस प्रकार किये जाने की नीति सरकार के विचाराधीन है ?

(श्री तकीउद्दीन अहमद)

(7) अब तक इस बाजार पर विकास के नाम पर कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई व उस कार्य से बस्ती के लोगों को क्या लाभ पहुंच रहा है ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में म्यूनिसिपल मार्केट के निर्माण हेतु सांगानेरी गेट से घाट गेट के बीच आए हुए पक्के मकानों को अवाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) नगर परिषद ने 13 व्यक्तियों की दुकानें तोड़कर प्रमाणपत्र दिए थे।

(3) दुकानों की अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है, अन्तिम निर्णय होने पर ही मुआवजे की राशि एवं प्रस्तावित बाजार में दुकानें दिए जाने सम्बन्धी मामले के बारे में निर्णय लिया जावेगा।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

(6) मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी के निर्णयानुसार दिया जावेगा। जिन व्यक्तियों के कच्चे मकानात थे उनको घाट की गूणी पर बसाया जावेगा।

(7) नगर परिषद द्वारा इस बाजार में एक नाला 1,61,082.00 रु. तथा कुल दुकानें 1,01,720.00 रु.की राशि व्यय कर निर्माण करवाया गया है। कार्य अभी अधूरा है। पूर्ण होने पर ही इसका लाभ मिल सकेगा। नाला बनने से पानी का बहाव व्यवस्थित हुआ है।

राजस्थान वित्त निगम में उच्च पदों पर की गई नियुक्तियां

426. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान वित्त निगम में सहायक प्रबन्धक, उप प्रबन्धक और प्रबन्धक पद की भर्ती के लिए कब-कब, क्या-क्या योग्यताएं निर्धारित की और उनमें कब-कब, क्या-क्या छूट दी गई और क्यों ?

(2) निगम में सहायक प्रबन्धकों, उप प्रबन्धकों व प्रबन्धकों की पिछले दो वर्ष में कब-कब, कितनी-कितनी भर्तियां अथवा पदोन्नतियां की गई ? उनकी नामवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। तथा ये कहां-कहां काम कर रहे हैं ?

(3) निगम में विभिन्न पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति कब-कब बैठी और उसने पिछले दो वर्ष में कितने लोगों की पदोन्नतियां कीं ? विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित व्यक्तियों के नाम मय योग्यता के बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) विभिन्न पदों के लिए उनके कार्य की प्रवृत्ति को दृष्टि में रखते हुए योग्यताएं समय-समय पर निर्धारित की जाती रही हैं। पूर्व में प्रबन्धक पद पर भी सीधी भर्ती की गई थी परन्तु अब साधारणत:

(उद्योग मंत्री)
इस पर विभागीय पदोन्नति की जाती है। उप-प्रबन्धक, सहायक प्रबन्धक के पदों पर पदोन्नति व सीधी भर्ती नियमानुसार की जाती है। उप-प्रबन्धक व सहायक प्रबन्धक के पद पर जो योग्यताएं सीधी भर्ती के लिए निर्धारित की थीं, उनका विवरण संलग्न है। इनमें कोई छूट नहीं दी गई है।

(2) गत दो वर्षों में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कुल 24 सहायक प्रबन्धक व 11 उप प्रबन्धक वर्तमान में कार्यरत हैं। आवश्यकतानुसार प्रशासनिक कारणों से इनके स्थानान्तरण एक स्थान/शाखा/विभाग से अन्यत्र होते हैं। सूची संलग्न है।

(3) पिछले दो वर्षों में न तो विभागीय समिति की कोई बैठक हुई और न ही अधिकारियों की कोई नियमित पदोन्नति हुई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

ग्राम छत्तरगढ़, कुम्हारवाला, खीरसर में पेयजल डिग्गी निर्माण

427. **श्री मालूराम लेधा** (लूणकरणसर): क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या ग्राम छतरगढ़, कुम्हारवाला, खीरसर व गांव बंधा तहसील बीकानेर में पेयजल हेतु डिग्गी बनाने हेतु राजस्थान नहर क्षेत्र विकास अधिकरण की सन् 1976 की बैठक मे निर्णय हो चुका था? यदि हां, तो उसकी क्रियान्विति हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं? यदि नहीं, तो अब कब तक इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जावेगा?

उत्तर

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्रीय विकास अभिकरण की दिनांक 20-8-76 की बैठक में छतरगढ़ एवं ग्राम बन्धा, तहसील बीकानेर में पेयजल हेतु डिग्गी बनाने का निर्णय लिया गया था।

ग्राम छतरगढ़ के लिए वर्ष 1980 में वाटर सप्लाई की मंजूरी हो चुकी है। कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में पानी पी. एस. पी. के माध्यम से इस गांव को दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आर. सी. पी. ऑथोरिटी द्वारा भी स्वच्छ पानी सप्लाई किया जा रहा है।

ग्राम डब्ल्यू. एम. एस. बन्धा की पेयजल पूर्ति डी. पी. ए. पी. डिवीजन जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा की जा रही है। इस ग्राम को पंजीकृत डब्ल्यू. एस. स्कीम बामनवाली से पाइप लाइन द्वारा पानी दिया जा रहा है। बन्धा ग्राम को पेयजल आपूर्ति व्यवस्था वर्ष 1979 में कर दी गई थी।

ग्राम कुम्हारवाला व खीरसर के लिये क्षेत्रीय विकास अभिकरण की बैठक दिनांक 20-9-76 में पेयजल सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। इस वर्ष कुम्हारवाला ग्राम में डिग्गी बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है किन्तु इस ग्राम के नजदीक नहर का निर्माण अभी निकट भविष्य में होने

(राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री)
की सम्भावना न होने पर इस वर्ष डिग्गी बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सका है।

खीरसर ग्राम में डिग्गी बनाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

जैसलमेर के भूतपूर्व राजा की भूमि

428. श्री अमीन खां (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जैसलमेर के भूतपूर्व राजा व उनके परिवार के पास कितनी भूमि है ? ग्राम व खसरा वाइज रकबा सहित बताने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि पीढ़ियों से काबिज काश्तकार को जैसलमेर के भूतपूर्व राजा ने बेदखल कर दिया है ? यदि हां, तो उक्त भूमि का कब्जा किसको दिलाया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के नहरी क्षेत्र में राज्य सरकार की 29 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रावधान है ? यदि काश्तकार अपना कब्जा 1955 का साबित करें ? यदि हां, जैसलमेर जिले का सैटलमेंट भी सन् 1955 में नहीं हुआ ऐसी हालत में सन् 1958 के समरी सैटलमेंट के आधार पर क्यों नहीं खातेदारी हकूक दिये जाते हैं ?

उत्तर

(1) जैसलमेर के भूतपूर्व राजा श्री रघुनाथ सिंह व उनकी धर्म पत्नी श्रीमती मुकुटराज लक्ष्मी के नाम कुल 54920 बीघा 3 बिस्वा भूमि हैं। ग्राम खसरा व रकबा अनुसार विवरण संलग्न सूची में दर्शाया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, यह सही है कि राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर, 1979 के अनुसार जोड़ी गई धारा 15 ए. ए. ए. के आधार पर जो काश्तकार काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने के समय खुद काश्त होल्डर अथवा ओकुपेंसी टेन्नेट अथवा मौरूसीदार अथवा खातेदार टेनेन्ट अथवा टेनेन्ट जिसे हस्तान्तरण एवं मौरूसी अधिकार प्राप्त थे एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज थे उन्हें खातेदारी अधिकार दे दिये जावेंगे। लेकिन जिन काश्तकारों का 15-10-55 को राजस्व रिकार्ड में खुद काश्त होल्डर, ओकुपेंसी टेनेन्ट मौरूसीदार और खातेदार आदि का हक का इन्द्राज नहीं था परन्तु वे खातेदारी हक होना बताते हों, तो उन्हें अपने अधिकार सिद्ध करने पर खातेदारी अधिकार दे दिये जावेंगे। 1958 का सैटलमेंट एक गवाही के रूप में माना जाकर अधिकार की पुष्टी करेगा। परन्तु काश्तकार को अपना अधिकार सिद्ध करना होगा।

जिला डूंगरपुर में अवैध शराब का उत्पादन व बिक्री

429. श्री महेन्द्रकुमार (आसपुर) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डूंगरपुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र होने से कई वर्षों पूर्व इस जिले को मद्य-निषेध क्षेत्र घोषित किया जा चुका था

(श्री महेन्द्र कुमार)
परन्तु फिर भी इस जिले में शराब पीने व बनाने की स्थिति ज्यों की त्यों है। इसका क्या कारण है ?

(2) डूंगरपुर जिला के मुख्यालय पर बस स्टेण्ड, सागवाड़ा रोड, रतनपुर रोड़ आदि स्थानों पर व्यापक रूप से शराब की बिक्री होती है। इन स्थानों पर समय-समय पर छापे मारे जाने के बावजूद भी स्थिति यथावत क्यों है ?

(3) क्या इस जिले में शराब की बिक्री रोकने व उत्पादन को रोक लगाने हेतु गुजरात से लाये जाने वाले महुआ पर रोक लगाई जायेगी ?

(4) जिले में आबकारी विभाग ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के अलावा कितने स्थानों पर छापे मार कर इस व्यसन को रोका ?

(5) जिले में आबकारी विभाग द्वारा कई ऐसे स्थानों पर, जहां व्यापक रूप से शराब बनाई जाती है, अब तक छापे क्यों नहीं मारे गये।

उत्तर

(1) स्थिति यथावत है, यह सही नहीं है।

(2) विभाग द्वारा बस स्टेण्ड, सागवाड़ा रोड व रतनपुर रोड पर समय-समय पर छापे मारे जाते रहे हैं तथा अभियोग पंजीकृत किये गये हैं जिनका न्यायालयों में चालान भी किया गया। कुछ व्यक्तियों को सजायें भी हुई कुछ साक्ष्य के अभाव में बरी भी हुए हैं। विभाग काफी सतर्क है तथा स्थिति में निरन्तर सुधार हो रहा है।

(3) आदिवासी लोग महुवा को भोजन एवं पशु आहार के काम में भी लेते हैं। महुवा नियमित अथवा बड़ी मात्रा में गुजरात से आता है, यह बात सही नहीं है।

(4) प्रश्न स्पष्ट नहीं है। गत चार वर्षों में जिले में मारे गये छापे व पंजीकृत अभियोगों की संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	मारे गये छापे	पंजीकृत अभियोग
76-77	72	85
77-78	50	96
78-79	135	168
79-80	150	190

(5) विभाग द्वारा समय-समय पर छापे मारे जाकर अभियोग पंजीकृत किये जाते रहे हैं।

मारवाड़ जंक्शन से जोजावर सड़क निर्माण कार्य

430. श्री भैंरूसिंह गुर्जर (खारची): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मारवाड़ जंक्शन से वाया आउवा होकर जोजावर तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो उस सड़क पर कितनी मात्रा में कोलतार बिछाने के आदेश हैं ?

(2) क्या इस सड़क पर कम कोलतार बिछाने सम्बन्धी शिकायत विभागीय

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

अधिकारियों को प्राप्त हुई है। यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। मारवाड़ जंक्शन से जोजावर वाया आडवा होकर निर्माण कार्य चल रहा है। इस पर दो कोट सरफेस पेन्टिंग का कार्य प्रस्तावित है। जिसमें 29 कि. ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर मात्रा से कोलतार बिछाने के नियम से लिया गया है।

(2) जी हां। एक शिकायत ग्रामीण आडवा पाली में नागरिक (गुमनाम) प्राप्त हुई है। उसमें डामर स्प्रे द्वारा छिड़क कर कंकर बिछाये जाने का जिक्र था, जिसकी सहायक अभियन्ता ने जांच की व कार्य को सन्तोषजनक व स्वीकृति के अनुरूप पाया।

एक अन्य शिकायत अध्यक्ष युवक कांग्रेस (इ) कमेटी आडवा की प्रभारी अधिकारी, सतर्कता शाखा, जिलाधीश कार्यालय, पाली के मार्फत 4-8-80 को प्राप्त हुई जिसकी कार्यवाही की जा रही है।

थाना जावर जिला झालावाड़ में हत्याओं के दर्ज मामले

431. श्री भैरूंलाल (मनोहर थाना): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) थाना जावर (जिला झालावाड़) क्षेत्र में अप्रेल, 77 से 31 मार्च, 80 तक हत्याओं के कुल कितने मामले दर्ज हुए ? उनमें पुलिस ने क्या कार्यवाही की व किन-किन हत्याओं का पता चला तथा किन-किन मामलों के चालान अदालत में पेश हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि पुलिस अधिकांश मामलों में अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ रही है और हत्याओं के मामले में झालावाड़ जिला में जावर थाना क्षेत्र आगे रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? भविष्य में क्षेत्र में हत्याओं की रोकथाम के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) सूचना संलग्न है।

(2) जी नहीं। भविष्य में हत्याओं की रोकथाम हेतु हर सम्भव कार्यवाही की जावेगी।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

सरहद मोजा बगड़ी, जिला पाली की भूमि

432. श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरहद मोजा बगड़ी, तहसील सोजत, जिला पाली के खसरा नम्बर 822 रकबा 43½/1 बीघा भूमि पर लोगों का लगातार कब्जा काश्त संवत् 2012 से होने पर राज्य सरकार के आदेशानुसार काबिजों के हक में नियमन किया गया ? यदि हां, तो किस-किस के नाम पर और कितना-कितना रकबा नियमन हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

Page No. 51

(51)

(श्री सुखलाल सैंणचा)

(2) क्या यह सही है कि उक्त ख. सं. 822 पर लोगों के हक में नियमन हो जाने पर भी आपातकाल के दौरान काबिजों को बेदखल किये बगैर ही दूसरों को आवंटन कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा किस कारण से किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि दुबारा बंदोबस्त होने पर ख. नं. 822 पर काबिजों के नाम पर पर्चा लगान जारी किए गये ?

(4) क्या यह सही है कि मौजा बगड़ी के ख. नं. 822 में रकबा 11 बीघा जमीन का पर्चा लगान श्री कुम्बा पुत्र श्री मोती सीरवी के नाम पर जारी कर दिया गया परन्तु अब उसके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है जिन-जिन व्यक्तियों को (नियमन) खातेदारी दी गई उनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	नाम व्यक्ति	क्षेत्रफल खातेदारी दी गई
1.	भेरा पुत्र डाया 'सिरवी बएतमाम मंगली बाल्दा खुद खातेदार।	19·15 बीघा
2.	टीकम पुत्र डूंगा सीरवी	9–11 ,,
3.	दीपा पुत्र किसना सीरवी	7–18 ,,
4.	मोटा पुत्र भूला सीरवी	6–7 ,,
	योग	43–11 बीघा

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, पर्चा लगान काबिजों के नाम जारी हुए।

(4) यह सही है कि श्री लुम्बा पुत्र श्री मोती सिरवी के नाम पर पर्चा लगान जारी किया गया है। उसके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

बामनवास, गंगापुर, नादौती, जिला सवाई माधोपुर में सैटलमेन्ट का कार्य

433. श्री कुन्जीलाल (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बामनवास, गंगापुर, नादौती जिला सवाई माधोपुर में सैटलमेंट कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो कितना कार्य हो चुका है, कितना बाकी है और कब तक पूरा हो जायेगा ?

(2) सैटलमेंट ऑफिस उपरोक्त तहसीलों में कौन-कौन सी जगह स्थापित हैं?

(3) क्या अलवर में सैटलमेंट कार्य चलने के कारण सवाई माधोपुर का ऑफिस भी अलवर में स्थापित है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सैटलमेंट विवादों का निपटारा तहसील मुख्यालयों पर होता है या अलवर में ? अगर हां, तो क्यों ? क्या सवाई माधोपुर जिला सैटलमेंट का कार्यालय अलवर रखा जायेगा या गंगापुर सिटी ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो कब तक ?

(राजस्व मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां, ब्योरा संलग्न सूची 'क' में अंकित है।

(2) 1. उक्त तहसीलों का भू-प्रबन्ध कार्य भू-प्रबन्ध अधिकारी अलवर के द्वारा सम्पन्न कराया जा रहा है

2. उक्त तहसीलों के कार्य की देखरेख हेतु तीन सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी कार्य करते हैं।

(3) राज्य के हर जिले में भू-प्रबन्ध अधिकारी के कार्यालय नहीं हैं। राज्य में इस समय केवल 12 भू-प्रबन्ध अधिकारियों की टोलियां कार्यरत है और इन टोलियों से राज्य में प्राथमिकता के आधार पर भू-प्रबंध का कार्य सम्पन्न कराया जाता है। इस तरह एक टोली के पास एक से अधिक जिलों में कार्य सम्पन्न कराया जाता है। फलस्वरूप भू-प्रबन्ध अधिकारी अलवर से जिला सवाई माधोपुर क्षेत्र का भू-प्रबन्ध कार्य भी सम्पन्न कराया जा रहा है।

(4) उज्रदारियों का निपटारा मौके पर होता है जुलाई 1980 से 30-9-80 तक फील्ड सीजन नियमानुसार बन्द है। अलवर मुख्यालय पर केवल अपीलें सुनी जाती हैं। सवाई माधोपुर जिले का सेटलमेंट कार्यालय अलग से नहीं है। अलवर पार्टी ही यह कार्य करती है। यह कहां रखा जायेगा, यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

राजस्व मंडल अजमेर, के कार्यालय में शेड बनाने का विचाराधीन प्रस्ताव

434. **श्री सी. एल. कांवरिया** (दूदू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राजस्व मंडल, अजमेर के भवन में मुवक्किलों के लिए कोई लीटिगेंट शेड बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है? अगर हां, तो कब तक शेड बनवा दिया जावेगा?

उत्तर

वर्ष 1979-80 में राजस्व मण्डल के भवन में मुवक्किलों के लिए लीटिगेंट शेड बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, किन्तु राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सहमति नहीं दी थी। वर्तमान में राजस्व मण्डल के भवन में लीटिगेंट शेड बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समिति, परबतसर, जिला नागौर के अधूरे बांध

435. **श्री जेठमल बरबड़** (परबतसर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि परबतसर पंचायत समिति जिला नागौर के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 में फेमिन में बनाये गये बांध अभी भी अधूरे पड़े हैं? यदि हां, तो इन अधूरे बांधों को कब तक पूरा करने का सरकार का विचार है?

(श्री जेठमल बरवड़)

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1979 में इन अधूरे बांधों का सर्वे करके अधिशासी अभियन्ता, सर्वे ने कोई एस्टीमेट बनाया था ? यदि हां, तो जिन बांधों की सर्वे हुई उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या बाजवास ग्राम में बांध पहली वर्षा में ही भर जाते हैं और बांध की चादर चलने लगती है ? यदि हां, तो उक्त बांध की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार का क्या विचार है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त बांध को ढाई फीट ऊंचा करने के लिए पंचायत समिति परबतसर के भूतपूर्व प्रधान ने सरकार को लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां। इन अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत समय समय पर प्रस्तावित किए गए हैं। जिन कार्यों (बांध निर्माण) का लागत-लाभ अनुपात एक से अधिक आया उन्हें डी.पी.ए.पी. एवं डी. डी. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित किया जा रहा है। जिन अधूरे बांधों का लागत-लाभ अनुपात एक से कम आ रहा है उन बांधों का निर्माण कार्य अकाल-राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत ही किया जा सकेगा।

(2) सन् 1979 में निम्न अधूरे कार्यों का सर्वेक्षण कराया गया था (1) रोहिन्डी 2. बांसेड 3. डाढ़ोता प्रथम, 4. कालेतरा, 5. मोडी खिलरी 6. रावडियाद, 7 ढ़ाढ़ोता द्वितीय।

(3) जी हां। वाजवास बांध पहली ही बारिश में भर जाता है, और बांध की चादर चलने लगती है। उक्त बांध को ऊंचा उठाने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कर तखमीना बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही संभव होगी।

(4) विभाग अपने स्तर पर ही आवश्यक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कर कार्यवाही कर रहा है।

भाखरा क्षेत्र में कृषकों को पास बुक वितरण का कार्य

436. श्री महेन्द्रसिंह (सांगरिया): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) भाखरा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होने के उपरान्त खुशहाली कर की जो राशि कृषकों द्वारा देय है वह अब तक कितनी वसूल हुई तथा कितनी शेष है ?

(2) खुशहाली कर देने के उपरान्त क्या सभी कृषकों को पास बुक वितरण कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? शेष कृषकों को पास बुक कब तक जारी कर दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) कृषकों से कुल वसूली (भाखड़ा क्षेत्र में) योग्य राशि 18.17 करोड़ वर्ष 1979-80 तक कायम की गई। मांग 5.15 करोड़ रुपये वसूल होकर 13.02 करोड़ रुपये शेष रहता है।

(2) जी हां, नये खातेदारों को पास बुकें शीघ्रातिशीघ्र जारी कर दी जावेंगी।

राणा प्रताप सागर बांध से उत्पादित विद्युत्

437. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) राणा प्रताप सागर बांध से उत्पन्न होने वाली बिजली पर प्रति यूनिट कितना खर्चा आता है ?

(2) राजस्थान में किन किन उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु किस-किस दर से सस्ती बिजली दी जा रही है और उससे राज्य विद्युत मंडल को कितना नुकसान होता है ? विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) राणा प्रताप सागर बांध से उत्पन्न बिजली का खर्चा प्रति यूनिट निम्न प्रकार से आंका गया है:—

वर्ष	प्रति यूनिट (पैसों में)
1976-77	2.94
1977-78	2.50*
1978-79	5 31*

*ये दरें टेन्टेटिव हैं। जो अभी तक सैन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटी नई दिल्ली को सूचित नहीं की गई हैं।

(2) नये वृहद् औद्योगिक उपभोक्ताओं को विद्युत् दरों में दस से पन्द्रह प्रतिशत की छूट दी जाती है। यह छूट ऐसे नये उपभोक्ताओं को मिलेगी जो कि 1 अप्रेल, 79 से 31 मार्च, 84 के मध्य निर्माण हेतु बिजली लेगे एवं विद्युत् उपभोग करेंगे। यह छूट विद्यमान उद्योगों को उनके विस्तार हेतु भी मिलेगी। यह छूट, जो कि स्थाई बिजली लेने पर अधिकतम पांच वर्ष के लिए मिलेगी, निम्न प्रकार है:-

(क) 6000 के.वी.ए. से अधिक की कान्ट्रेक्ट डिमान्ड वाले उद्योगों को — 15%

(ख) 1200 के.वी.ए. से अधिक एवं 6000 के.वी.ए. तक कान्ट्रेक्ट डिमान्ड वाले उद्योगों को — 12½%

(ग) 125 के.वी.ए. से अधिक एवं 1200 के.वी.ए. तक कान्ट्रेक्ट डिमान्ड वाले उद्योगों को — 10%

(घ) विद्युत् रासायनिक प्रोसेस वाली औद्योगिक इकाइयों को उपरोक्त छूट काटने के पश्चात शेष राशि पर छूट — 10%

उपरोक्त छूट स्थायी विद्युत् सम्बन्ध लेने की तिथि से 5 साल तक के लिए मिलेगी लेकिन 31-3-89 के पश्चात् नहीं। वर्ष 1978-79 में इन वृहद औद्योगिक उपभोक्ताओं की दरों में छूट देने से मण्डल को 17.81 लाख रुपये की आय का नुकसान हुआ है। इसके बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

श्री रामलाल, ऑपरेटर, वायर-लैस पुलिस के प्रत्यावर्तन का प्रकरण

438. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या रामलाल, ऑपरेटर, पुलिस वायरलैस ने रिवर्ट होने पर राज्यपाल

(श्री नाथूसिंह)

महोदय को अपील की थी ? यदि हां, तो उनके आदेशों की अब तक पालना क्यों नहीं की गई ?

(2) क्या डाइरेक्टर, स्टेट पुलिस वायरलैस ने श्री रामलाल को ए. एस. आई. मानते हुए स्टाफ कौंसिल पुलिस के चुनावों में उनके फार्म को सही व वैध मानते हुए चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी ? यदि हां, तो अब निर्वाचित होने के बाद उनके चुनाव को अवैध क्यों किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, आदेशों की पालना की जा चुकी है।

(2) जी हां। बाद चुनाव यह तथ्य प्रकाश में आये कि श्री रामलाल वास्तव में ए. एस. आई. नहीं थे वह कानि. थे। अत: उसका नामांकन पत्र ए. एस. आई. की श्रेणी में वैध नहीं था। अत: उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात चुनाव को अवैध घोषित किया गया।

पांचना बांध की डूब में आई भूमि का मुआवजा

439. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पांचना बांध (सवाई माधोपुर) योजना में आई जमीन के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितनी राशि कितने व्यक्तियों को किस आधार पर दी गयी है। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सच है कि इस सूची में 50 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जिनका स्वामित्व ही नहीं था और कुछ व्यक्तियों, जिनमें बांध योजना एवं राजस्व के कर्मचारी शामिल हैं, ने जाली रिकार्ड बनाकर बंजड़ बीहड़ (गैर मुमकिन) का स्वामित्व दिखलाकर जाली भुगतान कराया है ?

(3) भुगतान की तिथि या अवाप्ति की तिथि से पूर्व राजस्व भू-अभिलेख में इन मुआवजा दी गई भूमियों की क्या स्थिति थी और क्या यह सही है कि रिकार्ड जाली बनाया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। भुगतान मुआवजा पांचना बांध पर ग्राम गुडला के काश्तकारों को किया गया है जिसमें ग्राम गुडला के मजरा काशीरामपुरा, गधाईयां की तीर इत्यादि भी शामिल हैं। जिन व्यक्तियों को भुगतान किया गया है उनकी सूची संलग्न है। मुआवजा भुगतान राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तावित दरों के अनुसार किया गया है।

(2) जी हां। यह मुआवजा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी के आधार पर श्रीमान नायब तहसीलदार तहसील करौली के द्वारा मुआवजा बांटा गया। सिंचाई विभाग द्वारा कोई भी जाली रिकार्ड बनाकर भुगतान नहीं किया गया है। अब तक जो भुगतान किया गया है उसमें बीहड, बंजड़ (गै.मु.) भूमि का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

(3) भुगतान की तिथि व अवाप्ति की तिथि से पूर्व राजस्व भू-अभिलेख में मुआवजा दी गई भूमियों की स्थिति वही थी।

(सिंचाई मन्त्री)

जो कि राजस्व अधिकारियों ने प्रमाणित करके भेजी थी। कोई भी जाली रिकार्ड नहीं बनाया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

ग्राम दईपुर (भीनमाल) की गोचर-भूमि पर अनधिकृत कब्जे

440. श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दईपुर तहसील भीनमाल के गोचर में से बड़े कीमती हरे वृक्ष श्री रुघ सिंह सोमानी वगैरह द्वारा काटे गये ? यदि हां, तो कितने वृक्ष वापस बरामद किये गये और उनकी कितनी कीमत आंकी गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामवासियों के वृक्ष काटने से रोकने पर श्री रुघसिंह वगैरह ने गांव के मुखिया को डराया धमकाया ?

(3) क्या यह भी सही है कि गोचर भूमि मे श्री रुघसिंह सोमानी वगैरह ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं ? यदि हां, तो यह नाजायज कब्जे हटाने की कोई कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम दईपुर के गोचर भूमि में से कोई कीमती हरे वृक्ष किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं काटे गये हैं। मगर इस ग्राम की ओरण भूमि के खसरा नम्बर 82, 370 व 371 किस्म गैर मुमकिन ओरण में श्री रुघसिंह, सामती, औसपुरी, भीका हजारी, अजा, धुला, रूपा, प्रताप व देसा ने नाजायज कब्जा काश्त करने की नियत से आंवल व अंग्रेजी बबूल की झाड़ियें सूढ करके काटी थी जो मौके पर काटी हुई मिली थी जो जलाने योग्य ही थी जिसकी कोई कीमत नही आंकी गई।

(2) पुलिस से जांच करने पर रुघसिंह वगैरह द्वारा गांव के मुखिया को नहीं डराया, धमकाया तथा तहसीलदार द्वारा मौके की जांच करने पर किसी भी ग्रामवासी ने यह नहीं बताया कि रुघसिंह वगैरह ने डराया धमकाया हो। पुलिस ने मामला झूंठा पाये जाने पर एफ. आर. दी है।

(3) गोचर भूमि में तो नहीं किन्तु पूर्व में इस ग्राम की ओरण भूमि पर सूड़ कर मामूली खाई खोदकर और अंग्रेजी बबूल से कब्जा किया था जो हटा दिया गया है। मगर अब इनका कोई कब्जा काश्त नहीं।

जिला जयपुर की विचाराधीन सड़कें

441. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला जयपुर की किन-किन सड़कों का सर्वेक्षण हो चुका है ? तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। क्या अभी तक तत्संदर्भ में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है ?

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

उत्तर

(1) जयपुर जिले में जिन सड़कों के टेण्डर आमंत्रित किये गये उनकी सूची संलग्न हैं। इस सूची में उन कार्यों की मौजूदा स्थिति भी दर्शाई गई है।

वित्तीय वर्ष 1979-80 में उन समस्त सड़कों के कार्य, जिनके टेण्डर मांगे गये थे एवं स्वीकृतियां उपलब्ध थीं, चालू करवा दिये गये हैं।

(2) जयपुर जिले की केवल नायला से नकटी घाटी का सर्वे कार्य करीब करीब पूर्ण किया जा चुका है। अन्य किसी कार्य का सर्वे शेष नहीं है। तत्संदर्भ में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

घग्घर डिप्रेशन की सेम में आये ग्रामों का मुआवजा

442. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) घग्घर डिप्रेशन के सेम में आये हुए कौन-कौन से ग्राम हैं ?

(2) इन ग्रामों में सेम में आए हुए मकानों का किसको एवं कितना मुआवजा दिया गया है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या ग्राम मानकथेड़ी भी घग्घर के सेम में आया हुआ ग्राम है ?

(4) इस ग्राम के मकानों का कितना मुआवजा बनता है एवं सरकार की ओर से किस किस को मुआवजे का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) घग्घर डिप्रेशन की सेम में सूरतगढ़ तहसील के ग्राम बड़ोपल, किशनपुरा एवं मानकथेड़ी आये हैं।

(2) गांव बड़ोपल व किशनपुरा के 530 मकानों का मुआवजा, अधिशाषी अभियन्ता, घग्घर बाढ़ नियन्त्रण खण्ड सूरतगढ़ ने रु. 14,40,630/- दिया है।

(3) जी हां।

(4) इस गांव के 319 मकान प्रभावित हुये हैं। इसका भुगतान तखमीना स्वीकृत होने पर कर दिया जायेगा।

दौसा सिंचाई डिवीजन में काम के बदले अनाज योजना में सम्पन्न अन्य कार्य

443. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दौसा सिंचाई डिवीजन में काम के बदले अनाज योजना तथा योजना मद से अन्य कार्यों में सन् 1979-80 में कितने कार्य कराये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(2) इन कार्यों में कामवार कितनी-कितनी राशि खर्च की गई तथा क्या सर्वे एस्टीमेट बनाये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ? काम की नामावली मय व्यय राशि की सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(3) क्या यह सही है कि इस मामले के गम्भीर आरोप में कुछ अधिकारी निलम्बित हुए हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन तथा क्या क्या आरोप हैं ? नाम बताने की कृपा करें।

(4) क्या इनकी जांच की जा रही है ? यदि हां, तो जांच किसके द्वारा किस प्रकार से हो रही है ?

(5) क्या यह सही है कि सरकार इन मामलों की विस्तृत जांच सी. बी. आई. से कराने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) दौसा सिंचाई उप खण्ड में विभाग द्वारा काम के बदले अनाज योजना तथा योजना मद के अन्तर्गत 1979-80 में कोई काम नहीं कराया गया।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) जी नहीं। नान प्लॉन मद के अन्तर्गत कार्यों में आरोपों की वजह से एक अधिशासी अभियन्ता, एक सहायक अभियन्ता एवं एक उप अभियन्ता निलम्बित हुए हैं।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(5) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

पंचायत समिति मूंडवा में अन्त्योदय योजना में चयनित परिवार

444. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति मूंडवा, जिला नागौर में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कितने परिवारों का कितने चरणों में चयन किया गया और कब ? कृपया तिथि सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) अन्त्योदय परिवारों को इन पंचायत समितियों में सरकारी व गैर सरकारी एजेन्सीज द्वारा क्या-क्या सुविधाएं दी गईं ? पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(3) चयनित अन्त्योदय परिवारों में किन किन को सुविधाएं नहीं मिलीं और क्यों व अब कब तक मिल जावेंगी ?

उत्तर

(1) अन्त्योदय योजना के प्रथम चरण (2-10-77 से 31-10-77 तक) एवं द्वितीय चरण (15-11-78 से 31-12-78 तक) के अन्तर्गत पंचायत समिति मुण्डवा व नागौर जिला नागौर में क्रमशः निम्न रूप से परिवारों का चयन किया गया है:—

क्र. सं.	पं. समिति	प्रथम चरण	द्वितीय चरण
1.	नागौर	625	285
2.	मूण्डवा	414	424

सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत इन परिवारों को वृद्धावस्था पेन्शन भू-आवंटन, रोजगार उपलब्ध कराना, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु ऋण एवं अन्य विभिन्न स्वीकृत कार्यों हेतु व्यवसायिक एवं सहकारी एवं सहकारी बैंकों से ऋण उपलब्ध करवा करके लाभान्वित किया

(मुख्य मन्त्री)
गया है। पूर्ण जानकारी सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) चयनित परिवारों में जिन जिनको सुविधा नहीं मिली है कारण उनके नाम के आगे सूची में अंकित कर दिये गये हैं। इन परिवारों को यथा सम्भव सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला सवाई माधोपुर में घटित अपराध

445. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला सवाई माधोपुर में मार्च, 1979 से जून, 80 तक कितनी डकेतियां, चोरी, कत्ल व बलात्कार आदि के केस हुए हैं ?

(2) इनमें से कितनी डकेती व चोरी (नकबजनी) बरामद हुई हैं तथा कितने मुल्जिम गिरफ्तार किए गये हैं और कितनों में पुलिस ने एफ. आर. दे दी ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची में अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 30-7-80)

तहसील जैतारण के ग्राम निमाज में स्थित छतरसागर बांध से प्रभावित भूमि

176. श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील जैतारण, जिला पाली के ग्राम निमाज में स्थित छतरसागर बांध के नीचे आई हुई जमीन (पेटा काश्त व नहर द्वारा सिंचित) की जमीन किस्म, खसरा नम्बर एवम् रकबा व खातेदारों व लगान की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त बांध को भूतपूर्व जागीरदार निमाज ने गैर कानूनी तरीके से अपनी पर्सनल प्रोपर्टी में घोषित करवा लिया ? यदि हां, तो उसकी क्या क्या शर्तें थी तथा जो डिक्लेरेशन किया गया क्या वह सही था ?

(3) पिछले पांच वर्ष में इस बांध की कितनी राशि जमा हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार पिछले वर्षों की बकाया राशि, जो भूतपूर्व जागीदार गरीब काश्तकारों से सरकार की रेट से 10-20 गुनी लटाई के द्वारा वसूल करते हैं, सरकार वसूली करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(5) पिछले पांच वर्षों में पेटाकाश्त में कितनी जमीन में काश्त किस किस फसल में किया गया तथा नहर द्वारा कितने कितने

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)
रकबे की कितनी बार सिचाई की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) छत्र सागर बांध की जमीन में उसके प्रायः पानी की डूब में रहने से कोई पेटा काश्त नहीं होती । इस बांध के नीचे आई हुई जमीन के खसरा नम्बरों, किस्म, रकबा एवं खातेदारों एवं नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है ।

(2) यह सही नहीं है कि उपरोक्त बांध को भूतपूर्व जागीरदार निमाज द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपनी पर्सनल प्रोपर्टी में घोषित करवा लिया गया । श्री उम्मेद सिंह, भूतपूर्व जागीरदार निमाज द्वारा राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 23(1) (डी) के अन्तर्गत तालाब छत्रसागर को अपना निजी तालाब होना बतलाये जाने पर मामले में नियमानुसार जांच एवं सुनवाई की जाकर जागीर आयुक्त द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28-8-1959 के अन्तर्गत उक्त तालाब को भूतपूर्व जागीरदार निमाज की निजी सम्पति होना घोषित किया गया । इस निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील की जाने पर मामला पुनः जांच हेतु राजस्व मण्डल द्वारा जागीर आयुक्त को लौटाया गया । जागीर आयुक्त द्वारा मामले में पुनः जांच एवं सुनवाई के बाद अपने निर्णय दिनांक 24-11-69 के अन्तर्गत उक्त तालाब छत्रसागर को उपरोक्त जागीरदार की निजी सम्पति होना पुनः ठहराया । राज्य सरकार द्वारा जागीर आयुक्त के इस निर्णय के विरुद्ध भी राजस्व मण्डल में अपील की गई किन्तु राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 8-3-1973 के अन्तर्गत जागीर आयुक्त के निर्णय को उचित ठहराते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया गया जिसके फलस्वरूप बांध छत्रसागर जागीरदार की निजी सम्पति है । चूंकि उक्त बांध कानूनी रूप से निजी सम्पति घोषित हुआ था अतः अलग से कोई शर्तें रखे जाने का प्रश्न नहीं रहता ।

(3) बांध गैर मुमकिन किस्म में आता है और गैर मुमकिन किस्म की भूमि का कोई लगान कायम नहीं होता ।

इसलिये पिछले पांच वर्ष में इस बांध की कोई राशि जमा नहीं हुई ।

(4) भूतपूर्व जागीदार द्वारा काश्तकारान से लटाई वसूल करने के सम्बन्ध में राजस्व रेकार्ड में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । जिला प्रशासन को यह मौखिक जानकारी मिली है कि भूतपूर्व जागीरदार द्वारा उन खातेदार काश्तकारान जिन्हें बांध का पानी नहर से दिया जाता है, से पिलाई की रकम वसूल की जाती है ।

चूंकि यह बांध भूतपूर्व जागीरदार की निजी संपत्ति घोषित हो चुका था, अतः इस बांध से पिलाई की रकम काश्तकारों से राज्य सरकार वसूल नहीं कर सकती ।

(5) पिछले पांच वर्षों में अर्थात् संवत् 2032 से संवत् 2036 तक बांध छत्रसागर के पेटे में कोई काश्त नहीं की गई ।

पिछले पांच वर्षों में उक्त बांध की नहर द्वारा सिंचित रकबे का विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट 2 व 3 में अंकित है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4-8-80)

पाली जिले में बाढ़ से प्रभावित ग्रामवासियों को राहत

268. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली जिले में गत वर्ष आई बाढ़ से कौन कौन से गांव प्रभावित हुए ? कृपया तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को किस किस को किस-किस प्रकार सहायता प्रदान की ? कृपया ब्यौरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) पाली जिले में गत वर्ष आई बाढ़ से प्रभावित गांवों की तहसीलवार सूची संलग्न है।

(2) राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को क्षतिग्रस्त मकानों की पूर्ति हेतु नकद दान 25 रु. से 300 रु. तक एवं जिन परिवारों के खेत नष्ट हुये उन्हें प्रति परिवार एक एक क्विन्टल गेहूं सहायता के रूप में वितरण किया गया था। सिरकियां, वस्त्र, कम्बल इत्यादि भी सहायता के रूप में वितरण किये गये थे। विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1. मकान क्षतिग्रस्त परिवारों का विवरण

नाम तहसील	परिवार संख्या	राशि
सोजत	5319	732065) रुपये
खारची	5384	450000) ,,
रायपुर	1898	220000) ,,
जैतारण	7949	1480000) ,,
पाली	12456	1686828) ,,
कुल योग:–	33006	4568828) ,,

2. खेत नष्ट हुये परिवारों का विवरण

नाम तहसील	परिवार संख्या	मात्रा गेहूं कुल वितरण (क्वि.में)
सोजत	1450	1450
खारची	327	327
रायपुर	—	—
जैतारण	153	700
पाली	1185	1185
कुल योग–	3115	3662

3. सिरकियां जो वितरण की गई

नाम तहसील	सिरकियां जो वितरण की
सोजत	510
खारची	552
रायपुर	497
जैतारण	776
पाली	1300
कुल योग	3635

वस्त्र, कम्बल इत्यादि के वितरण चार्ट संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 4-8-80)

नागौर जिले में गत वित्तीय वर्ष मे निर्मित सड़कें

269. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वित्तीय वर्ष 1979-80 में नागौर जिले में कौन-सौन सी सड़कें स्वीकृत हुई तथा किस-किस सड़क के लिये इस वर्ष कितना-कितना धन आवंटित किया गया व कितनी-कितनी धनराशि सड़क सामग्री व डामर पर व्यय की गई ? कृपया अलग-अलग व्यौरा प्रस्तुत करें।

(2) क्या जिले में उक्त वित्तीय वर्ष में आवंटित धनराशि का एक बड़ा भाग समर्पित किया गया ? यदि हां, तो कितनी धनराशि किस कारण से ? क्या सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1979-80 में नागौर जिले से स्वीकृत सड़कों के नाम आवंटित राशि व उन पर डामर व अन्य सड़क सामग्री पर किया गया व्यय संलग्न तालिका 'क' में दर्शाया गया है।

(2) जी नहीं। 1979-80 वित्तीय वर्ष में 12.21 लाख रुपये आवंटित किया था जब कि वित्तीय वर्ष में लगभग 12.96 लाख रुपये व्यय किया है। इस कारण सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 4-8-80)

चौमू में तहसील कायम करना

277 श्री तेजपाल (चौमू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार के पास चौमू में नई तहसील की स्थापना का मामला बहुत समय से विचाराधीन है ? यदि हां, तो तहसील कब तक स्थापित कर दी जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार आमेर व चौमू दो तहसील बनाने का इरादा रखती है और इसके लिए जिलाधीश जयपुर ने सन् 1977-78 में सरकार को प्रस्ताव भी विचारार्थ भिजवाये थे ?

(3) क्या यह सही है कि सन् 1955-56 में चौमू में तहसील के लिए भवन भी किराये पर (संघीजी की हवेली) लिया गया था ? यदि हां, तो स्थानान्तरण किस कारण नहीं किया गया ?

(4) क्या सन् 1971 में चौमू में तहसील के परिवर्तन करने के आदेश हुए थे ? यदि हां, तो आदेश की क्रियान्विति नहीं होने के क्या कारण थे ?

(5) गत सरकार ने चौमू में नई तहसील की स्थापना हेतु क्या निर्णय लिया था ?

उत्तर

(1) जी हां, चौमू में नई तहसील की स्थापना का मामला सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां, जिलाधीश जयपुर ने दिनांक 21-2-78 को चौमू में नई तहसील स्थापित

(राजस्व मन्त्री)

करने हेतु प्रस्ताव राजस्व मण्डल अजमेर को प्रस्तुत किये थे। मंडल से उक्त प्रस्ताव अपनी सहमति सहित राज्य सरकार को दिनांक 17 जुलाई, 1978 को प्राप्त हुए। इस प्रस्ताव में करीब एक लाख रुपये वार्षिक का खर्चा निहित होने से अस्वीकृत कर दिया गया था। सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार से राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए राशि आवंटित होने पर राज्य में कुछ नई तहसीलें बनाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) सन् 1955-56 में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर चौमू में तहसील के लिये भवन संघीजी की हवेली किराये पर लिये जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है।

(4) सन् 1971 में चौमू में तहसील के परिवर्तन के आदेश नहीं हुए थे। बल्कि तहसील आमेर का मुख्यालय आमेर से चौमू में व सब तहसील गोविन्दगढ़ का मुख्यालय गोविन्दगढ़ से आमेर में स्थानान्तरित करने के आदेश राज्य सरकार ने दिनांक 4-3-72 को जारी किये थे परन्तु आमेर की जनता का विरोध प्रकट करने पर उक्त आदेश स्थगित कर दिये गये।

(5) भू. पू. सरकार ने चौमू में नई तहसील की स्थापना हेतु कोई अन्तिम निर्णय नही लिया था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से नायन तहसील इन्द्रगढ़ में बन रहे इन्द्रामणी नामक बांध की डूब में आने वाली अनेक किसानों की जमीन आदि का सही इन्द्राज नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

इस विषय में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी व श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के 5 मैडिकल महाविद्यालयों के लगभग 450 रेजीडेन्ट डॉक्टरों की हड़ताल के विषय में,

आज सदन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मांगों पर बहस हो रही है, अतः मैं चाहूंगा कि सरकार की ओर से इस मामले में भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी प्रकाश डाल दें।

इन प्रस्तावों को मैं स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री महावीर प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील मालपुरा में गत 30-31 जुलाई को अधिक वर्षा से लांवा हरीसिंह बांध टूट जाने के विषय में,

(4) सर्व श्री चुन्नी लाल जेलिया व हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 6 अगस्त को तहसील खण्डार में ग्राम जयसिंहपुरा में भारी वर्षा के कारण हुई क्षति के विषय में,

(5) सर्व श्री अनंग कुमार जैन व बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलाल लोधा, निवासी सेतखेड़ी

(श्री अध्यक्ष)
तहसील अकलेरा की पत्नी के साथ गत 11 जून को हुए बलात्कार के विषय में

(6) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम कल्लावास, तहसील लालसोट, जिला जयपुर में पिछली 15 जुलाई को हुई एक डकैती के विषय में।

(7) श्री त्रिलोक सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 3 अगस्त को भोपालपुरा, उदयपुर थाने के एक ए. एस. आई. द्वारा दो आदिवासी महिलाओं पर किये गये अत्याचार के विषय में,

इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जा रहा है और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(8) श्री रामरघुनाथ चौधरी- सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में सरकारी कर्मचारियों को सरकारी मकानों के आवंटन में हो रही धांधली के विषम में,

यह प्रस्ताव अत्यन्त सामान्य किस्म का है और अस्पष्ट है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है:—

(1) श्री समर्थलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिरसका अभयारण्य को टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में बनाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

प्राप्त तथ्यों के आधार पर मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि स्नातकों को 475/- रु. ग्रेड से घटाकर 355/- रु. का ग्रेड कर दिये जाने के विषय में,

इस विषय में मैं चाहूंगा कि सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिनांक 21-8-80 को दिया जावे।

(3) सर्व श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, गुलाबचन्द कटारिया व अन्य अनेक माननीय सदस्यों की ओर से राज्य में अध्यापकों के स्थानान्तरण के विषय में,

सरकार की ओर से दिनांक 22 अगस्त को इस विषय में एक वक्तव्य दिया जावे।

इन आधारों पर मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

वे प्रस्ताव जिन पर व्यवस्था नहीं दी जा रही है:—

(1) श्री गुलाबचन्द कटारिया – कृषि अभियांत्रिक छात्र मुकेश माथुर का हिसार से लापता होने के विषय में। पूर्व. में इस विषय पर व्यवस्था दी जा चुकी है।

(2) श्री त्रिलोकसिंह, बाड़मेर में 8 अगस्त को रोड़वेज कर्मचारियों द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार के विषय में। इस विषय में 12-8-80 को व्यवस्था दी जा चुकी है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री महावीर प्रसाद!

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने दिनांक 11-8-80 को एक स्थगन

(श्री गोपाल पचेरवाल)

प्रस्ताव पेश किया था। ग्राम छिपलाटा में जो वहां के हरिजनों को पीने के पानी का जो रास्ता रोका जा रहा है वहां के जागीरदारों द्वारा उस पर आपने यह व्यवस्था दी थी कि सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। दिनांक 11-8-80 को उन्होंने पेश किया और आज दिनांक 18-8-80 तक सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : गलती हो गई थी, अभी मैं मालूम कर लूंगा जो नहीं आया

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। एक-एक, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मुकेश माथुर के बारे में जो मैंने उपहास किया था, मैं यही चाहता था कि राज्य सरकार इस बारे में क्या कर रही है ? वहां उसके पश्चात पिछले सात दिनों से लगातार हड़ताल चल रही है। एक दिन पूरी यूनिवर्सिटी बन्द रही। इसके कारण से पूरे उदयपुर में अशान्ति फैल रही है। मेरा एक प्रश्न है, इसके पीछे कोई और मनतव्य नहीं, राज्य सरकार इस बारे में क्या प्रगति कर रही है ? इसकी अगर जानकारी दे दें तो शायद यह सारा प्रश्न यहीं समाप्त हो जाता राज्य सरकार किस स्टेज तक पहुंच गई है, कितनी इन्फार्मेशन मिली है या नहीं मिली है किस स्टेज पर केस चल रहा है····

श्री अध्यक्ष : हिसार का केस है, माननीय सदस्य, यहां का तो केस है नहीं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया: लेकिन श्रीमान, हिसार से भी तो कान्ट्रेक्ट किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष:- इस पर चर्चा हो चुकी है। बार बार उसी प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर ने भी हिसार के वाइस चान्सलर से बात चीत की है। लेकिन राज्य सरकार के तो बहुत बड़े हाथ हैं। उसने आखिर उनसे कान्ट्रेक्ट किया होगा तो कुछ न कुछ तो जवाब आया होगा, किन परिस्थितियों में लड़का गया, कैसे हुआ, क्या हुआ। यानि एक लड़का राजस्थान से हिसार ट्रेनिंग के लिए जावे, वहां लापता हो जावे और हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकें आखिर उसके पिता को कुछ तो बताओ कि किस स्टेज तक आप पहुंच गए हैं, कहीं पर कुछ क्लू मिला है या नहीं मिला। यह ऐसी स्थिति में हैं कि आपको कहीं कुछ पता ही नहीं लगा। यह बड़ा मानवीय प्रश्न है। इसके कारण से पिछले सात दिनों से उदयपुर विश्वविद्यालय का कृषि अभियांत्रिक कालेज बन्द है, उदयपुर विश्वविद्यालय सारा एक दिन इस के कारण से बन्द रहा, और असन्तोष बढ़ता चला जा रहा है।

आप इस प्रकार का जवाब दें जिससे वहां संतोष पैदा हो सके और उदयपुर का वातावरण ठीक हो सके।

श्री खेतसिंह राठौ, (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, उप-मंत्री, गृह विभाग सैन्टर के कोई डिप्टी मिनिस्टर आए हैं उनसे मिलने गए हैं कुछ जरूरी काम से गये हैं। उन्होंने मुझे यह कहा है कि उन्होंने सी. आई. डी. का इन्सपेक्टर खास तौर से इस लड़के की इन्क्वायरी के लिए बैठा दिया है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में उत्तर दिया जाना इसलिए आवश्यक है कि केरल की एक नर्स यहां मर गयी तो केरल विधान सभा हिल गयी, वहां की सरकार हिल गई। आज एक नौजवान लड़का गायब है, मिसिंग का मतलब है कि वह जिन्दा नहीं है जब तक कि उसका पता नहीं लग जाय। इसमें न तो चेयर ने ही आवश्यक समझा कि सरकार से जवाब दिलवाया जाय और न सरकार इसको गम्भीरता से ले रही है। उस कारण···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चीफ व्हिप महोदय ने जवाब दिया कि उन्होंने सी. आई. डी. इन्सपेक्टर को इसके लिए नियुक्त कर रखा है

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह उत्तर पर्याप्त नहीं है, अध्यक्ष महोदय। यह भावना का प्रश्न है। इसका पर्याप्त उत्तर आना चाहिए। आज वहां हड़ताल चल रही है, लड़कों में असन्तोष हो रहा है। सरकार की ओर से इसका पर्याप्त उत्तर आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : वह ठीक है, माननीय सदस्य। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। श्री महावीर प्रसाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी करना चाहूंगा कि सरकार की ओर से प्रशासनिक मामलों में मुख्य सचेतक सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : इसमें यह बात नहीं थी। सवाल यह है कि आपने जो प्रश्न उठाया था, वह पूर्व में भी उठाया गया था। यहां व्यवस्था उस पर दे दी गयी थी और आज मैंने कह दिया कि आज इस पर व्यवस्था नहीं दी जा रही है, क्योंकि पूर्व में इस पर चर्चा हो चुकी है। आपका यह आग्रह था कि सरकार इसमें कुछ करे तो आपको सिर्फ इतनी ही इत्तला दी कि मन्त्री जी यहाँ नहीं हैं, इसलिए इन्होंने—···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार की ओर से यह परम्परा गलत है। सरकार के मन्त्री बैठे हैं, अगर सरकार को कुछ कहना होता तो शिक्षा मन्त्री के माध्यम से कह दिया जाता। चीफ व्हिप सरकार का प्रतिनिधित्व कहाँ करने आ गये, प्रशासनिक मामलों में !

श्री अध्यक्ष : इसमें आसन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं दी गयी थी कि सरकार इसमें कोई वक्तव्य दे या सरकार कोई सूचना दे। वालिन्टियरिली उन्होंने कह दिया, आपको। आपको संतुष्टि हो गयी तो ठीक बात है ···

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे सरकार की तरफ से कोई जानकारी मालूम हुई और मैंने वह हाउस को दे दी तो उसमें एतराज क्या हो गया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री महावीर प्रसाद।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा 2-8-80 को एक स्थगन प्रस्ताव था, ड्रेनेज का पानी गिरने के सम्बन्ध में। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह सभी मुझे 2-8-80 को दिया हुआ, मुझे यों याद नहीं रह सकता। आप जानकारी कर लीजिए। इसके पश्चात् मैं बताउंगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव पशु मेला प्रदर्शन के सम्बन्ध में था, 12 अगस्त, 1980 को दिया था ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। श्री महावीर प्रसाद।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने दिनांक 12-8-80 को एक महिला के साथ 11-6-80 को बलात्कार होने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, ढाई महीने उस महिला के साथ बलात्कार हुए हो गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, बलात्कार का मामला है, उस महिला के साथ बलात्कार हुए ढाई महीने हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह फर्माया था कि ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जिनके स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकृत कर दिये हैं, उनको मैं अवसर दूंगा। आप अपनी बात कह दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद लाम्बा, हरीसिंह, बांध टूट जाने के विषय में।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था, 1-8-80 का इत्तेहादे बाहमी की खतरनाक गतिविधियों बाबत। कोटा नगर और कोटा जिले में एक मुस्लिम संस्था है इत्तेहादे बाहमी ....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अभी वर्तमान में मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है कि आज साम्प्रदायिक शक्तियों के कारण सारा देश धू-धू करके जल रहा है। मेरा निवेदन करना यह है कि सारा देश धू-धू करके इस साम्प्रदायिकता की आग में जल रहा है। धू-धू करके इसकी आग में जल रहा है। सारे देश को आग लग चुकी है और कोटा नगर में भी। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कोई तारीख बता दीजिए, कब तक हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोटा में साम्प्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा आप ही दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : कतई नहीं, जिन्दगी में नहीं।

(व्यवधान)

आपके राज्य सभा के मेम्बर इसका खुलकर समर्थन करते हैं। आपके सी. आई. डी. ने जो रिपोर्ट दी है वह खतरनाक है कोटा नगर के लिए। आपसे कह रहा हूं कि आप

(श्री दाऊदयाल जोशी)
इसको यों ही न लें, इस पर गम्भीरता से विचार करें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें। मालूम कर लेंगे, क्या बात है क्या बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी: आप तारीख बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, कोटा नगर में साम्प्रदायिकता के बारे में, अध्यक्ष महोदय, कोटा के एस. पी. से बात करके आया हूं। कोटा के पुलिस अधिकारियों ने बड़ी खतरनाक रिपोर्ट दी है। मैं कहना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद ऑर्डर प्लीज मैं जुबानी कुछ नहीं बता सकता।

माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

किसी सत्र में सब स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था उसी दिन दी जाती है। कृपया विराजें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : और पता नहीं क्यों आग लगाते हैं, लोगों को कहते हैं, आंख फोड़ दी जायेंगी, इस प्रकार की गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप यह मन्त्रिमंडल में ... अध्यक्ष महोदय, मैं पुरजोर निवेदन करूंगा ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मालूम कर लेंगे, इतने आतुर क्यों हो रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री महावीरप्रसाद।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टौंक): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मालपुरा तहसील में लाम्बा हरीसिंह का बांध टूट गया। उसके बाद जो सोदरा नदी है, उसमें भयंकर रूप से पानी आया। इसके कारण से आसपास के गांवों में पानी भर गया। पानी भर गया, केवल इतना ही नहीं, जितने भी कच्चे मकान थे, वे टूट गये, फूट गये। लोगों को उसी समय दूसरी जगह बसाया गया। सारे कुओं में मिट्टी भर गयी। उनके खेतों में 2-2, 3-3 फीट मिट्टी भर गयी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ से और अत्यधिक पानी भर जाने से जिनका नुकसान हुआ है, उनको तुरन्त राहत पहुंचायी जाय और उनको मुआवजा दिया जाय। जो कुए भर गये हैं, उनको ठीक किया जाय। इस प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से हो। इन्डोली और नया गांव वगैरह जो गांव हैं, वह पूरे बह गये हैं। उन गांव के लोगों को मुआवजा दिया जाय, बसाने की व्यवस्था की जाय। मेरे गांव के लोगों से और प्रगतिशील युवा मोर्चे की तरफ से पत्र आया है कि वहां भयंकर नुकसान हुआ है, तुरन्त वहां राहत पहुंचना आवश्यक है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको तुरन्त बसाने की व्यवस्था की जाय, मुआवजा दिया जाय। बिजली के कनेक्शन जिन कुओं पर हैं क्योंकि उन कुओं में मिट्टी भर गयी है इसलिये बिजली के कनेक्शन के

(श्री महावीरप्रसाद जैन)
मिनिमम चार्जेज उनसे नहीं लिये जायें, यही आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल जेलिया।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, तहसील खण्डार में तारीख 6 अगस्त को भयंकर बरसात होने के कारण ग्राम जयसिंहपुरा, पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया और वहां का जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। वहां के लोगों को रिलीफ के बतौर अब तक कुछ नहीं दिया गया है। उनके मकानों में 6-6 फीट पानी भर गया। उनको खण्डार के नागरिकों की मदद से निकाला गया। उनको खण्डार में ले जा कर के महाजन वर्ग की तरफ से उनकी व्यवस्था की गयी लेकिन राज्य सरकार की तरफ से आज तक न तो उन लोगों को किसी प्रकार का रिलीफ देने का कार्य किया गया है, न कोई खाने पीने की सामग्री दी गयी है और न उनको वहीं बसाने की व्यवस्था की गयी है। उनको कपड़े, अनाज, पैसा, जन-धन की भयंकर हानि हुई है। उन लोगों के बारे में मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि तत्काल उन लोगों की व्यवस्था की जाए और उनका जो नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा देने की कृपा करें यही मेरा सरकार से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 6-8-80 को तहसील खणडार के गांव में भयंकर वर्षा से बहुत ही भयावह स्थिती हो गयी। वहां पर एकतरफा इतनी भयंकर स्थिति होने का कारण क्या है कि सिंचाई विभाग द्वारा एक साइड में बहुत ऊंची दीवार देकर एक कैनाल बना दी गयी, दूसरी ओर वहीं पास गुजरने वाली एक रोड़ थी उस रोड़ को भी ऊंचाई पर ले लिया गया। दोनों के बीच में जो पुलिया बनायी गयी, वह इतनी छोटी बनायी गयी कि हर साल जो वहां से होकर पानी जाता था, वह पानी उसमें नहीं आ सका। जब पुलिया में पानी नहीं आया तो बांध के कैनाल से रोड पर काफी पानी भर गया और पुलिया तोड़कर गांव में पानी प्रवेश कर गया। उस गांव में हरिजन लोग रहते हैं, 300 या साढ़े तीन सौ आदमी वहां के निवासी हैं। अध्यक्ष महोदय, जब पानी उस गांव में गया तो जितने भी मकान थे, 2-3 पक्के मकानों को छोड़कर। आज की स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि यहां कोई गांव आबाद भी था या नहीं। उनके पास जितना भी खाने के लिए साल भर के लिए अनाज था वह समाप्त हो गया। बच्चों के कपड़े थे या स्वयं के लिए कपड़े थे वह समाप्त हो गये। जानवरों के लिए चारा था, वह समाप्त हो गया। उनके पास कुछ नहीं बचा। ज्यादा पानी बढ़ता गया। कुछ लोग वहां से कर्ताखण्डार पहुंचे। कर्ताखण्डार के ग्रामीण वासी 5-6 बसें लेकर वहां से लोगों को लाये और उन लोगों को बचाया। छोटे-छोटे पशु थे, बछड़े थे, वह बह गये, मर गये, उलझ गये, लेकिन किसी आदमी की क्षति नहीं हुई। उन सबको बचाया गया, बाहर निकाला गया और उसी अवस्था में उनको खण्डार में जाकर एक भंवरलाल का स्थान है उस धर्मशाला में रखा गया। गांव वालों ने उनको कपड़ा दिलाया, अनाज जुटाया, और साधन वह लोग मुहैया कर रहे हैं।

Page No. 70

(श्री हंसराज शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सन्दर्भ में ए. डी. एम., सवाई माधोपुर से निवेदन किया कि आप तुरन्त ऐसी कोई व्यवस्था करें ताकि खाने की व्यवस्था हो जाये, कपड़े की व्यवस्था हो जाये। किन्तु उन्होंने केवल एक ही जवाब देकर टाल दिया। इस संदर्भ में जिलाधीश महोदय ने राज्य सरकार से तुरन्त 50 हजार रुपये की सहायता मांगी है, वह सहायता नहीं आयेगी तब तक हम किसी प्रकार की कोई सहायता करने में सक्षम नहीं हैं। मुझे दु:ख है जिलाधीश महोदय चाहते तो तुरन्त मौके पर पहुंचते, सारी व्यवस्था संभालते। कुछ न कुछ राहत मिलनी चाहिये थी लेकिन अभी तक उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है सरकार से, जिस जगह से हटा उनको बसाया गया है वहां गहरे गड्ढे पड़ गये हैं, सारी फसलें नष्ट हो गई हैं, खेत टूट गये हैं, उस क्षेत्र में ऐसा रिलीफ कार्य छेड़ा जाये ताकि वह अपना साधन कर सकें। उनको आबाद करने के लिये दूसरे क्षेत्र खंडवा गांव में एक मैदान पड़ा हुआ है, उन हरिजनों को वहां बसाया जाये। जिनके मकान बरबाद हो गये हैं, उनको छोटे-छोटे मकान बनाने के लिए कुछ न कुछ राज्य सरकार की ओर से तुरन्त सहायता दी जाये। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, जिन विभागों की लापरवाही से इस तरह का कांड हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसकी जांच करायी जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार से नुकसान न हो। जिनको क्षति हुई है उनको तुरन्त सहायता दी जाये, मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री अनंग कुमार।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 11-6-80 को श्रीमती शान्ति पत्नी श्रीलाल लोधा निवासी सेतखेड़ी तहसील अकलेरा के साथ खेत के अन्दर ओंकार वल्द लालजी लोधा निवासी सेतखेड़ा ने बलात्कार किया। दिनांक 11-6-80 को बलात्कार के संदर्भ में उसके व्यक्ति ने थाना जावर में रिपोर्ट की। जैसा कि अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व में आपके माध्यम से सदन के समक्ष निवेदन कर चुका हूं, इस सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से बलात्कार के मामलों को दबाया जा रहा है, पुलिस डी. एस. पी., आई. जी., डी.आई. जी., को आदेश दिये गये हैं कि इस प्रकार की रिपोर्ट आती है वह दर्ज नहीं की जाये और दर्ज की जाये तो उनके अन्दर कोई कार्यवाही नहीं की जाये। उसके फलस्वरूप, अध्यक्ष महोदय उस व्यक्ति और उस औरत ने थाना जावर में रिपोर्ट दर्ज करायी, लेकिन पुलिस थाना जावर के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। मजबूर होकर उस व्यक्ति को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। न्यायालय में इस्तगासा पेश किया। न्यायालय में इस्तगासा पेश करने के बाद न्यायालय ने इस्तगासा को थाना जावर के अन्दर जांच के लिये भेजा। अध्यक्ष महोदय, जो सरकार की मंशा होती है, जिस प्रकार का सरकार का इरादा होता है, सरकारी कर्मचारी भी उसी प्रकार चलते हैं। मंशा को पूरा करने के लिये तत्पर रहते है। अध्यक्ष महोदय, सरकार के इरादे को पूरा करने के लिए वहां के ए. एस. आई. के पास जब वह व्यक्ति और उसकी औरत इस्तगासा लेकर गये कि इसकी जांच के आदेश अदालत ने दिये हैं तो, अध्यक्ष महोदय, थानाधिकारी साहब ने भी उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की।

(श्री अनंग कुमार जैन)

अध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति की यह एप्ली-केशन है, उस प्रार्थना पत्र को मैं आपके माध्यम से सदन में सुनाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय उसने अपने प्रार्थना-पत्र में लिखा है:- "मैंने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, जो वास्ते जांच थाना जावर में भेज दिया गया, लेकिन थाना जावर से अब तक कोई संतोषप्रद कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि छोटे थानेदार साहब ने थाना जावर में वसिलसिले तफतीस मेरे गांव पहुंच कर मेरी पत्नी शान्ति से यह पूछा कि तेरे स्तनों में गाठें पड़ीं या नहीं, मुझे दिखा।" अध्यक्ष महोदय, इससे शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है ! सरकार की यह मंशा है, इस प्रकार के मामलों को दबाया जाये और सरकार की मंशा को पूरा करने के लिये वहां के थानाधिकारी भी उस औरत के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस औरत के साथ एक बार बलात्कार हो चुका, जिस औरत का स्त्रीत्व एक बार लुट चुका, जिसके साथ इतनी शर्मनाक घटना हो चुकी, वह औरत थाने पर जाती है, वहां थानाधिकारी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह मामला पहली बार इस सदन में नहीं उठाया गया है, कई बार यह मामला सदन के अन्दर उठाया गया है, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस निकम्मी सरकार ने तीन शब्द रट रखे हैं : सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है, सरकार चिन्तित है, सरकार इस मामले में जाच करायेगी। अध्यक्ष महोदय, इन तीन शब्दों को मंत्री महोदय वार-वार रिपीट तो करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। आज तक ऐसा कोई निर्देश या आदेश जारी नहीं किया गया कि इस प्रकार के मामलों को सख्ती से रोका जाये, इस प्रकार के मामले यदि प्रकाश में आयें तो पुलिस के नॉलेज में लाये जायें, सरकार के नॉलेज में लाये जायें, इस प्रकार के मामलों के अन्दर शीघ्रातिशीघ्र और सख्ती से कार्यवाही की जानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, सरकार के निकम्मेपन और ढीलेपन से इस प्रकार के मामले दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन में इस प्रकार के मामले आये दिन उठाये जाते हैं और आपके माध्यम से सरकार से वार-वार निवेदन किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद सरकार दो शब्द कह कर चुप हो जाती है, सरकार चिन्तित है और सरकार गंभीरता से ले रही है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार की गंभीरता और चिन्ता कब समाप्त होगी ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार चिन्ता और गंभीरता को छोड़कर कम से कम ऐसे मामलों के अन्दर तत्काल कार्यवाही करने के आदेश पुलिस अधिकारियों को दे। इस प्रकार के मामलों को दबाया नहीं जाये। इस प्रकार की शिकायतें सदन के माध्यम से की जाती हैं तो कम से ऐसे थानाधिकारी हैं, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है, उस थानाधिकारी ने कार्यवाही न करके उस औरत को और बेइज्जत करने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले के अन्दर सरकार की ओर से शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये। और विशेष रूप से जिस थानाधिकारी ने इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया है और जो

(श्री अनंग कुमार जैन)
मामला दबा रहा है, उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर !

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस मामले के ऊपर बोलना चाहता हूं। श्रीमती शान्ति पत्नी लालजी लोधा, सेतखेड़ी, थाना जावर, तहसील अकलेरा के साथ जो बलात्कार किया उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। बड़े शर्म की बात है, झालावाड़ जिले में और राजस्थान में उत्तरोतर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी इस प्रकार की एक घटना हुई। शिड्यूल्ड कास्ट औरत को इस बहाने बुलाया कि तेरा कुछ केस दर्ज है, और उसके साथ बलात्कार किया। दिनोंदिन इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अत्याचार किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमन्त्री हरिजन हैं, शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, अपने आप को बड़ा हां उनका हिमायती समझते हैं, कहते हैं लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के मुख्य मंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि जिनको शर्म नहीं आती है, जिनके राज्य में सिपाही ही इस प्रकार ...

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह शब्द आप गलत बोल रहे हैं। इस प्रकार के शब्दों को काटा जाये। इस प्रकार के शब्दों को आप नहीं बोल सकते हैं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर . आप भी बोलते हैं। आप बैठ जाइये नीचे। मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के साथ उत्तरोत्तर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पुलिस वाले उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य; कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इस प्रकार के शब्दों के लिये माफी मांगी जानी चाहिये।

श्री बालचन्द्र आर्य : माननीय सदस्य, आप पागलखाने से आये हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : दो महीने में लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति में सुधार हुआ है। इन्होंने 28 महिनों में लॉ एण्ड ऑर्डर को तहस नहस कर दिया है। झूठ और गलत बोल रहे हैं। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिये, शर्म आनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री दिनेश डांगी (देसूरी) : आन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय इस समय सदन में नहीं हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनके लिए माननीय सदस्य ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह उचित नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाए।

(व्यवधान)

यदि यही परम्परा रही तो सदस्यों के भाषण नहीं हो सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री बाऊदयाल जोशी : आपको भी डूब मरना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपस में बात न करें, माननीय सदस्य। विवाद न करें।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि "चुल्लू भर पानी में डूब मरना" शब्दों को कार्यवाही से बाहर निकाला जाए। इस प्रकार की परम्परा चलती रही तो उचित नहीं रहेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रश्न पर व्यवस्था मुझे देनी है आपको नहीं।

"चुल्लू भर पानी में डूब मरना" यह अपने आप में असंसदीय नहीं है और न ही अपमानजनक इसलिए इसको कार्यवाही से नहीं निकाला जा सकता है। परन्तु साथ ही मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे भाषा के प्रयोग में संयम रखें और अच्छी भाषा का प्रयोग करें जिससे कोई कटुता पैदा न हो, विवाद पैदा न हो। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें।

श्री बालचन्द्र आर्य वीर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं, अत्याचार और बलात्कार होते हैं तो हमारा खून उबलता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं के कारण ग्राम लोग जी नहीं सकते। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस प्रकार की घटनाएं करते हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विषय से हट रहे हैं। जो स्थगन प्रस्ताव में विषय है उस पर ही कहें। आप विषयान्तर न हों।

श्री बालचन्द्र आर्य वीर : मेरा निवेदन है कि उस गरीब महिला के साथ बलात्कार हुआ है उसकी अभी तक जांच नहीं हुई है। किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है जबकि गरीबों के हिमायती यहां पर बैठते हैं। इस प्रकार की घटना यदि, सरकार के जो लोग बैठे हैं उनके साथ घट जाए तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी, यह मैं उनसे पूछना चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री बालचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस घटना की तुरन्त जांच हो। इस घटना की शीघ्र से शीघ्र जांच कराई जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा।

लालसोट जिला जयपुर क्षेत्र में डकैती के सम्बन्ध में।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में गत 15 जुलाई को डकैती हुई थी। 15 जुलाई के बाद में अभी तक किसी डकैत का या डकैती के सुराग का पता लगाने में पुलिस असमर्थ रही है। दौसा सब डिविजन में अब तक चार डकैतियां हो चुकी हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जैसी डकैती हुई है उसके बाद में दिनांक 16-7-80 को कलादूराई डाकू और पुलिस में जो मुठभेड़ हुई है उसके बारे में समाचार अखबारों में प्रकाशित हुआ है। पुलिस और

(श्री रामकिशोर मीणा)

डाकुओं में मुठभेड़ हुई परन्तु पुलिस किसी डाकू को पकड़ नहीं सकी। एक भी डाकू का पुलिस पता लगाने में सफल नहीं हो सकी है। इसके बारे में कुछ भी बताने में पुलिस असमर्थ है कि कहां से डाकू आये, कहां डाकू गये हैं। इसके बाद में कुछ सामान, करीब साढ़े चार तोला सोना पुलिस ने बरामद किया है। यह सामान गोपालसिंह, जो अरनिया का निवासी है, खेत से बरामद किया है लेकिन पुलिस ने उससे कोई पूछ-ताछ नहीं की है, कोई जांच पड़ताल नहीं की है। पहले भी जो डकैती हुई थी उसमें भी इस गोपालसिंह के ऊपर लोगों को शक था। शायद उसकी मिलीभगत थी। यह जो डकैती हुई है उसमें पौने दो लाख का सामान गया है। इसमें जो कमी है वह यह है कि जैसे ही पुलिस डकैती का पता लगाने का प्रयास करती है कि दूसरी डकैती पड़ जाती है। मेरा निवेदन है कि डकैती का पता लगाने के लिए वहां पर वायरलैस सेट लगाये जाएं। जहां पर डकैती पड़ी है, वहां के लोग जिन पर शक होना बता रहे हैं पुलिस उनसे पूछताछ नहीं कर रही है। उल्टे जो गरीब हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है उनके ऊपर पुलिस द्वारा शक किया जा रहा है। पांच-छः डकैतियां हुई हैं, पुलिस को कोई सुराग अभी तक नहीं मिला है। मेरा निवेदन करना यह है कि वहां पर बावरिया गूजर नाम का एक प्रख्यात बद-माश है। उसके यहां से डकैतों ने दस रुपये किलो का दूध खरीदा है। उसके यहां पर 5-7 रोज तक रहे हैं। पहले भी जो डकैती हुई थी, गांव वालों का उसके ऊपर शक है लेकिन पुलिस उससे कोई पूछताछ नहीं कर रही है उल्टे जिनके यहां पर डकैती पड़ी उनसे ही पुलिस पूछ रही है और यह कह रही है कि उच्चाधिकारियों को शिकायत की तो तुमको गिरफ्तार करवा देंगे। एक तरह से जनता की जान-माल की सुरक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है परन्तु जिनके यहां पर डकैतियां पड़ी हैं उनको ही धम-कियां दी जा रही हैं कि उनके खिलाफ कोई शिकायत उच्चाधिकारियों को की गई तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, बार-बार वहां पर डकैतियां पड़ रही हैं उससे उस क्षेत्र के लोगों में आतंक फैल गया है। इसलिए चोर, डकैत का पता लगाया जाए और भयभीत लोगों को मुक्ति दिलाई जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री त्रिलोक सिंह, उदयपुर थाने में ए. एस. आई. द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष, यह जो उदयपुर थाने की बला-त्कार की घटना है, यह कोई उदयपुर की ही हालत नहीं है, सारे राजस्थान की आज ऐसी ही हालत है। आये दिन बलात्कार के केस होते हैं। इन केसेज को देखने के बाद ऐसा जाहिर होता है कि हमारे यहां पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। पुलिस खुद दखल देती है। किस तरह से राज्याधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने गरीब आदिवासी औरतों को जबर्दस्ती पकड़ कर उनके साथ बलात्कार किया है उसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई है। न तो पुलिस कर्मचारियों को बरखास्त किया है और न कोई गिरफ्तारी की गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि फिर यह सरकार किस काम

(श्री त्रिलोकसिंह)

राज्य के आएगी ? फिर सरकार क्या करेगी ? जब लोगों पर इस प्रकार के जुर्म हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने स्थगन प्रस्ताव बलात्कार के विषय में नहीं दिया है। इसमें तो आपने अत्याचार का जिक्र किया है।

श्री त्रिलोकसिंह : यह अत्याचार ही है। इस तरह के जुर्म हो रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार इस तरह के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे और नौकरी से उनको तुरन्त बरखास्त करे।

श्री अध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ !

(अनुपस्थित)

श्री समर्थलाल।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को यह निवेदन करूंगा कि सिरसका के अन्दर जो टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया है, उस टाइगर प्रोजेक्ट के कारण चार तहसीलों के आदिवासी और हरिजन लोग परेशान हैं। उस टाइगर प्रोजेक्ट के आस-पास जो पहाड़ी एरिया है वहां पर आदिवासी लोग रहते हैं। अनादि काल से वे वहां पर रहते हैं और अपने पास पशु रखते हैं, बकरियां रखते हैं। वहां पर वे उनको चराते हैं और उनके दूध के आधार पर वे अपनी आजीविका का उपार्जन करते हैं।

पहले वह एक अभयारण्य क्षेत्र ही था जिससे भी वहां के आदिवासी परेशान थे। लेकिन अब यह टाइगर प्रोजेक्ट और हो गया है जिससे और ज्यादा परेशानी हो गयी है। उनकी परेशानी इस हद तक बढ़ गयी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर ये गांव बसे हुये हैं, वहां पर खेतों और बाड़ों की सीमा तक टाइगर प्रोजेक्ट की सीमा है, उसको निर्धारित कर दिया गया है। अब यदि लोगों के पशु घरों से निकलते हैं और वहां घुस जाते हैं तो फोरेस्ट के जो रेंजर्स गार्ड हैं उनको रोक लेते हैं और रोकने के बाद अन्धाधुन्ध तरीके से उन पर जुर्माना करते हैं। अध्यक्ष महोदय, वह मनमानी करते हैं। यह जुर्माना भी सरकार के कोष में जमा नहीं किया जाता। वह तो उनकी जेबों में जाता है। इस प्रकार गांव के लोग परेशान हैं। मेरा तो यही कहना है कि टाइगर प्रोजेक्ट की जो स्कीम सिरसका के अन्दर रखी है उसको समाप्त किया जाये। हिन्दुस्तान के प्रत्येक स्टेट के अन्दर, प्रत्येक राज्य के अन्दर एक-एक ही टाइगर प्रोजेक्ट है लेकिन हमारे राजस्थान के अन्दर अब दो टाइगर प्रोजेक्ट हो गये हैं। एक सवाई-माधोपुर में है और अब दूसरा सिरसका के अन्दर हो गया है। उसकी क्या आवश्यकता थी ? उसकी क्या जरूरत थी ? अगर वह आवश्यक भी था तो उससे जो गांव प्रभावित होते हैं उनकी कोई व्यवस्था करनी चाहिये थी। या तो उनको अन्यत्र बसाना चाहिये या उनको कोई जमीन देनी चाहिये। मेरा तो सरकार से यह कहना है कि टाइगर प्रोजेक्ट की

(श्री समर्थ लाल)

सीमा निर्धारित है वहां अन्धाधुन्ध तरीकों से लोगों को परेशान करते हैं।

दूसरा मेरा यह कहना है कि जो पानी तराई के अन्दर है, पहाड़ के अन्दर है, गाय भैंस बकरी आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिये जो उनकी आजीविका है उसको बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिये। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि टाइगर प्रोजेक्ट जो सिरसका के अन्दर है उसको खत्म किया जाये और खत्म करके जो सैकड़ों किसान वहां हैं उनके बारे में, उन के जीवनयापन के बारे में ध्यान दिया जाये। यही मैं सरकार से कहता हूं।

अजमेर डेयरी में पद स्थापित उच्च अधिकारियों के संदेहास्पद आचरण एवं अकुशलता से संस्था को घाटा

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री गोविन्दसिंह, अजमेर डेयरी के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, अजमेर में जो डेयरी चल रही है उसमें संचालक मंडल की निुक्ति चुनाव द्वारा होती है। उस डेयरी में भी संचालक मंडल का चुनाव हुआ पर वहां उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई। एक मीटिंग कराने की कोशिश की गयी थी उसमें भी कोरम के अभाव में चुनाव नहीं हो सके। उसके बाद आज तक करीब 9 माह हो गये हैं चुनाव किये हुये संचालक मंडल के, परन्तु उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुयी है, जिससे ब्यूरोक्रेसी के द्वारा व्यवस्था चलायी जा रही है। बड़े ताज्जुब की बात है कि डेयरी सफेद क्रांति के लिये कायम की गयी है, यह कोशिश की जा रही है कि सफेद क्रांति यहां पर हो, पर यह डेयरी दिन प्रतिदिन गर्त में चली जा रही है। नतीजा यह हो रहा है, अध्यक्ष महोदय कि वहां जो समितियां थीं, उनकी जो हिस्सा पूंजी थी, जो शेयर पूंजी, उस शेयर पूंजी को भी उसके काम में न लेकर दूसरे कामों में लगा दिया है। जब कि कानूनन ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। इसी तरह से वहां जो कर्मचारी हैं उनका जो प्रोविडेंट फण्ड है, जो फिक्स है वह डेयरी ने अपने काम में लगा दिया है। इसके अलावा भी 5-6 लाख रुपया बाजार का अभी बकाया है। डेयरी की व्यवस्था खराब हो गयी है। जो भी डेयरी में दूध देने वाले हैं, दूध बेचते हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको जितना फायदा मिलना चाहिये था वह नहीं मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा पैसा गरीब किसानों को नहीं मिल रहा है। एक किलो दूध का 1 रुपया 20 पैसे देते हैं, जबकि दूसरी जगह उसी दूध का 2 रुपया दिया जाता है। मैं, माननीय मंत्री महोदय, इन सब बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर डेयरी में तुरन्त जो संचालक मंडल नियुक्त है उसको काम करने का मौका दिया जाये। इसी तरह से जो प्रोविडेंट फण्ड का पैसा है, हिस्सा पूंजी है जो इस तरह बरबाद कर दी गयी है उसको वापस जमा कराया जाये। इसकी व्यवस्था को ठीक किया जाये।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अजमेर में डेयरी से संबंधित निम्न दो संस्थायें हैं:—

(1) अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, जिसकी स्थापना 14 फरवरी, 1972

(श्रीमती कमला)

को हुई। संघ का कार्यक्षेत्र अजमेर है तथा इसकी सदस्य अजमेर जिले की 198 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं। संघ का कार्य दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध संकलन कर डेयरी को बेच देना है। संघ दुग्ध उत्पादकों को पशु-चिकित्सा, संतुलित पशु-आहार उन्नत चारे के बीज तथा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है।

(2) अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की हिस्सा राशि 11 लाख 40 हजार 9 सौ रुपये है। इसमें से राज्य सरकार ने 9 लाख रुपये हिस्सा राशि के रूप में दिये हैं। दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां, तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों ने दो लाख चालीस हजार नौ सौ रुपये हिस्सा पूंजी में लगाए हैं। संघ को 8,30,000/- की सहायता सरकार से मिली है, तथा संघ ने 43, 43, 680 रु. का ऋण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन. सी. डी. सी.) तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया है। इस प्रकार संघ ने कुल 63,14,580 रु. पूंजी एकत्रित की है। जिसे संघ ने जमीन खरीदने, भवन बनाने, डेयरी प्लाण्ट, मशीनरी खरीदने, टैंकर्स खरीदने आदि में खर्च किया, जिसका पूर्ण विवरण संघ के पास उपलब्ध है।

डेयरी कर्मचारियों को भविष्यनिधि एवं ई. एस. आई. की राशि नियमानुसार प्रतिमाह क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त, एवं निदेशक ई. एस. आई. के खाते में अजमेर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में जमा करा दी जाती है। वर्ष 1978-79 में रु. 85,916 पैसे 90 तथा वर्ष 1979-80 में रु. 90000 जमा कराये गये। माह जुलाई, 1980 की राशि भी 14 अगस्त, 1980 को जमा करादी गई है। अतः यह सही नहीं है कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की करीब 12 लाख जमा हिस्सा राशि को गैर कानूनी तरीके से नाजायज खर्च कर दिये। संघ में पहले कुछ व्यक्ति राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते थे जिनकी राज्य बीमा की राशि का लेखा जोखा तैयार कर रु. 32,623 पैसे 15 राज्य बीमा विभाग को भिजवाने के आदेश दे दिये गये हैं।

अतः डेयरी कर्मचारियों की भविष्य-निधि राशि का किसी भी अन्य कार्य में उपयोग नहीं किया गया है।

यह भी सही नहीं है कि घी उत्पादन का डेयरी में कोई रिकार्ड नहीं है। वर्ष 1972-73 से वर्ष 1979-80 तक डेयरी में घी उत्पादन एवं विक्रय का पूर्ण रिकार्ड उपलब्ध है। इसी प्रकार दिल्ली भेजकर बेचे गये दूध का भी पूर्ण रिकार्ड उपलब्ध है।

डेयरी के विरुद्ध जुलाई, 19.0 के अंत में निम्नलिखित बकाया थे:—

(अ) दुग्ध संकलन करने वाले ट्रांसपोर्टर्स का रु. 1,20,000 का भुगतान बकाया था। यह भुगतान 30 जून, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के अंतिम भुगतान के थे। वर्ष का अंतिम भुगतान होने के कारण ट्रांसपोर्ट की सहकारी समितियों से तथा डेयरी के विभिन्न विभागों से 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' लेना पड़ता है। अंतिम भुगतान

(श्रीमती कमला)

होने के कारण आयकर की कटौती भी करनी पड़ती है। अत: इस भुगतान को चुकाने में कुछ समय लगता है। अब यह भुगतान 12-8-80 को कर दिया है।

(ब) अन्य पार्टियों का बकाया 34,000 जो कि बर्फखाना व क्रैन वाशिंग का भुगतान विवादास्पद होने के कारण बकाया है। मशीन की खराबी होने के कारण बर्फखाने में दुग्ध खट्टा होने से डेयरी को नुकसान हुआ जिसकी कटौती बर्फखाने वाली पार्टी से की जानी है।

(12.49 म. प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पदासीन)

इस प्रकार से यह सही नहीं है कि बाजार की फर्मों का करीब 5 व 6 लाख रुपया बकाया है। पहले 1,54,000 की राशि बकाया थी, उसमें से 1,20,000 रु. का भुगतान किया जा चुका है।

यद्यपि वर्ष 1972-73 से वर्ष 1976-77 तक डेयरी को लाभ नहीं हो सका था तथा इस अवधि में 6,37,891 रु. की शुद्ध हानि हुई, इसमें सभी प्रकार के खर्चे तथा घिसावट व ब्याज की राशि सम्मिलित है। परन्तु वर्ष 1977-78 से डेयरी लाभ में चल रही है। वर्ष 1977-78 में डेयरी को 59,049 रु. का शुद्ध लाभ हुआ तथा वर्ष 78-79 में 49,648 रु. का शुद्ध लाभ हुआ। जून, 1980 को समाप्त हुए वर्ष में भी लगभग 40,000 रु. का लाभ होने की आशा है। प्लान्ट की हैंडलिंग कैपेसिटी कम है तथा इसमें डेयरी पदार्थ बनाने की सुविधा भी नहीं है। अब प्लाण्ट की क्षमता 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख लीटर प्रति दिन की जा रही है, तथा उसमें दूध पदार्थ बनाने का प्रावधान भी किया जा रहा है।

(7) अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के कार्य के लिए राज्य सरकार ने नौ सदस्यों का संचालक मण्डल मनोनीत था (1979 तक) जिस में से चार सदस्य दुग्ध उत्पादकों प्रतिनिधि, वर्तमान में सिर्फ 5 सरकारी सदस्य हैं। प्रबन्ध संचालक, राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन के अध्यक्ष हैं। अजमेर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चुनाव सहायक रजिस्ट्रार ने 22-12-79 को करवाये। परन्तु यह चुनाव राजस्थान सहकारी अधिनियम की धारा 32 के अनुसार नहीं हुए। दिनांक 14-3-80 को संघ की वार्षिक आम सभा बुलाई गई। परन्तु आम सभा भी कोरम के अभाव में चुनाव न करा सकी। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां (डेयरी) ने 30-9-80 तक संघ के विधिवत् चुनाव कराने के आदेश प्रसारित कर दिये हैं तथा चुनाव अधिकारी को अधिकार दिये गये हैं कि वे आम सभा बुलाकर चुनाव का कार्य 30-9-80 तक सम्पन्न कर देवें।

(8) अजमेर जिले के दूध उत्पादक वर्ष 1979-80 तक संघ व डेयरी को दूध बेच करके 10 करोड़, 25 लाख, 55 हजार रुपये की धनराशि प्राप्त कर चुके हैं। वर्ष 1979-80 में ही दूध उत्पादकों ने 2 करोड़ 13 लाख प्राप्त किये हैं इस प्रकार डेयरी का कार्यक्रम दुग्ध उत्पादकों के हित में रहा है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि जो 1979 में चुनाव कराये गये वह निरस्त हो गये हैं तो नये चुनाव कब होंगे और वह किन कारणों से निरस्त किये गये हैं ?

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, पहले जो चुनाव कराये गये थे, वह अलग अलग कराये गये थे इसलिए दुबारा चुनाव कराने के लिए आदेश दे दिये हैं। पिछले चुनावों को निरस्त कर दिया गया है। अब ग्राम सभा द्वारा चुनाव कराये जाने के लिए आदेश दे दिये गये हैं। 30-9-80 को चुनाव हो जायेंगे।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जो चेयरमैन को निकाला गया था, उसका कुछ कारण आप बतायेंगी ? इस सम्बन्ध में आप जानकारी कर लें।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : मेरा एक निवेदन है कि अजमेर की डेयरी की स्थापना के बाद जो रेट थी उसमें कोई बढ़ोतरी की या नहीं ? नहीं की तो क्या यह उचित है कि सात-आठ साल में दुग्ध के भाव दुगने हो गये, जब वह हड़ताल करेंगे तभी उनका मुंह बन्द किया जायगा ? क्या आपने उनको बढ़ाना उचित नहीं समझा ?

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, 12 तारीख को डिमाण्ड थी। उस दिन भी मैंने निवेदन किया था। वह दुग्ध रूप में ही न देकर अन्य पदार्थ बनाकर अधिक आमदनी का जरिया बनाकर, जो व्यवस्था सही नहीं है, उसको सही किया जा सके। जो चुनाव वर्षों से नहीं हुए हैं, वह कराये जायें। यह मेरे ध्यान में है। इसी में इसके भाव और दूसरे उत्पादन जुड़े हुए हैं। इस सारी व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। वर्तमान में अजमेर डेयरी घाटे में इसलिए है। जहां तक दुग्ध लेने की क्षमता का प्रश्न है, जितनी क्षमता इस डेयरी प्लाण्ट में होनी चाहिए, उतनी क्षमता से यह नहीं लगाया गया। अब इसकी क्षमता को एक लाख लीटर की क्षमता का बनाया जा रहा है। जो इन्वेस्टमेण्ट पहले लगाया गया है, वह प्लाण्ट छोटा लगाया गया है। इन्वेस्टमेण्ट ज्यादा हुआ, डेप्रिसियेशन ज्यादा हुआ। इसलिए घाटा हुआ, लेकिन जल्दी ही यह सब किया जाने वाला है, और ज्यादा दूध लेने की क्षमता बढ़ाई जाएगी।

(विद्युत् व्यवस्था भंग)

इस घाटे को पूरा किया जाएगा।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

(विद्युत् व्यवस्था ठीक)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय····

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। आप अपने प्रस्ताव के बारे में जानकारी ले लें।

शासकीय वक्तव्य

श्रीमती फूला धर्मपत्नी श्योकरण जोगी, निवासी फागी का गत 3 जुलाई, 1980 को नसबन्दी व ऑपरेशन बिगड़ जाने से हाथ काट देने की घटना

माननीय चिकित्सा मन्त्री जी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (चिकित्सा मन्त्री) : दिनांक 3-7-80 को श्रीमती फूला धर्मपत्नी श्योकरण उम्र

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
38 वर्ष, निवासी ग्राम पहाड़िया को श्रीमती नीता माथुर प्रसाविका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वाटिका ने जयपुर परिवार कल्याण केन्द्र····

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सुनाई नहीं पड़ता है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : कान नीचे लगा लें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दिनांक 3-7-80 को श्रीमती फूलां धर्मपत्नी श्री श्योकरण, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम पहाड़िया को श्रीमती नीता माथुर प्रसाविका, प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र, वाटिका ने जयपुर में परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र में दूरबीन से नसबन्दी के लिए भर्ती कराया। ऑपरेशन के पहले उक्त महिला का मैडिकल परीक्षण एवं अन्य जांच करने के बाद उसी दिन दिल्ली से आई विशेषज्ञ डॉ. कुमारी कोचर जो भारत सरकार द्वारा दूरबीन नसबन्दी प्रशिक्षण देने में अनुमोदित हैं, ने डॉ. (श्रीमती) स्नेहलता 'वरिष्ठ विशेषज्ञ जनाना अस्पाताल, अलवर के साथ दूरबीन से ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया।

आपरेशन के लगभग दो ढाई घन्टे के बाद उक्त महिला ने अपने सीधे हाथ में दर्द होने की शिकायत की। शीघ्र उपचार के पूरे प्रबन्ध किये गये। यहां तक कि सवाई मानसिंह अस्पताल के विशेषज्ञों ने भी हाथ का परीक्षण किया और उपचार शीघ्र चालू कर दिया गया। उक्त महिला के दायें हाथ में खून जमा होने से हाथ में खून का प्रवाह होना बन्द हो जाना पाया गया, जिसका उपचार किया गया एवं लाभ भी हुआ। परन्तु डॉक्टर की राय के विरुद्ध उक्त महिला जबरन अस्पताल छोड़ कर अपनी मर्जी से अपने गांव अपने साथियों के साथ सायंकाल के बाद चली गई। उच्च अधिकारियों को जब ये पता चला तो 3 डॉक्टरों के विशेष दल ने रात्रि को ग्राम पहाड़िया में जाकर पुनः उस महिला के हाथ का निरीक्षण कर निर्णय लिया कि उसको और उपचार की आवश्यकता थी। उस समय भी समझा-बुझा कर उसके पति एवं रिश्तेदारों के साथ पुनः जयपुर रात्रि को लाकर सवाई मानसिंह अस्पताल में डॉ. जी. सी. शर्मा की यूनिट में भर्ती कराया गया। डॉ. जी. सी. शर्मा ने परीक्षण के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि स्वच्छ रक्त की नाली में खून रुकने से जम गया है और गम्भीर स्थिति बन गई है। इसलिए रात्रि को ही आपतकालीन ऑपरेशन करके नाड़ियों में जमा हुए खून का टुकड़ा निकाला और आशा यह की थी कि इस ऑपरेशन के पश्चात रक्त का प्रवाह पुनः चालू हो जावेगा। परन्तु 6 दिन के निरन्तर प्रयास के बाद भी रक्त का संचार पुनः नहीं हो सका। जिसके कारण दिनांक 9-7-80 को दांई कोहनी के नीचे जहां तक रक्त बहना रुका हुआ था काटना पड़ा क्योंकि इस हिस्से में गैंग्रीन हो चुका था। जिसका कोई इलाज नहीं है। श्रीमती फूलां का समुचित निःशुल्क उपचार अभी भी जारी है।

उक्त महिला स्वेच्छा से नसबन्दी कराने आई थी और जबरदस्ती का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उक्त महिला के साथ अन्य महिलायें उसी गांव और उसके परि-

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
बार की आई थीं जिन्होंने भी स्वेच्छा से ऑपरेशन कराये। जहां तक दूरबीन से नसबन्दी का प्रश्न है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है बल्कि वह सफल ऑपरेशन रहा। हाथ में गैंग्रीन का नसबन्दी से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है और हाथ में शुद्ध खून की नाली में किसी भी प्रकार का इन्जेक्शन लगाना आसान काम नहीं है और न कभी लगाया ही जाता है।

श्रीमती फूलां के उपचार एवं देख-भाल का पूर्ण इन्तजाम राज्य सरकार की ओर से करवाया जा रहा है। नियमानुसार रुपया 4,000/की क्षतिपूर्ती राशि राज्य सरकार से स्वीकृत की गई व उसका भुगतान श्रीमती फूलां को कर दिया गया है।

श्री सभापति : श्री रामकंवार बैरवा।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : माननीय सभापति महोदय, श्रीमती फूलां की 3 जुलाई को दूरबीन से नसबन्दी हुई और मंत्री महोदयन कहते हैं कि दूरबीन से नसबन्दी करते हैं तो इन्जेक्शपहले नहीं लगाया जाता। अभी मन्त्री महोदय ने यह बताया कि उसकी डॉक्टरी जाँच हुई, वह स्वस्थ थी। उसके पश्चात उसको दूरबीन से ऑपरेशन करके वहां से गुलाम पहाडिया में छोड़ा गया। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि उसको यहां और रहना चाहिये, चार तारीख को डॉक्टर वापस उसको भर्ती करते हैं, सवाई मानसिंह अस्पताल में उसको भर्ती करवा दिया। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उसका हाथ कट गया, उसके चार लड़के, एक लड़की और उसका पति है। दूरबीन से नसबन्दी नहीं करवाते तब भी क्या हाथ इस प्रकार से खराब हो जाता और काटने की नौबत आती? गलत तरीके से इन्जेक्शन लगाया गया इसकी जांच की जानी चाहिये। यह कैसे हुआ, गम्भीरता से इसकी जांच की जानी चाहिये। दूरबीन से नसबन्दी की सराहना हो रही है लेकिन इस तरह के मामले से रुकावट पैदा हो सकती है। क्या माननीय मन्त्री महोदय इस बारे में गम्भीरता से सोचेंगे और जांच करायेंगे और आगे से इस तरह के केस नहीं हो, इसकी व्यवस्था करायेंगे?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय ने साफ कहा है की गैंगरीन की वजह से हाथ कटा है, दूरबीन से नसबन्दी का हाथ कटने से कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय का शायद वक्तव्य आपने सुना नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा है आप और कोई जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं वरना मैं चर्चा समाप्त करता हूं।

श्री रामकंवार बैरवा : इन्जेक्शन नहीं लगाया जाता उस समय,......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नसबन्दी का हाथ कटने से सम्बन्ध नहीं होता। इन्जेक्शन तो हर एक को लगाया जाता है।

श्री सभापति : हाथ में इन्जेक्शन लगाया उससे तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई, माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, डॉ. जी. सी. शर्मा हमारे यहां के एक वरिष्ठ सर्जन हैं, उनकी देखरेख में, आज ही उनसे बात हुई है। गैंगरीन की वजह से ही ऐसा हुआ है। वेन में इन्जेक्शन लगता है आर्टरी में इन्जेक्शन नहीं लगता है इसलिए वेन के-

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
इन्जेक्शन से आर्टरी का कोई सम्बन्ध नहीं है यह बिलकुल नीचे होती है आर्टरी तो बहुत अन्दर होती है, उसमें इन्जेक्शन नहीं लग सकता।

श्री रामकंवार बैरवा : माननीय सभापति महोदय, यह सारी घटना इन्जेक्शन लगाने से हुई है, इसकी जांच करावाई जावे जो उत्तर डॉक्टरों ने तैयार किया वह आप दे रहे हैं। आपको दूसरी तरफ भी सोचना चाहिये। डॉक्टरों को बचाने के लिए आपको जवाब बना कर दे दिया। वह कौनसी सेवा नए जमाने में आएगी जो। ....

श्री भगवानदास शास्त्री : जब डॉक्टरों का निर्देश था तो फिर उसको गांव जाकर के उन्हें बुलाकर के इलाज करवाए, यह भी तो होता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो यहीं पर है। डॉक्टर लोग आफ्टर केअर में देखते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। गड़बड़ थी इसलिए लाये।

श्री भगवानदास शास्त्री : सवाई मानसिंह हॉस्पिटल कोई मामूली हॉस्पिटल नहीं है। जब वहां पर एक बेड खाली होता है तब रिलीज करने के सारे पेपर्स दिये जाते हैं दवाइयां लिखी जाती हैं। बीमार कैसे बेड छोड़ कर जा सकता है? यह भी तो बताओ?

श्री रामकंवार बैरवा : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या आवश्यकता हुई उसको तुरन्त वापस लाने की? कोई अनदेखी जरूर हुई है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। डॉक्टर गये हैं और फूलां को लाये हैं। गांव में इस बात के गवाह हैं, मैं पेश कर सकता हूं। गलत इन्जेक्शन लगाया इसलिए भर्ती उन्होंने की और इस तरह वह खतम हो गई बेचारी।

श्री सभापति : माननीय श्री ललित-किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक सवाल करना चाहूंगा और एक विषय, एक बात करना चाहूंगा। बड़ी मुश्किल से दूरबीन प्रणाली से जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनमें सफलता मिल रही है, जनता में एक आस्था जागृत हो रही है। यह एक ऐसा विषय हो गया है कि जिस विषय को इस नाते से भी पूरी जानकारी, जांच कराना आवश्यक है और वह सारे फैक्ट्स जनता के सामने इसलिए भी लाना आवश्यक है कि परिवार नियोजन ऐसा विषय है जिसके बारे में आस्था निर्माण हुई है, वह आस्था डिगने न लग जाय। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच करवाई जावे और जो फैक्ट्स आयें उनकी जानकारी जनता को दी जावे। क्योंकि ढाई साल तो भुगत चुके, इतने अच्छे कार्यक्रम में इतनी गड़बड़ हो चुकी इमर्जेंसी में। फिर दुबारा यह पॉपुलर होने लगे हैं, तो यह कारण अगर जनता के सामने आ जायेंगे तो इसके कारण जो आस्था बनी है वह आस्था बनी रहेगी, डिगेगी नहीं उसमें सफलता मिलेगी। इसलिए माननीय मंत्री महोदय इस विषय में पूरी जांच करके दोषी अधिकारियों

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
को दण्डित करें और जानकारी जनता को दें।

श्री सभापति : मैं आपको समय दूंगा, माननीय सदस्या।

वार्षिक वित्तीय विवरण आय-व्ययक 1980-81 द्वितीय अवस्था अनुदान की मांग पर विचार व मतदान।

माननीय चिकित्सा मन्त्री महोदय।

अनुदानों की मांग
मांग संख्या 26,
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (चिकित्सा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 55,49,82.00 रु. तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा स्वीकृत राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

मांग संख्या 26 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

1. पूर्व सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम समाप्त कर दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

2. ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के लिये चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा के लिये मोबाइल यूनिट्स और अधिक मात्रा में बढ़ाये जाने की चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

3. ग्रामों में कुशल चिकित्सक एवं निःशुल्क औषधि उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

4. जयपुर ग्रामीण के अलावा रामगढ़-नायला, भानपुर आदि में मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

5. ग्रामीण चिकित्सालयों में दवाइयों की कमी से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

6. चिकित्सालयों में डॉक्टरों की कमी के कारण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

7. एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं आयुर्वेदिक औषधालयों में उपकरणों की कमी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),

श्री नाथूसिंह (वांदीकुई),

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर),

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा),

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर),

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन):

8. प्रत्येक तहसील केन्द्र पर प्रसूति गृह होने एवं चिकित्सालयों का बजट बढ़ाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):

9. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव पर चर्चा के लिये ।

10. बीकानेर की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुये जिला अस्पताल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

11. विभिन्न प्रकार की दवाइयों की विभागीय खरीद में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम):

12. परिवार कल्याण हेतु कराये गये ऑपरेशन वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल):

13. जयपुर की पुरानी बस्ती डिस्पेन्सरी में पैथॉलाजिकल यूनिट स्थापित कराये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री जीतमल जैन (अलवर):

14. 15 से 20 वर्ष तक की सेवा पूर्ण करने पर भी पुराने कम्पाउन्डर्स की कोई पदोन्नति नहीं किये जाने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये ।

15. जनरल अस्पताल में निर्माण कार्य के लिये जनता द्वारा दिये गये धन एवं मुख्य मंत्री कोष से प्राप्त अनुदान की राशि के उपयोग न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

16. अलवर का जनरल अस्पताल 'ए' श्रेणी का घोषित होने के पश्चात् भी उपकरणों एवं स्टाफ के अभाव पर चर्चा के लिये ।

17. खाद्य पदार्थों में की जा रही मिलावट को रोकने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये ।

18. अलवर जनाना अस्पताल की चार दीवारी में फैली हुई गन्दगी के संबंध में चर्चा के लिये ।

19. अलवर के जनरल अस्पताल की भूमि पर धर्मशाला निर्माण को रोकने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये ।

20. डॉक्टरों के भौतिकवादी रवैये एवं उनका ग्रामोन्मुख न होने पर चर्चा के लिये ।

21. अलवर जनरल अस्पताल की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये ।

22. भ्रमणशील चिकित्सालयों की संख्या में वृद्धि करने पर चर्चा के लिये ।

Page No. 85

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

23. राजस्थान में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं पर चर्चा के लिये।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) :

24. जैतारण अस्पताल में बैड्स (Beds) की संख्या बढ़ाकर उसे रेफरल हॉस्पिटल में बदलवाने और गरीबों को मुफ्त दवाइयां वितरण कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

25. श्री कल्याण अस्पाल, सीकर में व्याप्त अव्यवस्था एवं मातृ सदन की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),

श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग) :

26. पीपल्दा क्षेत्र के विभिन्न चिकित्सालयों को पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने तथा बैड्स की संख्या में वृद्धि करने हेतु चर्चा के लिये।

27. पीपल्दा क्षेत्र में पर्याप्त चिकित्सालय खोलने तथा रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां),

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

28. कोटा के अस्पतालों में जनसंख्या के अनुपात में बैड्स की कमी से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां),

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद),

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

29. सरकार द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के प्रति उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

30. वैद्यों का वेतन एलोपैथिक डॉक्टरों के समान करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद),

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

31. राज्य में आयुर्वेदिक औषधालयों को अत्यन्त अल्प मात्रा में दी जा रही औषधियों से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

32. चिकित्सा सेवाओं में आवश्यक सुधार पर चर्चा के लिये।

33. केशवरायपाटन, लाखेरी तथा कापरेन औषधालयों में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति न होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

34. बूंदी अस्पताल को बी श्रेणी के अस्पताल में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

35. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची):

36. प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र मारवाड़ जंक्शन (खारची) में महिला चिकित्सक की अविलम्ब नियुक्ति एवं निःशुल्क औषधि वितरण की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल):

37. ग्राम माण्डल में प्रसूति गृह खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम):

38. राज्य के अस्पतालों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़):

39. चिकित्सा की एलोपैथी एवं आयुर्वेदिक अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर),

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार):

40. चिकित्सालयों में उचित स्टाफ की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर):

41. प्रत्येक डिस्पेन्सरी में दान पेटी उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

42. उदयपुर चिकित्सालय अधिकारी द्वारा समय पर दवाइयां एवं सामान चिकित्सालयों में पहुंचाने में असमर्थ रहने के कारण हजारों रुपये की दवाइयां टाइम बार्ड हो गई है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद):

43. धुलेट व बूढ़ादीत में शीघ्र एलोपैथिक अस्पतालों की स्वीकृति दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

44. अनेक स्थानों पर ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक के पद समाप्त कर देने से थोड़ी बहुत भी चिकित्सा सहायता मिलना बन्द हो गया है उन स्थानों पर तुरन्त वैकल्पिक व्यवस्था करने बाबत चर्चा के लिये।

45. बढ़ती हुई आबादी को दृष्टिगत रखते हुए कोटा नगर के एम. बी. एस. हॉस्पिटल का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. आयुर्वेदिक वैद्यों का वेतनमान डॉक्टरों के समकक्ष करने बाबत चर्चा के लिये।

47. राजकीय आयुर्वेदिक अस्पतालों में औषधियां वितरित करने का नया क्राइटेरिया निर्धारित करने हेतु चर्चा के लिये।

48. राज्य के अनेक यूनानी चिकित्सालयों में हकीम नहीं हैं, अतः शीघ्र व्यवस्था करने बाबत चर्चा के लिये।

49. राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में औषधियां उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

50. खाद्य वस्तुओं में मिलावट को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

51. विभाग द्वारा अनेक बोगस कंपनियों की नकली दवायें खरीदकर राज्य भर के अस्पतालों में भेजने बावत चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

52. एस. एम. एस. अस्पताल में समस्त जांच लेबोरेट्रीज की सुविधा एक ही स्थान पर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. राजकीय जनरल चिकित्सालय, नसीराबाद के विस्तार हेतु और अधिक धन-राशि आंवटित कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) :

54. झुन्झुनू जिले में एलोपैथिक चिकित्सालयों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़) :

55. आयुर्वेदिक पद्धति के विकास हेतु वैद्यों के वेतनमान एलोपैथिक डॉक्टरों के बराबर कर प्रोत्साहन देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर):

56. नागौर जिले की परबतसर तहसील के गांव गच्छीपुरा निवासियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

57. मकराना नगर में मजदूरों की औद्योगिक बस्ती में एक और नया अस्पताल खोलकर मकराने की खानों में होने वाली दुर्घटनाओं से मजदूरों का तुरन्त इलाज कराने बावत चर्चा के लिये।

58. परबतसर नगर में रेफरल हॉस्पिटल को कम धन राशि आवण्टित करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

(1) श्री चुन्नीलाल (खन्डार)

(2) श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग):

59. खण्डार एवं चौथ का बरवाड़े में राजकीय अस्पताल में दवाइयों एवं पट्टियों के अभाव तथा डॉक्टरों की लापरवाही से जनता को होने वाली परेशानी के संबंध में चर्चा के लिये।।

60. ग्राम डेकवा, डिडायक में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

61. लम्बे अर्से से सिकराय क्षेत्र के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

62. ग्रामीण इलाकों में दवाखानों में डॉक्टरों की कमी व दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री लच्छूराम (मण्डावा):

63. अलसीसर पंचायत समिति क्षेत्र में चिकित्सालय व प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने में भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) :

64. ग्राम खोजान, धनकोली, खाखोली, भाचवा सानिया राधा, खुड़ी में ऐलोपैथिक अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक):

65. सहादत अस्पताल टोंक में शैयाओं की संख्या बढ़ाये जाने, एक्स-रे प्लान्ट एवं जनरेटर की व्यवस्था कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

66. टोंक में आयुर्वेद चिकित्सालय को "ए" श्रेणी में क्रमोन्नत करने एवं निवाई में "ए" श्रेणी का आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

67. निवाई अस्पताल को 50 शैयाओं वाले अस्पताल में क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) :

68. सूरसागर क्षेत्र में चिकित्सा और सफाई सुविधा के अभाव को दूर करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) :

69. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिये अधिक औषधालय, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र तथा एडपोस्ट खुलवाने पर चर्चा के लिये।

70. अनुभवी एवं कुशल डॉक्टरों तथा कम्पाउण्डरों का लाभ ग्रामीणों को दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माना लाल (राजसमंद) :

71. राजसमन्द के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल हॉस्पिटल में क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर):

72. सरकार बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) :

73. सिरोही जिले के अस्पतालों की दुर्दशा एवं उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) :

74. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में चिकित्सा अधिकारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार को रोकने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

75. कुशलगढ़ क्षेत्र के अस्पतालों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

76. कुशलगढ़ क्षेत्र के अस्पतालों में स्टाफ की कमी से होने वाली असुविधा के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा):

77. अस्पतालों में अव्यवस्था एवं रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) :

78. एलोपैथिक चिकित्सा व्यवस्था का लाभ सामान्य नागरिक को उपलब्ध कराने

(श्री हरिसिंह)
हेतु प्रत्येक गांव में एक चिकित्सालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली):

79. करौली निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में एक-एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर):

80. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालयों में चिकित्सकों की भयंकर कमी पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़):

81. प्रतापगढ़ सार्वजनिक चिकित्सालय में शैयाओं को बढ़ाने एवं दवाइयों की समुचित व्यवस्था कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन):

82. झालावाड़ राजकीय चिकित्सालय को 'बी' श्रेणी में क्रमोन्नत कराने तथा क्षेत्र की विभिन्न चिकित्सालयों में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़):

83. राजगढ़ में रेफरल हॉस्पिटल की आवश्यकता के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा):

84. पंचायत समिति नैनवा, जिला बूंदी के ग्राम सहन में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के बारे में चर्चा के लिये।

85. पंचायत समिति, नैनवा जिला बूंदी की पंचायत देई में रेफरल अस्पताल खोलने के बारे में चर्चा के लिये।

86. राजकीय चिकित्सालय नैनवा, जिला बूंदी में बीस रोगी शैयायें स्वीकृत कर उचित व्यवस्था कराने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़):

87. ग्राम दांता में चिकित्सा सुविधा प्रदान कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल):

88. जयपुर की ब्रह्मपुरी की बढ़ती हुई आबादी को दृष्टिगत रखते हुए वहां एक एलोपैथिक चिकित्सालय शीघ्र खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

89. मेयो डिस्पेन्सरी एवं मोतीकटला डिस्पेन्सरी में दन्त चिकित्सा हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने एवं उन डिस्पेन्सरियों में एक-एक डेण्टिस्ट की तत्काल नियुक्ति की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

90. पुरानी बस्ती, जयपुर में होमियोपैथिक डिस्पेन्सरी खुलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोलब):

91. किशनपोल निर्वाचन क्षेत्र में होमियोपैथिक डिस्पेन्सरियों के अभाव पर एवं विद्यमान होमियोपैथिक डिस्पेन्सिरियों में आवश्यक दवाइयों के अभाव पर चर्चा के किये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना):

92. मिलावटी दवाइयों तथा खाद्य पदार्थों

(श्री मोहनलाल मोदी)
में मिलावट की रोकथाम नहीं होने पर चर्चा के लिये।

93. नीम का थाना अस्पताल के विस्तार करने एवं नीम का थाना क्षेत्र में नये अस्पताल चालू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. नीम का थाना क्षेत्र के प्रत्येक गांव में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास डोसा (चौहटन) :

95. जिला बाड़मेर में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार एवं बजट प्रावधान कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :

96. राजस्थान में नर्सिंग कौंसिल का पुनर्गठन करने तथा उसमें रजिस्ट्रार की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

97. राजस्थान में नर्सिंग स्टाफ की पदोन्नति में मेल-फीमेल का भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये।

98. राजस्थान में नर्सिंग स्टाफ की पोस्टों के अनुसार पोस्टिंग नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) :

99. अस्पतालों में बिगड़ती हुई व्यवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) :

100. पोकरण व जैसलमेर के अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ व टैक्निशियनों की कमी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

101. आमेर निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों व चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

102. आबादी के अनुपात में चिकित्सालयों के विस्तार की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

103. गांवों में अधिक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

104. ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सालयों की कमी पर चर्चा के लिये।

105. ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों में चिकित्सा हेतु पर्याप्त औषधियों के न होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री भैरुलाल (मनोहर थाना) :

106. मनोहर थाना विधान सभाई क्षेत्र में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों की आवश्यकताओं पर चर्चा के लिये।

107. जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत कस्बा अकलेरा के "सी" श्रेणी चिकित्सालय को "बी" श्रेणी में क्रमोन्नत कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

108. सब डिवीजनल हैडक्वार्टर के कस्बों के चिकित्सालयों को "बी" श्रेणी में क्रमोन्नत किये जाने की योजना की क्रियान्विति हेतु चर्चा के लिए।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

109. आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाओं की उचित मात्रा में व्यवस्था किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रेवतराम (डूंगरगढ़):

110. प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है किन्तु वहां की जनता की चिकित्सा के क्षेत्र में कोई व्यापक कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री देवव्रत तिवाड़ी (बाड़मेर)):

111. बाड़मेर जिले में चिकित्सालयों के अभाव से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) :

112. सूरतगढ़ क्षेत्र में ग्रामीण लोगों की चिकित्सा के लिये विशेष व्यवस्था करने में सरकार की घोर उपेक्षा के बारे में चर्चा के लिये।

श्री गोविंद आमलिया (नौरासी):

113. जिला डूंगरपुर में चिकित्सालयों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्रकुमार (आसपुर) :

114. जिला डूंगरपुर में ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) :

115. अस्पतालों एवं औषधालयों की अव्यवस्था एवं पर्याप्त स्टाफ के अभाव एवं नये चिकित्सालयों में वृद्धि हेतु चर्चा के लिये

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़):

116. ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 5 मील की परिधि में चिकित्सा सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं है वहां उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामधन (लाडनूं) :

117. लाडनूं निर्वाचन क्षेत्र में चिकित्सालयों के अभाव में चर्चा के लिये।

श्री लच्छूराम (मण्डावा) :

118. श्री ब्रजमोहन सर्राफ मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, मण्डावा (झुंझुनूं) में महिला डॉक्टर के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) :

119. डॉक्टरों एवं कम्पाउण्डरों तथा नर्सों के तबादलों से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली) :

120. चिकित्सालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं डॉक्टरों और नर्सों की मरीजों के प्रति बरती जाने वाली लापरवाही के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) :

121. चिकित्सा प्रणाली में सुधार व नये अस्पताल खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

(1) श्री रघुनाथसिंह (नदबई),

(2) श्री लछूराम (मण्डावा):

122. राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से लागू करने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

123. बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधाओं की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री शीशराम ओला (झुंझुनूं):

124. झुन्झुनू जिले में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (फुलेरा):

125. राजस्थान नर्सिंग कॉलेज में बी. एस.सी. नर्सिंग में सन् 1979 में लड़कों को प्रवेश न देने के बाबत चर्चा के लिये।

श्री कलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व):

126. अजमेर नगर की नगरा बस्ती में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर):

127. राज्य में विशेष चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

128. राज्य में चिकित्सा संबंधी जांच पड़ताल के लिये लेबोरेट्री एवं डायग्नोस्टिक सेवाओं के विस्तार एवं सुधार हेतु चर्चा के लिये।

129. राज्य में मेडिकल शिक्षा की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. गांवों में आवश्यक चिकित्सा सेवाएं सुचारू रूप से उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

131. राज्य के विभिन्न अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर):

132. बढ़ती हुयी आबादी के हिसाब से नये अस्पताल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

133. अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल):

134. राज्य कर्मचारियों को होमियोपैथिक औषधियों का पुनर्भरण नहीं किये जाने से उनमें व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली):

135. होमियोपैथिक दवाओं का सरकारी कर्मचारियों को पुनर्भरण कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी):

136. बूंदी शहर के अस्पताल को 'बी' श्रेणी का अस्पताल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा (पुष्कर) :

137. एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी चिकित्सा पद्धतियों में समन्वय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. राजकीय चिकित्सालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

139. आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में सुधार एवं शोध कार्य पर बल देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. भ्रमणशील चिकित्सालयों की समुचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये।

143. राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों के अनुपात में दवा व शैयाओं के अभाव पर चर्चा के लिये।

144. राजस्थान में मरीजों के अनुपात में डॉक्टरों की कम संख्या होने के कारण उचित चिकित्सा व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

145. बरसलपुर तहसील कोलायत के होमियोपैथी औषधालय में डॉक्टर के डेढ़ वर्ष से अनुपस्थित रहने पर शिकायत के उपरान्त भी तनख्वाह उठाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

146. भलूरी, विजेरी सुरजड़ा, आर.डी. 860 चारणवाला खारी चारणान, हाडला भाटियान टोकला, मेघासर, श्रीरामसर, घड़सीसर, अम्बासर, किलचू में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

147. (पी. एच. सी.) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सांप के काटे व अन्य जरूरी दवायें उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

148. पी. बी. एम. अस्पताल में एम्बूलेंस एवं पूछताछ के लिये अलग अलग टेलीफोन की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

149. पी. बी. एम. एवं अन्य चिकित्सालयों में इन्डोर मरीजों को उपलब्ध कराये जाने वाली खाद्य सामग्री की क्वालिटी में सुधार कराने हेतु चर्चा के लिये।

150. पी. बी. एम. अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार व अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

151. आयुर्वेद औषधालयों में दवाइयां पूर्ण मात्रा में उपलब्ध न होने से चर्चा के लिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) :

152. एस. एम. एस. मेडिकल कॉलेज के बायोकेमस्ट्री, पैथोलोजी विभाग की सेवायें चौबीसों घण्टे उपलब्ध कराने के विषय में चर्चा के लिये।

153. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

154. स्कूल हैल्थ प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राशि आवंटित नहीं कराने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

155. क्षय रोग उपचार हेतु अधिक राशि आवंटित करने के विषय में चर्चा के लिये।

156. महाराव भीमसिंह अस्पताल कोटा में प्रत्येक रोग के लिये जूनियर एवं सीनियर स्पेशलिस्टों की नियुक्ति कराने के विषय में चर्चा के लिये।

157. प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में प्रसूति गृह की स्थापना के विषय में चर्चा के लिये।

158. परिवार कल्याण की शिक्षा स्कूल एवं विश्वविद्यालय स्तर पर चालू कराने के लिये विभाग द्वारा व्यापक योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. जनहित में और राष्ट्रहित में परिवार कल्याण को और व्यापक बनाने हेतु चर्चा के लिये।

160. अस्पतालों में सफाई कर्मचारियों की संख्या में कमी से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

161. ग्रामीण क्षेत्र में राज्य की ओर से सर्जिकल कैम्प आयोजित कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): सभापति महोदय, चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में मैंने मेरे कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय को मेरे सुझाव देना चाहूंगा।

चिकित्सा और स्वास्थ्य मानव जीवन के अन्दर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जिस देश की जनता गरीब होगी, लोगों का जीवन स्तर नीचा होगा, खाने की भरपूर चीजें उपलब्ध नहीं होंगी तो उसके लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचे होगा, लोग गरीबी के कारण कमजोर होंगे। नाना प्रकार की बीमारियां गरीबी के कारण घर कर जाती हैं। हिन्दुस्तान भी एक गरीब मुल्क है। यहां पर भी बीसियों तरह की बीमारियां गांव के लोगों में और विशेष कर पिछड़ी जाति के लोगों में फैली हुई हैं। गांवों और शहरों के अन्दर जो कन्जस्टिड इलाकों में रहते हैं उनमें से 99 पर्सेंट लोगों को बीमारी घेरे रहती है। आज से कई वर्ष पहले हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने माता की बीमारी के ऊपर पूरा कन्ट्रोल किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन अधिकारियों को जिन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि इस समय में की। माता की बीमारी के ऊपर कन्ट्रोल पाना बहुत बड़ी उपलब्धि स्वास्थ्य अधिकारियों की थी। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, आजकल जो बीमारी अमूमन गांवों और शहरों में पाई जाती है उस सारी बीमारी की जड़ मच्छर है, जो अपने देश के अन्दर बहुत ज्यादा मात्रा में गांव के अन्दर घर-घर में पाये जाते हैं। करीब 60-70 पर्सेंट बीमारी मच्छर के

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

कारण होती है। आज करोड़ों रुपयों का बजट चिकित्सा पर खर्च करते हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप मलेरिया के ऊपर कन्ट्रोल कर लेते हैं तो आपको जो करोड़ों रुपयों का घाटा होता है या ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, मैं समझता हूं कि 50 पर्सेंट पूरे बजट का आप मलेरिया उन्मूलन में लगाते हैं, उसका फायदा नहीं होता है। जो दवाईयां छिड़कते हैं उससे कोई मच्छर मरते नहीं हैं। जो गांव के अन्दर मच्छर मारने जाते हैं, वह लोग दवाइयां बेच देते हैं और जो घोलकर बनाते हैं उससे कोई फायदा नहीं होता है। वह बीमारी वैसी की वैसी रह जाती है। मच्छर के कारण इस बीमारी पर 50 पर्सेंट खर्च होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप मच्छर पर पूरा कन्ट्रोल करें। आप जब तक कन्ट्रोल नहीं कर पायेंगे तब तक बीमारी, जो मच्छर के कारण पैदा होती है, ठीक नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा कि जो डॉक्टर्स हैं अच्छे अच्छे किस्म के डॉक्टर्स हैं, वह हमेशा बड़े शहरों के अन्दर रहते हैं। मैं यह नहीं चाहता वह बड़े शहरों के अन्दर न रहें। उन्हें सब तरह की सुविधाएं होती हैं। जो बड़े बड़े शहरों में हों और गांव में जाने के लिए तैयार न हों तो उनको सजा के रूप में आप भेजते हो। इससे बहुत नुकसान होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 5 साल में जो आदमी डॉक्टरी पास करके निकले उसे अच्छे अच्छे डॉक्टरों के साथ काम करना चाहिए। 5 साल के बाद जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जिनकी उपयोगिता समझते हैं उनको गांवों में रखना चाहिए और उनको स्पेशल भत्ता दिया जाना चाहिए ताकि उनका वहां अट्रेक्शन हो। उनको रहने के लिए सुविधायें हों। ऐसी जगहों पर उन्हें ज्यादा भत्ता मिलना चाहिए ताकि उनको अट्रेक्शन हो। अच्छे डॉक्टरों को सजा के रूप में नहीं भेजें। बड़े शहरों में अस्पतालों में भीड़ होती है, उस भीड़ को कम करने के लिए अच्छे-अच्छे डॉक्टर गांवों में भेजने चाहिए। आज शहर के अस्पतालों में भीड़ होती है जिससे पूरा इलाज होता नहीं है। बजट आपका ज्यादा होता नहीं है, उससे पार पड़ती नहीं है। इसलिए आपको गांवों के अन्दर अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की व्यवस्था करनी चाहिए। गांव में अच्छे डॉक्टर्स भेजें ताकि सुचारू रूप से गांव के लोगों का इलाज हो सके।

माननीय मंत्री महोदय, मैं यह भी चाहूंगा कि जो आपके डॉक्टर हैं वह महंगी दवाइयां लिखते हैं जो गरीब आदमी नहीं खरीद सकता. 1—2 रुपये की दवा की जगह वह कम से कम 50-60 रुपये की दवा लिखते हैं। गरीब आदमी इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, पूरा इलाज नहीं करा सकते हैं। जो अच्छी दवायें होतीं हैं, जो अच्छी कम्पनियों की दवाइयां होती हैं, उनको लिखते नहीं हैं और जिसमें ज्यादा कमीशन डॉक्टर का होता है वह लिख देते हैं। उसमें 25% तक उनको कमीशन मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि दो महीने के अन्दर आपकी या किसी और की डॉक्टरों की मीटिंग होनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जो मरीज हैं उनको अच्छी दवायें दी जायें। अगर एक बार आप अपने लेबल

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

पर जांच करते हैं तो दूसरे डॉक्टरों पर असर पड़ता है। यह आवश्यक है कि जो गड़बड़ी की दवाइयां देते हैं उनको प्रोत्साहन नहीं मिले और असली दवाइयां, गरीब आदमियों के काम आने वाली दवाइयां मिलें अच्छी दवाइयों का उपयोग होना चाहिए। डॉक्टरों के दवाइयां बेचने वालों से सम्बन्ध होते हैं। जो आदमी दवाइयां बेचते हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनका लाइसेन्स रद्द करना चाहिए। डॉक्टर को सक्षम करना चाहिए जिससे अस्पताल के अन्दर डॉक्टर्स जो दवाई विक्रेता के लिए लिख देते हैं, जो वास्तव में ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, उनकी उपयोगिता अगर आप समझते हैं, वरना मैंने देखा है कि 20 तरह की रिपोर्ट करेंगे लेकिन दवाई विक्रेता के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मेरा निवेदन है कि जो बेईमान विक्रेता हैं, उनके ऊपर अंकुश लगायें। डॉक्टरों पर कन्ट्रोल होना चाहिए ताकि वो बेईमानी कम से कम करें।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय से सभापति महोदय आपकी मार्फत कि गांवों के लिये आप जो बजट देते हैं वह बहुत कम होता है। गांव के अन्दर जो दवाई विक्रेता उपलब्ध होते नहीं हैं। इसलिए जहां पर छोटे-छोटे गांव हैं उनका बजट ज्यादा रखना चाहिए। ज्यादा रखेंगे तो वहां की स्थिति ठीक होगी। वहां पर बजट प्रावधान ज्यादा रखना चाहिए क्योंकि वहां दवाई विक्रेता होते नहीं हैं। उनको 5 रुपये की दवाई लेने के लिए शहर में जाना पड़े तो यह बात उचित नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप गांवों में बजट अधिक दें ताकि दवाइयां आराम से मिल सकें।

मेरा एक और निवेदन है। वह यह कि जो डॉक्टर दवाइयां देते हैं वह दवाइयां काम में आने वाली होती नहीं हैं। हॉस्पिटल के अन्दर होती है या जो दवाइयां खरीदने वाले अधिकारी हैं, मुझे यह मालूम पड़ा है कि आम आदमी के, गरीब आदमी के काम की दवाइयां नहीं होती हैं। वह दवाइयां देते नहीं हैं। वह वास्तव में गरीब आदमी के काम आने वाली दवाई नहीं देते हैं वह दवाई इसलिए देते हैं क्योंकि उनको कमीशन मिलता है। लाखों-करोड़ों रुपये का बजट देशी दवाइयों पर खर्च किया जाता है लेकिन आम आदमी को, गरीब आदमी को राहत मिलती नहीं है। जो काम की होती हैं या ताकत के कैपसूल होते हैं वह आम आदमी को नहीं मिलते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आम आदमी, गरीब आदमी के या जो पिछड़े वर्ग के हैं उनके लिये ज्यादा से ज्यादा दवाइयां खरीदने के लिए पैसा देना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांव के अन्दर जो हॉस्पिटल हैं, वह मौजूदा स्थिति और हालात को देखते हुए बहुत कम हैं। चार-चार, पांच-पांच मील पर औषधालय हैं। यदि एक गरीब आदमी को बीसवीं शताब्दी में 50 मील चलकर इलाज कराने के लिए जाना पड़े तो यह ठीक नहीं है। इसलिए एक्स-रे मशीन है, रेफ्रीजरेटर है, कुत्ते काटने के इलाज के इन्जेक्शन हैं इस तरह की जो दवा हैं, यह हर अस्पताल में उपलब्ध होनी

(श्री रामसिंह विश्नोई)

चाहिए। गांवों में अच्छे डॉक्टरों की सेवायें उपलब्ध करायें। एक गांव वाले को बार-बार शहर में जाना पड़ता है। उसको कम करके गांवों में सब तरह की सुविधायें हो जाती हैं तो शहरों में भीड़ कम होगी। इससे आम आदमी को हर जगह इलाज कराने की सहूलियत मिलेगी। इन्हीं विचारों को रखते हुए निवेदन करता हूं कि जो सजेशन मैंने दिए हैं आप इनका सही जवाब दें।

श्री सभापति: श्री चन्द्रवीर सिंह। श्री दाऊ दयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दोगोद): सभापति जी, मैं अपनी बात कहूं उससे पहले माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि बहुत दिनों से धात्री एवं उप-वैद्यों का आंदोलन जयपुर में चल रहा था और एक व्यक्ति ने मांगें न मानने पर आत्मदाह की भी घोषणा की थी, उन सारे लोगों की न्यायोचित मांगों को मानकर राज्य सरकार ने बहुत अच्छा उदाहरण उपस्थित किया है। चिकित्सा मंत्री इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही दो मांगें फिर आपकी सेवामें उपस्थित हुई हैं। एक तो रेजीडेंट डॉक्टर्स आपसे मिलने आए हैं, आपने उनको समय दिया उसके बाद तारीखें दीं, एक बार तारीख दी, दुबारा फिर तारीख दी, तिबारा फिर तारीख दी। तीन बार तारीख देने के बाद उनको संतुष्ट नहीं करने के कारण आज वे आंदोलन की राह पर अग्रसर हैं। जयपुर में आंदोलन चल रहा है। आज घोषणा की है कि जयपुर में ही नहीं, चारों मेडिकल कॉलेजों में आंदोलन की शुरुआत हो जायगी। मैं जानता हूं, रेजीडेंट डॉक्टर जिस प्रकार सेवा करते हैं, वह महत्वपूर्ण सेवायें हैं। मेरा स्वास्थ्य मंत्री से पुरजोर आग्रह है, निवेदन है कि वह रेजीडेंट डॉक्टरों को भी बुलाकर शीघ्रातिशीघ्र इस गुत्थी को, जिसमें कि मेडिकल कॉलेजों के स्टूडेंट्स भी सम्मिलित हो सकते हैं, शीघ्र ही सुलझाने की कोशिश करें। इसी प्रकार एक बात कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने आई है आयुर्वेद चिकित्सकों की। अनेक साल से यह मांग चल रही है कि समान काम के लिए समान वेतन हो। यह दुर्भाग्य है कि राजस्थान में सन् 1973 से लगातार इस बात की घोषणा करते आए हैं कि वैद्यों को डॉक्टरों के बराबर वेतनमान देंगे लेकिन हम उनके वेतनमानों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तवज्जोह नहीं दे रहे हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब समान काम है, समान योग्यता है एलोपैथिक चिकित्सा के मुकाबले में अधिक साल तक आयुर्वेद के वैद्य अध्ययन करके अधिक योग्यता प्राप्त करके निकलते हैं, तब उनके वेतनमान में असमानता क्यों? यह दुखद बात है। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार धात्री उप-वैद्यों की बातें मानकर स्वास्थ्य मंत्री ने यश अर्जित किया है, मैं स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह स्वयं आयुर्वेद प्रेमी हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के हामी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज की तारीख में आयुर्वेद चिकित्सकों के वेतनमान हिंदुस्तान के अन्य कोनों में जो किए गए हैं, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, केरल में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, इन सब जगह एलोपैथिक चिकित्सकों के बराबर उनको मिल रहे हैं तो जैसे राज्य सरकार ने यह यश लूटा है कि हिंदुस्तान में अगर कोई मंत्री

(श्री दाऊ दयाल जोशी)

अलग से आयुर्वेद का है, तो मेरे राजस्थान में है, यहां पर आयुर्वेद के लिए अलग से, पोर्टफोलियो है, अलग विभाग है. वैसे ही मैं आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक वैद्यों का वेतनमान समान करना चाहिए।

वेतनमानों की दलील के साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एलोपैथिक डॉक्टरी के अध्ययन के लिए कोई जाता है तो उसकी योग्यता प्रथम वर्ष टी. डी. सी. होती है, वेटरनरी डॉक्टर के लिए हायर सैकण्डरी और आयुर्वेद के लिए हायर सैकण्डरी है। अध्ययन का समय डॉक्टर के लिए 4 वर्ष 6 मास, वेटरनरी डॉक्टर के लिए केवल 4 वर्ष और वैद्य के लिए 6 वर्ष 6 मास का है। यानी 2 साल अधिक समय तक आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ने के बाद इनके वेतन में असमानता है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि एलोपैथी के डॉक्टर, जो टी. डी. सी. करके 4 साल 6 मास पढ़ाई करते हैं, को वेतनमान मिलेगा 750–1350, वेटरनरी डॉक्टर को मिलेगा 650–1270 और वैद्य को मिलेगा 470–830। यह बिलकुल असमानता है, बिलकुल अन्याय है, किसी भी भूमि पर जमने वाली बात नहीं है। हायर सैकन्डरी के बाद 4 साल का अध्ययन करने के बाद जानवरों का डॉक्टर बनकर निकलता है तो उसको वेतन 650 प्रारंभ में मिलता है लेकिन आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं बल्कि जीवन की एक विधि है कि किस प्रकार से जिंदा रहा जाए। केवल आयुर्वेद ही है जो हिंदुस्तान को जिंदा रख सकता है, एलोपैथी नहीं। एलोपैथी केवल चिकित्सा है, आयुर्वेद चिकित्सा के साथ जिंदगी देने की प्रक्रिया है। मेरे आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से रात्रि चर्या, दिनचर्या को बताया है। विश्व में आयुर्वेद ने घोषणा की थी जिसको आज भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता:

ग्रीष्म संची यते वायु, प्रावृड काले प्रकुप्याति।

गर्मी में वायु का संचय होता है, प्रावीड़ काल में कुपित होता है, वर्षा। यह जो प्रक्रिया बताई है कि श्लेष्मा का संचय होगा हेमन्त ऋतु में और वसन्त ऋतु में उसका कोप होगा। वर्षा के अन्दर पित्त का कोप होगा और शरद ऋतु में बीमारी पड़ेगी। मेरा निवेदन है कि जो जिंदगी जीने की कला है, उसकी तरफ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान दें, वह स्वयं एलोपैथी के हामी नहीं हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी दीवालियां गुजारने के बाद आज तक एलोपैथी दवाओं का सेवन नहीं किया, एलोपैथिक दवा हाथ में नहीं ली, ऐसे कठोर आयुर्वेद प्रेमी स्वास्थ्य मंत्री से अपेक्षा करूंगा कि वह आज की तारीख में निश्चित रूप से यह घोषणा करें कि आयुर्वेद वैद्यों का वेतन स्तर पशु चिकित्सकों के वेतनमान के बराबर नहीं बल्कि डॉक्टर के बराबर होगा। अगर राज्य सरकार के पास कोष की कमी है तो जो पशु चिकित्सक को वेतनमान मिलता है 650 वाला कम से कम वह देने की घोषणा करें। आज की तारीख में जब स्वास्थ्य मंत्री रिप्लाई दें, डिमांड के पारण के लिए खड़े होकर करें तो मैं अपेक्षा करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री निश्चित तौर से इस बात की घोषणा करेंगे।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

मेरा निवेदन है कि केवल मेरी आयुर्वेद चिकित्सा है, जो वास्तव में सही रूप में इस देश में प्रभावी है, असरदार है। मैंने देखा है इस किताब में जो आपने वितरित की है, इसमें बताया है कि मेरे देश में आज भी 75 प्रतिशत व्यक्ति आयुर्वेद चिकित्सा पर, प्राकृतिक चिकित्सा पर जिंदा हैं। 75 प्रतिशत चिकित्सा प्राप्त करने वालों के लिए आपने बजट का 25 प्रतिशत भाग रखा है, और 75 प्रतिशत खर्चा शहर में रहने वाले 25 प्रतिशत लोगों के लिये किया जाएगा। यह बजट की असमानता है, यह असमानता जो हो गई है भगवान करे···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं आयुर्वेद का अन्न खाता हूं, जितना अधिक सम्भव हो सके, मुझे निश्चित रूप से समय देने की कृपा करें।

श्री सभापति: मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं।

श्री दाऊ दयाल जोशी: स्वास्थ्य मंत्री अगली बार जब बजट बनायें तो निश्चित रूप से इस असमानता को दूर करें 75 प्रतिशत रुपया केवल आयुर्वेद के लिए और 25 प्रतिशत रुपया एलोपैथी के लिए, इस बजट में रखें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अगर इस बजट में करने का साहस नहीं हो तो अगली बार निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रखने की कृपा करें।

सभापति महोदय, मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आज से करीब तीन दिन पहले मैं श्री हीरालालजी देवपुरा के पास बैठा था और वहीं पर उनके पास में डॉक्टर हरिसिंहजी बैठे थे तो उस वक्त एक प्रसंग के दौरान डॉक्टर हरिसिंहजी ने यह कहा कि आज कल आयुर्वेद वाले एलोपैथी की दवायें लेते हैं क्योंकि आयुर्वेद की दवायें कम काम करती हैं। मैंने उनको कहा कि आप देखना चाहते हो तो मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि जयपुर में जो एस.एम.एस. हॉस्पिटल हैं और एम. बी. एस. हॉस्पिटल, कोटा में है जहां कि अगर पांच सौ बैड्स मरीजों के लिए हैं उसमें से 25 बैड आप हमारे आयुर्वेद वाले वैद्यों को दिला दें और आयुर्वेद के वैद्यों को वहां पर चिकित्सा करने के लिए बैठने दें तो आपको थोड़े ही समय में पता चल जायेगा कि आयुर्वेद वाले वैद्यों से कितने लोग ज्यादा अच्छे होते हैं आपके एलोपैथी वाले डॉक्टरों के अनुपात में।

सभापति महोदय, मैं इसके बाद में यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में औषधि निरीक्षक कुल 29 हैं जिनमें से 26 एलोपैथी दवाओं के निरीक्षक हैं और तीन आयुर्वेद दवाओं के निरीक्षक हैं। आज जगह जगह पर नकली दवायें मिल रही हैं। मेरा निवेदन है कि आप जरा इनको कहिये और इन्हें प्रभावी ढंग से काम करने को कहें वरना आज आयुर्वेद की दवाओं में, दवाओं को तो आप छोड़िये, मैं सोना-चांदी से बनने वाली दवाओं का नहीं कहता, मैं केसर कस्तूरी से जो दवायें बनती हैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, पर एक बहुत बढ़िया चूर्ण सीतोपलादी है जो कि पांच दवाओं से बनता है।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

सीतोफल चुगाक्षीरी पीपली व मशला तवक: इसमें पांच चीजें होती हैं, मिश्री वह भी नकली मिल रही है, दालचीनी व इलायची व गोंद, सभी के सभी नकली उसमें डाले जा रहे हैं, तो जब दवायें ही नकली होंगी तो वह असर कैसे करेंगी। मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि इस ओर राज्य सरकार को चाहिये कि विशेष रूप से कदम उठाकर इन नकली दवाओं को रोकें। इसमें जो दोषी लोग हैं उनको सजा दी जानी चाहिये। इतना ही नहीं, दूसरा जो हमारे पेट के लिये अच्छा चूर्ण है हींगाष्टक उसमें आठ प्रकार की दवायें होती हैं उनमें भी पांच नकली हैं। सभापति महोदय हिंगाष्टक त्रिगटु अजमोद लवणम, जिरजके द्वे समधारण घृतांनाम अष्टमो हींगू भागद:। सभापति महोदय, इसमें क्या है! यह सिर्फ आठ चीजें हैं जिसमें सौंफ, मिर्च, पीपर, अजमोद, सैन्धा नमक दोनों जीरे और हींग है। सभापति महोदय, इसमें केवल अजमोद को छोड़कर सभी नकली हैं। मेरा निवेदन यह है कि आपने जो तीन औषधि निरीक्षक रखे हैं यह तीन पूरे राजस्थान की किस प्रकार से पूरी देख-रेख कर सकते हैं। इसके अलावा वह कुछ काम भी नहीं करते हैं और मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं। मेरा निवेदन है कि आपको इन्हें भी चैक करना चाहिये ताकि जो नकली दवायें मिल रही हैं उन्हें वह अच्छी तरह से चैक करें। आपको उन्हें कसने की जरूरत है। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस ओर जरूर कार्यवाही करें।

सभापति महोदय, अब थोड़ा मैं मलेरिया के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा आजकल मलेरिया बहुत अधिक महामारी की तरह फैल रहा है। सभापति महोदय, इस मलेरिया के लिये एक दवाई काम आती है क्लोरोक्वीन। इस क्लोरोक्वीन के इंजेक्शन होते हैं उसकी वजह से मलेरिया का बुखार उतर जाता है आज अकेले जयपुर में सात कम्पनियां है जो कि इस दवा को बना रही हैं। सभापति महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि यह सभी नकली हैं। मैं दो रुपये का इन्जेक्शन का पैकेट लेकर आया हूं। इसमें दस इन्जेक्शन हैं। इसके अलावा मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि क्लोरोक्वीन के इन्जेक्शन बनाने वाली एक दूसरी कम्पनी है जो कि सवा रुपये में एक एम्प्यूल देती है। सभापति महोदय, कहां सवा रुपये में एक क्लोरोक्वीन की एम्प्यूल और कहां दो रुपये में दस इन्जेक्शन्स। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो भी रिएक्शन होते हैं वह सभी इन नकली दवाओं से होते हैं और नकली दवाओं से लोग मरते हैं। जयपुर में, कोटा में आपको इसके बारे में काफी चर्चा सुनने को मिली होगी। मेरा निवेदन है कि इस ओर राज्य सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये।

इसके अलावा मैं थोड़ा कैन्सर रोग के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज हमारे राजस्थान में विशेष कर कोटा, जो कि कल-कारखाने ज्यादा होने की वजह से एक औद्योगिक नगर है, में प्रदूषण होने की वजह से कैन्सर का रोग ज्यादा होता है। मैं आपसे निवेदन

(श्री दाऊदयाल जोशी)

करना चाहूंगा, मुझे कुछ समय पूर्व सूचना मिली कि टाटा अस्पताल में जितने रोगी गये हैं राजस्थान से उनमें कोटा और जयपुर के अधिक मरीज गये हैं। सभापति महोदय, यह भी कहा जाता है, न केवल प्रदूषण से ही कैंसर होता है बल्कि खाने-पीने की चीजों में रंग डाला जाता है। मैंगो शेक को ही ले लें, रंग डाला जाता है, कई मिठाइयों में रंग डाला जाता है उससे भी कैंसर हो जाता है। सभापति महोदय, जो प्रेस्क्राइब्ड रंग है उससे ही अगर कैंसर हो जाता है तो फिर मिलावटी रंग से तो ज्यादा होगा। मेरा यह निवेदन है कि अगर खाने-पीने की चीजों में रंग नहीं मिलाया जाय तो क्या नुकसान है। मान लें, अगर हम इमरती में रंग नहीं मिलायें तो क्या नुकसान है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर केवल रंग नहीं डालने से ही कैंसर होने का कम डर रहता है तो हमें ऐसा करना चाहिये। इसलिये, सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि खाने-पीने की चीजों में रंग डालने की अनुमति प्रदान नहीं करें।

सभापति महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं, वह है कुष्ठ रोग के बारे में।

श्री सभापति : अब आप कहें तो मैं कुछ निवेदन करूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा निवेदन करके समाप्त दूंगा। [illegible] दो तीन मिनट और हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि कोटा में विशेष रूप से सफेद कुष्ठ रोग बहुत फैल रहा है। उसका कारण यह है कि कोटा एक औद्योगिक नगर है। वहां पर कल-कारखानों की वजह से प्रदूषण होता है। उसके कारण यह कुष्ठ रोग बहुत फैल रहा है। मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि कोटा में एक सेपरेट अस्पताल कुष्ठ रोग निवारण हेतु खोला जाना चाहिये।

इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि राजस्थान में मानसिक रोग निवारण के लिये चार जगह पर अस्पताल है पर कोटा में नहीं है। मेरा निवेदन है कि कोटा में भी मानसिक रोग चिकित्सालय खोलने की कृपा करें।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में खास तौर से सुलतानपुर चिकित्सालय, जो कि 70 गांवों को कवर करता है, में महिला चिकित्सक लगाई जानी चाहिये।

सभापति महोदय, आजकल जो गर्भ समापन कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, राजस्थान में पिछले वर्ष इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 9791 गर्भ-समापन किये गये, अकेले जयपुर शहर में बहुत भारी संख्या में गर्भ-समापन हुए। सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में 205 प्राइवेट संस्थाओं द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भयंकर रूप से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भ्रष्टाचार हो रहा है तथा भयंकर रूप से करप्शन हुआ है। आप चाहें तो इसकी जांच करायें।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

आपको पता लग जायेगा। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये भी आप कोई क्राइटेरिया तो रखिये जिससे इसका लाभ हो। मेरा निवेदन है कि करप्शन जो हुआ है और हो रहा है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, उसको बन्द कीजिये।

सभापति महोदय, अब थोड़ा मैं आपको राज्य बीमा कर्मचारी योजना के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। इस योजना के अन्तर्गत जयपुर अस्पताल में 105 बैड हैं पर कोटा में बैड की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि कोटा एक औद्योगिक बस्ती है। वहां पर इस योजना के अन्तर्गत बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है मजदूरों के लिये, पर उनके लिये बैड्स की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से वहां के कर्मचारियों में भयंकर रूप से असन्तोष है। वहां मजदूर इसके लिये आन्दोलन करने जा रहे हैं। वह यह मांग करते हैं कि यहां बैड्स की व्यवस्था होनी चाहिये। मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है, वहां पर शीघ्रातिशीघ्र बैड्स की व्यवस्था की जानी चाहिये।

इसके अलावा मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि आज राजस्थान सरकार गांवों में आयुर्वेदिक अस्पताल खोल रही है। मेरा निवेदन है कि न केवल गांवों में ही बल्कि हर छोटे बड़े नगरपालिका क्षेत्र जहां हैं वहां पर आयुर्वेद के अस्पताल खोले जाने चाहिये।

बस इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय आयुर्वेद, जय भारत। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री माधवसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रतनाराम

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : श्रीमन्, मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसके माध्यम से मैं जो चर्चा करना चाहता हूं वह इस विषय की करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो चिकित्सा की सुविधायें उपलब्ध हैं वह अपर्याप्त हैं। अपर्याप्त ही नहीं बल्कि इतनी अपर्याप्त हैं कि कोई भी वैलफेयर सोसायटी या सरकार, जो अपने को वैलफेयर सरकार कहती है, को यह बात सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा कि वह चिकित्सा की सुविधाओं में काफी सुधार करे।

श्रीमन्, राजस्थान की जो आबादी है, 1979 के सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि करीब 3 करोड़ 25 लाख होगी। इस 3 करोड़ 25 लाख की आबादी के लिए इस बजट में जो प्रावधान रखा गया है वह है 44 करोड़ 62 लाख का। हम औसतन देखें कि राजस्थान सरकार एक व्यक्ति के ऊपर एक साल में कितना व्यय करती है चिकित्सा सुविधाओं के लिए, तो वह 1.50 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आकर पड़ता है। इस 1.50 रुपये में भी 1 रुपया तो जो इन सेवाओं में कर्मचारी लगे हुए हैं उनके वेतन पर व्यय हो जाता है।

इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान सरकार राजस्थान में एक वर्ष में एक व्यक्ति की चिकित्सा सुविधाओं के लिए

(श्री हरिसिंह)

केवल 50 पैसे ही खर्च करती है। यह बहुत कम धनराशि है। इससे किसी भी व्यक्ति को कितनी चिकित्सा सुविधा दी जा सकती है इसका अन्दाजा, श्रीमन्, आप स्वयं और यह सदन लगा सकता है। इस वर्ष राजस्थान के बजट में केवल 7 प्रतिशत रकम चिकित्सा सुविधा के लिए रखी गई है। किसी भी सामाजिक सेवा के लिए किसी भी वैलफेयर स्टेट के द्वारा इतनी कम रकम रखना एक तुक की बात नहीं है।

(1.42 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडावत, सभापति, पदासीन।)

यही नहीं, जो रकम प्रति वर्ष रखी जाती है, जितनी अन्य सेवाओं की बढ़ोतरी होती है उतनी बढ़ोतरी सामाजिक सेवाओं में राजस्थान के बजट में नहीं हो पा रही है। यदि हम इन्डेक्स को देखें, 1970-71 का जो इन्डेक्स है जिसे आधार मान कर चला जाता है इन सेवाओं के लिए उसको 100 मानकर चलें तो 1979-80 में वह इन्डेक्स जहां 376 था वह 1980-81 में घटकर 375 रह गया। सामाजिक सेवाओं के व्यय में इन्डेक्स बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए।

श्रीमन्, मैं जिस जिले, भरतपुर से आता हूं उस जिले की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। उसका कारण यह है कि वह जिला राजस्थान में सबसे अधिक आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। राजस्थान के अन्दर औसत आबादी जो प्रति वर्ग किलोमीटर है 1979 के अनुमानों के अनुसार एक वर्ग किलोमीटर में 90 व्यक्ति रहते हैं लेकिन भरतपुर जिले में इसका औसत 238 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आकर पड़ता है। यानि राजस्थान के अन्य जिलों से करीब ढाई या तिगुनी औसत आबादी भरतपुर जिले की है। इस हिसाब से देखते हैं तो भरतपुर जिले में जो प्रति व्यक्ति रकम खर्च की जाती है वह तो और भी कम आती है।

श्रीमन्, राजस्थान में कुल शय्यायें जो अस्पतालों में हैं उनकी संख्या 17397 है। राजस्थान की आबादी को देखते हुए यह बहुत ही कम है। 1852 व्यक्तियों के बीच में एक शय्या आती है। जब 1852 व्यक्तियों के बीच किसी अस्पताल में एक शय्या आए तब क्या यह अन्दाजा लगाया जा सकता है, क्या इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि राजस्थान के बच्चों का राजस्थान की जनता का इलाज समुचित रूप से हो रहा है? भरतपुर जिले में तो यह औसत और बढ़कर 2600 व्यक्तियों के बीच में एक रोगी शय्या का आता है। एक वर्ष में यदि 2600 व्यक्तियों के बीच में एक शय्या अस्पताल में उपलब्ध है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उस जिले की जो चिकित्सा सुविधायें हैं वह पूर्ण रूप से अपर्याप्त हैं।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर और दिलाना चाहता हूं। अस्पतालों में जो मशीनें उपलब्ध हैं वह भी ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती हैं। जयपुर के हॉस्पिटल में ही जो कैंसर की मशीन है, कोबाल्ट मशीन, वह कई महीनों से खराब पड़ी है। इसके कारण से यहां के रोगियों को बाहर जाना पड़ता है अथवा उनके जीवन का अंत होता है।

(श्री हरिसिंह)

भरतपुर अस्पताल में, श्रीमन्, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि शय्याओं की इतनी कमी है कि जितने रोगी शय्याओं पर रहते हैं उनसे दुगुने रोगी जमीन पर पड़े रहते हैं। इतना अधिक ओवर क्राउडेड है। रोगी जिस स्थिति में अस्पताल में पहुंचता है और जिस आशा और विश्वास के साथ जाता है सरकार के प्रति वह आशा और विश्वास उस अस्पताल में पहुंचने के बाद नहीं रह पाता।

श्रीमन्, राज्य सरकार ने शय्याओं की गिनती में बढ़ोतरी की जरूर है पिछले सालों के अन्दर लेकिन वह बढ़ोतरी न केवल कम है बल्कि वह राजनीतिक आधार पर की गयी है। मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं कि गत वर्ष बालोतरा में 9 से 50 शय्याएं की गईं, नैनवा में एक भी शय्या नहीं थी वहां 20 की गयीं, नवलगढ़ में जहां पहले 6 शय्यायें थीं वहां 20 की गयीं और छबड़ा में एक भी नहीं थी वहां 20 शय्यायें की गयीं। मैं, श्रीमन् इस बात का विरोध नहीं करता कि वहां शय्यायें क्यों की गयीं लेकिन एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि आबादी के अनुपात में शय्याओं में जो वृद्धि होनी चाहिए वह नहीं की गयी। इससे भी अधिक आबादी के क्षेत्र हैं जहां इनसे भी अधिक शय्याओं की आवश्यकता थी। लेकिन वहां पर बढ़ोतरी नहीं करके ऐसे क्षेत्रों में की गयी है जहां राजनीतिक दबाव अधिक था। यदि चिकित्सा के क्षेत्र में गत सालों में पिछली सरकार ने भी राजनैतिक आधार पर शय्याओं की वृद्धि की है तो वह कोई सराहनीय बात नहीं कही जा सकती।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, ग्रामीण अंचल में जो चिकित्सा सुविधायें हैं वह नगण्य हैं। राज्य सरकार ने बहुत सेन्टर्स और सब सेन्टर्स खोल रखे हैं लेकिन उन सेन्टर्स और सब-सेन्टर्स पर कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं रहता। उसका कारण यह है कि प्रत्येक सब-सेन्टर पर नियम के हिसाब से एक ए. एन. एम. और एक पार्ट टाइम कर्मचारी रहना चाहिए किन्तु ग्रामीण अंचल में कोई भी ए. एन. एम. नहीं ठहरती है। ज्यादातर यह ए. एन. एम. केरल साइड की हैं। वह कोई भी गांवों में जाकर अपनी सेवायें नहीं देतीं। उनका ट्रान्सफर होता है तो कैंसिल करा लिया जाता है। वह भी इसलिए हिचकिचाती हैं कि अकेली वह गांव में कैसे रहें। उनके साथ में कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी नहीं रहता। इसके कारण से ग्रामीण अंचलों के अन्दर जितने भी सब-सेन्टर्स हैं वह खाली पड़े हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि राज्य सरकार कहती है कि ग्रामीण अंचलों में चिकित्सा सुविधायें देना चाहते हैं, तो यह अति आवश्यक है कि प्रत्येक सब-सेन्टर उपर एक पुरुष कर्मचारी रहना चाहिए, एक कम्पाउन्डर रहना चाहिए, एक ए. एन. एम. रहनी चाहिए। बजाय पार्ट टाइम कर्मचारी के एक फुल टाइम क्लास फोर्थ रहना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, अब इस बात की आवश्यकता हो गयी है कि प्रत्येक पी. एच. सी. में, जहां आबादी डेढ़ लाख होती है, कम से कम एक उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जो 30 शय्यायें होती हैं वह होनी चाहिए। एक पी. एच. सी. पर जो भी स्टाफ आज है वह

(श्री हरिसिंह)

कर्मचारियों के हिसाब से पर्याप्त कह सकते हैं लेकिन साधनों के हिसाब से–दवाएं और उपकरण पूर्णरूपेण पर्याप्त नहीं हैं, अपर्याप्त हैं। हर एक पी. एच. सी. के ऊपर एक एम्बुलेन्स रहनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं राजस्थान के अन्दर जो मेटरनिटी सर्विसेज हैं वह नगण्य मात्र हैं। गांवों के अन्दर, जैसा मैंने निवेदन किया, सब-सेन्टर्स हैं उनमें एक ए. एन. एम. रहनी चाहिए लेकिन नहीं रहती है। उसकी वजह से आज राजस्थान का समस्त ग्रामीण अंचल मेटरनिटी सर्विसेज से विहीन है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन सर्विसेज के ऊपर अधिक ध्यान दिया जाये अन्यथा इसके कारण सैकड़ों महिलायें प्रसूति के समय में अपना जीवन खो देती हैं।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, मैं आपका ध्यान बच्चों के स्वास्थ्य की ओर विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर जो आई. सी. पी. एस. कार्यक्रम चल रहा है उसका अधिक विस्तार करने की आवश्यकता है। यह बहुत ही लाजिमी है कि जितनी भी हमारी शालायें हैं, चाहे वह प्राथमिक शालायें हों या माध्यमिक शालायें हों उनमें प्रत्येक बच्चे की वर्ष में एक बार जांच अवश्य हो जानी चाहिए जिससे कि उसमें जो भी बीमारी का प्रारम्भ हो रहा है उस बीमारी का पता लग सके और उसका समुचित निदान भी सरकार या उसके माता-पिता करा सकें।

मैं, श्रीमन् आपका ध्यान कुम्हेर पंचायत, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, की चिकित्सा सुविधाओं की ओर दिलाना चाहता हूं। यह डेढ़ लाख से अधिक की आबादी का क्षेत्र है। वहां पर सब-सेन्टर की संख्या भी बहुत कम है। पी. एच. सी. के अन्दर, जैसा निवेदन किया, न तो उपकरण हैं, न एम्बुलेन्स है और एक भी शय्या का प्रावधान नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कुम्हेर पंचायत समिति के अन्दर जो पब्लिक हैल्थ सेन्टर है उसे उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर जो दवाइयां खरीदी जाती हैं वे अधिकतर अधिक कीमत की खरीदी जाती हैं। जो दवाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में काम आ सकें उन दवाइयों पर बहुत कम बजट रखा जाता है, वह दवाइयां कम खरीदी जाती हैं। सभापति महोदया, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को एक रकम, पर्सेंटेज निश्चित कर देना चाहिये ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में दवाइयां काम में आती हैं, वे कम पर्सेंटेज में नहीं खरीदी जाएं।

सभापति महोदया, ग्रामीण क्षेत्रों में, डॉक्टर साहबान, जिनका वहां पोस्टिंग होता है, जाते नहीं हैं। कारण कई हैं। एक तो शहरी क्षेत्र से लड़के आते हैं मेडिकल शिक्षा प्राप्त करके वे गांवों मे रहना पसन्द नहीं करते, दूसरे उनके लिए आवास की सुविधा भी नहीं रहती। जिस समय पी. एम. टी. हो, मेडिकल शिक्षा के लिये भर्ती किये जायं, उनके सामने स्पष्ट रूप से यह शर्त होनी

(श्री हरिसिंह)

चाहिये कि उनको कम से कम दो या तीन वर्ष के लिये ग्रामीण क्षेत्र में सर्विस करनी पड़ेगी। जो इसके लिये तत्पर नहीं हों, उनको मेडिकल शिक्षा नहीं देनी चाहिये।

इसके अलावा, श्रीमन्, मैं आपका ध्यान भरतपुर अस्पताल की ओर और दिलाना चाहूंगा...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में खतम करने जा रहा हूं।

भरतपुर, जैसा मैंने पहले निवेदन किया है, घनी आबादी का क्षेत्र है, 19 लाख की आबादी है। आज से पहले भरतपुर अस्पताल में दो-दो विशेषज्ञ रहते थे। पिछले साल विशेषज्ञों की संख्या कम करके एक-एक कर दी है। वहां पर दो-दो विशेषज्ञ रहने चाहिये। वहां पर बिल्डिंग की हालत भी बहुत खराब है। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि यहां राजस्थान बोर्ड ऑफ इन्डियन मेडिसिन है। इसको जो अनुदान दिया जाता है वह बहुत ही कम दिया जाता है। आयुर्वेदिक प्रणाली की जो चिकित्सा है उसकी देखरेख के लिये यह बोर्ड है। इसके लिये अनुदान की राशि केवल 75 हजार रुपये वार्षिक है। इसमें से उनको अपना स्टाफ भी रखना पड़ता है और उसी में उन्हें अपने दफ्तर का कार्यभार चलाना पड़ता है। यह राशि बहुत कम है। हो-योपैथी बोर्ड के लिये अनुदान की राशि इससे कई गुना अधिक है। बोर्ड ऑफ इन्डियन मेडिसन के बजट में और राशि बढ़ा दी जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ राज्य सरकार से अपेक्षा करूंगा, इस वर्ष या आने वाले वर्ष में चिकित्सा सुविधा के लिए अधिक राशि का प्रावधान रखेंगे जिससे राजस्थान में और अधिक चिकित्सा सुविधा मिल सके।

श्री सभापति : श्री ताम्बी जी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा की जो हालत है वह काफी दयनीय है और नॉर्म्स भी बहुत पुराने हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जनसंख्या काफी बढ़ गई है। गांवों के आसपास चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण डिस्पेन्सरियों में बैड्स की व्यवस्था नहीं, डॉक्टर नहीं। जहाजपुर जैसे अस्पताल में केवल 25 बैड्स हैं। वहां की जनता ने 2 लाख रुपया लगाकर काफी बड़े वार्ड्स बना दिये लेकिन पिछले एक साल से वह खाली हैं। राज्य सरकार की नीति अत्यन्त प्रतिगामी और जन-जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली है।

एस. डी. ओ. हैडक्वार्टर पर ज्यादा बैड्स बढ़ाये जा सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहाजपुर मेवाड़ के जमाने में जिला हैडक्वार्टर था। आज भी बूंदी जिला, टौंक जिला, अजमेर जिला और भीलवाड़ा जिले के लोग जहाजपुर अस्पताल का लाभ उठाते हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप आंकड़े मंगाकर देख लीजिये कि वहां पर कितनी तादाद में लोग बरामदों में सोते हैं, दरखतों के नीचे सोते हैं। जनता सरकार के चिकित्सा मंत्री वहां की जनता से नाराज थे। इसलिये मेरी और वहां की जनता की लगातार मांग के बाद भी मांग स्वीकार नहीं की। मैं इस राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जहाजपुर म्युनिसिपल केन्द्र है, वहां पर

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट है और सभी प्रकार के मुख्य-मुख्य कार्यालय हैं। जहाजपुर क्षेत्र की खुद की जनसंख्या डेढ लाख है और आस-पास की दो तीन लाख की जनसंख्या जहाजपुर अस्पताल का लाभ उठाती है। सब से पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहाजपुर के रेफरल अस्पताल में 30 के स्थान पर 50 बैड्स उपलब्ध कराये जायें। वहां बड़ी मात्रा में लोग आते हैं। एस. डी. ओ. हैडक्वार्टर के लिये 50 बैड्स होंगे, इस प्रकार का संशोधन करने के लिये, एक मानवीय दृष्टिकोण अपनायें। माननीय मंत्री महोदय, आप काफी मानवीय प्रतीत होते हैं उस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहाजपुर रेफरल अस्पताल का 1957-58, में जब आप चिकित्सा मंत्री थीं, आपने शिलान्यास किया। लगभग 6-7 लाख रुपया जन-सहयोग से एकत्रित हुआ है। मैं आपको आमन्त्रित करता हूं, आप इसको देख लें। यदि हमारी मांग वाजिब है तो इस चालू वित्तीय वर्ष में 50 बैड्स वहां देने की मांग मन्जूर करेंगे। जहाजपुर क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग आदिवासी है, सैनिक परिवार वहां निवास करते हैं। लुहारीकलां जैसा गांव, जहां सैकण्डरी स्कूल है वहां पर आज के दिन 600—700 के आस-पास सैनिक परिवार निवास करते हैं। जिनके आदमी नेफा और लद्दाख में मोर्चे पर लड़ाई लड़ते हैं उन महिलाओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। मौत का शिकार होना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि लुहारीकलां जहां पर 98 प्रतिशत शिड्यूल्ड ट्राईब्स रहते हैं, आदिवासी परिवारों के साथ सैनिक परिवार भी रहते हैं, महायुद्ध में शहीद भी हुए हैं उस दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, वहां पर डिस्पेन्सरी खोलने का प्रावधान रखें।

इसके साथ-साथ इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि एड पोस्ट का कोई प्रावधान नहीं किया है। एक कम्पाउंडर, एक नर्स देनी पड़ती है और दस हजार की जनसंख्या के आस-पास को लाभ होता है। इसलिये, माननीय मंत्री महोदय, आपको मैं सुझाव देना चाहूंगा कि एड पोस्ट, कम्पाउंडर फर्स्ट ग्रेड, और ए. एन. एम. देनी पड़ती है, थोड़ी सी दवाइयों की व्यवस्था होती है, उससे बहुत बड़ा जनता को लाभ मिलता है। इस दिशा में आपका ध्यान जायेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जनसंख्या 1971 के आधार पर आप सारी बातों का निर्णय कर रहे हैं। आज 1980 है। जनसंख्या 22 प्रतिशत पहले से अधिक बढ़ी है। उसी आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में कई पंचायत हैडक्वार्टर भी हैं, जहां आयुर्वेदिक अस्पताल है नहीं, सब सेन्टर है नहीं, फैमिली प्लानिंग का केन्द्र है नहीं, इससे जनता परेशान है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे आयुर्वेदिक अस्पताल खोलें, चाहे एड पोस्ट खोलें, चाहे डिस्पेन्सरी खोलें पर पंचायत हैडक्वार्टर पर कोई न कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये।

इसी तरह मेरे क्षेत्र में डॉक्टरों की कई जगह खाली हैं। जहाजपुर तहसील और कोटड़ी तहसील में पांच डॉक्टरों के स्थान रिक्त हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से चाहे और डॉक्टर भर्ती करने पड़े, आपकी प्रक्रिया में कहीं और विलम्ब

(श्री रतनलाल ताम्बी)

हो इन सब को देखते हुए जहां-जहां आपने डिस्पेन्सरियां खोली हैं वहां पर डॉक्टरों की व्यवस्था आवश्यक तौर पर करने का कष्ट करेंगे। जहाजपुर रेफरल हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर का प्रमोशन लेक्चरार के स्थान पर हो गया और आज के दिन तक जहाजपुर रेफरल हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर नहीं है। शाहपुरा एस. डी. ओ. हैडक्वार्टर पर लेडी डॉक्टर नहीं है, यह व्यवस्था मैं समझता हूं काफी अनुचित है। जनता के जीवन के साथ मानवीय दृष्टि से सोचा जाये तो खिलवाड़ हो रहा है। मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर जायेगा।

इसी संदर्भ में शाहपुरा एस. डी. ओ. हैडक्वार्टर के लिए निवेदन करना चाहूंगा पिछले 5 साल से बल्कि 8 साल, 9 साल हो गये, कांग्रेस के प्रशासन में माननीय श्री हरिदेव जोशी जब हैल्थ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने अस्पताल का शिलान्यास किया। 73 और 80 के बीच में वहां का अस्पताल पूरा नही हुआ। स्टेट के टाइम का अस्पताल है। बड़ी खराब हालत है। इस तरह की स्थिति है। किस तरह से मरीज वहां रहते हैं। मैं तो वहां जाता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, राज्य सरकार उस अस्पताल की ओर क्यों नहीं ध्यान देती है। मंत्री महोदय, आपने अस्पताल बनाने का काम शुरू किया था अब थोड़ी सी राशि के अभाव में आपका लगा हुआ रुपया बेकार जा रहा है और उसमें मवेशी रहने लग गये हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, शाहपुरा जिले का हैडक्वार्टर है और पुराने स्टेट की राजधानी थी वहां के हास्पिटल की यह दयनीय स्थिति है। मेरा निवेदन है, निरीक्षक महोदय और मंत्री महोदय आकर देखें, क्या हालत हो रही है। माननीय मंत्री महोदय, इन बातों को देखने की बड़ी आवश्यकता है। जो खास-खास मोटे-मोटे स्थान हैं उन पर उचित प्रावधान करेंगे। खास तौर से औषधालयों के भवन जो जनता ने बनाये हैं उनके लिऐ पंचायतें मदद करने को तैयार हैं वहां औषधालय भवन में आपने जो प्रावधान किया है वह कम है उनके लिए पूरा प्रावधान करें। मेरा निवेदन है, राजस्थान में इस बार मेरे क्षेत्र में कम से कम दो-तीन आयुर्वेदिक औषधालय, एक एलोपैथिक डिस्पेन्सरी और एक या दो ऐड पोस्ट का प्रावधान करें ताकि राजस्थान की जनता जो आशा लगाये बैठी है, उनको महसूस हो कि राजस्थान में चिकित्सा सुविधायें दी जा रही हैं। मानवता की दृष्टि से मेरा निवेदन है आप इस पर विचार करेंगे और चिकित्सा सुविधाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन लायेंगे। आज मेरे क्षेत्र की चिकित्सा की दृष्टि से बहुत हालत खराब हो रही है। जहां जनता नया भवन बनवा कर दे उस जनता को प्रोत्साहन दीजिये। मेरा निवेदन है, राजस्थान के बजट प्रावधान में और राशि बढ़ाकर इस ओर ध्यान देंगे। मैं इतनी ही बात कह कर समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री प्रद्युम्न सिंह !

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : सभापति महोदया, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय चिकित्सा मंत्री जी परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस प्रकार गति देने जा रहे हैं इस बारे में विस्तार से प्रकाश डालने की कृपा करें। पूर्व सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को करीब-करीब बन्द सा कर दिया था,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उसके राजनैतिक कारण थे। राजनैतिक कारणों से ही उनको सत्ता की प्राप्ति हुई थी और उसी आधार पर इस कार्यक्रम को तिलांजलि दे दी। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश की जो ज्वलन्त समस्या है आर्थिक स्थिति, बढ़ती हुई बेरोजगारी और बहुत सारी समस्यायें इससे जुड़ी हुई हैं जिनसे माननीय मंत्री महोदय भी अवगत हैं और माननीय सदस्यगण भी अवगत हैं इसलिए मैं तो सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं, आप इस कार्यक्रम को कैसे गति देने जा रहे हैं। हाल ही की दूरबीन नसबन्दी के द्वारा ही महिलाओं में इसका प्रचार करने जा रहे हैं या पुरुष नसबन्दी की तरफ भी आपका कोई कार्यक्रम है। क्या प्रचार का तरीका रहेगा, माननीय मंत्री महोदय, आप विस्तार से इस बारे में बताने की कृपा करें।

दूसरी बात मलेरिया के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मलेरिया अपने प्रदेश में बहुत तेजी से फैल रहा है, दवा काम नहीं करती है। माननीय मंत्री महोदय का एक ही उत्तर आयेगा, जो विभागीय अधिकारी हमेशा से यही उत्तर दिलाते आ रहे हैं सरकारी मंत्रियों से कि मलेरिया के जो मच्छर हैं वे इतने इम्यून हो गये हैं कि दवा कारगर सिद्ध नहीं होती है। मैंने जब पूर्व सरकार थी उस समय भी निवेदन किया था कि कहां तक इम्यून हुए हैं या नहीं हुए हैं यह बात तो अलग है लेकिन मेरी निश्चित जानकारी में है कि जो मलेरिया मारने का डी. डी. टी. पाउडर है उसमें एडल्ट्रेशन है। क्या आपने उसके सैम्पल चैक करने की कोशिश की? आप चैकिंग के लिये जाते भी हैं तो केवल वह जो नपा-तुला सैम्पल होता है उसकी चैकिंग करवा लेते हैं। आप उनके पूरे लॉट में से इसको उठा लीजिए और लेबोरेटरी में भेजकर जांच करवा लीजिये। निश्चित रूप से उसमें एडल्ट्रेशन होता है। आज जितनी कम्पनियां डी. डी. टी. बना रही हैं वे सब भारी मिलावट कर रही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है ? उन सबके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ? मैं एक बात और पूछना चाहता हूं आपने मलेरिया के लिये गांवों में और शहरों में जितने कर्मचारी बिठा रखे हैं वे अपनी ड्यूटी का सही अंजाम नहीं दे रहे हैं। आज मलेरिया का जो विभाग है वह केवल बेरोजगारों को रोजगार देने का विभाग बनता जा रहा है। मेरा निवेदन है, इस विभाग को आप इफेक्टिव बनायें तब जाकर सही कार्यवाही हो सकेगी।

सभापति महोदया, जब हम पढ़ते थे, उस समय स्कूलों में टीके लगवाने का कार्यक्रम बहुत तेजी से चलता था। आज पब्लिक स्कूलों को छोड़कर, जहां अध्यापक काफी जागरुक रहता है। सब जगह आपने टीके लगवाने का कार्यक्रम बन्द कर दिया है। मेरी निश्चित जानकारी है, पहले जैसे ही स्कूल खुलते थे तब हम लोगों को हैजा, कालरा और टाइफाइड के टीके लगाये जाते थे लेकिन आज आपने उस कार्यक्रम को तिलांजलि दे दी है। इसलिए मेरा निवेदन है, इस कार्यक्रम को भी आपको शुरू करना चाहिये।

तीसरी बात, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं एक्स-रे के बारे में। इसमें बड़ा भारी स्कैण्डल है जो प्राइवेट प्रेक्टिशनर्स हैं, जिनके प्राइवेट क्लिनिक हैं,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

एक्से-रे वालों पर या आपके डॉक्टर्स पर, मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं लेकिन अधिकांश मामलों में यह मिले हुए हैं मशीनें खराब पड़ी हुई हैं फिल्म अवेलेबल नहीं हैं हॉस्पिटल्स में—इस प्रकार का करीब-करीब हमेशा बहाना लिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, आप फिल्मों की क्या व्यवस्था कर रहे हैं? आज जितनी मांग है उसके अनुपात में एक्स-रे फिल्म्स अवेलेबल नहीं हैं या जान बूझकर मशीनें खराब कर दी जाती हैं तो क्या आप इस बात की जांच करेंगे? क्या इस बात की कोशिश करेंगे? जो डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक में एक्स-रे कराने की सलाह देते हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं और उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की है? मैं मंत्री महोदय से कहूंगा, इस पर आप प्रकाश डालने की कृपा करें।

तीसरा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा मेडीको लीगल फीस है। मैंने इस बारे में पूर्व की सरकार को भी निवेदन किया था लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। आप, पता नहीं करवा सकेंगे या नहीं क्योंकि कई वेस्टेड इंट्रेस्ट हैं। आज अपने उत्तर में स्पष्ट बताने की कृपा करें कि यह मेडीको लीगल फीस क्या है और कितना रुपया एक मरीज को देना चाहिये, आप बता दीजिए। मेरी जानकारी में मर्जी चाहे जो वह ले लेता है। कहीं 20) रु. लेते हैं, कहीं 25) रु. लेते हैं और कोई रसीद नहीं दी जाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि यह भ्रष्टाचार की जड़ है। आपको क्योंकि इसके बारे में पता नहीं है कहां तक सही है लोग तरह-तरह की बात कहते हैं कि जो डॉक्टर मेडीको लीगल फीस लेता है उसको शेयर करना पड़ता है बड़े डॉक्टरों के साथ। क्योंकि अस्पताल में मेडीको लीगल करने वाला एक डॉक्टर और सी. एम. एच. ओ. बैठा हुआ है डिप्टी सी. एम. एच. ओ. बैठा हुआ है। मैं आज निश्चित रूप से सरकार से आश्वासन चाहूंगा इस बात की घोषणा करें जिससे प्रदेश की जनता जान सके, मेडीको लीगल फीस क्या है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसके बारे में कुछ कह सकेंगे? मैं जानता हूं, नहीं कह सकेंगे क्योंकि वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हैं, आपके महकमे के लोगों का वेस्टेड इंट्रेस्ट है। इसमें मेडीको लीगल फीस के बारे में घोषणा करें, यह मेरी आपसे मांग है, मंत्री महोदय।

दूसरी बात मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूं और वह है धौलपुर के अस्पताल के बारे में। धौलपुर अस्पताल को छोड़ दिया तो धौलपुर की जनता के साथ अन्याय होगा। सभापति महोदया, धौलपुर का अस्पताल बी ग्रेड का है लेकिन हॉस्पिटल में पैथोलोजी का डॉक्टर नहीं है। अगर टैस्ट कराने जाइये तो एक टैक्निशियन बैठा हुआ है जिसकी रिपोर्ट पर कोई डॉक्टर इत्मीनान नहीं करता है। भागिये, अब आप आगरा जाइये या फिर ग्वालियर जाइये। बी ग्रेड हास्पिटल है, 150 बैड्स का हॉस्पिटल है लेकिन, सभापति महोदया, पैथोलोजी का डॉक्टर नहीं है। एक-दो महीने की ट्रेनिंग करवा दी और एनेस्थीसिया लगाता है। तो मैं निवेदन करूंगा इसकी आपको वहां पर व्यवस्था करानी चाहिये दूसरी बात मैं आपसे और निवेदन करूंगा कि आप देहात के अन्दर तो करते जा रहे

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हैं, नये अस्पताल खोलते जा रहे हैं। लेकिन आज शहरों में अस्तपालों के अन्दर हाल यह है कि मरीजों को पलंग नहीं मिलते हैं, अधिकांश मरीज जमीन पर सोते हुए मिलेंगे। तो आपका हॉस्पिटल में बैड्स को बढ़ाने के लिये क्या कार्यक्रम है? इस बारे में भी आप प्रकाश डालने की कृपा करें। एक बात अन्त में मैं और निवेदन करूंगा माननीय मन्त्री महोदय से कि यहां पर महावीर विकलांग केन्द्र है, जयपुर के अन्दर बहुत बड़ी, लोगों की सेवा कर रहा है। पैर लगाने का काम करता है। जिन आदमियों के पैर कट जाते हैं, उनके पैर लगाने का काम करता है। माननीय सभापति महोदय, आपको जानकर खुशी होगी, खाली राजस्थान के लोग ही नहीं, देश के विभिन्न प्रांतों के सैकड़ों की संख्या के अन्दर लोग उस केन्द्र पर आते हैं और अपने पैर लगवा कर जाते हैं। पूना के अन्दर जो पैर बनते हैं, उसके मुकाबले में जयपुर के अन्दर जो पैर बनते हैं वे काफी हल्के पैर होते हैं, बहुत बढ़िया पैर होते हैं। मैं इस कार्यक्रम के लिये यहां के डॉक्टर पी. के. सेठी की सराहना किये बिना नहीं रह सकता कि उस सज्जन ने इतनी बड़ी सेवा अपने हाथ में ले रखी है। आप उनके प्रोजेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं? आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में आप अवश्य प्रकाश डालेंगे। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि आपने कभी देखा प्रोजेक्ट को जाकर के, उस योजना को आपने देखा है? मुझे बड़ी खुशी है कि आपने उसे देखा है। आज यहां पर भवन की कमी है, भवन की बहुत बड़ी कमी है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप इतना बड़ा खर्च करते हैं, आपका इतना बड़ा बजट है, आप उस केन्द्र को, उस विकलांग केन्द्र को सुधारने के लिये, जो लोगों की इतनी बड़ी सेवा कर रहा है, क्या आप सक्रिय कदम उठाना चाहते हैं मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे आशा है कि मैंने सरकार को सुझाव दिये हैं, खास तौर से एक्स-रे के बारे में, मेडीको लीगल फीस के बारे में, आपकी क्या नीति है, उसकी आप यहां पर स्पष्ट घोषणा करेंगे।

श्री सभापति : श्री लच्छूराम।

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : माननीय सभानेत्री जी, मैं झुंझुनू जिले में ग्रामीण अस्पतालों के अन्दर किस प्रकार की धांधली, कितना अभाव है और कितनी कम संख्या में झुंझुनू जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल हैं, इसके सम्बन्ध में चर्चा करूंगा। झुंझुनू जिले में मंडावा क्षेत्र में 38 पंचायतें हैं और 2 म्युनिसिपिल टाउन हैं। 38 पंचायतों में 2 अस्पताल हैं, 5 आयुर्वेदिक अस्पताल हैं और 3 मेडिकल एड डिस्पेन्सरी हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय को माननीय सभानेत्री जी के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि 2 लाख की आबादी के क्षेत्र में इतनी सी सुविधा मौजूद है। जैसाकि मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि कम से कम हर पंचायत क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक औषधालय हो और मेडिकल एड डिस्पेंसरी हो या किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये। तो इस हिसाब से हमारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है और फिर जो भी हमारे अस्पताल हैं, उनमें डॉक्टरों का अभाव है। जैसे कि मलसीसर के अन्दर एक मातृ शिशु कल्याण केन्द्र है, उसमें कोई डॉक्टरनी नहीं

(श्री लच्छूराम)

है। इसी प्रकार से मण्डावा के अन्दर भी मातृ शिशु कल्याण केन्द्र है और उसमें भी कोई डॉक्टरनी नहीं है और भी कई तरह के अभाव हैं। इसी प्रकार से आज गांव के अन्दर जो नर्सेज अपॉइन्ट की गयी हैं, जैसा कि पहले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि वे नहीं रह सकतीं। इसलिए उनके साथ किसी प्रकार का कोई दूसरा इंतजाम पार्ट टाइम का न करके कोई फोर्थ क्लास कर्मचारी रखा जाय और उनके आवास की व्यवस्था के लिए भी इंतजाम होना चाहिए।

गांवों के अन्दर आयुर्वेदिक औषधालयों पर दूसरे जो डिस्पेंसरियां हैं, उनसे ज्यादा विश्वास है। इसलिये माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि गांवों के अन्दर क्योंकि सस्ते से सस्ता काम है, ये आयुर्वेदिक औषधालय ज्यादा से ज्यादा खुलवाने की चेष्टा करेंगे। हमारे क्षेत्र के अन्दर हम इसके लिये भवन देने को तैयार हैं। मेरे क्षेत्र के अन्दर 10-12 भवन तैयार कर रखे हैं जिनके अन्दर वैद्य के रहने के लिये जगह है। इसके अलावा इसके लिये जनसेवक भी देने के लिये तैयार हैं। अभी 15 अगस्त को बिसाई कस्बे में मैं गया था तो वहां के एक प्रवासी सेठ हैं उनसे बातचीत हुई थी तो वे 15 लाख रुपये अस्पताल के लिये खर्च करने के लिये तैयार हैं बशर्ते उनका कहना है कि मुझे इस बात की गारन्टी मिलनी चाहिये कि सारा मकान साज सज्जा सब कुछ देने के बाद अस्पताल खोलने की व्यवस्था होनी चाहिये क्योंकि इस प्रकार का अविश्वास पिछली बार नुआं कस्बे में हो चुका है। इसलिये इस प्रकार के हमारे क्षेत्र में भी धनी मानी व्यक्ति हैं जो चिकित्सा सुविधा में काफी मदद कर सकते हैं, जैसाकि शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं। हमारे जिले में कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है लेकिन इसके अलावा भी धनीमानी व्यक्तियों द्वारा बहुत से कॉलेज चलाये जाते हैं। इसी प्रकार से अस्पताल की भी अच्छी बिल्डिंग, बेड्स के साथ और पूरे क्लिनिक के साथ बनवाने के लिये तैयार हैं, बशर्ते कि राज्य सरकार यह आश्वासन दे कि हम इसके लिये तैयार हैं। आयुर्वेदिक औषधालय भी खोलने के लिये तैयार हैं लेकिन सारा का सारा गवर्नमेंट से सहयोग चाहिये। इसलिये मेरा यह माननीय मन्त्री महोदय को सुझाव है कि इसके ऊपर ध्यान देंगे।

दूसरा, गांव में जो अस्पताल है, वे नाममात्र के हैं, उनके अन्दर दवाई का सबसे बड़ा अभाव है। कस्बे के अन्दर भी, शहरों के अन्दर भी जो हैं, उनमें भी दवाइयों का अभाव है। डॉक्टर जी को दिखाने के बाद फीस देने के बाद केवल पर्ची बाहर दुकान से दवाइयों की खरीद हेतु लिख देते हैं और अस्पताल के अन्दर से किसी प्रकार की कोई दवा नहीं दी जाती। दूसरे, जैसा अभी माननीय प्रद्युम्नसिंह जी ने कहा था, डॉक्टरों की क्या फीस हो, यह बिलकुल ज्वलन्त उदाहरण है और यह सारे राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने उत्तर में बतायेंगे कि कोई फीस का प्रावधान है या नहीं है, कितना है, क्या है इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से स्पष्टीकरण करेंगे।

जिला हैडक्वार्टर के पास खेतान अस्पताल झुन्झुनू है, मैं उसके सम्बन्ध में थोड़ी

(श्री लच्छूराम)

चर्चा करूंगा। वहां राजनीति घुस करके डॉक्टरों तक आ गयी है डॉक्टरों के आये दिन स्थानान्तरण होते हैं और स्थानान्तरण नहीं भी हुए हैं तो इस प्रकार से वहां के डॉक्टर भयभीत हैं कि वह काम 15-20 दिन मे उन्होंने छोड़ रखा है। इस लिए एक तो उनका जल्दी जल्दी स्थानान्तरण वैसे भी ठीक नहीं है। स्थानान्तरण किये जाते हैं लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से सुविधा के साथ उनको जल्दी से जल्दी सैट कर दिया जाना चाहिये जिससे कि वे निश्चित हो जायें कि वहां का काम करना है। दूसरी बात है कि झुन्झुनू अस्पताल के अन्दर डॉक्टरों में फेक्शनबाजी है। एक डॉक्टर के पास मरीज चला जाता है तो दूसरा उसको नहीं देखता है और दूसरे के पास चला जाता है तो पहला नहीं देखता है। तो इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि झुन्झुनू अस्पताल के बारे में प्रशासनिक दृष्टि से निश्चित रूप से गौर करें और उसके प्रबन्ध के बारे में देखें। भीड़ का वहां इतना मसला है कि रोजाना इन्डोर पेशेन्ट जैसे भर्ती करने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि जगह बहुत कम है, नीचे पड़े रहते हैं और बड़ी दुर्दशा है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जो अस्पताल हैं, उनको ठीक ढंग से दवाई उपलब्ध करायें। और अस्पतालों का प्रबन्ध ठीक करायें गांव के अन्दर आयुर्वेदिक औषधालय के जहां भवन उपलब्ध है वहां आप जांच करवा लीजिए। भवन उपलब्ध हैं वैद्य के रहने के लिए क्वार्टर है, मकान है तो वहां निश्चित रूप से आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की कृपा करें। मेरे यहां इस प्रकार का औषधालय है जहां पर नर्सेज रह सकती हैं और वैद्य गांव में आराम से रह सकते हैं। चिकित्सा, जैसा कि दाऊदयाल जोशी जी ने कहा था कि यह तो मेरी धरोहर है इसी प्रकार से मन्त्री महोदय बड़ा विश्वास रखते हैं और मुझे विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की कृपा करेंगे।

श्री सभापति : श्री माधवसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रतना राम।

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंसिंह।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान कुछ कमियों की ओर दिलाना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के कई ऐसे अस्पताल हैं, जिसमें जयपुर का प्रमुख अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल है, उसमें एक प्रसंग के दौरान बताया गया था कि कई मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। इसी प्रकार से राजस्थान भर के जितने भी जिला चिकित्सालय हैं उनमें कई मशीन काम करती हैं और कई मशीनें काम नहीं करती हैं। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप जिला चिकित्सालयों को पत्र भेज कर इस बात की जांच करवा लें कि उनके यहां कौन-कौन सी मशीनें खराब हैं। कितनी एक्स-रे मशीनें चालू हैं और कितनी चालू नहीं हैं और उनकी ऐसी क्या कण्डीशन है कि वे बार बार खराब होती हैं। मैं अक्सर देखता हूं हमारे पाली जिले

(भैरूं सिंह गुर्जर)

में कि पाली जिला चिकित्सालय में ही नहीं, और भी जितने ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनकी मशीनें अक्सर खराब रहती हैं। इस तरीके से बेचारे गांव वाले पैसा खर्च करके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जाते हैं। कितना पैसा उनका इसमें खर्च होता है और जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि एक्स-रे मशीन खराब है, इससे कितनी असुविधा का सामना करना पड़ता है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। पहले तो वे रास्ता नहीं जानते, दुकानें नहीं जानते, किसी न किसी तरह से टैक्सी करके, तांगा करके अस्पताल में पहुंचते हैं तो वहां जाकर मालूम पड़ता है कि एक्स-रे मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि मशीन खराब है। इसलिए कम से कम चिकित्सा मन्त्री जी हर जिला चिकित्सालय को यह ताकीद करा दें कि एक्स-रे की मशीन खराब होते ही तुरन्त ठीक करवायें या इस तरह कि व्यवस्था करावें कि जो रुटिन में मशीन मैन जो उसको ठीक करता है घूमते फिरते रूप में हर जिला चिकित्सालय पर देखता रहे कि कौन सी मशीन ठीक करनी है।

इसके अलावा कई अस्पतालों में डॉक्टर्स की भारी कमी है। कई विशेषज्ञ नहीं होते हैं। कई जिला चिकित्सालय हैं जहां पर कोई विशेषज्ञ नहीं है। कहीं पर नेत्र विशेषज्ञ नहीं हैं तो कहीं पर कान, नाक, गले के विशेषज्ञ नहीं हैं। इसलिए मैं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे सभी जिला चिकित्सालयों से इसकी सूचना मंगवा लें कि किस जिला चिकित्सालय में अभी तक किस किस प्रकार के विशेषज्ञ नहीं हैं। कई बार विशेषज्ञों की कमी की वजह से कई ऐसे रोग होते हैं कि वे रोग गंभीर रूप में बढ़ जाते हैं जो आगे जा कर ठीक नहीं हो पाते हैं। इसलिए कम से कम डॉक्टरों की कमी दूर करना बहुत आवश्यक है।

इसके अलावा अभी तक तो मैंने देखा है कि विधान सभा में गुटबन्दी है, जनता पार्टी, कांग्रेस आई वगैरह हैं लेकिन बड़े बड़े अस्पतालों में बड़ी जोरदार गुटबाजी है। यह इस एम. एल. ए. का डॉक्टर है और यह इस एम. एल. ए का डॉक्टर है, इसका परिणाम यह है कि अस्पतालों में डॉक्टर इलाज करना तो छोड़ देते हैं और एम. एल. एज के आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो कम से कम चिकित्सा मंत्रीजी को ऐसे आदेश दे देने चाहिए कि गुटबाजी को भूल कर केवल मरीजों का इलाज उन्हें करना है अगर एम. एल. ए. बीमार होते हैं तो उनका भी इलाज करें लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि स्वस्थ एम. एल. एज के भी आगे पीछे घूमते रहें।

(व्यवधान)

सबसे बड़ी पंचायत समिति राजस्थान की जो है, वह पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन है जिसकी तहसील खारची लगती है, उसके अन्दर 46 पंचायतें हैं एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जहां केवल दो डॉक्टर हैं। बैकवर्ड पंचायत समिति होने की वजह से कई महिलायें जो गांवों में रहती हैं, शर्म के मारे अपने गंभीर रोग होते हुए भी वह डॉक्टरों को नहीं बता पाती हैं। इसलिए मैं चिकित्सा मंत्री जी

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

से आपके माध्यम से पुरजोर मांग करूंगा कि वहां लेडी डॉक्टर की नियुक्ति करें इसके अलावा राजस्थान में ऐसी पंचायतें हैं, जो बहुत पिछड़ी हुई हैं, वहां की महिलायें कम पढ़ी लिखी हैं, कई तो पढ़ी लिखी ही नहीं हैं, वे बेचारियां एक पुरुष डॉक्टर को अपना रोग बता नहीं पाती हैं, शर्म महसूस करती हैं, पढ़ी लिखी महिला तो तुरन्त बता देगी कि उसको क्या रोग है और उसके गंभीर परिणाम क्या होंगे यह भी वह जानती है। रोग को पहचानती हैं लेकिन गांव की जो अनपढ़ महिलायें हैं वे बिल्कुल नहीं बता पाती हैं कि उसको क्या रोग है और अगर कोई गंभीर रोग हुआ तो शर्म के मारे कभी नहीं कहेगी और भुगतती रहेगी जिसका अंतिम परिणाम बहुत बुरा होता है, तो कम से कम, चिकित्सा मंत्री जी, मारवाड़ जंक्शन जैसे प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, जो मेरे क्षेत्र में है, में अविलम्ब लेडी डॉक्टर की नियुक्ति करनी चाहिए। इसके अलावा ऐसी और भी जितनी पंचायत समितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहां पर ग्रामीण महिलाओं और अनपढ़ महिलाओं की संख्या ज्यादा है, वहां लेडी डॉक्टर की आवश्यकता को देखते हुए अविलम्ब लेडी डॉक्टर की नियुक्ति करनी चाहिए।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि कई आयुर्वेदिक औषधालय मात्र खाना पूर्ति करते हैं। वैद्य लोग या तो केवल इन्जेक्शन लगाते हैं या एलोपैथिक दवाइयां बताते रहते हैं। इसके अलावा फर्जी रजिस्टर बनाते रहेंगे। दस मरीज आयेंगे तो उनकी जगह पर सौ की एण्ट्री हो जाएगी। इस बात को मैं कतई झूठ नहीं बोल रहा हूं। आयुर्वेद वैद्यों को मैंने स्वयं मेरी आंखों से देखा है, किसी का नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन वे क्या करते हैं कि दस मरीज आए तो उसने रजिस्टर में पूरा पेज भर दिया, साठ सत्तर मरीज दर्ज कर लिए वे उस शहर के, उस गांव के रहने वाले भी हैं या नहीं इस प्रकार की आप जांच करवायें। किसी वैद्य के यहां अचानक जांच करा कर देख लें कि ये दस व्यक्ति जो उसने लिखे हैं वे कहां के रहने वाले हैं, वह कभी जानकारी नहीं दे पायेगा कि ये व्यक्ति यहां रहते भी हैं या नहीं। ऐसे आयुर्वेदिक औषधालय जो चल रहे हैं उनका क्या फायदा है? उसके बजाय जिन गांवों में बिल्कुल नहीं हैं, जिन गांवों के आस पास भी आयुर्वेदिक औषधालय नहीं हैं वहां पर औषधालय खोलें। मैं एक बात बताता हूं, देसूरी तहसील, पाली जिले में केसूली गांव है जहां कि भवन बने दो साल हो गए हैं गांव वालों ने जन सहयोग से भवन बना दिया है, एलोपैथिक अस्पताल को छोड़ कर इलाज की और कोई चिकित्सा सुविधा नजदीक में दस बीस मील के एरिया में भी नहीं है। कम से कम उस भवन की उपयोगिता उस गांव में भी हो इसलिए एक आयुर्वेदिक औषधालय वहां पर अविलम्ब चालू करें। मन्त्री महोदय को मैं पहले भी लिख कर दे चुका हूं।

सबसे मुख्य बात जो है, माननीय सभापति महोदया, वह यह है कि अस्पतालों में दवाओं की बहुत कमी रहती है। जो प्रभावशाली मरीज होते हैं, जिनके पीछे बैकिंग होता है, किसी राजनीतिज्ञ का प्रभाव है या डाक्टर किसी बड़े सेठ के आगे पीछे घूमने

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

वाले हैं, उनको तो चाहे कोई अस्पताल हो, दवा मिल जायेगी लेकिन जो बेचारा गरीब है, विशेष कर ग्रामीण मरीज जो कि जिला चिकित्सालय में भर्ती होने के लिए जायगा या किसी बड़े अस्पताल में भर्ती होने जायगा तो वहां उसको कोई दवा नहीं मिल पाती है। उसको दवाइयां लिख कर पर्ची दे दी जाती है कि ये दवाइयां बाजार से ले आओ। वह बेचारा दुकान भी नहीं जानता, दवाओं के नाम नहीं जानता बिल लाना तो दूर की बात है। मनमानी वसूलियां की जाती हैं। इसलिए कम से कम ऐसी स्थिति को देख कर चिकित्सा मन्त्री जी को चाहिए कि सभी अस्पतालों में ऐसे आदेश करें कि मरीजों की स्थिति देखी जाये कि मरीज किस स्थिति में हैं, उसी स्थिति के अनुसार दवा दी जाय कोई सूटेड बूटेड आता है, किसी प्रमुख का प्रभाव है या किसी एम.एल.ए. साहब की पर्ची लेकर आ गया उसको तो दवा मिल जायेगी लेकिन कोई गरीब बेचारा जिसको गम्भीर रोग है, उसको दवा नहीं मिल सकती है। इसके आप उदाहरण देख सकते हैं रजिस्टर में और पर्ची में देख सकते हैं कि यह व्यक्ति कौन है इसका क्या काम धन्धा है। जो प्रभावशाली हैं, उनको दवा दे दी जाती है, अच्छे से अच्छे टानिक दिए गए हैं लेकिन गरीबों को दवा नहीं मिलती है।

इसके अलावा मुख्य बात जो मैं चिकित्सा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि कई जगह पर खास तौर से मैं जिस एरिया से आता हूं जो कि मारवाड़ का एरिया कहलाता है, वहां पर बड़े बड़े सेठ हैं जो दक्षिण भारत में रहते हैं। कुछ तो अपने नाम से उन गांवों जहां से वे गए हैं, में अस्पताल भवन बनाना चाहते हैं। तो ऐसे भवन जो लोग बनाना चाहते हों उनको जल्दी से जल्दी स्वीकृति दी जाय ताकि भवन का पैसा तो सरकार का बचे। भवन बनाने के लिये भवन की जमीन ले ली है, वहां जो नींव लगा कर काम शुरू करने वाले हैं, वे भवन बनाने से पहले चाहते हैं कि वहां अस्पताल शुरू हो जायें वे जिस प्रकार का भी मकान चाहिए, जिसमें डॉक्टर के रहने की सुविधा भी होगी अस्पताल के लिए सारी सुविधा होगी, देने को तैयार हैं। मैं बताता हूं कि खारची तहसील में जोजावर गांव हैं वहां पर एक बिजनेसमैन बिल्डिंग देना चाहते हैं जिसमें अस्पताल शिफ्ट किया जा सके। वहां किसी प्रकार का अस्पताल नहीं है इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि किसी न किसी प्रकार की डिस्पेंसरी खोल दें। मैं वहां का विधायक होने के नाते आपके माध्यम से मंत्री महोदय से वायदा करता हूं कि इस साल के अन्त तक अस्पताल की बिल्डिंग हालांकि अस्पताल गांव में होगा जिसकी डिस्पेंसरी होगी लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वाली उनकी सुविधा वाली बिल्डिंग बना करके उन सेठजी से मैं आपको दिलवा दूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री चन्द्रवीर सिंह।

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदया, राजस्थान के लोग जैसे जैसे अपनी रूढ़िवादी प्रथाओं से उठते जा रहे हैं उसी तरह से ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अस्पतालों में आने लगे हैं। पहले लोगों को भूतों पर, जादू टोनों पर विश्वास था और अस्पतालों के लिए यह कहा जाता था कि अगर किसी को मरना हो

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

तो वह अस्पताल में जावे। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। आज बड़ी भारी मात्रा में राज्य के ग्रामीण लोग अस्पतालों की ओर देख रहे हैं और बड़ी भारी मात्रा में अस्पतालों में जा भी रहे हैं। राजस्थान के पश्चिमी संभाग खास तौर से जैसलमेर के लिये मैं कहना चाहूंगा कि जैसलमेर जिला राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। 16 हजार वर्ग मील में केवल दो स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र हैं और उन केन्द्रों की भी दयनीय स्थिति है। मैं अगर आपको पढ़ कर सुनाऊं, सभापति महोदया, तो आप और मंत्री महोदय स्वयं इस बात की जानकारी कर लेंगे कि वहां के अस्पतालों की क्या हालत है।

माननीय सभापति महोदया, जैसलमेर में कनिष्ठ विशेषज्ञ औषध का स्वीकृत एक पद है और रिक्त भी एक पद है। इसी तरह से कनिष्ठ विशेषज्ञ बाल-रोग स्वीकृत एक पद और रिक्त एक पद। इसी तरह से कनिष्ठ स्त्री रोग-स्वीकृत एक पद और रिक्त भी एक पद। इसी तरह से सी. ए. एस. के 26 स्वीकृत पद जिसमें से 8 रिक्त पद। मेल नर्सेज श्रेणी-ए, 4 स्वीकृत पद और 3 रिक्त। मेल नर्सिंग श्रेणी-2- स्वीकृत पद 27 और रिक्त पद 241। स्टाफ नर्स 2, रिक्त एक। एल. एच. वी.-कुल पद 8 और रिक्त 6। पी. एन. एम. कुल पद 38 और उसमें से 18 रिक्त। दन्त टैक्निशियन का कुल एक पद और वह भी रिक्त। एक्स-रे टैक्निशियन के कुल 2 पद और उसमें से एक पद रिक्त। रेडियोग्राफर का एक पद और वह भी रिक्त। वरिष्ठ लिपिक के चार में से दो पद रिक्त। एफ. डब्ल्यू. डब्ल्यू. का एक पद और वह भी रिक्त। इसी तरह से एफ. पी. एज. ए. के 12 स्वीकृत पदों में से 11 पद रिक्त।

श्री सभापति : क्या सभी स्थान रिक्त हैं ?

श्री चन्द्रवीर सिंह : जी, हां। मुझको बड़ा अफसोस है। यह एक मानवीय समस्या है इसको राजनीति से कतई नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे विश्वास है, उम्मीद है, आशा है कि हमारे चिकित्सा मन्त्री महोदय इसको राजनीति से नहीं जोड़ेंगे। जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या को आप देखें तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर कोई जाना नहीं चाहता है। इसका कारण भी है। वहां पर डॉक्टर्स के रहने की कोई सुविधा नहीं है। बच्चों के एजूकेशन की भी तकलीफ होती है। इसी तरह की कई समस्याएं हैं। डॉक्टर्स और सबोर्डिनेट स्टाफ बाड़मेर और जैसलमेर जाने से घबराते हैं। उनका घबराना उचित ही है। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि जो डॉक्टर्स, जैसलमेर, बाड़मेर या पश्चिमी संभाग में जाएं उनको आप इन्सेन्टिव दें। यह इन्सेन्टिव उनको देना जरूरी है। इन्सेन्टिव के रूप में आप उनको विशेष भत्ता दे सकते हैं। जो डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ इन डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं उनको आप एक्स्ट्रा अलाउन्स दें। इसके साथ साथ ऐसी व्यवस्था आप करें कि जो डॉक्टर्स पश्चिम संभाग के इन जिलों में तीन वर्ष काम कर लें उसको उसकी च्वाइस, पसन्द के स्थान पर सरकार पोस्ट करेगी। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपकी समस्या हल हो सकती है वरना यह समस्या हल नहीं होगी।

(श्री चन्द्रवीरसिंह)

सभापति महोदय, जैसलमेर अस्पताल, पोकरण अस्पताल की जो स्थिति है, वह काफी शोचनीय है। चिकित्सा मन्त्री महोदय मैं आपको निमन्त्रण देता हूं कि आप स्वयं पधार कर वहां की स्थिति को देखें तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पोकरण अस्पताल के भवन में दरारें पड़ गई हैं। एक एक्स-रे मशीन है लेकिन टैक्निशियन नहीं है तो वह किस काम की है। पोकरण से जैसलमेर 70 मील दूर है और जोधपुर 100 मील की दूरी पर है। मरीज कहां जायगा, किस तरह जाकर वह अपना इलाज करायगा, यह आप स्वयं सोच सकते हैं। इसलिए मैं स्वास्थ्य मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जो ट्रान्सफर, पोस्टिंग आप डॉक्टर्स का करते हैं उनमें यह रूल तो नहीं हैं, परन्तु आप ऐसा कन्वेन्शन डाल सकते हैं कि जो हस्बैन्ड और वाइफ डॉक्टर हों उनको एक ही स्थान पर रखा जाए उनका ट्रांसफर न हो।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा हूं कि जैसलमेर में क्षय रोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्षय रोग निवारण हेतु जो साधन आज वहां पर हैं वे बहुत ही कम हैं। टी. बी. सेन्टर खुल गया है लेकिन उसमें कोई आइसोलेशन वार्ड नहीं है। आप स्वयं जानते हैं, चिकित्सा मन्त्री जी; टी. बी. की बीमारी एक छूत की बीमारी है और अगर आईसोलेशन वार्ड न हो तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि जैसलमेर के लिए क्राउन प्रिन्स आबूधाबी के शेख अलीफा बिनजायद द्वारा 10 लाख 11 हजार 200 रुपये की राशि भेंट स्वरूप दी गई है। इस राशि में से 4.96 लाख की राशि रामगढ़ चिकित्सालय के लिए राज्य सरकार ने रखी है और 3.51 लाख रुपये चिकित्सालय भवन के निर्माण के लिए है। इसी प्रकार से 60 हजार रुपये की राशि जीप के लिए व्यय की स्वीकृति दी गई है। यह राशि 8-4-37 के मद में डिपोजिट की हुई है जिससे पी. डब्ल्यू. डी. के खाते में जमा होती है। चिकित्सा विभाग ने रामगढ़ के चिकित्सालय के लिए भूमि का आवंटन कर दिया है और राशि हस्तान्तरण की कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग में पैन्डिंग है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो धनराशि है यह राज्य सरकार को किसी ने गिफ्ट में दी है और एक पर्टिकुलर काम में लेने के लिए दी है। यह आपको बजट में से नहीं निकालना है इसलिए आप इस धनराशि को तुरन्त ही हस्तान्तरण कर दें तो ज्यादा हितकर होगा क्योंकि जिस रेट से इन्फलेशन बढ़ रहा है उसको देखते हुए जो धनराशि है, उस धनराशि से दस कमरों के भवन का निर्माण आप आज कर सकते हैं उसी धनराशि से आप साल भर बाद सात कमरे भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह धनराशि आप तुरन्त हस्तानान्तरित कर दें तो वहां पर भवन निर्माण का कार्य हो सके। रामगढ़ एक सीमावर्ती गांव है इसलिए वहां पर शीघ्र ही चिकित्सालय भवन खोलने का कष्ट करेंगे।

अन्त में मेरा यह निवेदन है कि वहां पर जो स्थान रिक्त हैं उनको भी आप शीघ्र भरने का कष्ट करें। मुझको पूरा विश्वास है कि आप इस ओर ध्यान देंगे। यह मकसद

(श्री चन्द्रवीरसिंह)
तभी हासिल हो सकता है जब तक आप डॉक्टर्स को वहां जाने के लिए इन्सेन्टिव नहीं देंगे। इन्सेन्टिव नहीं देंगे तो डॉक्टर्स नहीं जाएंगे। सभापति महोदया, यह देखा गया है कि जिन डॉक्टर्स के ट्रान्सफर किए जाते हैं वे जैसलमेर को नहीं जाते हैं और छुट्टियां लेकर बैठ जाते हैं और अक्सर करके वे अपने अपने तबादलों को केन्सिल करवा लेते हैं। मैं उन डॉक्टर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने जैसलमेर में पहले काम किया और आज भी काम कर रहे हैं, वे बधाई के पात्र हैं जो लगन से, समय पर मरीजों की ओर ध्यान दे रहे हैं। मैं इन डॉक्टर्स का शुक्रगुजार हूं। मैं चाहता हूं कि आप इन डॉक्टर्स को, जो आज भी वहां पर कार्यरत हैं, अभी से इन्सेंटिव दें तो उचित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (माण्डल) : माननीय सभापति महोदया मैंने माण्डल प्रसूति गृह की स्थिति की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कटौती प्रस्ताव रखा है। माननीय सदस्यों ने आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है। मैं भी माण्डल क्षेत्र की चिकित्सा संबंधी समस्याओं की ओर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। माण्डल क्षेत्र की समस्या के बारे में कहूंगा। समय काफी कम है। माण्डल काफी लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है। यह छोटे छोटे गावों से घिरा हुआ है। म्यूनिसिपैलिटी एरिया भी है। वहां पर एक ही चिकित्सालय है। राज्य की तरफ से काफी समय हो गया किन्तु अभी तक वहां पर बिल्डिंग नहीं बनायी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मन्त्री महोदय ध्यान देंगे। यह ग्रामीण क्षेत्र है इसलिए और भी ज्यादा ध्यान देंगे।

माण्डल के आयुर्वेदिक औषधालय को आपने "ए" ग्रेड दे रखा है फिर भी वहां पर वैद्य के लिए बैठने का स्थान नहीं है और जो औषधालय है वह किराये के मकान में है। जनता पार्टी के शासन काल में भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया-आपस में लड़ने, झगड़ने में इनका इस ओर ध्यान नहीं गया। अब कम से कम अच्छा मौका आया है माण्डल में आज लोग आस लगाये बैठे हैं, मैं उम्मीद करूंगा की आप इस बार चूकेंगे नहीं।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : यह बिजली क्या कर रही है ?

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, माण्डल एक लम्बा चौड़ा इलाका है। उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है। वहां पर हर बार डॉक्टर की समस्या रहती है, मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पर डॉक्टर को भेजा जायेगा। आज भी वहां पर बड़ी समस्या है। गांव वाले बार बार डॉक्टर के लिए आशा रखते हैं। मैंने माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को भी लिखा है, परन्तु आज तक उनकी समस्या को हल नहीं किया गया है। आये दिन इसके लिए झगड़े होते रहते हैं। मेडिकल ऑफिसर जो जिले का है उनको कहा जाता है, उनका यह स्वभाव हो गया है वे जनता राज के होने के कारण हमारी बातों पर ध्यान नहीं

(श्री विहारी लाल पारीक)

देते हैं। गांव की स्थिति को समझ कर जिलाधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है, छोटे छोटे गांव हैं, लोग बैलगाड़ियों से पहुंचते हैं, यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है, साधन नहीं है, फिर डॉक्टर न पहुंचे, न मिले तो क्या तकलीफ होती है, यह आप अन्दाज लगा सकते हैं। वहां पर समस्या है। 8/10 दिन पहले ही मैं वहां पर होकर आया हूं लोगों की तकलीफ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस समस्या को हल करेंगे। मैंने जिलाधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित किया है। वहां पर डॉक्टर नहीं है। गांव वाले तकलीफ में हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान देंगे। पूरी तहसील में 46 पंचायतें हैं और 400 छोटे छोटे गांव हैं।

वहां पर प्रसूति गृह नहीं है। बहुत लम्बा चौड़ा इलाका है। कृपा करके कम से कम मांडल में, आपके पास बजट कम है, आपको फिक्र है पूरे राजस्थान की अकेले मांडल की नहीं है फिर भी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम इतना तो वहां की जनता की ओर ध्यान दें कि वहां पर एक प्रसूति गृह खोल दें। वहां के लोग बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। आप बजट में वहां के लिये आयुर्वेद औषधालय के बारे में और वहां के चिकित्सालयों के बारे में अगर कुछ ध्यान देंगे तो वहां का कुछ भला होगा। मैं समझता हूं कि वहां के लोग जागरुक हैं। वहां पर आप मौका देखें कि वहां कितनी दयनीय स्थिति है गांव से लोग आते हैं, बड़ी मुश्किल से वहां पहुंच पाते हैं। मेडिकल की व्यवस्था वहां ठीक नहीं है। मुझे यह बताते हुये शर्म आती है कि अधबिच में रह जाते हैं। बच्चे रास्ते में ही पैदा हो जाते हैं। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और फिर उस मानव को स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल सके, इसके अलावा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। मैं चाहता हूं कि जन भावनाओं की ओर ध्यान देते हुये एक प्रसूति गृह खोलने की कृपा करें। वहां के लोगों को भीलवाड़ा जाना पड़ता है जो कहीं से 40 किलोमीटर, कहीं से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। उन गरीबों की लाज बच जाये अगर आपकी कृपा हो जाये तो। लम्बी चौड़ी बात नहीं है बस एक मांडल में प्रसूति गृह खोल दें। बड़ी मुश्किल से मनुष्य योनि मिलती है। मैं आशा करता हूं कि जनता पार्टी तो कुर्सी की लड़ाई में पड़ी हुई थी उसके लिए जागरुक नहीं थी। अतः आप यह जो लाज बचाने वाली बात है, प्रसूति गृह की वह अवश्य पूरी करेंगे। आप जल्दी ध्यान दें इन्दिरा जी की भावना की वजह से हम सब यहां पहुंचे हैं। इस ढाई महीने में मेरे पास 200 लोगों की एप्लीकेशन आ गयी हैं इसलिये मैंने आपका ध्यान प्रसूति गृह की तरफ खींचा है। आशा है आप तुरन्त ध्यान देंगे''

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको अगले बजट में भी यही बोलना पड़ेगा।

श्री बिहारी लाल पारीक : मुझे उम्मीद है कि ये जनता पार्टी की तरह के लोग नहीं हैं। मैं मांडल की बात बताना चाहता हूं. हमारे मंत्री महोदय बड़े जागरुक हैं आप लोग तो लड़ाई झगड़े में रहे इसलिये विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं आशा करता हूं कि मांडल जो एक पिछड़ा इलाका है उस पर कृपा करेंगे और प्रसूति गृह और चलित चिकित्सालय खोलेंगे। वह माइन्स का

(श्री विहारीलाल पारीक)

एरिया है। वहां पर ढाई तीन साल से माइका की हालत खराब हो गयी है तो वहां के लोगों की हालत बड़ी खराब हो गयी है। वहां जो चलित औषधालय था वह बन्द हो गया है। न तो सेंटर की तरफ से और न राजस्थान की तरफ से कोई व्यवस्था है। वहां बड़ी मेहनत से ढाई तीन साल मजदूरों ने मेहनत की और अब ऐसा समय आ गया है कि माइन्स में काम नहीं होने के कारण मजदूर गांवों में आ गये हैं उनके लिये कोई सुविधा नहीं है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि वहां पर आप यह व्यवस्था करायेंगे ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां सेंटर की तरफ से होने के कारण राजस्थान की गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। मैं आशा करता हूं कि उस मजदूर इलाके में आप चलित औषधालय की व्यवस्था जिला अधिकारी को कहकर अवश्य करवा देंगे। मैं आशा करता हूं कि आप मांडल में प्रसूति गृह खोलने की ओर भी ध्यान देंगे। वह जनता के लिये लाभकारी होगा।

श्री सभापति : श्री मेघराज !

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सभापति महोदया, आज 30 साल हो गये हैं और अब भी आप सुन रही हैं कि अधिकांश ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में पूरी चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। सभापति महोदया, एक तरफ तो देश में डॉक्टर हजारों की तादाद में बेकार हैं और दूसरी तरफ आपके ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में देश भर में पांच हजार, पच्चीस हजार और पचास हजार की जनता है उसके बीच में डॉक्टर नहीं है। यह आपकी पूंजीवादी व्यवस्था है।

सभापति महोदया, आपकी व्यवस्था इस तरह की हो गयी है कि एक तरफ तो मरीज हैं जो डॉक्टर के लिये तड़प रहे हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर हैं जो नौकरी के लिये तड़प रहे हैं। आपकी नीति मरीज और डॉक्टर दोनों को मिला नहीं सकती है। इस तरह की आपकी व्यवस्था है और आप कहते हैं कि गांवों में हमने बहुत कुछ कर लिया है। मैं जहां से आ रहा हूं, और मेरे साथी दूसरे भी जो विधायक हैं जो आपके कांग्रेस (आई) में बैठे हैं, उनके इलाके में भी आदिवासी इलाका है। सभापति महोदया, आदिवासियों का नाम लेकर, आदिवासियों को लुभावनी बातें कह कर आज तक जनता पार्टी वाले और कांग्रेस वाले उनको लुभाते रहे। 30 साल तक कांग्रेस ने आदिवासियों को लुभावने नारे, लगा लगा कर के राज कायम किया और ढाई साल तक जनता पार्टी ने भी इन गरीबों का सहारा लेकर अपना राज कायम किया लेकिन उनकी तरफ किसी ने भी नहीं देखा। सभापति महोदया, मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि जहां पर हॉस्पिटल खुले हैं मेरे क्षेत्र गोगुन्दा के गांव सहार में एक हॉस्पिटल खुला। वहां हसबैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं उनको एक जगह नियुक्त किया है। सभापति महोदया, मैं चाहूंगा कि अपने चिकित्सा मंत्री जी वहां जाकर जांच करायें। कलेक्टर को पहले उसके बारे में रिपोर्ट की थी। बिल्कुल कबूतर खाना बना हुआ है वहां की हालत बहुत खराब है, दवाइयां नहीं हैं। प्राथमिक हैल्थ सेंटर है। सारा का सारा आदिवासी इलाका है। यह तो वहां की हालत है।

(श्री मेघराज तावड़)

दूसरा विकरनी गांव की बात है आज वहां डॉक्टर जाता नहीं है और तनख्वाह उठाता है कहीं और से उस गांव के नाम से। एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि डॉक्टर्स ग्रामीण इलाकों में जाने के लिये तैयार नहीं हैं। क्यों नहीं जाते हैं ? अगर सरकार की व्यवस्था ठीक है तो गांव में नौकरी करने वाले भी मिल जायेंगे, तैयार हो जायेंगे। पर आप यह कहते हैं कि यह हमारा डॉक्टर है यह शहर में रहेगा, जयपुर में रहेगा, उदयपुर में रहेगा। क्यों आप सिफारिश करते हैं ? मेरे एक साथी कह रहे थे कि वे एम.एल.ए. एम.पी. के पीछे चक्कर काटते फिरते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह आदत किसने डाली ? इस भ्रष्टाचार के बीज आपने पहले बोयें हैं और आज उसका अनुसरण सब लोग कर रहे हैं। सभापति महोदया, आज जो प्रशासन की बात करते हैं, सब भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे अभी दाऊदयाल जी एक इंजेक्शन लेकर पधारे थे कि यह मिलावटी है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अन्दर भी मिलावट हो गयी है। उधर सामन्ती थे महारावल जैसे आज वे कांग्रेस (आई) में चले गये हैं और उधर डॉक्टर साहब भी हैं वे भी उधर चले गये हैं। तो जब पार्टी ही मिलावटी है तो फिर चीजें शुद्ध मिल नहीं सकती हैं। आप इस तरह की व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं। सभापति महोदया, आज हम भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं। हॉस्पिटल की हालत देख लीजिये, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर एक गरीब आदमी जिसके पास हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिये पैसा नहीं है किराया नहीं है, साधन नहीं है बेचारा बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल पहुंचता है तो सबसे पहले डॉक्टर पैसा मांगता है, फीस मांगता है वह फीस नहीं दे सकता है। सभापति महोदया, तो फिर उसको भर्ती नहीं किया जाता है और जब फीस के बिना भर्ती नहीं हुआ तो वहां दम तोड़ देता है। वापस जाने के लिये पैसा नहीं होता है जो उसको लेकर आते हैं उनके पास। फिर कोई दया करने वाला आ जाये तो चंदा करके उसको वापस पहुंचाया जाता है। यह है, आपके अस्पतालों की हालत ? और गांवों के अस्पतालों का नाम निशान नहीं है। बहुत दूर दूर और नाम मात्र के अस्पताल हैं। सभापति महोदया, आज ग्रामीण लोगों के पास खाने को कुछ नहीं। आपने भी सुना होगा कि नाथद्वारा के पास 6 लोगों की पानी पीने से मृत्यु एक साथ हो गई। जहरीला पानी पीने से उनकी मृत्यु हो जाती है तो आप कहते हैं कि प्रोटीन का भोजन चाहिए; प्रोटीन कहां से मिलेगा ' आज हर चीज में मिलावट है। आप पकड़ नहीं सकते हैं। पकड़े जाने वाले को छोड़ देते हैं। उसकी सिफारिश आ जाती है। जब तक लोगों पर सख्ती से कार्यवाही नहीं की जायगी जब तक इन लोगों को फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता है, तब तक यह भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। मैं चिकित्सा मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि दवाइयों के इंजेक्शन हैं, इन इन्जेक्शनों में मिलावट है। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों की कठोरतापूर्वक जांच करके पकड़ कर बन्द कर देना चाहिए। जैसी कि आज सवेरे बात की जा रही थी एक औरत की नसबंदी करने के लिए इन्जेक्शन लगाया गया, उससे रिएक्शन हुआ। यह

(श्री मेघराज तावड़)

डाक्टर ने गलत लगाया जिसने उस औरत की जान ले ली, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। मैं चाहूंगा कि चिकित्सा मन्त्री ध्यान दें। स्वास्थ्य विभाग इस ओर ध्यान दे। आपके वड़े बड़े विभाग खुले हुए हैं। आप गांवों में कभी कोई ध्यान नहीं देते हैं। या उन होटलों में जहां छोटे बच्चे हैं जहां इतने गन्दे होटल हैं स्वास्थ्य विभाग ने कभी उनको पकड़ा है। इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : हमने तो औरत को जिन्दा कर दिया। आपने तो मार दिया होता।

श्री मेघराज तावड़ : आप तो चुप रहें। आज शहर में जो हालत देखी शहर में जितने छोटे ढावे हैं छोटे छोटे होटल हैं जहां पर खाना बनता है, एक होटल पर सुबह सब्जी पड़ी हुई थी, उसके अन्दर बिच्छू मरा हुआ पड़ा मिला। क्यों मिला? क्यों आज आपका स्वास्थ्य विभाग उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान जलदाय विभाग की तरफ दिलाना चाहता हूं। उदयपुर में जल कुंभी आज पिछोला झील में होने से ऐसा लगता है कि वहां पर मैदान पड़ा हुआ हो। पानी नाम की कोई चीज नही है। इसके बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आया। मोहनलाल सुखाड़िया, जो भू. पू. मुख्यमन्त्री थे, ने भी चिट्ठी लिखी है लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। वहां पर सिन्धी जाति का हरीश नाम का लड़का था। नहाने के लिए कूदा उस कुम्भी में फंस कर मर गया। उसका छोटा भाई बचाने गया। बड़ा भाई मर गया उस कुम्भी में फंस करके। आज यह हालत है। स्वास्थ्य के लिहाज से इस जल कुम्भी को युद्ध स्तर पर निकालना चाहिए। दो दो ट्रक लगा रखे हैं। जल कुम्भी को निकालने के लिए दो दो ट्रक लगा रखे हैं जिससे वह पानी खाली नहीं होता है। छह महीने से जलकुम्भी निकाली जा रही है। दस फीट पानी खाली नहीं कर सके हैं और छः महीने से खर्चा किया जा रहा है, जलकुम्भी निकालने का। गांवों में पीने का पानी दूर दूर है। वह बावड़ियों से या नदियों से पानी लाते हैं जिस पानी में कीटाणु होते हैं, जिनसे नाहरू के रोग से हमारा पहाड़ी इलाका भयभीत हो जाता है। आज चाहे उदयपुर डिवीजन का पूरा पहाड़ी इलाका ले लीजिए। उन कुओं में ऐसा खराब पानी है जिसके पीने से नाहरू रोग हो जाता है। हर गरीब आदमी नाहरू से ग्रसित है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें नाहरू की बीमारी नहीं हो। क्योंकि वे खुली बावड़ी का पानी पीते हैं वहां नल योजना नहीं है। वहां पर पानी के लिए कोई योजना नहीं है। हैण्ड पम्प नहीं हैं। सरकार की ओर से बात की जा रही है बड़े लम्बे समय से पानी की व्यवस्था की जा रही है चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है। सरकार के ये लम्बे चौड़े आंकड़े हैं। आंकड़े नहीं, सरकार इस ओर कठोरता से कदम उठाये या कोई नीति अपनायें। खाली आंकड़ों से काम नहीं चलेगा। सभापति महोदय, मेरे इलाके के बारे में कहना चाहता हूं। सायरा गांव में लोगों ने एक लाख रुपया लगाकर हॉस्पिटल की बात की थी। सरकार ने मंजूरी देने का आश्वासन दिया था। आज भी वह दो लाख और देने को तैयार हैं। एक लाख पहले

(श्री मेघराज तावड़)

बिल्डिंग में लगा दिया वह बिल्डिंग अधूरी पड़ी है। मेरा इलाका पहाड़ी है। आदिवासी इलाका है, वहां पर हॉस्पिटल खोला जाये तो आदिवासी इलाका को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। वहां से उदयपुर 40 से 50 मील दूर है। इतनी दूर जाना पड़ता है जो गरीब लोगों के लिये संभव नहीं है। इसी तरह से जिन गांवों में डिस्पेंसरी हैं, वहां पर डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नदारद हैं। जो डॉक्टर वहां पर नहीं रहते हैं वह मोटी तनख्वाह लेते हैं। मुफ्त की तनख्वाह उठाते हैं उनकी तनख्वाह वापस वसूल की जाये। दूसरा, एक पड़ावली गांव है वह भी मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में है। बिल्डिंग बनी हुई है वहां पर डॉक्टर राजनैतिक कारणों से नहीं आ रहा है। मैं, सभापति महोदय, यह भी निवेदन करूंगा कि कोई भी कार्य हो जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ न करें। अस्पताल खुले और राजनैतिक कारणों से डॉक्टर नहीं जाये यह डेमोक्रेसी के लिये कलंक की बात है। यह भेदभाव की नीति नहीं बरतनी चाहिये और डॉक्टरों को भेजा जाना चाहिये।

श्री सभापति : श्री श्रीराम गोटेवाला।

(अनुपस्थित)

श्री बनवारी लाल

(अनुपस्थित)

श्री नरपत राम

(अनुपस्थित)

श्री नानालाल

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्दसिंह

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : सभापति महोदया, चिकित्सा विभाग पर, मेरे कटौती प्रस्तावों के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र नसीराबाद में एक अस्पताल था वह अस्पताल केन्द्रीय सरकार द्वारा केण्टोनमेण्ट बोर्ड में था। इस अस्पताल के लिए चुनाव के समय राज्य सरकार ने घोषणा की थी, इसके लिये पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया था। अस्पताल के लिए भूमि भी प्राप्त करने की कोशिश की गई थी। केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकार को देने की योजना थी लेकिन राज्य सरकार ने वह अधिकार वापिस ले लिया।

सभापति महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि जहां राज्य सरकार को लाखों रुपयों का फायदा हुआ, काफी जगह मिली, सारा कुछ मिला, इसके बावजूद जो अस्पताल की तरक्की होनी चाहिए थी वह आज तक नहीं हुई है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस अस्पताल को लाने के बाद सरकार की योजना थी कि 50 बैड का अस्पताल बनाया जाये। अब वक्त आ गया है और इस प्रकार की कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि जिस उद्देश्य से राजस्थान सरकार को यह बिल्डिंग ट्रान्सफर की थी वह उद्देश्य पूरा हो सके। सभापति महोदय, नसीराबाद क्षेत्र में यही एक बड़ा अस्पताल है। इस अस्पताल में न लेबोरेटरी है पूर्णतया और न स्टाफ है। इसी तरह जब इमर्जेन्सी के केसेज आते हैं तो उनको अजमेर रेफर किया जाता है, लेकिन उसके लिए एम्बूलेन्स की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं मन्त्री

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस अस्पताल को रेफरल अस्पताल का रूप दे दिया जाय। यहां पर एक लेबोरेटरी और मरीजों को ले जाने के लिये एम्बूलेन्स की जरूरत है, इसकी व्यवस्था इसी बजट में की जाकर इसकी घोषणा की जावे तो मुझे खुशी होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : सवाल ही नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सवाल तो आपके जमाने में नहीं था। सभापति महोदया, मैं इस अस्पताल की जो शोचनीय अवस्था है उसकी ओर भी माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर जो प्रि-मेडिकल स्टाफ है, खासतौर से जो क्लास फोर्थ स्टाफ है जिसके ऊपर अस्पताल की स्वच्छता और सफाई का पूरा भार है, वह बहुत कम है इस वजह से अस्पताल का स्वरूप बिगड़ा हुआ है। अगर माननीय मन्त्री महोदय वहां पधारने की कृपा करें तो उनको मालूम होगा कि वह कोई अस्पताल नहीं बल्कि कोई कचरा फेंकने की जगह है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस अस्पताल की सफाई की व्यवस्था के लिए उचित स्टाफ तुरन्त प्रदान किया जावे।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में जयालु, भानपुरा, गडोल आदि ऐसे बड़े गांव हैं जहां पर चार पांच हजार की आबादी है लेकिन खेद की बात है कि वहां पर न तो कोई औषधालय है और न एलोपैथी का कोई अस्पताल ही है और न ही किसी प्रकार की कोई चिकित्सा की सुविधा ही उपलब्ध है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वहां पर आप किसी वजह से एलोपैथी का अस्पताल नहीं खोल सकें तो कम से कम एक छोटा सा आयुर्वेदिक औषधालय जरूर खोलने की कृपा करें ताकि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले गांव को जीवन की जो बुनियादी आवश्यकता है, वह पूरी हो सके और जो हमारा वैलफेयर स्टेट का आब्जेक्ट है वह आगे बढ़ सके। सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र में न्यारा गांव है, वहां पर अस्पताल का भवन बनाया है, लेकिन खाली पड़ा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस न्यारा गांव में जो भवन है उसमें अस्पताल के लिये स्टाफ और औषधियों की व्यवस्था की जाय ताकि न्यारा गांव की जनता को अस्पताल की सुविधा प्राप्त हो सके। इसी सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि नसीराबाद में जो एक औषधालय अभी पांच बैड्स का चल रहा है, मुझे यह कहते हुए दुख है कि वहां की एक पोस्ट तोड़ कर गंगापुर सिटी भेज दी गई है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जितने भी बैड्स हैं उनको कायम रखा जाय। इसके साथ ही इसका वर्तमान में जो स्थान है वह उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त स्थान जो केन्टोनमेन्ट में अस्पताल है उसका जो आइसोलेशन वार्ड है, वह है। वहां पर खाली जगह पड़ी है, वहां पर मकान और कमरे भी हैं, उस जगह इसको स्थानान्तरित कर दिया जाय तो लोगों को उचित सेवा मिल सकेगी।

सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)
मन्त्री महोदय से कि कुछ निश्चित आय के लोगों को जैसे दो हजार जिसकी सालाना आमदनी है या जो इनकम टैक्स नहीं देता है, ऐसे लोगों को यदि कोई दवाई की जरूरत हो तो उसको बाजार से लाने के लिये कहा जाता है गरीब आदमी बाजार से दवाई खरीद नहीं सकता है, इसके लिए राज्य सरकार के पास जो फण्ड्स हैं उसके माध्यम से कम से कम इस प्रकार की दवाइयां वहीं पर गरीबों को उपलब्ध कराई जायं। इसके लिए उस फण्ड में वृद्धि की जानी चाहिये इससे गरीबों को सुविधा मिल सकेगी और दवाइयों के अभाव में जो दुख और तकलीफ गरीबों को भोगनी पड़ती है और कई बार मौत भी हो जाती है, उससे बचा जा सकेगा।

सभापति महोदया, मलेरिया के लिये प्रचार किया जाता है, काफी स्टाफ भी इसके लिये तैनात है लेकिन गांवों में जो सेवा है खाली फार्मेलिटी के तौर पर इस तरह का रह गया है कि काम करना है। मलेरिया का स्टाफ जाता है और घूम फिरकर वापस आ जाता है, मकान पर नम्बर और तारीख लिखकर आ जाता है लेकिन जो दवाई छिड़कने का काम है वह नहीं होता है। मच्छरों को मारने के लिए पर्याप्त दवाई नहीं है, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये लेकिन यह तो देखा जाय कि जो मौजूदा स्टाफ है वह वास्तव में दवाई छिड़कता भी है या नहीं और नियमित रूप से काम किया जाता है या नहीं।

सभापति महोदया, मैं कुछ शब्द मिलावट के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। कुछ सालों से यह देखने में आ रहा है, गत सरकार की तरफ से यह आदेश भी दिये गये थे कि मिलावटी वस्तुओं के नमूने नहीं भरे जायेंगे। पहले जो नमूने लिये गये थे पिछले तीन सालों में, उसमें गिरावट आई है। आज व्यापारी लोग स्वतन्त्रतापूर्वक मिलावट करके चीजों को बेच रहे हैं और उसका नतीजा यह हो रहा है कि आम आदमी के ...

श्री भंवरलाल शर्मा : व्यापारी चन्दा देते हैं आपको।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : तन्दुरुस्ती पर असर पड़ रहा है और वह कमजोर हो रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो मिलावट विरोधी अभियान है उसको तेज किया जावे और जो भी मिलावट करे उनसे कानूनी प्रक्रिया से निवट कर उसको सजा दिलवायी जावें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : व्यापारियों के खिलाफ बोल रहे हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदया, इनके दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाकर इनका दर्द दूर किया जावे।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सभापति महोदया, ग्राम रायसर मेरे क्षेत्र में है, वहां पर एक पी.एच.सी. है यह सेन्टर गत कई वर्षों से काम कर रहा है लेकिन मुझे खेद है यह कहते हुए कि जो दवाइयां और जो सेवा वहां उपलब्ध होनी चाहिये वह उपलब्ध नहीं कराई गई है। वहां के लोगों की हमेशा यह शिकायत रही है कि समय पर वहां दवाइयां नहीं मिलती हैं और बाहर से लोगों को लानी पड़ती हैं।

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

रामसर गांव में दवाई की उचित व्यवस्था नहीं होने से नसीराबाद या अजमेर से लोगों को दवाई खरीदनी पड़ती है और कई बार मरीजों की मौत भी हो जाती है।

नसीराबाद में जो अस्पताल है वहां पर फिजीशियन, सर्जन और लेडी डॉक्टर की तीन पोस्टें है लेकिन मुझे खेद है यह कहते हुए कि,

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

वहां पर जो सर्जन था उसका तबादला हुए कई महीने हो गये। उनका तबादला कर दिया गया लेकिन उसके स्थान पर सर्जन की व्यवस्था नहीं की गई। नसीराबाद एक काफी बड़ा कस्बा है, काफी पेशेन्ट वहां पर आते हैं लेकिन मजबूरी में उनको अजमेर या दूसरे अस्पतालों में भेजना पड़ता है वहां से जयपुर या दूसरे अस्पताल में भेजना पड़ता है। इसलिए मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सर्जन की सुविधा वहां पर देने की कृपा करें। इसी तरह जो लेडी डॉक्टर की सेवाएं दी जा रही थीं, पहले कोई और थी, अब कोई और है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में भी खास तौर से लेडी डॉक्टर को वहां पर भेजने का प्रबन्ध किया जाये, ताकि जो महिलायें हैं उनका सुचारू रूप से इलाज हो सके।

सभापति महोदया, मैंने नसीराबाद की तरफ के लिए कहा। वहां पर 2-3 अस्पताल चलते थे लेकिन कुछ समय से उनमें भी काम लगभग समाप्त हो गया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नसीराबाद क्षेत्र में अस्पताल खोलें और डॉक्टर की जो जगह हैं कम से कम उनको पूरा करने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री राम रघुनाथ ! समय का अवश्य ख्याल रखिये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सभापति महोदया मैंने अभी बोलना शुरू नहीं किया। सभापति महोदया, चिकित्सा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के सम्बन्ध में मेरे कुछ कटौती प्रस्ताव हैं। इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारत का 80 प्रतिशत क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और विभाग, मंत्री जी इसके लिए सतर्क हैं क्योंकि प्रतिवेदन में जो पंक्तियां लिखी हैं उनसे स्पष्ट लगता है कि वह काफी सहानुभूति रखते हैं, राष्ट्र के सर्वाङ्गीण विकास के लिये वहां के नागरिकों का स्वास्थ्य, स्वस्थ होना अत्यन्त आवश्यक है। वास्तव में स्वस्थ नागरिक ही राष्ट्र प्रगति की आधारशिला है। लेकिन हम वहां तक इसको सत्यता पर लाकर के इसको आधार मान सकते हैं इस बात को सोचने का विषय है। और वह यह है, सभापति महोदया, ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा कितनी हमने बढ़ा दी है, कितनी उपलब्ध करा दी है अगर इसको देखें तो मैं आपको अनुमानतः बता सकता हूं कि करीब 3 हजार व्यक्तियों पर एक रोगी शैया उपलब्ध है अस्पताल में। तो यह हम अन्दाज करके चलें कि ग्रामीण क्षेत्र में आपने चिकित्सालय खोले हैं क्या 3 हजार आदमियों में एक आदमी बीमार होता है और अस्पताल में आता है।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

और अगर इससे अधिक आते हैं तो कहां जायें, उनकी चिकित्सा का क्या प्रबन्ध है? मेरा निवेदन है, गांव में चिकित्सालय जिस भी स्तर के खोले हैं उनको और बढ़ायें ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जो मरीज आते हैं उनको अस्पताल में स्थान मिल सके।

इसके बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और माननीय श्री रामसिंह बिश्नोई ने भी बताया था कि गांव में जो डॉक्टर हैं, वह अच्छे तजुर्बेकार नहीं हैं और आप तजुर्बेकार डॉक्टरों को भेजिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो शहरों में सारी सुविधायें उपलब्ध हैं उनको गांव में नहीं दी जा सकती उसका कारण भी है। आपके कई यूनिट्स है जिनमें आपको बहुत पैसा लगाना पड़ता है तो वह भी हर डिस्ट्रिक्ट, हैडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैडक्वार्टर पर उपलब्ध नहीं हो सकता है। अगर उपलब्ध हो तो उस तरह की मशीनें, उनको हैन्डिल करने वाले टैक्निशियन्स भी होना संभव नहीं है। तब यह होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर जिन मरीजों को रेफर करके भेजते हैं तो उनका भी वहां पर इलाज नहीं हो पाता तो वह शर्म महसूस करते हैं। अगर किसी आदमी का इलाज ग्रामीण क्षेत्र में हो जाये तो वह शहर में नहीं आयेगा। शहर में आना है। तो वह मह पाता है। इस बात की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो यूनिट्स होती हैं उनका सबसे छोटा तत्व जो होता है वह लैक्चरार रीडर और प्रोफेसर और उसके साथ होते हाउस सर्जन।

वह बेचारा मरीज जब यहां आता है तो उसको फिर भी हाउस सर्जन के पास ही चिकित्सा लेनी पड़ती है और अधिक से अधिक मौका मिल गया तो लैक्चरार, रीडर और प्रोफेसर साहब के दर्शन तो कभी होते ही नहीं। प्रोफेसर साहब जाकर के आउट डोर मे बैठते नहीं। इसलिए मैं, सभापति महोदया, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि जिस यूनिट, जिस प्रोफेसर का आउट डोर हो तो निश्चित तौर से जिस दिन उसका आउटडोर हो, उस दिन आउट डोर पर बैठें और अगर इस तरह के रेफरशुदा केस गांव से आते हैं, उसको हैन्डिल करें। क्योंकि उस स्तर के डॉक्टर को 8-8, 10-10 साल का एक्सपेरीयंस है गांव में आज एम. एस. और एम. डी. डॉक्टर उपलब्ध हैं और अगर वह नहीं है तो हैडक्वार्टर पर जहां सी. एम. एन्ड एच ओ. बैठते हैं वहां पर उपलब्ध हैं। वहां पर जब चक्कर काटकर शहर में आता है तो सस्ता इलाज मिलेगा और उसको भर्ती होने का मौका मिल जायेगा और उसके साथ अच्छे डॉक्टर उसको देखकर के इलाज कर सकेंगे लेकिन जब यहां आकर के हाउस सर्जन और लैक्चरार के आगे दर्शन नहीं होते तो इलाज क्या करायेगा। इसलिए दुःख इस बात का नहीं है कि आप अच्छे डॉक्टर और अच्छे यूनिट्स उपलब्ध करायें। प्रश्न इस बात का है कि जो मरीज शहर में आता है उसको तुरन्त अविलम्ब एक पैसे बिना खर्च किये भर्ती होने का मौका मिले और उसको कम से कम रीडर और प्रोफेसर देखें कि उसको रेफर क्यों किया गया है और उसके लिए क्या किया जा सकता है आपके यहां पर जितने भी डिपार्टमेन्ट हैं अगर गांव वाले नाम सुनें तो

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

गांव वाले जानते नहीं हैं। गांव वाले कैसे जान सकते हैं। यूरोलोजी, कारडियो थौरोसिस, प्लास्टिक, पैडियाट्रिक, आर्थो-पेडिक, न्यूरो सर्जरी, ई. एन. टी., ओप्थमोलोजी, डेन्टल, डरमेटोलोजी। इतने आपने विभाग खोल रखे हैं और यहां मरीजों के लिए और रोग की सुविधा के लिए खोल रखे हैं। इसलिए नहीं खोल रखें हैं कि नाम मात्र के लिए हैं। लेकिन क्योंकि यहां सारी सुविधा डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर या पंचायत हैडक्वार्टर से निश्चित तौर से नहीं मिल सकती और जब निश्चित तौर से नहीं हो सकती तो यहां जितने भी यूनिट्स हैं और ब्रांचेज खोल रखी हैं, उन सबका फायदा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति को, गरीब से गरीब आदमी को प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए। यह कर्त्तव्य है इस विभाग का और, मंत्री महोदय, आपका भी। इसलिए मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है। मैं बहुत कुछ जानता हूं और बहुत से लोगों को भी जानता हूं जिनको प्रोफेसर के दर्शन तक नहीं होते हैं। मैं ऐसे विधायकों को भी जानता हूं जो प्रोफेसर के पास कान्टेक्ट करने के लिए गये कि मेरी खुद की तबियत ठीक नहीं है। उन्होंने उनका नाम लिखा एक स्लिप पर और उसे हाउस सर्जन के सुपुर्द कर दिया और उनसे कहा कि आप यहां टेस्ट कराके दिखा कर लाइये। हाउस सर्जन ने उनको देखकर के या बिना देखे दवाई लिख दी। आप मुझे यह बता दीजिये कि किसी भी विधायक के साथ यह हो सकता है, और प्रोफेसर महोदय को इतना भी टाइम नहीं है जो कि एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति है, जिसे आप कहते हैं कि प्रिविलेज क्लास, मैं तो कहता हूं कि प्रिविलेज क्लास में नहीं होना चाहिए। न भी होना चाहिए तो थोड़ा बहुत व्यक्तित्व रखता है उसके साथ-साथ प्रोफेसर का यह व्यवहार हो तो क्या हम यह मानकर चल सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले इस गरीब व्यक्ति, जिसका इलाज वहां पर नहीं हो सका है, को यहां पर प्रोफेसर के दर्शन उपलब्ध होंगे। इसलिए उनके आप दर्शन उपलब्ध कराइए ताकि उनके दर्शन के बाद उसका इलाज हो सके।

इतना ही नहीं, मैं कई डॉक्टरों के नाम बता सकता हूं लेकिन, सभापति महोदय, मैं डॉक्टरों के नाम लेना उचित नहीं समझता शायद बहुत से डॉक्टर इलाज कराने आते हैं और उनको भी प्रोफेसर के दर्शन नहीं होते हैं और वह डॉक्टर हैरान है कि हम उनके डिपार्टमेन्ट के हैं, हम उनके जूनियर्स है, हम उनसे छोटे हैं। बीमार हो गये, केवल इलाज नहीं हो रहा है क्योंकि हम खुद जानते हैं कि दवा कौन सी लेनी चाहिये। लेकिन वह बैठ नहीं रहे हैं इसलिये प्रोफेसर महोदय को कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं और उसके बाद प्रोफेसर महोदय उपलब्ध नहीं है। इसलिए आप उपलब्ध कराइये।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं थोड़ा सा पे-क्लिनिक के बारे में। यह जो पे-क्लिनिक होती हैं उसमें जो आदमी पैसा खर्च करता है वही वहां जा सकता है। डॉक्टर लोग वहां पर आराम से बैठते हैं क्योंकि प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करने के बाद एक ही चारा रह गया कि पे क्लिनिक में आकर बैठें और

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

उसमें से आधा आप ले जायें और आधा आपको दे जायें। इसलिए भी उनका आउट डोर में इन्ट्रेस्ट नहीं होता। आप पे-क्लिनिक को चलायें लेकिन निश्चित तौर से जिस दिन जिस डॉक्टर का आउट डोर हो, मंत्री महोदय, आपको देखना पड़े, चाहे हॉस्पिटल के सुपरिन्टेंडेंट महोदय जाकर देखें चाहे सैक्रेटरी साहब या कमिश्नर साहब जाकर देखें लेकिन निश्चित तौर से निर्णायक तौर से आउट डोर के दिन उन प्रोफेसर महोदय को आउट डोर पर होना चाहिये।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता था कि विशेष कर कुछ डिपार्टमेन्ट के सम्बन्ध में मैं न्यूरोलोजिकल के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। न्यूरोलोजी का डिपार्टमेंट आवश्यकता को महसूस करते हुए 1975 के अन्दर सरकार ने मेडिकल डिपार्टमेन्ट में खोला। हर डिपार्टमेन्ट में एक-एक यूनिट होती है। इस यूनिट में एक प्रोफेसर, एक रीडर, एक लेक्चरार या 2 लेक्चरार या 2 रीडर होते हैं। इस यूनिट में भी उसी के आधार पर एक प्रोफेसर, एक लेक्चरार और एक रीडर होना चाहिए। खेद की बात यह है, सभापति महोदय, कि आज दिन तक इस डिपार्टमेंट में एक रीडर की पोस्ट है, न तो प्रोफेसर की पोस्ट है और न लेक्चरार की पोस्ट है और आप यहां एम. सी. एस. की ट्रेनिंग दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं। जहां डिग्री दे रहे हैं उस डिग्री देने वाली यूनिट और डिपार्टमेन्ट में आप के प्रोफेसर और लेक्चरार की पोस्ट ही नहीं है।

आपने गंगवाल साहब को इसका इन्चार्ज बना दिया, जो डेपूटेशन पर कार्य कर रहे हैं, जनरल सर्जरी के हैं क्योंकि यूरोलोजी में स्पेशलाइजेशन कर लिया इसलिए उनको यह विभाग आपने सौंप दिया, बहुत अच्छा किया वह तो एज ए प्रोफेसर काम कर रहे हैं। आपने डॉ. एस. सी. माथुर को रीडर बनाया वह भी एम. सी. एच. हैं He is Authorised क्योंकि उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, अनुभवी हैं, तो जहां हर साल दो पोस्ट ग्रेजुएट लड़कों को फर्दर एजूकेशन एम सी. एच. की डिग्री दे रहे हैं, यूरोलोजी में स्पेशलाइजेशन करने जा रहे हैं उस विभाग में आपका लेक्चरार नहीं, आपने आज तक पोस्ट ही क्रिएट नहीं की, यह कितने दुर्भाग्य की बात है। पोस्ट क्यों नहीं क्रिएट की गई ? 1978 में आपने प्रारम्भ किया एम. सी. एच. जो दो साल का कोर्स होता है। शुरू शुरू में डॉ. आर. के. गुप्ता और डॉ पी. एन. कल्ला को लिया गया जिनमें से एक रीडर और एक लेक्चरार हैं, क्योंकि उनको फर्दर स्टेडीज प्राप्त करनी थी उनको अवसर दिया गया और ये लोग 1978 में जब विदेश गए और जनवरी 1980 में पास होकर निकल गए तो आपके अस्पताल और कॉलेज में दो एम. सी. एच. क्वालिफाइड हो गए लेकिन चूंकि वह जनरल सर्जरी में कार्य कर रहे हैं तो आपको यूरोलोजी को उनकी सेवायें प्राप्त नहीं हुई। 1979 में दो नियुक्तियां और की-डॉ. एच. एन. गुप्ता का एडमिशन किया जो कि लेक्चरार लगे हुए हैं। दूसरे डॉ. मदासुखी, एम. एस. करने के बाद फ्रेश कैंडीडेट हैं। जब उनका एडमिशन किया गया तो दुनियां भर के झगड़े चले। आपके पास में एक्सपर्ट्स हैंड्स अवेलेबल

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

थे जिनको यूरोलोजी में एम. सी एच. करके आपको सेवाएं देनी चाहिये थीं लेकिन उनका न करके फ्रेश कैंडीडेट सदासुखी का अपाइंटमेंट क्यों किया गया···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं तो अभी शुरू ही नहीं हुआ।

श्री सभापति : इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है। 10 मिनट हो चुके हैं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : अपने मतलब की बात तो एक भी नहीं कर रहा हूं। आप चाहें तो बैठ जाऊं।

श्री सभापति : आप अपने मतलब की बात क्यों नहीं कहते ?

श्री राम रघुनाथ चौधरी: मैं सबके मतलब की कहना चाहता हूं। एक डॉ. सदासुखी फ्रेश हैं, 1980 में तो किसी का एडमिशन ही नहीं किया गया जबकि दो पोस्ट ग्रेजुएट हर साल लेने चाहिए थे। एडमिशन क्यों नहीं किया गया ? इसका कारण यह है कि अब जब सदासुखी पास होकर एम. सी. एच. बन जाएगा, तब पोस्ट क्रिएट करेंगे। मैं आज इस बात को बता रहा हूं जो एक साल बाद होने वाली है। मंत्री महोदय, बात नोट कर लें, यही होने वाला है जो मैं कह रहा हूं। यह पोस्ट क्रिएट की जाएगी जब सदासुखी एम. सी. एच. हो जाएगा, उसके बाद उसका एडहाक अपाइंटमेंट हो जाएगा उसके बाद जब पी. एस.सी. कॉल करेगी तो उसका नाम आ जाएगा क्योंकि गंगवाल एवं सरदार स्पेशलिस्ट हैं इसलिए वहां से सलेक्ट होकर आएगा और सदासुखी लेक्चरार होगा, तब होगा जब लेक्चरार की पोस्ट क्रिएट करेंगे। इसका मतलब यूरोलोजी में चाहे चंडीगढ़ या बैंगलोर से स्पेशलाइजेशन करके आयें उसका कोई मौका नहीं, पोस्ट नहीं, पी. एस. सी. कॉल नहीं कर सकती। एक पर्टीकूलर व्यक्ति के लिए पोस्ट क्रिएट हो, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता।

हमारे पास एक डॉक्टर हैं डॉ. एन. के दास गुप्ता, एम. सी. एस., उनको अस्पताल में लेक्चरार लगाया गया था उनको कोई काम नहीं सौंपा गया। यहां से तंग होकर वापस चले गये, जनरल सर्जरी से रीडर बनाया बीकानेर में। यह हाल है डिपार्टमेंट का, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जनता को लाभ होगा ?

आपके वार्ड्स पुराने बने हुए हैं जिनमें 25 रोगी शैय्या होनी चाहिए, आपने 64 डाल रखे हैं। तीन लैट्रिन्स और 2 बाथरूम होते हैं 25 मरीजों के हिसाब से जबकि 64 व्यक्ति, जमीन पर सोने वाले अलग हैं, और उनकी देखभाल करने वाले व्यक्ति वह सब व्यक्ति क्या तीन लैट्रिन्स दो बाथरूम में सवेरे का कार्यक्रम निपटा सकते हैं ? क्या वहां इलाज के सिवा सब कुछ मौजूद है, वहां खटमल मिल जायेंगे मच्छर, मक्खियां, बिल्लियां और चूहे भी मिल जायेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह जनता राज में सब कुछ हुआ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी: आप सबको ठीक कीजिए। क्योंकि यह मरीजों के फायदे की बात है, भगवान न करे, आपको कोई तकलीफ हो, तो आपको तो वार्ड में रखेंगे

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

नहीं, इसमें जो एयर कन्डीशन्ड जो वार्ड बन रहा है उसमें आप जायेंगे। इसलिए आप गरीबों की सोचें। इसके अलावा आपका स्टाफिंग पैटर्न गलत है। 25 मरीजों के पीछे एक सिस्टर। 8 मरीजों के पीछे एक स्टाफ नर्स, एक स्वीपर और एक वार्ड ब्वाय। आपके पास जगह नहीं थी, बिल्डिंग नहीं थी, मरीजों को एडजस्ट करने की कोशिश की तो आपने उसके साथ में नर्सिंग पैटर्न और स्वीपर को क्यों नहीं बदला? 8 मरीजों के पीछे एक स्टाफ नर्स अवेलेबल होनी चाहिए। अगर 64 मरीज हैं तो उसके हिसाब से स्टाफ नर्सेज अवेलेबल करायें। 25 के पीछे एक स्वीपर और एक वार्ड ब्वाय होना चाहिए तो 64 के लिए क्यों नहीं 4-4 उपलब्ध कराते? मरीजों के लिए यदि अलग भवन बनाकर नहीं दे सकते तो उनकी जो सुविधायें स्वीपर की मिलनी चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह तो उनको दीजिए। आप एक मरीज को बुलाकर उसकी एक बीमारी का इलाज करते हैं और दूसरी बीमारी लगा देते हैं। यह सौभाग्य की बात है कि हमारे मंत्री महोदय ने कभी इलाज नहीं कराया और इलाज कराने में विश्वास नहीं करते, अच्छी बात है, उनका स्वास्थ्य अच्छा है लेकिन बीमारी की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा।

आपके पास 125 एक्स-रे की मशीनें हैं उनमें एक भी ठीक नहीं है। जिला मुख्यालयों को देखें, तो या तो कहेंगे कि प्राइवेट कराओ या कहेंगे शहर में कराओ। रेडियोथेरापी मशीनें दोनों खराब पड़ी हैं, कैंसर जैसा रोगी आए और कभी किसी को सेक कराना हो तो कहां जाएगा? प्राइवेट रेडियो थेरापी कराने जायें तो उसका खर्चा भारी है। या तो जो लोग आपके टैक्निशियन्स हैं वे नाम मात्र के हैं, गैर जिम्मेदार हैं उनको हटाकर इसकी व्यवस्था कीजिए।

आपका एक रिहेबिलिटेशन रिसर्च सेन्टर है जहां नकली पांव लगाए जाते हैं। मेरे पास उनकी एक रसीद है नं. 736 दि. 4-10-79, 63) रुपए उस आदमी ने जमा कराए थे, उसका पांव टूट गया था, उसका जूता बनाना था। गांव का रहने वाला है, 10 बार आ चुका है और जा चुका है, कोई जवाब नहीं दिया गया कि कब उसका जूता बनेगा। इस तरह की ढिलाई है।

इसके साथ में दांतों का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है लेकिन डॉक्टर दांत निकाल सकता है बना नहीं सकता, तो जबड़ा सारा बाहर निकाल दिया और फिर डाल नहीं सकते तो उनको दांत बनाने का मैटीरियल देना चाहिए, वे होशियार व्यक्ति हैं ताकि बूढ़े भी जवान दिख सकें।

लेप्रोसी के लिए आपने कुष्ठालय बना रखा है और भारत सरकार का लक्ष्य है कि 1800 कुष्ठ रोगी हैं उनका पता लगायेंगे। आपने 745 का पता लगाया, 451 का इलाज चल रहा है, 134 मर गए तो ये 585 हो गए। इस तरह बाकी 160 का क्या हुआ न तो वे मरे न इलाज करा रहे हैं, न रिपोर्ट में बताया कि उनका क्या हुआ। आप जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें तो उसमें आंकड़े तो सही निकालें। यह जो कुष्ठ रोगी हैं ये हेरीडीटरी है, बच्चों में होते हैं। आप महिलाओं को सनभा-शुभ

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

कर परिवार नियोजन करा दें ताकि कुष्ठ रोगियों को बच्चा न हो।

पागल कुत्ते के संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि पागल कुत्ते द्वारा खाने के बाद उस आदमी का इलाज नहीं होता, उसको मरना पड़ता है। सभापति महोदया, आज स्थिति यह है कि उसके लिये इन्जेक्शन्स नहीं मिल रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि कम से कम उसके लिये आप इन्जेक्शन्स तो उपलब्ध करायें।

सभापति महोदया, अब थोड़ा आपको मोबाइल सर्जिकल यूनिट के लिये निवेदन करना चाहूंगा इसमें आपने जी. सी. शर्मा को डाइरेक्टर लगा रखा है। आपके मोबाइल यूनिट्स में कुल 500 बेड्स हैं। यह लोग जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और अपने कैम्प्स लगाते हैं। सभापति महोदया, यह लोग जाकर ग्रामीण क्षेत्र में इमीडियेट ऑपरेशन करके रिलीफ देते हैं। सभापति महोदया, यही एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऑन स्पॉट इमीडियेट ऑपरेशन करके रिलीफ पहुंचाया जा सकता है इसके लिये मेरा निवेदन है कि आप इसमें स्टाफ बढाइये, इसके ज्यादा से ज्यादा कैम्प्स लगाईये, इसमें आप अधिक से अधिक बेड्स बढ़ावें जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सकती है।

सभापति महोदया, मैं अब आपको परिवार कल्याण केन्द्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदया, अभी राज्य सरकार ने लेप्रोस्कोपी स्टरलाइजेशन का कार्यक्रम शुरू किया था। आप राजस्थान में आठ टीम्स को तैयार करने जा रहे हैं पर यह सब आप अब कर रहे हैं आप उस वक्त कर रहे हैं जबकि आपने गुजरात के चार पांच डॉक्टरों को लाखों रुपये का लाभ पहुँचा दिया और जब आपको पता लगा कि इससे हमको फायदा हो सकता है तो आपने भी ट्रेनिंग दिलाने के वास्ते स्कीम बनाई। ठीक है, आपने स्कीम बनाई अच्छा है। पर, सभापति महोदय, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हजारों ऑपरेशन हुए थे और उन हजारों ऑपरेशनस में एक दो कैजुअल्टी भी हो सकती है पर यह कैजुअल्टी क्यों होती हैं वैसे मैं टैक्निकल व्यक्ति तो नहीं हूं पर जहां तक मुझे जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं यह बता सकता हूं कि उन गुजराती डॉक्टरों को एक ऑपरेशन के लिये 14 रुपये दिये जाते थे और एक दिन में वह एक सौ ऑपरेशन्स कर सकते थे पर हुआ यह कि उन्होंने एक दिन में दो सौ ऑपरेशन कर डाले। सभापति महोदय, इस प्रकार एक व्यक्ति को आप दो सौ को 14 का गुना करके देखें उतना फायदा रोजाना का हुआ। पर जब इतने सारे ऑपरेशन एक व्यक्ति एक दिन में करेगा तो इस ऑपरेशन में गड़बड़ी हो सकती है। सभापति महोदय, आपके छोटी मोटी दुर्घटनाएं तो सुनने में ही नहीं आयी होंगी पर इसमें एक स्त्री का हाथ कट गया और एक स्त्री का पैर कट गया। यह इसलिये हुआ। सभापति महोदय, कि यह ऑपरेशन करते हैं तो पहले पेथेड्रीन का इन्जेक्शन इसमें इन्ट्राविनस लगता है जब इन्जेक्शन इन्ट्राविनस नहीं लग कर किसी दूसरी आर्टीरी में लग जाता है थोड़ा भी काम्पलीकेशन्स पैदा करके कहीं पर ब्लड सरक्युलेशन बन्द हो गया तो इसमें निश्चित तौर पर कई बार गैंगरीन हो

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

जायेगी तो फिर निश्चित तौर पर हाथ काटना पड़ेगा, किसी का पैर काटना पड़ेगा हाथ या पैर जो भी खराब हो जाता है वह काटने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता। सभापति महोदय, यह चूंकि टैक्निकल मामले हैं इसलिये इसको ईजी वे में नहीं लेना चाहिये। यह कोई एक ही घटना हुई हो यह बात नहीं, इसमें एक व्यक्ति न केवल हाथ-पैर कटा कर ही रह जाता है कभी कभी इससे व्यक्ति मर भी जाता है। सभापति महोदय, तो उसके घरवाले यह सोच कर चुप रह जाते हैं कि चलो भई, वह आदमी उठ गया पर सभापति महोदय, एक व्यक्ति अगर अपंग हो जाता है तो उसको फैमिली के लिये वह उम्र भर के लिये बोझ बन जाता है। चाहे आप उसको चार हजार रुपये दे दो लेकिन आपके चार हजार रुपये से उसकी जिन्दगी नहीं मिलने वाली है। सभापति महोदय, कहने को इस ऑपरेशन को मामूली कहते हैं कि इसमें जब ट्रोकार को अन्दर डालते हैं तो हो सकता है वह उस वक्त किसी दूसरी आर्टीरी में जा सकता है इसमें काफी होशियारी की जरूरत पड़ती है अगर उस वक्त सतर्क रहता है और उसको पता लग जाय कि निशाना गलत चला गया है तो उसको उस वक्त तुरन्त ऑपरेशन करके ठीक कर सकता है। पर अगर ध्यान नहीं रखा तो दुर्घटना अवश्य घट सकती है। मेरा सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन है कि आपने जो आठ यूनिट बनाने का प्रावधान किया है तो इनको आप क्या कोई साधारण तजुर्बे के तौर पर ही ट्रेनिंग दिला रहे हैं या आप समझ रहे हैं कि यह कोई खास बात नहीं है, केवल दूरबीन से ऑपरेशन करना है तो यह बात साधारण नहीं है। आपको इसे ईजी वे में नहीं लेना चाहिये और इसमें काफी ध्यान रखने की बात है।

सभापति महोदय, अब थोड़ा मैं अभी जो रेजीडेन्ट डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है उसके बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, यह घरेलू डॉक्टर जो हाउस सर्जन हैं वैसे तो इन्होंने काफी मांग की हैं मैं उनकी मांगों के बारे में क्या फैसला होगा उन बातों में नहीं जाना चाहूंगा पर दो तीन पाइन्ट्स यहां पर आपको जरूर निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, एक तो यह डॉक्टर्स यह कहते हैं कि इनकी पोस्ट्स को आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से मत भरिये इनको आप मैरिट के आधार पर ही नियुक्ति दे दें। सभापति महोदय, वैसे उनका कहना गलत भी नहीं है क्योंकि आर. पी. एस. सी. में कोई इनका एग्जामिनेशन तो होता नहीं है, वहां तो केवल इन्टरव्यू ही होता है। सभापति महोदय, यहां पर मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा, वह यह है कि आर. पी. एस. सी के जो मैम्बर्स होते हैं वह तो टैक्निकल कुछ जानते नहीं हैं और यहां से जो टैक्निकल मेम्बर जाता है वह वहां पर टैक्निकल प्रश्न पूछ कर अपनी मर्जी के मुताबिक नम्बर देता है और उसमें नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं। सभापति महोदय, जब सारे डॉक्टर्स यह कह रहे हैं सारा टैक्निकल स्टाफ यह कह रहा है कि उनकी नियुक्ति मैरिट के अनुसार होनी चाहिये तो फिर आपको

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

मैरिट के आधार पर नियुक्ति देने में क्या एतराज है। क्या आप चाहते हैं कि ऊपर वाले को नीचे रखा जाय या नीचे वाले को कहीं बीच में घुमेड़ दिया जाय। मेरा तो यह निवेदन है कि उनकी नियुक्ति आपको मैरिट के आधार पर देनी चाहिये, वैसे आप एडहॉक अपॉइन्टमेंट तो देते ही हो फिर जब आप आर. पी. एस. सी. में कोई टैस्ट नहीं लेते रिटन फिर आपका उनका इन्टरव्यू लेने में सेन्स क्या है ? और अगर आप आर. पी.एस.सी. से ही लेना चाहते हैं तो फिर आप उनका दुबारा वहां पर टैस्ट लीजिये जैसा कि आप आर ए.एस. और आर.पी.एस. इम्तिहानके में लेते हो। डॉक्टरों के लिये आप 800 नं. तो रिटन पेपर्स के एग्जामिनेशन के रखो और दो सौ नंबर आप इन्टरव्यू के रखो तो इसमें अगर किसी को आप इन्टरव्यू मे दो सौ में से दो नंबर भी दे देंगे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ दस पर्सेंट का ही फर्क पड़ेगा। सभापति महोदय, इसके अलावा यह जो हाउस सर्जन है उनको आप देते क्या हैं आप उनको स्टाइपेन्ड देते हैं या आप स्कॉलरशिप देते हैं ? जो चाहे कह लो पर वह लोग तो आगे पढ़ने के लिये चाहे एम. डी. करें चाहे एम. एस. करें फिर जरूरी नहीं कि यहां पर रहें ही। हो सकता है कि वह यू. पी. चले जायें, चन्डीगढ़ चले जायें या अमेरिका चले जायें—

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। आपको पूरे 25 मिनट हो गये हैं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : दो तीन मिनट और निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : दूसरे सदस्य भी बोलने वाले हैं।

एक माननीय सदस्य : यह तैयारी करके आये हैं।

श्री सभापति : दूसरे सदस्य भी तैयारी करके आते हैं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, हो सकता है फिर वह यहां नहीं रहे सभापति महोदय, सभी हाउस सर्जन यहां पर नौकरी नहीं करते। सभापति महोदय, अभी जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे वहां पर डॉक्टरों की जगह खाली पड़ी हैं पर लोग वहां पर आना नहीं चाहते हैं इसके अलावा सभापति महोदय आप सिनेमा के अन्दर यह नोटिस निकालते हैं कि अपने बच्चों को डॉक्टरी की शिक्षा मत दो, अपने बच्चों को बेकार मत बनाओ तो मेरा निवेदन इस सम्बन्ध में यह है कि या तो आप उन रिक्त स्थानों को भरें या फिर इसके लिये कोई व्यवस्था करें। सभापति महोदय, कैसी हास्यास्पद बात है कि एक तरफ कहते हैं कि नौकरी नहीं है दूसरी तरफ विभाग में पद रिक्त पड़े है। इसके साथ साथ सभापति महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि जो डॉक्टर्स नौकरी नहीं करना चाहते हैं उसके लिये राज्य सरकार को ऋण देने की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि वह अपनी आजीविका चला सकें। अगर एक डॉक्टर शहर में अपना प्राइवेट अस्पताल खोलना चाहता है तो सरकार को उसको चार से लेकर 6 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देना चाहिये। अगर वह कोई डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर अपना अस्पताल खोलना चाहता है तो उसको दो से लेकर चार प्रतिशत तक पर ऋण दिया जाना चाहिये इसके अलावा तीसरी कैटेगरी उन डॉक्टर्स

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

की है जो गांवों में या कस्बों में अपने अस्पताल खोलना चाहते हैं तो उनको कर मुक्त ऋण दिया जाना चाहिये। और वह मरीजों की संख्या पर आधारित होना चाहिये।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, अभी समाप्त कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, आप इनको बोलने दो। यह सच्ची सच्ची बातें कह रहे हैं। सभी आप बीती बातें हैं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, इसके अलावा जो इन डॉक्टरों की मांग है वह यह है कि उनको प्रमोशन्ति होनी चाहिये। सभापति महोदय, जो व्यक्ति सी. ए. एस. डॉक्टर बन जाता है वह हमेशा सी. ए. एस. डॉक्टर ही रिटायर होता है। सभापति महोदय इनकी जायज नाजायज जो भी मांगें आप समझें इतना जरूर है कि एक सी. ए. एस. डॉक्टर का प्रमोशन तो जरूर होना चाहिये। सभापति महोदय, जहां तक हाउस सर्जन का सवाल है वह एम. एस. या एम. डी. करने के लिये स्टाइपेन्ड पर रहता है वह अपनी ड्यूटी के अलावा अगर 8-10 घन्टे पढ़ाई करें तो ठीक है वरना वह अगर आपको इसके लिये प्रेसराइज करें तो गलत है पर सभापति महोदय मेरा निवेदन है कि आप इन हाउस सर्जन के साथ साथ एक दो पोस्ट्स और क्रियेट करें जो कि इनके साथ हर डिपार्टमेंट में रहे। ताकि जब कभी भी यह हाउस सर्जन हड़ताल पर हो या काम पर नहीं आवे तो सी. ए. एस. डॉक्टर उनको सम्भाल सकें। अन्यथा इनका तो कुछ नहीं है लेकिन बेचारे गरीब मरीज इसमें मरते हैं। मेरा यह सुझाव भी आप मानेंगे तो इससे जनता को राहत मिलेगी। नहीं तो जब यह हड़ताल पर जाते हैं तो कोई यहां नहीं रहता। इसके अलावा यहां पर खाने की चीजों की मिलावट के बारे में भी काफी कहा है मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता हूं। अब अन्त में मैं नागौर के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमारे नागौर के सी. एम. एण्ड एच. ओ. बहुत ही काबिल हैं। इन्होंने अपने जिले के कर्मचारियों को अपने यहां पर डेपूटेशन पर ले रखा है जब कि इनको ऐसा करना अधिकार नहीं है। मेरा इस संबंध में यह निवेदन है कि इस संबंध में जांच करायी जानी चाहिये। दूसरे नागौर में जो एक्स-रे मशीनें बहुत अर्से से खराब पड़ी हैं वहां पर अपने घर में पर्सनल क्वार्टर में अपनी पर्सनल एक्स-रे मशीन लाकर लगा दी है वहां पर मेलाफाइड इन्टेन्शन्स से पैसा ग्रामीण लोगों से एक्स-रे करने का वसूल कर रहे हैं इसकी भी जांच की जानी चाहिये। इतना ही नहीं यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी प्राइवेट प्रेक्टिस में सरकारी फोटोज काम में ली जाती हैं सभापति महोदय, डिस्ट्रिक्ट लेवल का बड़ा पदाधिकारी अगर पांच दस रुपये के लिये तरसता है तो फिर क्या होगा ? सभापति महोदय, आज अभी जब मैंने सदन में कहा है तब तक तो वह मशीन उनके घर पर लगी हुई है। अब शाम को कोई हटा ले मेरे वक्तव्य देने के बाद तो पता

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

नहीं। सभापति महोदय, यहां पर जब एक्स-रे मशीन खराब है तो एक्स-रे प्लेट्स जो वह इश्यू कराते हैं उसके लिए क्या कह कर इश्यू कराते हैं ? सभापति महोदय, सरकारी प्लेट्स पर एक्स-रे की फोटो लिये जाते है और मरीजों से उनके पैसे वसूल किये जाते हैं। यहां पर यह लिख दिया जाता है कि इन लोगों ने प्राइवेट एक्स-रे करवाया है, ऐसी रिपोर्ट करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि ऐसे जिले के बड़े पदाधिकारी लोग अपने नीचे के डॉक्टरों को क्या गाइडेन्स देंगे और क्या इमानदारी सिखायेंगे।

इसके साथ ही उन्होंने परिवार कल्याण विभाग में मई 80 में नियुक्तियां कीं। राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला था कि कोई भी नियुक्तियां नहीं करेंगे उसके बाद में भी एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज को लिखा कि मुझे नियुक्तियां देनी हैं और मुझे नाम भेजो। एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज ने नाम भेजे नहीं तो उन्होंने इन्टरव्यूज को कैंसिल कर दिया। जिन व्यक्तियों को वह चाहते थे उनके नाम ले आये उन्होंने उन इन्टरव्यू को कैंसिल करके दुबारा इन्टरव्यू रखा। दुबारा एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज को लिखा। उन दिनों में इलेक्शन आ गये थे इसलिए एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज के अधिकारीगण इलेक्शन में चले गए और लिस्ट नहीं भेज सके तो उनके पास जो भी आदमी अवेलेबल थे उनके इन्टरव्यू ले लिए। जिस दिन इन्टरव्यू लिया उस दिन मॉर्निंग में उनके पास टेलीग्राम पहुंच गया।

(3.40 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

उन्होंने क्या किया, सभापति महोदया, कि इन्टरव्यू लिया मॉर्निंग में और दोपहर को नियुक्ति के आदेश दिये और शाम को जोइन करवा लिया। जब टेलीग्राम आपका पहुंच गया था तो उस टेलीग्राम को दूसरे दिन सुबह एन्टर किया, इस प्रकार से मार्निंग में इन्टरव्यू, दोपहर में नियुक्ति के आदेश और शाम को जोइन करवाने का मामला हमने तो आज तक दुनिया में कहीं देखा नहीं। आप पता लगायें कि आपका टेलीग्राम नागौर कब पहुंचा और कब पोस्टमैन ने डिलीवर किया और उसको पोस्ट ऑफिस में कब शो किया, तो डॉक्टर को क्या अधिकार था कि दूसरे दिन उसकी एन्ट्री करता। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार दुनिया भर का व्याप्त है, समय नहीं है नहीं तो मैं बताता। आप जांच करवा लें और जो मैंने सजेशन्स दिए हैं और इलाज के लिए बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति शहर में इलाज के लिए आता है और यहां के जितने इलाज करवाने वाले हैं उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए क्योंकि वह एक जना ही तो रहता है उसके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। शहर का आदमी तो एक दिन भर्ती नहीं होता है घर जाकर रह सकता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का आदमी होता है वह नहीं रह सकता। इसके साथ ही जो सजेशन दिये हैं, माननीय सभापति महोदया, आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार उन पर गौर करे।

श्री सभापति : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय सभापति महोदया, मैं सबसे पहले

(श्री गोपाल पचेरवाल)

कटौती प्रस्तावों के माध्यम से मेरे निर्वाचन क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जनता सरकार के समय में मेरे क्षेत्र कापरेन में एक रैफरल हॉस्पिटल खोला गया। मेरी जानकारी के अनुसार उसके लिए 70 लाख का प्रावधान सरकार ने रखा लेकिन अभी लोकसभा चुनाव होने के बाद राजस्थान विधान सभा भंग हुई और राष्ट्रपति शासन हुआ तो उनका 70 लाख से 4 लाख का प्रावधान कर दिया गया। जब रैफरल हॉस्पिटल सरकार ने खोला था तो नगरपालिका को लिखा गया कि आप जमीन देंगे। वहां के चैयरमैन ने जितनी जमीन चाही दी। उस जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए सारे कागजात तैयार किये गये, उसका साइट प्लान बनाया गया एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर पी.डब्ल्यू. डी., जिला स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी गये और मैं भी वहां पर मौजूद था। सारी जमीन दिखाई लेकिन उसके बावजूद उस साइट प्लान को रद्द करके जो पुरानी बिल्डिंग थी उसी में उसके बनाने की बात कही जा रही है। इस बात को लेकर पूरे क्षेत्र में बड़ा भारी असन्तोष है। मैं समझता हूं कि राजनैतिक कारण है। क्या इसका कारण यह नहीं है कि वहां से विरोधी पक्ष का विधायक जीत कर आया है। इसलिए उसको तोड़ने की साजिश की जा रही है। अगर ऐसा किया गया, मैं कहना चाहूंगा मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कि अगर देश में इस प्रकार की प्रक्रिया चलती है, राजनैतिक कारणों से अस्पताल जैसी चीजों में कटौती की जाये या इसको समाप्त करने का प्रयास किया जाय तो देश के लोगों का दुर्भाग्य होगा। एक सरकार खोल है और दूसरी सरकार राजनैतिक कारणों से समाप्त कर दे, यह कौन सा न्याय है ? वहां की जनता के साथ क्या यह अन्याय नहीं है ? माननीय सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के साथ ऐसा अन्याय नहीं करें जिससे कि क्षेत्र की जनता आपको बददुआयें दे। वहां पर गरीब आदमी के सामने अपने इलाज के लिए कोटा और बूंदी जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। वह ग्रामीण इलाका है, वहां के गरीब लोगों को और किसानों को उपचार के लिए कोटा या बूंदी जाना पड़ता है। अगर वहां पर कोई गम्भीर केस हो जाये तो उनके पास ऐसे कोई साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। आज वह अपने उपचार के लिए कोटा और बूंदी जायें तो यह दोनों ही शहर बहुत दूर पड़ते हैं इसलिए सरकार ने घोषणा की थी। वहां पर चिकित्सा मंत्री जी आवश्यक कार्यवाही पूरी करके आये, जमीन देख ली, लिखा-पढ़ी हो गयी और बजट भी सैंक्शन हो गया और फिर बजट की कटौती कर दी गई, मैं मांग करूंगा कि इसको आप पुनः देखें, सरकार ने साइट प्लान बनाया था उसको लागू करें और जो बजट इस रैफरल हास्पिटल के लिए रखा था उसको लागू करायें और उसमें कटौती नहीं करें।

माननीय सभापति महोदया, दूसरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में लाखेरी और केशोरायपाटन ऐसी जगह हैं कि दोनों जगह ही नगरपालिकायें हैं और दोनों ही जगह बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज हैं। लाखेरी में सीमेन्ट की बहुत बड़ी फैक्ट्री है और केशोरायपाटन में कोआपरेटिव शुगर मिल है। वहां पर काफी मजदूर और गरीब तबके के लोग

(श्री गोपाल पचेरवाल)

फैक्ट्रीज में नौकरी करते हैं। पूरे पाटन निर्वाचन क्षेत्र में कहीं भी चिकित्सा सेवायें उपलब्ध नहीं हैं। मैंने अपने प्रश्न के माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था और उसके जवाब में मंत्री महोदय ने कहा था कि इसकी पूर्ति की जायेगी लेकिन सही बात कहने में संकोच नहीं होगा कि हमारी सरकार के समय में भी मेरी मांग यह रही है, मैंने उस समय भी हमारी सरकार से आग्रह किया था कि दोनों ही जगह लाखेरी व पाटन में लेडी डॉक्टर की व्यवस्था की जाये लेकिन उस समय लेडी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं हो सकी। तो मैं इस सरकार से पुनः मांग करना चाहूंगा कि जहां गरीब लोग हैं, मजदूर लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, श्रमिक लोग रहते हैं जहां सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, तो किसी महिला का डिलीवरी केस है और उसको कोटा जाने की जरूरत पड़े तो पहले तो वहां एम्बुलेन्स की व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं है, टैक्सी या जीप नहीं मिलती इसलिए उस महिला को मरना पड़ता है। तो, माननीय सभापति महोदया, मैं सरकार से कहूंगा कि लाखेरी और केशोरायपाटन में लेडी डॉक्टर की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि वहां की महिलाओं को मौत के मुंह से बचाया जा सके। माननीय सभापति महोदया, दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनता सरकार के समय से बड़ा खेड़ा गांव है वह न सड़क से जुड़ा हुआ है और न वहां पर डॉक्टर की सेवायें ही उपलब्ध हैं। तो जनता सरकार ने वहां पर एक डॉक्टर-डिस्पेन्सरी खोली थी। मैंने सदन में आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था सवाल के माध्यम से। आपने जो जानकारी दी थी उस पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपके अधिकारी आपको किस तरह से मिसगाइड करते हैं। आपने उत्तर में कहा कि बड़ा खेड़ा गांव में डॉक्टर तैनात है। आप प्रोसीडिंग्स देखें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक वहां डॉक्टर नहीं लगा और आपने कह दिया कि डॉक्टर है। आपके अधिकारी आपको इस तरह से गलत सूचना दे दें और उसको हम जनता में सूचना गलत दे दें तो इससे माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा गिरती है। आप वहां पर डॉक्टर को नहीं भेज सकते तो मना कर दें। लेकिन आप हाउस में गलत जानकारी दे दें और फिर हम वह जानकारी आगे जनता को दे दें कि मन्त्री महोदय ने हाउस में ऐसा कहा है, वहां डॉक्टर नहीं लगे और आपकी बात जनता के बीच में असत्य साबित हो तो इससे हम सब की प्रतिष्ठा गिरती है। आपको जिम्मेदारी से कोई बात सदन में कहनी चाहिये। जनता में कोई बात कह दें लेकिन हाउस में गैरजिम्मेदाराना बात कह दें और आप अधिकारियों से मिसगाइड होकर गलत बात सदन में कह दें तो सदन का अपमान है और चुने हुए नुमाइन्दे हैं उनका अपमान है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि वह गलत सूचना नहीं दें। जहां डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है वहां आप डॉक्टर को लगायें। अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है तो आप नयी नियुक्तियां दें।

(3.48 म. प.)

(श्रीमति लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

आज डॉक्टर लोग शहर की ओर भागते हैं और गरीब जनता की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। आप उनको पाबन्द कीजिए। आप उनको इस शर्त पर नियुक्ति दीजिये, उनको गांवों के अन्दर जाना पड़ेगा। हमारे यहां हॉस्पिटल खुलने से तीन डॉक्टर हैं। मिनिस्टर साहब वहां पहुंचे तो डॉक्टर मौजूद थे। उसके बाद डॉक्टर गया ही नहीं। हमारी सरकार गयी तो डॉक्टर भी चले गये। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जहां आवश्यकता है और बिलकुल बंजर इलाका है, जहां सड़कों से जुड़ा हुआ गांव नहीं है वहां गरीबों को कोटा या लाखेरी, बूंदी मरीजों को ले जाना पड़े तो बीच में ही मर जायेगा। इसलिये वहां डॉक्टर रहना चाहिये।

दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र बूंदी से हमारे पंडित बृजसुन्दर जी शर्मा माननीय सदस्य हैं। उन्होंने जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाकर कहा था कि जनता, राज्य ने तो बूंदी के अस्पताल को डुबो दिया था। वह यहां अभी उपस्थित नहीं हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पंडित जी वहां वर्षों से नेता रहे हैं और स्वयं चिकित्सा मन्त्री भी रहे हैं अगर उस सरकार ने डुबोया तो आपकी सरकार ने क्या किया था? आज आप ही देख लें कि अस्पताल की क्या हालत है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ ...ना चाहिये था वह नहीं कर पाये। हमारी ...नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपसे ...हूंगा कि आज भी वहां ...हमने चन्दा इकट्ठा और बिल्डिंग की व्यवस्था की थी। आप इसको (ए) श्रेणी में करने की कृपा करें। पण्डितजी बून्दी जिले से नाराज हो सकते हैं, कोई राजनैतिक कारण हो सकते थे, उन्होंने किन्हीं कारणों से नहीं किया। बून्दी जिले की जनता के साथ आप न्याय करें और (बी) श्रेणी से (ए) श्रेणी में क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मैंने सदन के माध्यम से एक प्रमोशन का सवाल किया था। एक माननीय सदस्य ने भी जिक्र किया। मैं और बात नहीं कहना चाहूंगा लेकिन एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सवाल उठाया था कि प्रमोशन दिया जाना चाहिये आपने हरिसिंह नाम के व्यक्ति का प्रमोशन किया था। उसके प्रमोशन के बारे में मैंने निवेदन किया। आपकी तरफ से उत्तर आया कि रोस्टर प्रणाली से प्रमोशन किया है, कोई भेद-भाव से प्रमोशन नहीं किया गया है। एक तारीख के दो आदेश मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं आपके उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का 13-2-79 को आदेश है—

"श्री हरिसिंह मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, प्रागपुरा, (जयपुर) में उनकी उपस्थिति देने की तिथि से तीन माह के लिये अस्थाई रूप से वेतन श्रृंखला 355-10-415-15-530-20-570 में अन्य भत्ते जो नियमानुसार देय हैं, पर पदोन्नत किया जाता है। यह उनका आदेश 13-2-79 का है। दूसरा उनका आदेश

(श्री गोपाल पचेरवाल)

जो उन्होंने निकाला है शुद्धि-पत्र निकलता है इस संस्थान के आदेश क्रमांक सं. प. क./79 दिनांक 13-2-79 पंक्ति संख्या 6 में श्री हरिसिंह च. श्रे. कर्मचारी की कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के स्थान पर नियुक्ति शब्द पढ़ा जावे।

एक तरफ आपने प्रमोशन दिया है दूसरी ओर दूसरे आदेश से उसकी नियुक्ति कर रहे हैं। यह मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि क्या जिला अधिकारी ने पैसा खाया है। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चौथमल वेनीवाल, जो हरिजन हैं, को नियुक्ति 2-8-77 की है। हरिसिंह की नियुक्ति 1-12-77 की है। आपने दूसरे को वरिष्ठ बना दिया है। वरीयता को आपने ताक में रख कर आपने हरिसिंह को कनिष्ठ लिपिक बना दिया। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रमोशन के लिये पत्र लिखा है। यह पत्र आपका है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जयपुर ने लिखा है—

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर।

विषय— श्री हरिसिंह मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किये जाने के क्रम में।

उपरोक्त विषय में आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्र क्रमांक संस्थापन। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/पीएटी/79/1986, दिनांक 14-2-79 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अन्तर्गत कर्मचारी को पदोन्नति करने के संबंध में जो सूचनायें चाही गई थीं आज तक भी आपसे प्राप्त नहीं हुई हैं तथा न ही कर्मचारी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पदावनत किया गया है। जैसा कि आपको विदित है श्री मीणा को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत करते समय निर्धारित प्रक्रिया पूर्णतया पूरी नहीं की गई एवं जिले में कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारियों के प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं किये गये जो अब निरन्तर इस कार्यालय में प्राप्त हो रहे हैं एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में काफी असंतोष व्याप्त है।

अतः आपको सलाह दी जाती है कि कृपया अनावश्यक बाधाओं को दूर करने के लिये कर्मचारी को अविलम्ब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पदोन्नत कर आदेश की प्रतिलिपि निम्न हस्ताक्षर कर्त्ता को भिजवायें "अन्यथा विवश होकर इस कार्यालय स्तर से पदोन्नति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।"

आपका जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यह मान रहा है। आपके उप जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने प्रमोशन दिया है। सारे जो और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनकी योग्यता को ताक में रख कर प्रमोशन दिया है वेनीवाल को, इसमें क्या भ्रष्टाचार की बू नहीं आती। उन लोगों ने डायरेक्टर साहब को चिट्ठी लिखी। कोई परवाह नहीं की गई। उसके बाद आपके पास योग्यतम कर्मचारी मौजूद हैं उनके बाद भी आपने नई नियुक्ति दे दी जिसको प्रमोशन दिया जाना चाहिये, वरिष्ठता की सूची में आता है, हायर सैकण्ड्री पास है उसके उपरान्त दूसरे आदमी को नियुक्ति दे दी। आप नियुक्ति दीजिये उन लोगों को जो आपके

(श्री गोपाल पचेरवाल)
यहां कार्यरत हैं। जिनका अधिकार है प्रमोशन पाने का उसको प्रमोशन नहीं दिया ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जब प्रमोशन का सवाल आता है तो आप कहते हैं कि हमारे पास अवेलेबल नहीं। अवेलेबल नहीं है तो आप वरिष्ठता के आधार पर काम दें। वरिष्ठता के आधार पर नहीं तो किसी विशेष आदमी को रिश्वत के आधार पर प्रमोशन दे दो। यह कैसे होगा आप उन गरीब लोगों के साथ अन्याय क्यों करते हैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यदि आपको और कोई जानकारी चाहिये तो मैं दे सकता हूं।

दूसरा मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा ......

श्री सभापति : काफी समय हो गया। आपने 3-40 पर शुरू किया है।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं ज्यादा और बात न कहकर केवल इतना ही कहूंगा कि बूंदी जिले की मांग है कि बूंदी अस्पताल को (ए) श्रेणी में क्रमोन्नत किया जाना चाहिये। मेरे क्षेत्र में लेडी डॉक्टर की जो कमी है, जिसके लिये लगातार मांग करता आ रहा हूं, डायरेक्टर साहब को मिला हूं, और संबंधित मंत्रियों से निवेदन किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस मांग को जल्दी ही पूरा करें। अगर राजनैतिक कारण से खतम करना चाहेंगे तो उस क्षेत्र की जनता आपको माफ नहीं करेगी। इस लिये मैं बड़े अदब के साथ निवेदन कर रहा हूं कि यदि राजनैतिक कारणों से कटौती की गई, तो वहां की जनता इतनी कमजोर नहीं है कि आपको माफ कर दे। बूंदी जिले की जनता के साथ आप न्याय करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नानालाल !

श्री नानालाल (राजसमंद) सभापति महोदय, स्वास्थ्य और चिकित्सा जो स्वास्थ्य की दृष्टि से मनुष्य के लिये परम आवश्यक है, की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत जनसंख्या है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल अधिक खोलने चाहिये। ग्रामीण में यह व्यवस्था नहीं होने से, वहां योग्य डॉक्टर नहीं होने से काफी अव्यवस्था होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि गांवों में अस्पताल खोले जा रहे हैं उनमें पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं की जाती है। न उनको दवाइयां दी जाती हैं, न उनको औजार दिये जाते हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो भी गांवों में अस्पताल खोलते हैं वहां पर काफी सुविधायें दी जायें ताकि शहरों का मुंह न देखना पड़े। शहरों में काफी भीड़ रहती है। जब गांव के आदमी वहां जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है मजबूर हो वापस आते हैं। मेहरबानी करके उन अस्पतालों पर ध्यान दिया जाये। अप्रेल, 77 में कूरज गांव उदयपुर जिले में अस्पताल खोलने की मंजूरी हुई थी उसको जनता सरकार, जिसको राज्यपाल महोदय ने दिशाहीन सरकार की संज्ञा दी है, उस दिशाहीन सरकार ने उस अस्पताल को रोक दिया और वहां के जन प्रतिनिधि विधायक

(श्री नानालाल)

महोदय, जो कैबिनेट स्तर के मन्त्री हो गये, उन्होंने अपने ख्याल को ही छोड़ दिया और एक साल में कूरज के बदले कुआरिया कर दिया। यह अपने आपको बहुत ही प्रगतिशील कहते हैं. यह तो उनका नमूना है।

मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र के राजसमन्द और कांकरोली के अस्पतालों की ओर दिलाना चाहता हूं। राजसमन्द और कांकरोली बड़े कस्बे हैं और वहां पर कोई भी रेफरल अस्पताल नहीं है। रेलमगरा और राजसमन्द में अस्पताल नहीं है। वहां के लोगों को उदयपुर जाना पड़ता है, और इससे काफी लोगों को असुविधा होती है वहां कोई प्रसूति गृह की व्यवस्था नहीं है। इसलिये मैं मांग करता हूं आपके द्वारा मंत्री महोदय से कि राजसमन्द में तुरन्त ही एक हॉस्पिटल खोला जाना चाहिए ताकि वहां की ग्रामीण जनता को लाभ मिल सके। जो ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोले जा रहे हैं उनमें कम कम दवाओं की भी पूरी व्यवस्था की जाय। इसके साथ ही आयुर्वेद की तरफ भी आप की सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। जो आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जाते हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है, पूरा बजट नहीं मिलता है। ग्रामीण जनता के पास पैसा नहीं है। शहरों में हर आदमी पैसे वाले मिलते हैं लेकिन ग्रामीण जनता की हालत खराब है उनको एक रुपया खर्च करना पड़ता है तो बड़ी मुश्किल होती है।

मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं जहां भी ग्रामीण औषधालय खोले जा रहे हैं उनमें आप दवाओं की पूरी व्यवस्था करवायें। जो स्टॉफ आप गांवों में भेजते है वह ट्रेन्ड भेजा जाय ताकि वहां के मरीजों को सम्भाला जा सके और जो चिकित्सा सुविधायें हैं वह उनको दे सकें। मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जयपुर में कई वर्षों से यहां जो डॉक्टर लगे हुए हैं वे नहीं चाहते हैं कि उनको बाहर भेजा जाय

(4.04 म. प.)

(श्री सम्पत राम सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि राज सिंह डॉक्टर जो हैं पोलियों क्लिनिक को चला रहा है, मैंने उनकी चिकित्सा ली है। हिन्दुस्तान में कहीं इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यदि वह डॉक्टर अपने अस्पताल की व्यवस्था से इलाज करके जनता को उचित लाभ पहुंचा रहा है। मैं चाहता हूं ऐसे डॉक्टर को यहां रखा जाय ताकि वह यहां अपनी क्लिनिक को सुचारु रूप से चला सके। लोगों को लाभ मिल रहा है और वर्षों से पोलियो के 20-20 वर्ष के मरीजों को फायदा हो रहा है, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे मरीज महसूस करते हैं कि बम्बई, अहमदाबाद जाकर भी आये लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन उस डॉक्टर के इलाज से उनको फायदा मिल रहा है और उन्हें अपने इलाज से सन्तोष है। मैं आपके द्वारा यह भी आशा करता हूं इस प्रकार की जो हिन्दुस्तान में कहीं व्यवस्था नहीं है और जो एफर्ट्स उसने किये हैं— अपने शोध कार्यों से कोई व्यवस्था की है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये

(श्री नानालाल)

जिससे वे और भी अधिक तरक्की कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की चिकित्सा कर सकें।

सभापति महोदय, मैं यह भी चाहता हूं कि आपने बजट में कुछ अस्पतालों की कम संख्या रखी है यदि इसमें संशोधन करके अस्पताल बढ़ा दें तो अच्छा होगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खुले और ग्रामीण जनता को लाभ मिले।

श्री सभापति : श्री त्रिलोकसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री ईश्वर लाल सैनी।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : सभापति जी, मांग संख्या 26 पर मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जो मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनमें कुछ सुझाव भी मैं देना चाहता हूं। सभापति जी, अलवर का अस्पताल सन् 1908 में शुरू हुआ था--नया बना था। उस वक्त के महाराजा ने बनाया था और अपने समय का एक अस्पताल था। उस समय में जो उपलब्धियां हो सकती थीं, वे सब लाई गई थीं, साधन जुटाये गये थे, अच्छी अच्छी मशीनरियां लाई गई थीं। जो डॉक्टर थे उस समय वे भी अच्छे अच्छे लगाये गये थे उस समय का यह अस्पताल अपनी चरम सीमा पर था। उसको देखकर ही राजस्थान में दूसरा अस्पताल बीकानेर में बना। इसके बाद समान उपलब्धियां और आधुनिक औजार व मशीनों के साथ तीसरा अस्पताल जोधपुर में बनाया गया। उसके उपरान्त राजस्थान में जो चौथा अस्पताल बना वह बना सवाई मानसिंह अस्पताल जो जयपुर में सन् 1947 में बना। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है जो अस्पताल अलवर में सन् 1908 में बना और जो अपने समय के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में से था, आज उसकी क्या दशा है उसकी हालत दिनो दिन गिरती जा रही है। इसका कारण है मरीज बढ़ गये हैं और मरीजों के बढ़ने के साथ जो उपलब्धियां उस अस्पताल को मिलनी चाहिये थीं वह नहीं मिली हैं। जो ऑपरेशन थियेटर उस समय था वही आज है इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन है इस ओर ध्यान दें। बढ़ती हुई आबादी के साथ उसका भी विस्तार करें।

जनता सरकार ने निश्चित रूप से नाम कमाने की कोशिश की थी और वह यह थी कि उसको (ए) क्लास का दर्जा दे दिया लेकिन जहां फण्ड की बात थी वह कतई नहीं दिया, बिल्डिंग के विस्तार की बात थी वह नहीं की, स्टॉफ की बात थी वह भी नहीं दे सके। आज भी यूं का यूं अस्पताल है जो पहले था, (ए) क्लास का दर्जा दिया मगर उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किये गए। यूं के यूं ही बैड्स हैं, भवन की कोई मरम्मत तक नहीं की है। वार्डों की सुविधा नहीं है, जो थियेटर सन् 1908 में बना था उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आई है। तो मेरा निवेदन है सरकार निश्चित रूप से इस ओर ध्यान दे। अब मैं सुधारों के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। एम. बी. बी. एस. के बाद जो मेडिकल में हायर एजूकेशन है। फोरेन्सिक मेडिसन ड्रमेटोलॉजी एवं साइक्रेटिक, यह तीन विभाग राजस्थान में नहीं है। उनके अध्ययन के लिए राजस्थान से बाहर जाना पड़ता है। राजस्थान विशाल प्रदेश है।

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

राजस्थान सरकार निश्चित रूप से यह विभाग खोले। मेरा निवेदन है ये तीनों विभाग खोले जायें। आर्थिक रूप से भी फायदा होगा और राजस्थान में खोलें तो उसकी उपलब्धियां भी बहुत होंगी।

जहां तक मरीजों के खाने का इन्तजाम है, मैं कहना चाहता हूं, बहुत ही निम्न श्रेणी का खाना मिलता है। जैसा घर में खाना खा रहा है वैसा भी खाना नहीं दिया जाता है, उससे मरीजों की हालत और भी खस्ता हो जाती है। बाजार से टेण्डर ले लिये जाते हैं और जो दाल, सब्जी, गेहूं आदि के टेण्डर लिये जाते हैं उनमें नीची दर के जो टेण्डर आते हैं उन्हें ले लेते हैं। तो मेरा निवेदन है उसकी भी निश्चित रूप से चैकिंग होनी चाहिये।

जहां तक जांच का सम्बन्ध है— पेशाब, टट्टी, खून, इनकी जांच की समृद्ध व्यक्ति या गवर्नमेंट सर्वेन्ट को सुविधा दी जाती है वैसे ही सब मरीजों को देनी चाहिये। मेरा निवेदन है कोई भी व्यक्ति हो इनकी जांच निःशुल्क हो। जहां तक एक्स-रे की बात है, मैं निवेदन कर दूं, निश्चित रूप से मरीज को एक्स-रे की आवश्यकता होती है। गरीब मरीजों को एक्स-रे बहुत महंगा पड़ता है। इसलिये एक्स-रे के बारे में भी हमें किफायत करनी होगी, एक्स-रे में भी काफी कठिनाई का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ता है। होता यह है कि जब कोई मरीज अस्पताल में जाता है तो उस व्यक्ति को यह कह कर टाल देते हैं कि हमारे पास एक्स-रे प्लेट्स नहीं हैं प्लेट्स नहीं हैं, तो बाहर जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उनको कहां से एक्स-रे प्लेट्स उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए मेरा इस सम्बन्ध में यह कहना है कि निश्चित रूप से बाहर जो ये एक्स-रे होते हैं, उनको किसी न किसी प्रकार बन्द कराया जाय ताकि जो गरीबों का शोषण होता है और जो गरीब लोगों को अधिक हानि होती है, उससे वे लोग बच जायें। इसलिये अस्पतालों में हर मरीज को एक्स-रे की सुविधा किफायती रेट पर देना आवश्यक है।

अब मैं थोड़ा सा मेरे पूर्व वक्ता जो बोल रहे थे उसके बारे में भी बता दूं। जहां तक यूरोलोजी की बात है, हमारे यहां एक शान की बात है कि यूरोलोजी डिपार्टमेंट में लोग आते जांच कराने के लिए आते हैं, अपना इलाज कराने के लिये आते हैं लेकिन यह सब केवल जयपुर में है। डॉक्टर गंगवाल जी उसके स्पेशलिस्ट हैं। राजस्थान में 5 बड़े अस्पताल हैं तो अन्य जो 4 अस्पताल हैं उनमें भी इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए और जो ये गंगवाल साहब हैं, इनकी सेवाओं को उपलब्ध कराया जाय। यहां पर प्रश्न है, यहां के ड्रग लैबोरेट्री और फूड लैबोरेट्री सैन्टर बनाने के लिए सैन्टर से फण्ड मिले थे लेकिन हुआ यह कि ये बिल्डिंग तैयार हो रही थीं और कुछ तैयार हो भी गयी लेकिन जब जनता सरकार आयी तो सैन्टर ने पैसा देना बन्द कर दिया और यह कह दिया कि बाकी पैसा आप लगाइयें, हम पैसा नहीं दे सकते। इनको यह करना चाहिए था कि किसी न किसी प्रकार से दिलचस्पी लेकर जनता सरकार को केन्द्रीय सरकार से पैसा लेना चाहिए था और जो ड्रग लैबोरेट्री और फूड लैबोरेट्री हैं, इनको जो नये भवन बन रहे हैं उनमें शिफ्ट कर लेना चाहिए। इनके लिए बिल्डिंग तैयार है

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

इस समय जो लैबोरेट्री है, वह जलेब चौक में है, वह बहुत ही गंदी है और उसमें बहुत गंदगी है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी प्रकार पैसा उपलब्ध करके जो नया भवन बना है, उसमें इस लैबोट्री को चेंज करना चाहिये।

थोड़ा सा मैं आपको एक और निवेदन कर दूं कि अलवर में सी. एम. एच. ओ. है, जो हस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं और इसके साथ ही डिप्टी सी. एम. एच. ओ. हैं। एक हैं मलेरिया के और दूसरे परिवार कल्याण के और तीसरे हैं स्वास्थ्य के। इसमें क्या है कि करीब 25 क्लिनिक हैं इन चारों डिपार्टमेन्ट और इन तीनों डिप्टी सी. एम. एच. ओ. के पास। उनमें श्री मोहन प्रकाश जी भटनागर जो उप-मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी हैं, को इन क्लिनिकों का इन्चार्ज बनाया गया है ताकि वह इन 25 क्लिनिकों की देख-भाल करें। सरकारी प्रावधान यह है कि एक साल में एक क्लिनिक पर एक हजार रुपया खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन भटनागर साहब ने एक-एक क्लिनिक पर 4-4, 5-5 हजार रुपये खर्च कर दिये, बिना सरकार की स्वीकृति के, बिना अधिकारियों के।

श्री सभापति : यह तो कीमतें बढ़ जाने से हो गया है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : कीमतें बढ़ी हैं लेकिन स्वीकृति लेनी चाहिए, स्वीकृति राज्य सरकार की आवश्यक है। उनसे बड़े अधिकारियों की स्वीकृति आवश्यक है लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स को ताक में रखकर 25 क्लिनिकों पर 4-4, 5-5 हजार रुपये खर्च कर दिये। लाखों में बजट का घोटाला किया है। आपको आगे और बताता हूं कि डॉक्टर भटनागर को खरीद से पूर्व स्वीकृति लेनी चाहिए बड़े अधिकारी की स्वीकृति, या लेखा अधिकारी की स्वीकृति और सहमति का होना आवश्यक है लेकिन ऐसा नहीं हुआ यह हम सबको इस पत्र से स्पष्ट हो जायेगा, जैसा कि उन्होंने अपने पत्र संख्या 3504, दिनांक 3-4-79 में लिखा है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। उन्होंने पत्र लिखा है, इस पत्र से स्पष्ट हो जायेगा कि जनता शासन में किस प्रकार रूल्स की अवहेलना की गयी थी, अस्पतालों में। यह पत्र है उप-मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर का :

"क्रमांक-प.क./स्टोर/79/प्र. 3504

दिनांक 3-4-79

श्रीयुत् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।

विषय: – वाहनों की मरम्मत आदि के बिलों के क्रम में।

सन्दर्भ—आपके पत्र क्रमांक लेखा/व्यय/पत्रा ( )/7004, दिनांक 30-3-79।

कुछ वाहनों में निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक खर्चा हुआ है उसके कुछ कारण हैं-(1) गाड़ी में जब कोई खराबी की रिपोर्ट होती है तो मैकेनिक के पास जाती है, मैकेनिक अनुमानित राशि खर्च का एस्टीमेट देता है उसी आधार पर गाड़ी को खुलवा दी जाती है तो उसमें और भी खराबी निकल आती है, उनको भी ठीक करवाना

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

अनिवार्य हो जाता है। अगर उसको ठीक नहीं कराया जावे तो इस विभाग में जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उन पर असर पड़ता है, राज्य कार्य एवं विभागीय कार्य की महत्वता को देखते हुए स्वीकृति लेने से पहले कार्य कराना अनुचित नहीं है, हर जगह होता है हर विभाग में होता है प्रोग्राम में किसी कारण आई कमियों का उत्तर आपको और मेरे को देना पड़ता है। जी.एफ. एण्ड आर. से नहीं दिया जा सकता। अतः वाहनों की मरम्मत में जो वित्तीय सीमाओं से अधिक खर्च हो गया है उसको नियमित कराने की कार्यवाही की जा रही है।

अब ये पढ़ने की चीज है

"आपके उक्त पत्र द्वारा राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 7(2) सी. एल. पी./701, दिनांक 30-3-79 को प्रति भेजना बताया गया है, लेकिन इस कार्यालय में उक्त पत्र के साथ प्राप्त नहीं हुई है और न मुझे अब उसकी आवश्यकता है। मुझे पावर ऑफ शिड्यूल मालूम है क्योंकि मैं आपके कार्यालय का मोटरों का ही बजट ऑपरेट नहीं कर रहा हूं मेरे स्वयं के कार्यालय का भी 4–5 लाख का बजट मेरे हस्ताक्षरों के द्वारा खर्च किया जा रहा है।

जहां तक हर खरीद करने के पूर्व मेरे कार्यालय में कनिष्ठ लेखाकार व आपके कार्यालय के लेखाकार की राय लेने का प्रश्न है नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी लेखाकार चाहे किसी भी कैडर का हो वह हैड ऑफिस का अधिकारी नहीं हो सकता। उसका कार्य केवल नियमों की जानकारी देना व अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है, आदेश देना नहीं।

आपके इस पत्र से यह तो स्पष्ट हो गया है कि खरीद मेरे द्वारा की गयी है एवं मैं ही उसका जवाबदेही हूं अतः सब आरोप एवं आक्षेपों का जवाब ऑडिट पार्टी को दे दिया जावेगा।

मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं कि मैं ऐसे अपमानजनक तरीके से कार्य करने का आदी नहीं हूं। अतः निवेदन है कृपया ट्रांसपोर्ट का पूर्ण कार्य किसी दूसरे अधिकारी को देने का श्रम करें साथ ही यह भी निवेदन करना उचित समझता हूं कि जब खरीद मेरे द्वारा की गयी है, बिलों पर मेरे हस्ताक्षर हैं, तो जिम्मेदारी तो अपने आप ही मेरी होगी, जिसके बारे में विशेष उल्लेख की आवश्यकता तो नहीं थी फिर भी चूंकि उसका उल्लेख किया गया है अतः निवेदन करना चाहूंगा कि मैं मेरे द्वारा कराये गये कार्यों का पूर्ण रूप से जिम्मेदार हूं।"

उसके बाद उनके हस्ताक्षर हैं। अब आपसे मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जनरल फाइनेन्स एण्ड अकाउन्ट्स रूल में यह गवर्नर की तरफ से होता है और इसमें राजस्थान के जहां तक फाइनेन्स की बात है, चाहे कोई भी अधिकारी हो, बड़े से बड़ा अधिकारी भी उस पर पाबन्द है लेकिन जो यह लैंग्वेज है इसमें इन्होंने सबको ताक पर रख दिया। इनकी शिकायतें भी हुई लेकिन उस वक्त के मंत्री महोदय ने इसको दबा दिया।

एक माननीय सदस्य : अब तो घर के मंत्री हैं, अब निकलवा लो।

श्री सभापति : आप ये पत्र, माननीय जी, मन्त्री महोदय को दे दीजिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी : जी. एफ. एण्ड आर. के अनुसार एक पैसा भी उसकी अनुमति के बिना नहीं खर्च कर सकते। मेरा यह भी निवेदन है कि जी. एफ. एण्ड आर. की होली जलाई गयी है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से और मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस फाइल को निश्चित रूप से निकलवाकर जानकारी की जाय कि इस प्रकार जो इन्होंने घोटाले किये हैं, उस केस को दबाया गया है। यही नहीं इस प्रकार का इन्हीं का ही, श्री भटनागर जी का एक और भी आपको बता दूं कि जब ये जयपुर में ट्रांसफर होकर आ गये तो आर. एस. एल. 6299 जीप सरकारी जो यहां जयपुर में चलती थी, उसको भी इन्होंने अलवर में ठीक कराया। क्यों, मैं पूछना चाहता हूं। सीधी सी बात है कि जो डीलर था उससे सांठ-गांठ थी, उसे कुछ मिलता था, इसी कारण से जयपुर की जीप अलवर में जाकर ठीक कराई गई। बिलों का भुगतान या तो हो गया है या होने वाला है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी निश्चित रूप से जांच करवाई जावे, क्या जयपुर में कोई मैकेनिक नहीं था, यहां पर क्या कोई मरम्मत करने वाला दिग्गज नहीं था। इसके साथ ही यह जो बगैर टेण्डर काल किए और बिना राइट डीलर के जो अपने मनमाने तरीके से सामान खरीदा गया है और जीप की मरम्मत [illegible] गई है, मैं समझता हूं कि जहां [illegible] नेशियल स्थिति है, सरकार [illegible] अन्याय किया गया है। सरकार [illegible] बुरी तरह से बर्बाद किया गया है [illegible]

थोड़ा मैं आपको और निवेद[illegible] आपने घण्टी तो दे दी है लेकि[illegible]

मैं और निवेदन करना चाहता हूं इस संबंध में कि जो आपका फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है, इसमें ऐसा है कि जब फूड का सैम्पल लिया जाता है तो उसके तीन सैम्पल लिए जाते हैं। एक तो पार्टी को दे दिया जाता है और दो सैम्पल सरकार अपने पास रखती है जिसमें से एक को तो जांच के लिए भेज देते हैं और एक अपने पास रखते हैं। हुआ क्या है कि हमारे यहां पर जो सी.एम.एच.ओ. साहब थे उन्होंने 19 केसेज किए और 19 में ही चालान कर रखा है। लेकिन सभापति जी, इसमें कितनी अनियमिततायें हुई हैं, इसमें लाखों रुपयों का घोटाला किया गया है, रिश्वतें खाई गई हैं और इन केसेज को दबा दिया गया है। पांच-पांच महीने तक उनका चालान पेश नहीं किया उनकी डेट नहीं दी जाती है।

Under Section 7/16 of the Prevention of Food Adultration Act, 1954, powers were delegated by State Government vide Notification No. F. 8 (24) M & H/74, dated 23rd September, 1978 to the Chief Medical and Health Officer, Alwar, Dr. B. P. Jain. The Challans for such following cases were put in the Court of Chief Judicial Magistrate, Alwar on 27th July, 1979 through APP. The particulars are as follows:

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से 17 चालान हुए हैं और 17 ही चालानों में से एक चालान छोटेलाल, पुत्र जगदीश प्रसाद का है। इसका सैम्पल लिया गया है 29-8-78 को और डेढ साल

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

रिपोर्ट फ्रोम पब्लिक एनेलेसिस्ट हैं, जो आ गई 15-2-78 को और डिप्टी सी. एम. एच. ओ. ने रिपोर्ट कर दी 2-12-78 को लेकिन चालान नहीं किया गया। जो चालान किया गया उसकी डेट है 30-5 79। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह से क्यों घ टाले किये गये हैं। पांच-पांच महीनों तक केसों को रोका जाता है क्योंकि इसके पीछे जो कारण है, वह साफ है। और जो दस्तखत किए हैं, उस दस्तखत में जो हमारे सी. एम. एच. ओ. हैं उनकी डेट नहीं है। डेट नहीं डालने के पीछे यही है कि घोटाले किये गये हैं, सीधी सी बात है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि तीन सैम्पल लिए जाते हैं उनमें एक सैम्पल प्रायः पार्टी को दे दिया जाता है और जब चालान हो जाता है तो प्रायः पार्टी, जो अपने पास के सैम्पल का इन्वेस्टीगेशन कराती है, जांच कराती है तो प्रायः पार्टी को यह कहने का अधिकार हो जाता है कि चूंकि इसमें काफी दिन हो गये हैं इसलिए यह हमारा जो सैम्पल था वह तो खराब हो गया है। इसलिए उसमें उनको सुविधा मिल जाती है और वे बरी हो जाते हैं। इस तरह से जो हालत हैं वह चाहो तो मैं पढ़ कर बता दूं, चाहो तो पेश कर दूं। ये 19 केसेज हैं और 19 केसेज में ही पांच-पांच, छः-छः महीने तक पड़े रहे हैं। जब डिप्टी सी.एम.एच.ओ. ने रिपोर्ट कर दी तो पांच-पांच महीनों तक केस क्यों पड़े रहे। उस समय भी निश्चित रूप से कम्प्लेंट हुई थी लेकिन इस जनता पार्टी की सरकार ने उन कम्प्लेंट्स पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मिलावटियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और मुझे मालूम है कि उस समय भी मांग उठती थी लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। जिसका परिणाम है कि ये 17 केसेज पड़े रहे और समय पर चालान पेश नहीं किया गया है। इसी संदर्भ में मैं यह निवेदन कर दूं कि किसी समय में यह फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के तहत म्युनिसिपैलिटीज को पावर्स दी गई थीं उस वक्त म्युनिसिपैलिटी में हमारे नुमाइन्दे चुने हुये होते थे तो निश्चित रूप से ढंग से काम होता था, ईमानदारी के साथ काम होता था और उसमें हमारे चुने हुए म्युनिसिपल कौंसलर्स सहयोग करते थे। लेकिन आज हालत यह है कि आज हमको दूध ढंग का नहीं मिलता है, घी ढंग का नहीं ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मिलता। सब चीजों में मिलावट होती है। पहले काफी छापे पड़ते थे और जांच होती थी और म्युनिसिपैलिटी को पावर्स थी चालान कराने की जिससे निश्चित रूप से हर शहर और हर गांव में म्युनिसिपैलिटी के इंसपैक्टर जाकर जांच करते थे, चैक करते थे जिससे निश्चित रूप से अच्छा दूध मिलता था, अच्छा घी मिलता था, अच्छी चीजें मिलती थीं लेकिन आज क्या हालत है? आज चालान इसलिए नहीं किए जाते क्योंकि जो भी सरकारी अफसर हैं वे अपनी जेबें भर रहे हैं। खास कर जनता पार्टी के समय में तो जेबें भरने की होड़ लगा दी थी। छोड़ा ही नहीं किसी को...

(व्यवधान)

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

को डेलीगेटेड की गई थीं, दुबारा म्युनिसिपल कौंसिल को दी जावें ताकि सुचारू रूप से फूड अडल्टरेशन एक्ट में निश्चित रूप से प्रगति हो और निश्चित रूप से हमारे यहां पर जो मिलावट होती है वह रुके और अच्छा दूध और अच्छा घी लोगों को मिल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस मैं इतना ही कहते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती उजला।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, जिस संदर्भ में माननीय सदस्य ने अपना भाषण समाप्त किया है मैं वहीं से प्रारम्भ करना चाहती हूं। मैं कहना चाहूंगी कि राजस्थान में इस समय खाने की चीजों में, दवाइयों में कितनी मिलावट हो रही है और कितनी मिलावटी मिल रही हैं। इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। हमारे यहां एक बार विश्व स्वास्थ्य संघ ने भी अपने डॉक्टर ईवान को भेजा था, यहां जयपुर आए थे। उनकी यह रिपोर्ट थी और हाथी कमेटी ने भी रिपोर्ट की थी कि प्रत्येक प्रदेश में एक प्रयोगशाला हो जो दवाइयों और खाने की चीजों में मिलावट होती है उसकी जांच कर सके। लेकिन दुःख की बात है कि हमारे यहां पर खाद्य ... जो अपनी प्रयोगशाला है ...शाला ... या ... ट ... से ... गे प्रयोगशाला बनने जा रही है उसमें निदेशालय का दफ्तर नहीं ले जाया जावे, उसकी तोड़ फोड़ नहीं करें। क्योंकि वर्तमान में जो प्रयोगशाला है वह काफी नहीं है। वहां खाद्यान्नों की भी जांच नहीं की जा सकती है, इतनी कम जगह है, उसको देखते हुए प्रयोगशाला बनाने का जो निर्णय लिया गया था, इसमें काफी पैसा भी सरकार का खर्च आया है और जो पैसा खर्च आया है उसके आधार पर जांच के लिए जो प्रयोगशाला बनने जा रही थी, वह आधे से अधिक बन चुकी है। जहां बन चुकी वहां बैठने के लिए, दफ्तर बनाने के लिए सीढ़ी तोड़ी जा रही है। यहां प्रयोगशाला के विभिन्न तरह के उपकरण बनाए गए थे उनको नष्ट करके केवल दफ्तर ले जाने का षड्यंत्र है। मैं कहना चाहूंगी कि उस पर आप ध्यान दें। दफ्तर तो कहीं पर भी मिल जायेंगे लेकिन जो प्रयोगशाला के लिए स्थान तय किया गया है, जहां इसको बनाने का निश्चय कर लिया था और बना भी लिया गया है उसको समाप्त नहीं करके वहां प्रयोगशाला बनाई जावे जो फूड एण्ड ड्रग का एनेलेसिस कर सके। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी, सभापति महोदय, वह खुद जाकर देखे कि वह स्थान वहां के लिए उपयुक्त है, प्रयोग के लिए उपयुक्त है। इसमें कोई राजनीति नहीं आनी चाहिए और वहां पर इस तरह की प्रयोगशाला बनानी चाहिए।

मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यहां पर 25 ड्रग इंसपेक्टर हैं लेकिन करते क्या है? खाली बैठे हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि कितने उन्होंने एनेलेसिस किये, उत्तर आपको मिलेगा? बिल्कुल नहीं। उसका परिणाम मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहां पर जो दूसरे प्रदेशों से जिन दवाइयों की जांच

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नहीं की जा रही है, वह अपने यहां आकर-बिक रही है और उसका दुष्परिणाम हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, हमारे यहां प्रेस्क्राइब्ड औषधियां ली गई हैं लेकिन किस किस्म की ली गई हैं। उनके कन्टेन्टस देखिये, उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटीटी देखिये, बिल्कुल गलत है। जो बी-कोम्प्लेक्स के रूप में अपने यहां बिक रहे हैं वह बिल्कुल प्रभावहीन हैं। जो कोग्रोडेक्स है, फिल्म कॉलोनी में ही मेरी डिस्पेंसरी है, पिछले दिनों मैंने स्वयं वहां पर देखा है कि एम्प्यूल बिल्कुल खाली था। यह किस तरह का काम चल रहा है मेरी समझ में नहीं आता है। इस पर बहुत ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जो बी-काम्प्लेक्स का इन्जेक्शन आता है, उसकी जांच कराई तो बिल्कुल प्रभावहीन है बल्कि दुष्प्रभाव पैदा करने वाला है। इसी तरह से जो गोलियां 9 पैसे में और 20 पैसे में एम्प्यूल खरीदा गया है उसको जांच करके देखें कि वह बिल्कुल प्रभावहीन है। इसी तरह से हमारे यहां जो प्रेस्क्राइब्ड एनालजिन और एस्प्रीन हैं वह बिल्कुल प्रभावहीन हैं। मैं कहना चाहूंगी कि इनकी जांच की जाए। इसके साथ 2 जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी भी जांच कराने की अनुमति दी जाए। इसकी जांच के लिए अपने यहां पर प्रयोगशाला खुलनी चाहिए। 26 जिलों के लिए केवल राजस्थान में 12 प्रयोगशालाएं हैं। जो काफी कम हैं। आपने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सरकार का प्रयोगशालाएं खोलने का कोई विचार नहीं है। जो मसाले आदि हैं, धनिया, हल्दी, नमक इन तक में मिलावट होती है। घी का एक नमूना तो मैंने यहां पर पेश किया था। इसमें केसरिया रंग मिला दिया जाता है परन्तु उसकी जांच नहीं की जाती है। सही क्वालिटी और सही तोल नहीं होता है। मंत्री महोदय जब उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से इस बारे में मुझे आश्वस्त करेंगे कि इस तरह की गलतियां नहीं होंगी। इसका अभाव न हो। ड्रग्स की जांच के लिए कोई प्रयोगशाला न हो, हाथी कमेटी की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी। बहुत ही सोच विचार के अपनी रिपोर्ट में उन्होंने रिकमण्डेशन दी थी। आप जो कलकत्ता लेबोरेटरी को सैम्पल भेजते हैं उनका 6-6 महीने तक उत्तर नहीं आता है। कितना पैसा आपका खर्च हो जाता है और जांच भी समय पर नहीं हो पाती है। जितना पैसा आप कलकत्ता आदि प्रयोगशाला में खर्च करते हैं उतने ही पैसे से क्या यहां पर प्रयोगशाला नहीं बनायी जा सकती है। मैं आग्रह करूंगी कि जनता को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, चिकित्सा पद्धति से जो सुविधा मिल रही है, उसका असर हो तो उसके लिए यहां पर प्रयोगशालाएं खोलना बहुत जरूरी है।

मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहती हूं कि जांच केवल एलोपैथी दवाइयों की ही नहीं जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं उनकी भी जांच की जाए। मैंने पिछले दिनों कई रसायनशालाओं का अध्ययन किया है। मैंने देखा है कि वहां पर खुले में ड्रग्स पड़े हुए हैं। जो खरीदे गये हैं वे इस किस्म के नहीं हैं कि उन पर विश्वास किया जा सके। जनता सरकार ने इसके लिए एक जांच कमेटी नियुक्त की थी, मैं भी उसमें थी। वह जांच कमेटी मुझे खेद है कि अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसलिए मैं यह आग्रह करूंगी कि सन् 1971 से 1976 तक जो काण्ड हुए उनको दुबारा दिखवा लिया जाए और कोई कमेटी दुबारा बना कर उसकी जांच करायी जाए।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इन दवाइयों को वितरित नहीं किया जाए। इस पर पाबन्दी लगा दी जाए। इसके अलावा जो भस्में हैं उनका प्रयोग तो हो सकता है परन्तु उनको पूरी तरह से साधा नहीं गया है। मैं इस सारे मामलों की जांच रिपोर्ट नहीं दे पाई हूं, इसका मुझे खेद है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि यदि आप प्रयोगशालाएं खोलेंगे तो जो हमारी विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धति हैं, चाहे वह एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, इन सारी पद्धतियों का हम पूरा-पूरा उपयोग कर सकेंगे और ऐसी चिकित्सा दे पाएंगे जिससे स्वास्थ्य अच्छा बन सके।

जो खाद्य निरीक्षक हैं उनसे शक्तियां ले ली गई हैं। उनको शक्तियां वापस दें। इसके साथ 2 खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए। संसद में तो यहां तक चर्चा होती है कि इनको फांसी लगा दी जाए। जो भी सामान आज मिलता है वह बगैर मिलावट के नहीं मिलता है। विष भी आज शुद्ध नहीं मिलता है। एक आदमी विष लेने गया, वह स्वयं मरना चाहता था परन्तु विष लेने के बाद भी वह नहीं मरा। जब नहीं मरा तो उसने कहा निवारण करना चाहता हूं वह रबड़ी खाने गया और रबड़ी में मिलावट थी, उसका देहान्त हो गया। इसलिए जो खाद्य पदार्थ मिलावटी रूप में मिलते हैं उनके ऊपर आप निश्चित रूप से ध्यान दें।

मैं हमारे अस्पतालों की ...ना चाहूंगी। नर्सिंग ...बहुत कम है। इसकी संख्या बढ़ायी जानी चाहिए। हमारे जो अस्पताल हैं, आप देखेंगे चाहे वह जनाना अस्पताल हो, चाहे वह सवाई मानसिंह अस्पताल हो, वहां पर बीमारों की, मरीजों की कितनी संख्या है? चाहे उन मरीजों को मिलावट की वजह से या मंहगाई के कारण, अभावग्रस्त होने के कारण, कुपोषण के कारण बीमारी हो गई हो, या मलेरिया के कारण हो, उनको आज अस्पतालों में बैड्स नहीं मिलते हैं। जनाना अस्पताल में तो स्थिति यह है कि महिलाएं बरामदों में पड़ी रहती हैं ऐसी दुर्गति होती है कि आप उनको देख नहीं सकते हैं। इसलिए वहां पर बैड्स की संख्या बढ़ाई जाए। इसका प्रबन्ध आप करें।

चिकित्सा विभाग में कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनका प्रमोशन 15-15 वर्ष से नहीं हुआ है। वह आपके ही कर्मचारी हैं। उनकी तरफ ध्यान देना आपका काम है।

हमारे जो अस्पताल हैं, मैंने यह आग्रह किया था कि वहां पर इमर्जेन्सी लाइट लगायी जाए। पिछले दिनों लाइट खराब हो गई थी और बेसमेंट में पानी भर गया था। एक बार आपरेशन टेबल पर मरीज था, लाइट न होने के कारण उसकी दुर्गति हो गई। मैं यह निवेदन करूंगी कि कि इमर्जेन्सी लाइट को शुरू किया जाए।

हमारे अस्पतालों में लाखों रुपयों के उपकरण खराब पड़े हैं उनको तुरन्त ठीक करवाया जाए। लोग अपने स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली नहीं जा सकते। मैंने एक बार जांच कराई। एक बार परिणाम आया कि बीमारी है। दूसरी बार यह परिणाम आया कि कोई बीमारी नहीं है। परन्तु

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

15 दिन बाद ही पता लगा कि पहले से अधिक बीमार हूं। तो यह सारी गड़बड़ी उपकरण के खराब होने के कारण हुई। इसलिए मेरा निवेदन है कि यंत्रों के रख-रखाव के लिए अलग से बजट में प्रावधान होना चाहिए ताकि उनको जल्दी से जल्दी ठीक करवा लिया जाए और लोगों को सुविधा मिल सके।

गावों में परिवार नियोजन, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के बारे में मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया है। ये केन्द्र तो खुल गये किन्तु वहां पर कोई नर्स, दाई नहीं है। एक बार की घटना है शायपुरा गांव है। रात्रि के दो ढाई बजे किसी को प्रसूति की तकलीफ हुई। चिकित्सा सहायता के लिये वह जयपुर आया परन्तु शहर से कोई जाने को तैयार नहीं हुई। किसी तरह से वह एक को ले गया तो वह नर्स बस स्टेन्ड से आगे नहीं गई। किसी तरह हाथ पैर जोड़ कर वह ले गया। ऐसी स्थिति है। रात्रि के एक बजे तो ऐसा गन्दा वातावरण हो जाता है कि कोई महिला नर्स या दाई जाने को तैयार नहीं होती है। अगर वह उस एरिया से वाकिफ होती है तो ही जा सकती है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, थोड़ा सा टाइम और दें।

श्री सभापति : आप 15 मिनट ले चुकी हैं। और भी माननीय सदस्यों को बोलना है। आप दूसरों का भी ख्याल रखें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं ख्याल रख रही हूं। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगी कि जो आपने मातृ शिशु कल्याण केन्द्र नहीं खोल रखा है उसकी व्यवस्था आप निश्चित रूप से कर दें जिससे वहां की प्रसूताओं को कोई तकलीफ यदि हो तो उसका समाधान हो जाये।

इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि अमजा रामगढ़ के लिए मैं दो वर्षों से कह रही हूं परन्तु वहां नहीं खोला गया है। वहां भवन भी बना हुआ है बस अस्पताल नहीं खुला है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आशा है आप इस वर्ष मातृ शिशु कल्याण केन्द्र जरूर खोल देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरी बात अधूरी रह जायेगी। यदि आपकी अनुमति हो तो बोलूं।

श्री सभापति : दूसरों का भी तो ख्याल रखिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने आपसे पूर्व में भी आग्रह किया था कि यह जो जनाना हॉस्पिटल है उसके पास पुलिस लाइन का दफ्तर है। वे पुलिस लाइन के दफ्तर को बनीपार्क में नयी पुलिस लाइन में शिफ्ट करने को तैयार हैं। यदि वह ले लिया जाये तो जो नया जनाना हस्पिटल बनाने की घोषणा है वह भी पूरी हो जायेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह चालू हो जाये तो मैं यह उम्मीद करती हूं कि यह जो बढ़ती हुई भीड़ है, उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। चिकित्सा सुविधा दी जा सकती

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्रीमती उजला अरोड़ा) . . .

एक बात और कहना चाहूंगी, सभापति महोदय, सवाई मानसिंह अस्पताल में जो लिफ्ट है यह कब तक बन्द रहेगी ? एक लिफ्ट तो ऐसी है, ऐसी खराब है कि एक भले मानुस, जिनकी दुकान सामने है बीमार थे, लिफ्ट में गये। लिफ्ट तो चल दी और लिफ्ट मैन रह गया। वह तो लिफ्ट मैन की होशियारी थी कि वोह बच गये वरना तो उनके दोनों पैर कट जाते। जो दो लिफ्ट हैं वे तो खराब हैं। जो बीमार हैं और जो बीमार के साथ आते हैं, मैं समझती हूं कि उनकी इतनी दुर्दशा हो जाती है कि वे खुर्र पर से तो उतर नहीं सकते हैं। इसलिए आपको निश्चित रूप से एस. एम. एस. की जो लिफ्ट हैं उनको ठीक करवाने की व्यवस्था करनी चाहिये।

साथ ही यह जो हमारा शहर का हॉस्पिटल है उसकी इतनी दुर्दशा है कि गटर लाइन टूटी हुई है, कमरों में गंदा पानी आ रहा है। बाउन्डरी वॉल टूटी हुई है। आपके जो अधिकारी हैं उनको कई बार कहा कि भइया, इसको ठीक करवा दो। उसके आस पास कच्ची बस्तियां हैं, हरिजन बस्तियां हैं। सूअर उनमें से आ जाते हैं बीमारों के कमरों तक. जो 20-20 रुपये रोज के कमरे हैं, वहां तक आ जाते हैं। शहर का अस्पताल तो ऐसा होना चाहिये कि उसके चारों तरफ हरी घास हो जिससे कि वहां रहने वाले बीमार लोग हरियाली देखकर ही ठीक हो जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह बात तो पूरी कर लूं। रसोई से खाना लाना हो और बरसात हो रही हो तो सब खाना भीग जाता है। यहां से हॉस्पिटल तक टीन शेड हो जाये तो ठीक रहेगा।

इसके अलावा जो बीमार आते हैं चाहे वह एस. एम. एस. में आयें या टी.बी. हॉस्पिटल में आयें जो उसका अटेन्डेंट आता है वह परेशान हो जाता है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, काफी समय ले लिया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, बस यही बात है। एक आदमी तो पेशेन्ट के पास रह जाता है और जो दूसरा दवाई आदि लाने के लिये होता है वह बड़ा परेशान हो जाता है। उसको बड़ी बुरी तरह से दुत्कारा जाता है। सवाई मानसिंह अस्पताल के पास जो खाली मैदान पड़ा है वहां एक टीन शेड डलवा दिया जाये और एक टेलीफोन की व्यवस्था हो जाये तो वह आवाज लगा देगा कि इसका टेलीफोन है, वह उसको बुलवा देगा तो बड़ा आराम हो जावेगा। यह अस्पताल तो जेल हो गया है। जाओ तो टाइम टू टाइम, आओ तो टाइम टू टाइम। आदमी बेचारा खाना लेकर खड़ा रहता है और उसको दुत्कार दिया जाता है। सभापति महोदय, जनाना अस्पताल की तो और भी बुरी दशा है, वहां पैसे लेकर प्रवेश मिलता है। यह कितने दुःख की बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में जो लेबोरेटरी खोलने का प्रावधान जहां किया गया था वहीं खोली जाये।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल जी मोदी !

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : सभापति महोदय, मैंने भी स्वास्थ्य संबंधी मांग पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं। उन पर मैं चर्चा करना चाहता हूं।

आज देश में जो खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है, उनसे बीमारियां भी ज्यादा हो रही हैं। विशेषकर उन बीमारियों का इलाज नहीं होने से ग्रामीण जनता को ज्यादा असुविधा हो रही है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि शहरों के बजाय कुछ गांवों की ओर विशेष ध्यान दें। इसके लिये एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों के लिये एक मोबाइल सर्जिकल यूनिट बहुत ही अच्छी सुविधा है। ऐसा प्रैक्टिकल रूप में सदस्यों ने देखा होगा कि वहां जाकर के इन डॉक्टरों का मन कैसे बदल जाता है। जो कुर्सी पर बैठता है वह जब वहां चला जाता है तो उसमें रात दिन का अन्तर आ जाता है। वहां डॉक्टर मरीज के लिये खुद का ब्लड तक देने को तैयार हो जाता है। मैंने ऐसे डॉक्टर्स नर्सेज को देखा है, मैंने ऐसे कम्पाउन्डरों को देखा है, उन लोगों में एक भावना जग जाती है कि इस कैम्प का कोई मरीज मरना नहीं चाहिये। चाहे उसके लिये ब्लड ही देना पड़े। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में इस मोबाइल सर्जिकल यूनिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ायें। जो 500 बेड्स का है ऐसे 2-3 और खोलें। और 6 महीने में कम से कम आप एक पंचायत समिति लेवल पर भिजवाने की व्यवस्था करायें। यह एक बहुत अच्छी राजस्थान के गरीबों के लिये मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। एक पैसा भी लगता नहीं। खाने की व्यवस्था जो मैनेजर करता है उसकी तरफ से होती है। यह बहुत बड़ी सुविधा है इसलिये इसके लिये विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, एक आज जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है उसे की ओर भी माननीय मन्त्री महोदय ध्यान दें। आज हालत क्या है? मरीज ज्यादा हैं, दवाईयां नहीं हैं और डॉक्टरों की हालत ऐसी है कि उनको फुर्सत नहीं है। मैं थोड़ा सा विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आजकल मौजूदा हालत ऐसी हो गयी है कि डॉक्टर्स पैसे की ओर विशेष ध्यान देने लगे हैं। मैं आपके माध्यम से थोड़ा सा निवेदन करना चाहता या तो मीटिंग करके या बड़े ऑफिसर्स को इस तरह के इन्सट्रक्शन दें जिससे कि डॉक्टर्स सेवा पर कार्य को पैसे से ज्यादा तवज्जह दें, पैसे को तवज्जह नहीं दें और सेवा की भावना उनमें जागे, इस ओर विशेष रूप से आप ध्यान दें। मैं यही निवेदन आप से करूंगा।

मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन अपने क्षेत्र के बारे में करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में छावनी लगी है। वहां पर जनता सरकार ने, भूतपूर्व उद्योग मंत्री ने एक बहुत बड़ा तोफा दिया था, वह तोफा यह दिया था कि गत पांच सालों से जो छावनी के अन्दर हॉस्पिटल चलता था जो पी. ए. सी. हो गया था वहां से हटाकर सिरोही भेज दिया था और सिरोही का हॉस्पिटल चला गया टोडा। इसका मतलब यह हुआ कि जहां उप जिला है जहां डी. एम. पी., एस. पी., पंचायत समिति का इरिगेशन और पी. डब्ल्यू. डी. का दफ्तर और जहां सारे ऑफिस हैं वहां हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे

(श्री मोहनलाल मोदी)

निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देकर छावनी में वापस हॉस्पिटल शुरू करें। आज उसकी व्यवस्था ऐसी है जब ज्यादा लोग चिल्लाये तो ऐसी व्यवस्था कर दी कि जो पी. एच. सी. का डॉक्टर था उसको वहां डेप्यूट कर दिया। उसके पास साधन नहीं हैं, दवाइयां नहीं हैं वह एक आध घंटा, दो घंटा बैठता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले प्राथमिकता देकर इसको चालू करवायें।

तीसरा मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। अधिकतर उसमें पहाड़ी क्षेत्र ही आता है। जहां आवागमन का कोई रास्ता नहीं है, साधन नहीं है, अगर वहां कोई बीमार हो जाये तो उसको 100 मील दूर पर अस्पताल है वहां ले जा नहीं सकते हैं, वह रास्ते में ही खतम हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सोवरान तराना में हॉस्पिटल बिल्डिंग बनी हुई है पिछले पांच सात वर्षों में और जो रामपुर के भी औषधालय की बिल्डिंग बनी हुई है 7-8 साल से उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वहां का विशेष रूप से ध्यान रखें और हॉस्पिटल और औषधालय खुलवायें।

दूसरा एक ऐसा है कि जो उप जिला हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर लेडी डाक्टर्स का प्रबन्ध नहीं है। पहले पी. एच. सी. थी तो लेडीज थीं, डिलीवरी केसेज आदि का प्रबन्ध हो जाता था। लेकिन आज बहुत बड़ी तकलीफ की बात है कि वहां 3 लाख रुपया लगाकर वहां के सेठों ने मैटरनीटी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनवादी है।

जनता सरकार के भू. पू. उद्योग मन्त्री ने वायदा भी किया था मुहूर्त की तारीख भी निकली थी लेकिन वह हुआ नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था करें।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो यह प्राइवेट डॉक्टरों की प्रैक्टिस बन्द कर दी है, प्रैक्टिकल तौर पर आप देखें तो बाहर से आने वाले मरीजों को इससे बहुत दिक्कत होती है। कोई बाहर से मरीज आये और 20/- रु. फीस दे, वह घर पर दिखाकर आध घण्टे में चला जाता था। अब तीन चार दिन में किसी डॉक्टर का नम्बर आता है। वहां भी भीड़ होती है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इसको वापस जारी कर दें। गांवों से आने वाले लोगों को इससे तकलीफ नहीं हो। मुझे आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे।

एक मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर जगह पागल कुत्ते के काटने की बहुत परेशानी है। इनके इन्जेक्शन सभी जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। बहुत लम्बा ट्रीटमेण्ट होता है। आप इसके लिए ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे कि हर समय हर डिस्पेंसरी में ये मिल जायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, सचेतक महोदय यहां हैं नहीं। पांच बजने जा रहे हैं। समय के बारे में मैं आसन का ध्यान दिला दूं।

श्री सभापति : आप निश्चिन्त रहें। आसन सतर्क है।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

एक माननीय सदस्य : सचेतक महोदय आ गये हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब आये हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि आज की मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जावे।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कुछ नहीं बोलेंगे।

श्री सभापति : जब तक मांगें पारित न हों, तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाता है ?

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, समय की सीमा होनी चाहिए।

श्री सभापति : सीमा है, जब तक मांगें पारित नहीं हों।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह, मांगें तो कल तक पारित नहीं होंगी। कोई सीमा होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : 7 बजे तक के लिए बढ़ा दें।

श्री खेतसिंह : 7 बजे तक के लिए बढ़ा दें।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री मोहनलाल मोदी : तो, सभापति महोदय; मैं मन्त्री महोदयसे निवेदन करूंगा, यहां पागल कुत्ते के काटने का इलाज होना चाहिये। इसके लिए बहुत दिक्कत होती है। गांवों से लोग आते हैं इसके लिए। 6 डी.एच.एम. ओ. को पूरे तौर से ताकीद करें। आपके हॉस्पिटल में पट्टी तक नहीं मिलती है। दवाई नहीं मिलती है। कितना बजट है, यह बजट है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। आपके बजट के माध्यम से जितनी भी दवाई हो सकती हैं, वह मिलनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि अस्पताल की दवाइयां सामने मेडिकल स्टोर में जाकर बिक जायें। आप किसी भी हॉस्पिटल में जायें तो एक बात देख लीजिए, सभी डॉक्टर दवाइयां पर्चेज कराने के अलावा और कोई काम ही नहीं करते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। टिंचर, रूई और बैण्डेज तक बाहर से लाना पड़ता है। इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए।

जो अमीर लोग हैं, वह तो आपके हॉस्पिटल में जाते नहीं हैं। उनके लिए तो सन्तोकवा जैसे हॉस्पिटल खुले हुए हैं। गरीब आदमी यह खर्च कर नहीं सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि सही ढंग से ट्रीटमेण्ट हो इसके लिए विशेष ध्यान रखें।

अभी पचेरवाल जी ने एक बात कही। एक अस्पताल राजनैतिक वजह से बन्द कर दिया। मेरे यहां एक सैकण्डरी स्कूल खोलने के लिए 77 में कांग्रेस सरकार ने आदेश दिया था। उसको जनता सरकार ने वित्तीय आधार लेकर बन्द कर दिया था। तब आपको राजनीति कहां गई थी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो जैसा करेगा, उसे वैसा भरना पड़ेगा। इस बात पर बार बार जोर देना ठीक नहीं है। आखिर में मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा, जो मैंने तीन

(श्री मोहनलाल मोदी)
चार बातें बताई हैं, उन पर ध्यान देकर जल्दी से जल्दी पूरा करायें।

श्री सभापति : श्रीमती विद्या पाठक !

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : सभापति महोदय, राजस्थान में 5 मैडिकल कालेज हैं। अप्रैल, 78 में भारत सरकार ने एक कांफ्रेन्स बुलवाई। उसमें यह विचार किया गया और विशेष रूप से एक प्रस्ताव किया गया जो कि मेडिकल कॉलेज एजूकेशन के बारे में था। उनका कहना था कि मैडिकल कॉलेज एजूकेशन के लिए इसको इण्टीग्रेटेड और मोटीवेटेड बनाया जाये। ऐसा प्रस्ताव दिया गया कि इस पर कार्यवाही की जाये। हमारे यहां 5 मैडिकल कॉलेजेज है। पांचों से अलग अलग तरह से योजनाएं आती हैं। पांचों कॉलेजों की अलग अलग अपनी अपनी योजनाएं बनती हैं। एक सारे प्रिंसिपल्स की कमेटी भी होती है। जो अपने अपने प्रस्ताव देते हैं। इसमें प्रश्न महत्वपूर्ण यही होता है कि किसकी तरफ अधिक झुका जाता है। इसमें मेडिकल कमिश्नर का भी बड़ा खास रोल होता है। प्रस्ताव उन्हीं के पास हो सकते हैं, जो उनको अधिक से अधिक प्रभावित कर सकें इसके लिए यह आवश्यक है कि राजस्थान में डायरेक्टर, मैडिकल कॉलेज एजूकेशन की एक अलग पोस्ट हो। जो पांचों मैडिकल कॉलेजों की एजूकेशन-प्राब्लम को देख सके। और इसके लिए सुझाव दे सके। सभापति महोदय, अगर अलग डायरेक्टर बनाया जाता है, तो वह पांचों कॉलेजों की समुचित जानकारी रख सकेगा। उसके अन्तर्गत जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ओवरऑल व्यूज उसके दिमाग में होंगे। किसको कहां पोस्ट करना है, इसकी जानकारी होगी। इसलिए डायरेक्टर मैडिकल कॉलेज एजूकेशन का होना बहुत आवश्यक है। इससे मैडिकल शिक्षा के बारे में समुचित ध्यान दिया जा सकता है। यह समुचित विकास के लिए आवश्यक है। कौन से मैडिकल कॉलेज में क्या आवश्यकता है, कहां किस बात को ज्यादा आवश्यकता है, इस बात की जानकारी उसको होगी। इस नाते वह उसके समुचित विकास के लिए निर्णय भी ले सकेगा। उसके पास पांचों मैडिकल कॉलेज की व्यवस्था होगी।

मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि मैडिकल एजूकेशन के लिये, इण्टीग्रेटेड मैडिकल एजूकेशन व्यवस्था को समुचित सरल बनाने के लिये, एक डाइरेक्टर की नितान्त आवश्यकता है। मैं इस बात की ओर भी माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि उदयपुर मैडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर कोठारी हैं, उन्होंने वहां एक ह्यूमन इनफर्टिलिटी सैण्टर की स्थापना भी कर रखी है, उनको इण्डियन इन्स्टीट्यूट और डब्ल्यू. एच. ओ. से भी ऐड और मैरिट पे मिल रही है। अब सुना है कि उनका ट्रान्सफर बाहर कहीं कर दिया गया है सम्भवतः जोधपुर या बीकानेर। इस तरह की जो प्रशासनिक अव्यवस्था है उसका भी निराकरण डाइरेक्टर मैडिकल एजूकेशन के द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अगर एक ही स्थान पर एक ही व्यक्ति की नियुक्ति मैडिकल एजूकेशन के लिये कर दी जाय तो आपको जो पांच प्रिन्सिपल्स से सम्पर्क करना पड़ता है या मैडिकल कमिश्नर के द्वारा अधूरी जानकारी

(श्रीमती विद्या पाठक)

लेनी पड़ती है उसके बजाय एक ही डाइरेक्टर मैडिकल एजूकेशन से एक जुट जानकारी मिल सकेगी। मैं सोचती हूं आप इस पर विचार करेंगे कि एक मैडिकल डाइरेक्टर की नितान्त आवश्यकता है।

दूसरा प्रश्न आता है इम्तहान का। 78 में पी. एम. टी. के इम्तहान के लिए एक कमेटी बनी थी जिसमें डिप्टी सैक्रेटरी मैडिकल, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी और प्रिन्सिपल मैडिकल कॉलेज थे। यह निर्णय लिया गया था कि 10, 12 और 14 जून को पी. एम. टी. के इम्तहान हो जायेंगे तथा 16 जुलाई से सैशन आरम्भ हो जायेगा। साढ़े चार साल का यह कोर्स होता है, समय पर इम्तहान नहीं होने से विद्यार्थियों को बहुत नुकसान होता है। इसलिए इस बात की भी आवश्यकता है कि इम्तहान निर्धारित समय पर किये जावें। कई स्टूडेन्ट्स प्रेसराइज करके इम्तहान की तारीख आगे बढ़वाते रहते हैं। इस बारे में निवेदन करना चाहती हूं कि यूनिवर्सिटी में एक सैल बना हुआ है कन्ट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, मेरा सुझाव है कि इस सैल को बिलकुल ऑटोनामस बना दिया जाय ताकि इस सन्दर्भ के आन्दोलनों से पूरी युनिवर्सिटी की व्यवस्था डिस्टर्ब न हो। बार-बार इम्तहानों को पोस्टपोन किया जाता है। यह व्यवस्था उस सैल को दे दी जाय, तो जो बच्चे समय से इम्तहान देना चाहते हैं उनका तो नुकसान नहीं होगा। इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है। सम्भवतः आप इस पर विचार करना चाहेंगे।

आई. एम. सी. की सिफारिश के अनुसार एक साल में दो से ज्यादा इम्तहान नहीं होने चाहिये जब कि हमारे यहां तीन चार बार इम्तहान हो जाते हैं। नियमों के हर दफा अलग-अलग तरह के इण्टरप्रिटेशन लगाये जाते हैं। शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़कों को स्कॉलरशिप दी जाती है। लेकिन उसके जो रूल्स हैं वे अस्पष्ट लगते हैं। जिस तरह से प्रिन्सिपल चाहे उसी तरह से इण्टरप्रेट करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के नियमों में जो वेगनेस है उसको दूर किया जावे ताकि इनकी वजह से इम्तहान में देरी न हो और समय पर विद्यार्थियों को स्कालरशिप मिल सके।

पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के बारे में मेरा निवेदन है कि विकसित देश जैसे अमेरिका में 25% मैडिकल ग्रेजुएट्स ही हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिये जाते हैं जब कि हमारे यहां पर 65 पर्सेन्ट मैडिकल ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं इसलिए कि वे अच्छी नौकरी की उम्मीद करते हैं। और भी कई कारण इसके हो सकते हैं। परन्तु फिर भी आवश्यकता इस बात की महसूस की जाती है कि कितने हमको स्पेशलिस्ट की जरूरत है, पोस्ट ग्रेजुएट कितनों की जरूरत है उसी हिसाब से स्पेशलिस्ट एजूकेशन होनी चाहिए जिससे बाद में फ्रस्ट्रेशन नहीं हो। जो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना चाहें उनके लिये दूसरे प्रकार के केरियर की व्यवस्था की जाय। एक कैरियर प्लानिंग सैल होना चाहिये जो कि विद्यार्थियों को सलाह दे सकें।

ट्रेनिंग के बारे में मेरा निवेदन है कि विकसित देशों में एक डॉक्टर के पीछे चार नर्सों की व्यवस्था होती है ताकि उस डॉक्टर के जो पेशेन्ट्स हैं उनकी उचित देखभाल

(श्रीमती विद्या पाठक)

की जा सके। हमारे यहां पर एक डॉक्टर के पीछे एक नर्स भी नहीं है। हमारे यहां जो नर्सिंग कॉलेज हैं उसमें 20 पुरुष और 20 महिला नर्सों को ट्रेन्ड किया जाता है। इसमें और अधिक संख्या में ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। पिछले वर्ष आक्जिलियरी हैल्थ वर्कर्स को मेल नर्स में बदल दिया गया था, मल्टी पर्पज हैल्थ वर्कर जिनकी संख्या 200 है उनको सब सैन्टर इन्चार्ज बना दिया था। अब मार्च 80 से उनको एफ. डब्लू. एच. ए. में लगा दिया है जो कि नॉन-टैक्निकल वर्क है। इन लोगों को ट्रेनिंग सरकार ने करवाई, इस पर इतना खर्चा हुआ, ये टैक्निकल लोग हैं, इनको नॉन टैक्निकल जगह पर लगाकर इनकी सर्विसेज का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इनको आज यह पता नहीं है कि भविष्य में इनकी क्या स्टैंडिंग होगी, क्या इनका पे-स्केल होगा, और भविष्य क्या होगा। इनके वहां से हटने से सब-सैन्टर्स खाली हो गये हैं। जहां पर टीके लगाने का काम होता था, इलाज का काम होता था वे खाली पड़े हैं। इसलिए मैनेजमेंट में जो इस प्रकार के बोटलनेक्स हैं उनको दूर किया जाना आवश्यक है ताकि पैरा मेडिकल स्टाफ की जो कमी महसूस की जाती है, उसको दूर किया जा सके।

सभापति महोदय, पिछली सरकार ने हमारी सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट की भी योजना बनाई थी। 1978 में एक कमेटी का गठन किया गया जिसने यह सिफारिश की कि जिस प्रकार से ऑल इन्डिया इंस्टीट्यूट है या चन्डीगढ़ में इंस्टीट्यूट है उसी तरह एक इन्स्टीट्यूट, जो ऑटोनामस हो, एस. एम. एस. हॉस्पिटल को बेस मानकर बनाया जाय जिसके दो भाग हों एकेडेमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव। इस इन्स्टीट्यूट में इलाज के लिए स्पेशल सर्विसेज उपलब्ध कराई जायं ताकि कोई विकट और गम्भीर रोगी हो तो उसको राजस्थान के बाहर नहीं जाना पड़े। राजस्थान देश के 22 प्रान्तों में क्षेत्रफल के लिहाज से दूसरे नम्बर पर आता है, विपरीत दिशाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी लगभग 700 किलोमीटर भी है, तीन करोड़ की यहां आबादी है, पांच मेडिकल कालेज हैं, इन सब बातों को देखते हुए इलाज की सारी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होना नितान्त आवश्यक है जिससे गम्भीर मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़े। अभी कुछ ही दिन पहले यू. पी. में लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएट, इन्स्टीट्यूट जो ऑटोनामस बॉडी होगी, बनाने का निर्णय लिया है। मैं सोचती हूं कि राजस्थान में इस पर विचार हुए बहुत समय हुआ। आप इस पर विचार करना चाहेंगे। इसी तरह, सभापति महोदय, सैन्ट्रल एम्बूलेंस सर्विसेज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत सारे अस्पताल हैं। कुछ जयपुर में भी हैं, अब पूरे राजस्थान में हैं। विशेष तौर से मैं जयपुर के सन्दर्भ में कहना चाहूंगी कि बहुत सारे एम्बूलेंस हैं जो अलग-अलग अस्पताल में हैं उनकी व्यवस्था की अक्सर शिकायतें आती हैं। मैं सुझाव देना चाहती हूं कि उन सारों को एक जगह सैन्ट्रलाइज किया जाये। फायर ब्रिगेड और कन्ट्रोल रूम की तरह इनकी सर्विसेज बनाई जाय। इनको वेल इक्विप्ड किया जाय और इसमें एक्सपर्ट स्टाफ को रखा जाये। पूरा स्टाफ ट्रेन्ड हो ताकि कोई गम्भीर मरीज एक साथ आये तो

(श्रीमती विद्या पाठक)

इमिजियेटली अटेन्ड किया जा सके, सम्बंधित अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। यह सेन्ट्रल एम्बूलेन्स सर्विसेज की भी आज आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस तरह इमर्जेन्सी में कोई हार्ट पेशेन्ट आता है, किसी को हार्ट अटेक हो जाता है, किसी का एक्सीडेन्ट हो जाता है, जिसको इमर्जेन्सी की आवश्यकता पड़ जाती है, हालांकि कुछ बैड्स अस्पताल में हैं फिर भी आवश्यकता इस बात की है कि इस एक्सीडेन्टल इमर्जेन्सी वार्ड को और अधिक वैल इक्विप्ड बनाया जाये, विशेष ध्यान दिया जाय आज के युग में विशेष तौर से इस तरह की बीमारियां बहुतायत से हैं और आशंका है कि और अधिक बढ़ती जायेंगी क्योंकि जितना स्ट्रेस, स्ट्रेन्थ-वैज्ञानिक विकास अधिक होता है, इस तरह के रोगों का विकास भी अधिक होता है। अस्पताल में विजीटर्स की समस्या सबसे ज्यादा गम्भीर है। सफाई की सभी शिकायत कर रहे थे। सभी माननीय सदस्य, अगर हम अस्पताल को देखें, विशेष तौर से इसके सन्दर्भ में फिर एस.एम.एस. अस्पताल में ग्यारह सौ मरीज हैं और उनमें से एक एक मरीज के पास 3-4 विजीटर्स आते हैं तो उनकी संख्या 4 हजार के करीब हो जाती है। अगर यह तीन चार बार किसी न किसी को खाना देने जायें तो उनको आना जाना पड़ता है। चार-पांच हजार आउट डोर में 4 घंटे सवेरे और डेड़ घंटे शाम को आउट डोर पेशेन्ट के लिए आते हैं। इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि इसके लिए हम सफाई की स्पेशल केयर करें। उसकी स्पेशल व्यवस्था नहीं करेंगे तो यह सम्भव नहीं है कि अस्पताल में सफाई रखी जा सके। इसलिए इस बात के लिए मैं सुझाव देना चाहूंगी कि इन सारी अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई जाये जो इन सारी बातों पर विचार करे। सबसे बड़ी बात जितनी सफाई की जो कुछ व्यवस्था है उसमें ये जो नॉन-कोआपरेशन होता है या फिर स्ट्राइक चलती है इससे सारे रोगियों को भारी असुविधा होती है। इसलिए मेडिकल सर्विसेज को असेन्शियल सर्विसेज डिक्लेयर किया जाये। इसके लिए चाहे यहां के जो कर्मचारी हैं, उनके लिए स्पेशल पे, स्पेशल अलाउन्स, कम्पनसेशन आदि का ध्यान रखा जाये। परन्तु फिर भी असेन्शियल सर्विसेज में शामिल किया जाना बहुत आवश्यक है।

इसी तरह अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। अभी 75-76 में राजस्थान ने इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद से 20 हजार रुपये खर्च देकर किस तरह से प्रशासनिक सुधार किया जा सकता है अस्पताल में, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करवाई थी उस रिपोर्ट का इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ है। मैं आपको सुझाव देना चाहती हूं कि यदि आवश्यकता हो तो उसको सदन की मेज पर रखा जाये। सदन से राय भी ली जाये कि इनमें से कितने संकायों को माना जाना चाहिए। फाइनेन्शियल कितनी व्यवस्था की जानी चाहिये — —

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

... सभापति महोदय, थोड़ा सा। इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेन्ट किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस हॉस्पिटल मैनेजमेन्ट के लिए अस्पताल बहुत पहले बना था। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि सन् 47

(श्रीमती विद्या पाठक)

में बना था। मैं नहीं सोचती कि यह आंकड़े सही हैं। परन्तु बहुत समय पहले से यह अस्पताल बना हुआ है। इसकी व्यवस्था आज भी वही है जो पहले यह बना, तब थी, अब जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। स्पेशलिटी बहुत हो गई हैं और बहुत परिवर्तन हो गया है पर अस्पताल का सारा पैटर्न वही का वही है। मैं सोचती हूं एक सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं या उनके कुछ एसोसियेट्स हैं, जो व्यवस्थाएं उनका सहयोग देती हैं। वह सभी या तो डॉक्टर्स हैं या कम्पाउन्डर हैं या नर्सेज हैं। इतने बड़े अस्पताल में इन टैक्निकल हैन्डस का उचित उपयोग ही करना चाहिए। निश्चित रूप से इस व्यवस्था में नहीं कर पाते। अब समय आ गया है, जब हम यह सोचें कि जहां यह इतना बड़ा एस्टैब्लिशमेंट है तो उसमें टैक्निकल मैन पावर के टैलेन्ट को वेस्ट क्यों करें, क्यों नहीं इस बात पर विचार किया जा सकता ? हॉस्पिटल कितना बहुत बड़ा हुआ व बढा। क्यों नहीं इस बात पर विचार किया जाता कि स्पेशल केटरिंग यहां पर शुरू किया जाये। कोई डाइटीशियन को गाइडेन्स में यहां पर सब तरह का उपयुक्त भोजन बनवाया जाये। स्पेशल कैटरिंग एक्सपर्ट की सेवा ली जाये। उसमें बेड या अननोन बेसिस पर अलग-अलग प्रेसक्राइब्ड डाइट दी जाये। इसलिए यह और जरूरी हो जाता है कि लोग बाहर से खाना मंगवाते हैं, ज्यादातर लोग बाहर से मंगवाते हैं। वह या तो इन्फेक्टेड आता है जो उनको अस्पताल की हाइजीन के लिए ठीक नहीं है या वह खाना मरीज के लिए सूटेबल डाइट नहीं होता। फिर लाने वाले स्टॉफ को "टिप" देनी पड़ती है। इसलिए केटरिंग मैनेजमेंट होना बहुत आवश्यक है। इस पर विचार किया जाना चाहिए और इम्पलीमेंट किया जाना चाहिए।

यही व्यवस्था लाण्ड्री के विषय में है, अस्पताल में धुलाई बहुत होती है। इसी तरह की एक लौण्ड्री की एक्सपर्टाइज व्यवस्था भी होना नितान्त आवश्यक है। अभी कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि मशीनें आउट ऑफ ऑर्डर हैं, कोई कह रहे थे कि ई. सी. जी. मशीन है, आईसोटाप आउट ऑफ ऑर्डर है। यह सारी समस्या बिल्कुल सही है। परन्तु हम अभी तक करते क्या हैं। वहां पर केवल एक जूनियर इन्जीनियर था ए.ई.एन. लेवल का। आर. एस. ई. बी. का एक इन्जीनियर रहता है वह डेपूटेशन पर रहता है। कोई गारन्टी नहीं कि वह वहीं रहेगा। उसका डेपूटेशन खतम कर दिया जाये तो वह वहीं और चला जायेगा। तो इसलिए जरूरी है कि एक स्पेशल इन्जीनियरिंग सैल हो, जो अलग-अलग वहां जो मशीनें हैं उनकी स्पेशलाइज सर्विस प्रोवेबल करवा सके ताकि जो हजारों-लाखों रुपये लगाकर मशीन आई हुई हैं उनका बराबर प्रोपर यूटिलाइजेशन हो सके। इसके लिए स्पेशल इन्जीनियर सैल की बहुत जरूरत है।

इसी तरह रिकार्ड्स और स्टोर हैं। यहां भी हमारे डॉक्टर व नर्सें ही काम करती हैं। आज यह नितान्त आवश्यक है कि एक्सपर्टाइज सेवाएं हों जो स्टोर व्यवस्था देखें कि कौनसी चीज खतम हो गयी, कौन सी चीज अधिक पड़ी खराब हो रही है। जब जरूरत होती है या इमर्जेन्सी होती है तो आवश्यक वस्तु स्टोर में नहीं मिलती।

(श्रीमती विद्या पाठक)

इसी तरह से कई रिकार्ड्स नहीं मिलते। इतने बड़े अस्पताल के लिए मैं सोचती हूं कि यह कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि रिकार्ड कीपिंग और स्टोर कीपिंग के लिए कुछ इस तरह की स्पेशलाइज सर्विसेज प्राप्त की जाय··

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, Please थोड़ा सा समय और दीजिये।

सो इस तरह की व्यवस्था की जाये।

श्री सभापति : आपके दल के लिए समय कम रहेगा।

श्रीमती विद्या पाठक: माननीय सभापति महोदय, मैं जल्दी समाप्त करूंगी।

इस तरह की स्पेशलाइज सर्विस अस्पताल व्यवस्था के लिये ले जाना नितांत आवश्यक है। ताकि यहां टैक्निकल व स्किल्ड स्टाफ है हॉस्पिटल में उनकी सेवाएं उचित जगह यूटिलाइज हो सके। रेजीडेन्ट डॉक्टरों की बात हुई है। इस पर कोई व्यावहारिक निर्णय मंहगाई के दृष्टिकोण से देखते हुए लेंगे ही। परन्तु सब से बड़ी कठिनाई इस बात की है कि जितने मरीज़ वहां जाते हैं, चाहे इमर्जेन्सी में जाते हों चाहे आउट डोर पेशेन्ट हो, आप डैथ रेट को देख लीजिये, हर तरह से अव्यवस्था है। अगर 4 तारीख को बेस मान लें, 11 तारीख से स्ट्राइक शुरू हुई 4 तारीख को बेस मान कर कम्पेरीजन यदि हम करते हैं तो 25 प्रतिशत इन्डोर पेशेन्ट कम हो गये हैं। इसी तरह एडमीशन भी आधे हो गये हैं। इसके अतिरिक्त जो पेशेन्ट इनडोर हैं वह भी वापस जा रहे हैं क्योंकि उनकी बराबर केयर नहीं होती। इमर्जेन्सी केसेज बराबर एटेन्ड नहीं हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त 16 तारीख तक 33 सी. ए. एस. यहां बुलवाये जा चुके थे, जो अलग-अलग मैडिकल सैन्टर से आये होंगे। वह सैन्टर्स खाली पड़े हैं। व्यावहारिक पक्ष को देखते हुए इस बात पर निर्णय तुरन्त आप करें ताकि इस अव्यवस्था को समाप्त किया जा सके।

इसके साथ जो अस्पताल के सामने दुकानें हैं, उनसे मरीजों को बहुत सुविधा है। मगर वहां जो दुकानें हैं हड़ताल से वह भी अब बन्द हो गयी हैं। इससे और ज्यादा असुविधा है। खाने-पीने की एक अलग बात है, जो नितांत मैडिकल के लिए जरूरी है वह दवा की दुकानें भी आउट आफ फीयर ही समझ लीजिये बन्द हैं। इससे बड़ी असुविधा हो रही है। इसी तरह जितने इक्विपमेन्ट आते हैं, मेरी समझ में, जितनी जानकारी मुझे मिली है एक टेन्डेन्सी है सीनियर डॉक्टर लोगों में इस विषय में भी मोनोपोलाइजिंग टेण्डेन्सी है, इक्विपमेंट काम के हो या न हों, अपने काबू में रखने की। एक्सपर्ट टेलेन्ट की हमारे राजस्थान को यदि जरूरत हो तो वह भी नियमों में परिवर्तन करके या रूल रिलेक्स कर राजस्थान के बाहर से लेने पड़ें तो मैं सोचती हूं कि बहुत आवश्यक है ले लेने चाहिए। इस बात पर विचार किया जाये। जहां तक विशेष सुविधाओं का प्रश्न है, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे अपने यहां जयपुर मैडिकल अस्पताल में पिछले 15-20 वर्षों से कार्डियक थोरोरिक वार्ड चल रहा है यहां····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्रीमती विद्या पाठक)

मेरी पार्टी के माननीय सदस्य कह रहे हैं, थोड़ा सा समय और लूंगी। यहां 33 बैड्स की स्वीकृति है और वास्तव में 61 बैड्स हैं। आज हमारे यहां जितने हार्ट पेशेंट्स बढ़ रहे हैं इस बात को देखते हुए हमारे यहां सारी सुविधायें ओपन हार्ट सर्जरी की किया जाना जरूरी है। हमारे पास ट्रेन्ड स्टॉफ अवेलेबल है। डॉ. सीताराम अग्रवाल एम. डी. कार्डिओलोजी में चंडीगढ़ से करके आए हैं। उनको भी जनरल सर्जरी में पोस्ट किया हुआ है, उनका स्पेशलाइजेशन वेस्ट जा रहा है। दूसरे हैं डॉ. रवि कासलीवाल, उनका कार्डियक केटराइजेशन में स्पेशलाइजेशन है, मगर वह जनरल डॉक्टर लगाये गये हैं। वह भी अब राजस्थान के बाहर चले गए हैं क्योंकि उनका प्रापर फिनिसंग योग्यता के हिसाब से नहीं हो पाया। इस प्रकार हमारे पास ट्रेन्ड हैंड्स हैं, जो ओपन हार्ट सर्जरी में ट्रेनिंग ले चुके हैं, 4 और भी हैं। तीन नर्सें हैं एक डॉक्टर, एक एनेस्थेसिस्ट को कुछ ही समय पूर्व डेढ़ दो साल पूर्व 1 लाख रुपए खर्च करके राजस्थान सरकार ने ट्रेनिंग दिलाई है। इसके लिये लेबोरेटरी फुल्ली इक्विप्ड है, उसी नाम से बजट है। दो लाख प्रति वर्ष की दवाइयां उसी के बजट के नाम पर हर वर्ष उठ रही हैं। इन्वेस्टीगेटिंग फैसिलिटी है, यद्यपि आउट आफ डेट है। प्री-आपरेशन डाइग्नोसिस के लिए कैटराइजेशन यंत्र होता है इस सबके लिये 40 लाख रुपए की लागत से कुछ इक्विपमैंट की जरूरत है। यदि हम कर पाते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमैंट हो जाएगा। हमारे राजस्थान के लिए जिसकी कि आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है। काफी पैसा खर्च हो ही चुका है थोड़ा सा पैसा और खर्च होने से यदि यह सुविधा मिल सकती है तो प्रशंसनीय काम हो जायेगा। यह यंत्र एक फ्रेंच कंपनी सप्लाई करना चाहती थी 1978-79 में पर सब-स्टैंडर्ड था।

यहां कैंसर इन्सटीट्यूट की बात हो रही थी। हमारी सरकार के समय में भी हुई थी, दानदाता पैसा देने को तैयार हैं। दो करोड़ की लागत से यह बनना था, अब इस काम को क्यों नहीं शुरू कर पा रहे हैं, आप इसको देखें। बांगड़ इन्सटीट्यूट जिसमें कार्डियक इन्सटीट्यूट बनना था, उसी में न्यूरोलोजी और यूरोलोजी की स्पेशलिटीज बननी थी। 25 लाख रुपए एक सेठ से मिले मैचिंग ग्रांट मिलने का वायदा था। आप इसको एक्सपीडाइट करें ताकि यह सुविधा मिल सके। यहां दानदाता काफी हैं, जैसे माननीय सदस्य कह रहे थे यूरोलोजी और आर्थोपैडिक के लिए दानदाता बड़े बड़े भवन बनवा कर दे सकते हैं हमको उनको यूटीलाइज करना चाहिए।

रिहेबिलिटेशन सैन्टर के बारे में यहां बात हुई। बम्बई में भी है और आर्टीफिशियल लिम्ब सैन्टर पूना में भी है। मैंने वह देखे हैं। वहां के खर्च के स्तर की दृष्टि से वहां की सुविधायें प्राप्त करना मामूली वर्ग के लिए आसान बात नहीं है। जयपुर में यह सैंटर केवल पैरों का है। सारी सुविधायें हमारे पास हैं क्यों नहीं? हम थोडा सा सही रूप से ध्यान देकर इसको डवलप कर सकते हैं। अभी इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। महावीर सोसायटी की

(श्रीमती विद्या पाठक)

तरफ से अच्छा काम हो रहा है सरकार के योगदान से।

इसके अलावा वर्षों तक जो अस्पताल के गैराज खाली पड़े रहे वह क्यों इस संस्था को सुविधा के लिए नहीं दिए जा सके ? अगर गैराजेज मिल जाते तो उनके रहने की स्थिति में सुधार होगा...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं पांच मिनिट में समाप्त करती हूं।

श्री सभापति : दो बार समय बढ़ाया है।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं एक दो मिनट में समाप्त करती हूं।

गैराजेज की परमीशन अब हो गई है लेकिन यहां मरीजों को देखें, माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करती हूं कितना सुन्दर काम हो रहा है, देश-विदेश के लोग यहां इसका लाभ उठा रहे हैं। अलग अलग जगह पांचों कालेजों में इस तरह की स्पेशियलिटी शुरू की जाए। इसको देखने के लिए विदेशी तक आते हैं। इसको बनाये रखें, इसके अलावा और भी सुविधायें देनी चाहिए। इसके लिए मानवीय दृष्टिकोण से हमें सोचना जरूरी है।

मेन्टल पेशेन्ट्स के लिए पांचों कालेजों में जिला लेवल तक न्यूनतम सुविधा शाक थेरापी की हो। उनके लिये प्रिवेंटिव, रिहेबिलिटेरी, गाइडेंस और कन्सल्टेंसी की व्यवस्था होनी चाहिए। एक विशेष सुझाव यह है कि जो डॉक्टर स्पेशलाइजेशन कर ले आते हैं उसको जनरल काम नहीं करने देना चाहिए। जो जिस विषय में स्पेशलाइजेशन करे उसी में ही वह प्रैक्टिस व काम करे। स्पेशलिस्ट की जनरल प्रैक्टिस करने की जो टेन्डेंसी है उसको डिस्करेज किया जाना चाहिए।

जहां खाद्य पदार्थों में मिलावट का प्रश्न है, राज्य में खाद्य पदार्थ निरोधक अधिनियम, 1954 लागू है जिसमें कम लोग ही आथोराइज्ड हैं। जिला हैल्थ अधिकारी के अधीन सेनिटरी इन्सपेक्टर्स जिन्हें यह अधिकार दिए हैं वही रेड्स करते हैं, इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है पहले। ही व्यापारी को सूचना पहुंच जाती हैं। जैसे माननीय सदस्य कह रहे थे स्पेशल कोर्ट्स बनाये जाने चाहिए, मिनिमम इन्टेंसीफाइड प्रोग्राम बनाया जाना चाहिये, कितने सैम्पल्स आते हैं, कितने सही निकलते हैं ? जिनके गलत है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इन सब रिपोर्टों को पब्लिसिटी दी जाय !

इसके अलावा विभाग की बिल्डिंग की बात हुई। वर्षों से डाइरेक्टोरेट सैक्रेटेरियट में ही हैं जो इल प्लान्ड है। इसमें एक्सपैन्शन की गुंजाइश है, बहुत पैसा इसमें लगाया है, कूलर खरीदे हैं। यह पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी एक अच्छी चीज बनी हुई है। केन्द्र में बनवाई है जलेब चौक में इस लेबोरेटरी की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए इसे नये भवन में जल्दी शिफ्ट करने की व्यवस्था करें।

सी. जी. एच. एस. के समान प्रारम्भ की जाए। अभी रिटायर्ड लोगों को ही केवल मैडिकल कालेज व अस्पताल में इन्वेस्टीगेशन की फैसिलिटी है, दवा की नहीं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्रीमती विद्या पाठक)

एक मिनट में। कन्ट्रीब्यूटरी सर्विसेज ऐसी हों जिससे रिटायर्ड लोगों का फ्री इलाज हो सके।

रूरल हैल्थ सर्विसेज के बारे में मुझे यही कहना है कि 12 सितम्बर, 1978 को रूस में अलमाटा में कान्फ्रेंस हुई थी, 140 देशों ने भाग लिया और गैर सरकारी संस्थाओं से भी विश्व स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। 2000 ए. डी. को लक्ष्य मानकर विश्व में जितने रिसोसेज कलेक्ट किए जा सकते हैं, अविकसित और विकसित देशों में किस तरह से विश्व की जनरल कंडीशन को सुधारा जाए, इस बारे में विशेष रूप से चर्चा हुई। जिसमें 2000 ए. डी. तक हर ग्राम में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएंगी, इसकी कुछ पोलिसी व प्रस्ताव बनाये थे इस विषय में राजस्थान लेवल पर जो काम शुरू करने हैं, शुरू हो जाने चाहिए।

गांवों में जहां तक डॉक्टरों की स्थिति है, महिला डॉक्टरों की स्थिति बहुत खराब है उनकी सेफ्टी और रेजीडेंस के लिए कोई व्यवस्था नहीं, सभी माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारे गांवों में महिला डॉक्टर नहीं है, आप ध्यान दें कि उनकी रेजीडेन्शल और सेफ्टी की व्यवस्था करना भी बहुत जरूरी है। वहां सैनीटेशन की दूसरी समस्या है क्योंकि ग्रामीण अस्पताल बीमारियों के ब्रीडिंग प्लेसेज बन जाते हैं। मेरे यहां सांगानेर में…

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आधा मिनट।

श्री सभापति : आपको काफी समय दिया गया है। मेरी आपसे बहुत सिम्पैथी है, आपकी बात और आपके भाषण में काफी सार है लेकिन दुर्भाग्य है कि समय बहुत कम है।

श्रीमती विद्या पाठक: आधे मिनट में।

सांगानेर मैटरनिटी सैन्टर जिस भवन में चल रहा है उसकी स्थिति बहुत खराब है। इसके लिये 10 हजार रुपये मुख्य मंत्री कोष से जो पिछले वर्ष दिए गए थे वे वहां आज तक यूटीलाइज नहीं हुए। बजट किसी ग्रामीण अस्पताल का जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ता और यदि बढ़ता है तो यूटीलाइजेशन नहीं होता है इसलिए रूरल अस्पतालों के भवनों के बजट पर भी ध्यान देना जरूरी है।

आज सदन में लेप्रोस्कोपी व कुछ इन्जेक्शन्स की बात हो रही थी जिससे मरीज का हाथ काटा गया। इस की जांच होनी चाहिये कि इन्जेक्शन देने में गड़बड़ी हुई, इन्जेक्शन का बैच खराब निकला या इन्जेक्शन का रिएक्शन हुआ। वरना ऐसे डॉक्टर बहुत कम हैं जो मरीज के घर जाकर उसका हाल पूछें, आफ्टर केयर करें। कहीं न कहीं इलाज में गलती के कारण ही इस महिला मरीज पर ध्यान दिया डॉक्टरों ने। इसलिये इन सब पक्षों पर विचार करना होगा जांच के दौरान।

श्री सभापति : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, अस्पताल मानव के लिये

(श्री-दुलाकी दास कल्ला)

जीवन-रक्षा के कारखाने की तरह है जहां पर दवाओं के जरिये बीमारियों का अन्त करके मानव की प्राण-रक्षा की जाती है। सभापति महोदय, राजस्थान गांव प्रधान प्रान्त है, 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं जिन्हें बीमारियों की जानकारी नहीं रहती है और वे परम्परागत झाड़ फूंक, जादू टोना से भूतप्रेत की बाधाओं से छुटकारा होना मानते हैं। जब इनके माध्यम से बीमारियों से छुटकारा नहीं होता तो लोग अस्पतालों में जाते हैं। यही कारण है कि लोग इन बीमारियों से पीड़ित होकर शहरों के अस्पतालों में आते हैं। सभापति महोदय, गांवों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की कमी है। जहां पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं वहां पर या तो पर्याप्त मात्रा में औषधि नहीं है या वहां पर डॉक्टर नहीं है या वहां पर कम्पाउन्डर नहीं है। अगर यह सभी चीजें वहां पर हैं तो आप को वहां पर इन्जेक्शन लगाने के लिये सिरीन्ज नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि गांवों में प्राथमिक चिकित्सा की भारी कमी है। इसलिये मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि गांवों में कम से कम प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र अवश्य होने चाहिये। आज हमारे राजस्थान के गांवों में मलेरिया, सर्पदन्श, बिच्छू, चोट एवं कुत्ता काटने आदि की घटनायें ज्यादातर होती हैं तो कम से कम प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में इनके इलाज के लिये दवाइयां गांव वालों के लिये पर्याप्त मात्रा में अवश्य होनी चाहिये।

सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में निजी चिकित्सालय, डाइग्नोस्टिक क्लिनिक आदि के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है परन्तु इसके बाद नियमन एवं निभंजन की व्यवस्था नहीं है और कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से कम है। उन अस्पतालों की स्थिति ऐसी है, सभापति महोदय,

(5.31 म. प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पदासीन)

अगर पांच डॉक्टरों की जरूरत है तो एक या दो डॉक्टर मिलेंगे या जहां पर 50 कम्पाउन्डर होने चाहिये वहां पर 15 कम्पाउन्डर्स ही मिलेंगे। इसी प्रकार मेल नर्सेज वगैरह की पर्याप्त मात्रा में कमी है। इसके अलावा कई जगहों पर अस्पतालों में पूर्ण प्रशिक्षित डॉक्टर ही नहीं होते हैं।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे बीकानेर में जितने भी अस्पताल हैं वह पुराने हैं। उन अस्पताल भवनों की देख रेख सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है। सभापति महोदय, उन अस्पतालों के रख-रखाव के लिये राज्य सरकार द्वारा सिर्फ आधा प्रतिशत राशि आवन्टित की जाती है जो कि बहुत ही कम है। जितने दूसरे सरकारी बंगले हैं या और आफिसेज हैं वह इतने उपयोग में नहीं आते हैं जितने कि यह सार्वजनिक अस्पताल काम में आते हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि जितने सार्वजनिक चिकित्सालय हैं उनके रख-रखाव हेतु विशेष अनुदान मिलना चाहिये। सभापति महोदय, मेरा राज्य सरकार को आपके माध्यम से यह सुझाव है कि राज्य सरकार द्वारा इस आधा प्रतिशत राशि को बढ़ाकर दो प्रतिशत राशि इसके रख-रखाव के लिये सुरक्षित रखी जानी चाहिये।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सभापति महोदय, बीकानेर के पी. बी. एम. अस्पताल के लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि दो लाख रुपये की ग्रान्ट इसकी बाउण्डरी वाल, गैराज, आपरेशन थियेटर के विस्तार, वाइटल केअर हेतु ड्यूटी रूम के विस्तार व धोबी घाट के लिये दी जानी चाहिये।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे बीकानेर के होस्पिटल में जो स्टाफ के लिये क्वार्टर्स बने हुये हैं वह सन् 1936-37 के बने हुए हैं। उनकी तादाद कम है इस लिए हमारे डॉक्टर्स के लिये, नर्सों के लिये और दूसरे हस्पिटल के स्टाफ के लिये और नये क्वार्टर्स बनने चाहिये। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि हमारे यहां पर नये चिकित्सालय भवन हेतु नये कन्स्ट्रक्शन की ग्रान्ट भी मिलनी चाहिये। सभापति महोदय, यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर रियासत के जमाने से यह अस्पताल बना हुआ है और यहां पर दूसरी जगहों से भी लोग इलाज कराने आते हैं जैसे चूरू, गंगानगर, बम्बई तथा मद्रास के लोग भी यहां इलाज कराने आते हैं, मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मन्त्री जी का ध्यान बीकानेर मेडिकल कॉलेज की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। आज हमारे राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी है जिसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई के अन्दर नुकसान होता है। मैं आपको उदाहरण के लिये निवेदन करता हूं कि बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में भी डरमेटोलोजी, पैथोलोजी, पैड्रियेटिक्स, जूरिस्ट, विषयों के प्रोफेसर के पद कई महीनों से खाली पड़े हैं। यही नहीं, सभापति महोदय, वहां पर 6 रीडर के पद खाली हैं, 17 लेक्चरर्स के पद खाली हैं, अस्पताल में 15 प्रतिशत स्टाफ की कमी है एवं मेल नर्सेज के पद भी वहां पर खाली पड़े हैं। उसका कारण यह है कि जिन लोगों का पोस्टिंग वहां हो जाता है, वह वहां जाकर जोइन करके चले जाते हैं। मेरा निवेदन है मन्त्री महोदय को कि इन पदों को तुरन्त भरा जाय ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान नहीं हो। सभापति महोदय, हमारे बीकानेर में पिछले 17 साल से ए. एन. एम. प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा था वह केन्द्र अब बन्द कर दिया गया है। सभापति महोदय, समझ में नहीं आता कि जब वहां पर मेल नर्सेज के प्रशिक्षण संबंधी कोई असुविधा नहीं है, सभी प्रकार की प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध हैं, वहां पर छात्रावास है और सभी सुविधायें हैं सरकार को इसके लिये कोई नया खर्चा करने की जरूरत नहीं फिर क्या कारण है कि पिछले 17 सालों से जो ए. एन. एम. केन्द्र चल रहा था उसको बन्द कर दिया गया। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सभापति महोदय, जब इसके लिये कोई अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं है सरकार ने इसको वहां बन्द क्यों कर दिया है। मेरा, सभापति महोदय, मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि आप इसको पुनः चालू करायें। सभापति महोदय,

(श्री बी. डी. कल्ला)

इसके अलावा मै एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो क्लेरिकल स्टाफ है उनका जब प्रमोशन होता है तो उनको उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर आदि भेजा जाता है जिसका नतीजा यह होता है कि लोग वहां नहीं जाते हैं और वहां पर यह पद रिक्त रहते हैं क्योंकि इसमें उनको 25-30 रुपये से ज्यादा फायदा नहीं होता है। अगर एक व्यक्ति को बीकानेर से उदयपुर ट्रान्सफर प्रमोशन पर भेजा जाता है तो वह 20-30 रुपये के लिये वहां पर कैसे जायेगा। उसके घर के दो चूल्हे हो जाते हैं, जिससे वह मजबूर हो कर वहां पर जाना पसन्द नहीं करता। मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि ऐसे लोगों का प्रमोशन उनके ही डिवीजन में होना चाहिये। इस सन्दर्भ में मेरा निवेदन है कि उनका प्रमोशन होना चाहिये।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त राजस्थान में मैडिकल कॉलेज होस्टल्स की हालत बहुत खराब है, उनमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे बीकानेर में जो दवाइयां अस्पताल में मरीज लेने जाता है उसे लाने में दवाइयों की कीमत से अधिक किराया तो मरीज को देना पड़ता है। इसलिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे इसमें कमी हो। इसके अलावा बीकानेर में ग्लूकोज संयंत्र लगाया गया था इसमें दो पोस्ट सैक्शन की थीं पर जो पे-स्केल उन पोस्ट्स के लिये रखा गया उन पर कोई भी व्यक्ति आने को राजी नहीं। उस संयंत्र के लिये राज्य सरकार ने जो ढाई लाख रुपये खर्च किये थे वह खर्च होने के बावजूद लोगों को इसकी सुविधा नहीं मिल रही है। सभापति महोदय, इसमें भी एक बात यह हुई कि एक पोस्ट तो सरकार ने समाप्त कर दी, दूसरी के लिये यह कहा गया कि इस स्केल को जब तक रिवाइज नहीं किया जायगा तब तक कोई व्यक्ति वहां पर आने को तैयार नहीं होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें सुधार किया जावे। दूसरे, सभापति महोदय, एक व्यक्ति के ग्लूकोज लगाने में 80 रुपये खर्च होते हैं उसके लिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क व्यवस्था की जानी चाहिये।

सभापति महोदय, इसके अलावा बीकानेर में टी. बी. क्लिनिक की समस्या बहुत भारी है। सभापति महोदय, टी. बी. क्लिनिक बीकानेर शहर से 5 किलो मीटर दूर है। सभापति महोदय, एक रोगी को टी. बी. के इलाज के लिये दवा तो मुफ्त राज्य सरकार देती है पर उसको वहां पर जाने के लिए अगर रेल यात्रा करनी होती, सरकार मुफ्त जाने देती चूंकि वह शहर से 6 किलो मीटर दूर है और रेल फैसेलिटीज उस जगह पर नहीं हैं तो वहां जाने के लिए उस व्यक्ति को 15 रुपये तांगा किराये के देने पड़ जाते हैं। तो एक गरीब व्यक्ति के लिये यह कितना मुश्किल काम होता है। दूसरे, सभापति महोदय, यह टी. बी. का संक्रामक रोग होता है जो कि बीकानेर में अधिक फैल रहा है। सभापति महोदय, इसके लिए मैने पहले भी निवेदन किया था कि एक प्राइवेट संस्था इस को लेने को तैयार है और इसके लिये यह टी. बी. अस्पताल वहां से दूर शिफ्ट कर देना चाहिये और वहां पर एक

(श्री बी. डी. कल्ला)

सार्वजनिक अस्पताल बनाया जाना चाहिये जिससे कि एक तो शहर के लोगों में टी. बी. की बीमारी फैलने का भय नहीं रहे दूसरे वहां पर एक जनरल अस्पताल और हो जायेगा जिससे कि जनता को चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।

सभापति महोदय, इसके अलावा बीकानेर में कैन्सर के लिये कोबाल्ट और रेडियम की 148 मिली ग्राम की व्यवस्था है जब कि जयपुर में सिर्फ 28 मिली ग्राम की ही व्यवस्था है। इतना ही नहीं जोधपुर वगैरह में कहीं भी ऐसी अच्छी व्यवस्था नहीं है। बीकानेर में 12 महीने तक कोबाल्ट चलाया जाता है जब कि जयपुर में जो मशीनें हैं वह वर्ष में 9 महीने बन्द रहती हैं। सभापति महोदय, वहां पर इस वार्ड में सिर्फ 36 व्यक्तियों के लिए ही व्यवस्था है। मेरा निवेदन है कि यह व्यवस्था कम से कम 85 बिस्तरों की होनी चाहिये एवं इसके लिए एक अलग से कैन्सर वार्ड राज्य सरकार को बनाना चाहिये। साथ ही साथ कैंसर रिसर्च की क्योंकि बीकानेर में सबसे ज्यादा सुविधायें हैं इसलिए न्याय-संगत यही होगा कि बीकानेर में ही कैंसर रिसर्च इन्सटीट्यूट की स्थापना की जानी चाहिये।

राजस्थान में एक ही यूनिवर्सिटी है जो कि एग्जामिनेशन लेती है बीकानेर, कोटा अजमेर के गोल्ड मेडेलिस्ट को जयपुर के एस. एम. एस. मेडिकल कालेज में वंचित रखा जाता है और जयपुर के लोगों को प्रिफरेन्स दिया जाता है। यह भेदभाव की नीति हटाई जानी चाहिये। इसके अलावा बीकानेर में ट्यूबरक्लोसिस और साइकेट्री विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की व्यवस्था की जानी चाहिये क्योंकि बीकानेर में पर्याप्त मात्रा में स्टाफ है और किसी प्रकार की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, बीकानेर में मंत्री महोदय ने बताया था कि 40-50 हजार की जनसंख्या पर एक सिटी डिसपेन्सरी खोलते हैं तो इस समय बीकानेर में 4 डिसपेन्सरी हैं और वह 1 लाख 80 हजार की जनसंख्या को कवर करती है जब कि बीकानेर की जनसंख्या 3 लाख 20 हजार से ऊपर जा चुकी है। वहां पर 4 डिसपेन्सरीज की और कमी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर में दो-तीन सिटी डिस्पेन्सरी अवश्य खोली जायें और बीकानेर में मेटरनिटी वार्ड की भी बहुत कमी है। इसलिए सिटी में एक मेटरनिटी हास्पिटल की व्यवस्था किया जाना बहुत आवश्यक है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अतिरिक्त दवाइयों में मिलावट के केसेज बहुत होते हैं। 15 हजार की दवाइयां बीकानेर हास्पिटल में पकड़ी गयी थीं। मिलावट करने वालों और जन-जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। लोग खाने-पीने में मिलावट करते हैं, दवाइयों में मिलावट करते हैं क्या हमारे अधिकारीगण नींद लेते हैं? जो रीएम्बर्स की दवाइयां हैं उनकी पुख्ता जांच की जानी चाहिये और ऐसे अधिकारी जो कि मिलकर ऐसी दवाइयां को सरकार के मार्फत रीएम्बर्स प्रमाणित करते हैं की

(श्री बी. डी. कल्ला)

जांच के लिए एक विशेष सैल की स्थापना की जानी चाहिये और दवाइयों में मिलावट करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री बी. डी. कल्ला : आधा मिनट में समाप्त करता हूं।

श्रीमन्, बीकानेर में पिछले 12 महीनों में 552 से अधिक हैजे के केसेज हुए हैं और आंत्रशोथ के कारण बीकानेर में एक दिन में चार आदमियों की मौत हुई। उसका कारण क्या रहा? खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण क्या क्या थे और किन किन व्यक्तियों ने मिलावट की, क्या स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसकी जांच की? आंत्र परीक्षा की रिपोर्ट थी उसके ऊपर गौर किया और मरने वालों को क्या मुआवजा दिया गया? इन सब बातों पर गौर किया जाना चाहिए और जांच की जाना आवश्यक है। मैंने एक प्रश्न पिछले दिनों में किया था कि बीकानेर में मौत का कारण क्या रहा, तो मुझे लिखित उत्तर मिला कि पुरानी पाइप लाइन है इसलिए जंग लगने के कारण से पीने के पानी में मिलावट हो रही है उसके कारण से आंत्रशोथ की बीमारी हो जाती है। मैं, श्रीमन्, आपके माध्यम से स्वास्थ्य मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या बीकानेर में पीने के पानी की जो इस प्रकार की जंग लगी पाइप लाइन है उसको बदलाने की कोशिश की जायेगी और जो खाद्य पदार्थों में और दवाइयों में मिलावट करने वाले लोग हैं उनको दण्ड दिया जायेगा?

आप योग से सम्बन्धित हैं उसकी तरफ उसके लिये आपको पर्याप्त ध्यान देना है। आप प्राकृतिक चिकित्सा को राज्य में बढ़ाने का प्रयत्न करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इन सब बातों के साथ आपने समय दिया उसके लिये आपको धन्यवाद देता हुआ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री नाथूराम !

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी !

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (दस्सी) : माननीय सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम सवाई मानसिंह अस्पताल की अव्यवस्था के बारे में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। सवाई मानसिंह अस्पताल वैसे जयपुर का एक मुख्य अस्पताल है जहां सर्वसाधारण को चिकित्सा सुविधा सुलभ होनी चाहिए लेकिन आज सवाई मानसिंह अस्पताल में व्यवस्था ऐसी है कि गरीब आदमी अपनी चिकित्सा नहीं करा सकता। माननीय सभापति महोदय, वहां जब मरीज भर्ती होता है तो मरीज के लिए जब दवाइयां लिखी जाती हैं तो 60-70 और 80-80 रुपये की दवाएं एक साथ लिख दी जाती हैं और एक दिन बाद उनको फिर बदल दिया जाता है। शायद वह दवाएं उपयुक्त नहीं बैठी हों इसलिए दवाइयां बदलना आवश्यक हो जाता है तो मुझे आपत्ति नहीं है दवाइयां बदलने में लेकिन जो सर्वप्रथम दवाइयों की पर्ची लिखते हैं वह 70-80 रुपये का तीन दिन का कोर्स पूरा

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

लिख देते हैं। गरीब आदमी अपनी दवाइयां लेकर आता है और दूसरे दिन फिर दूसरी दवाइयों का पर्चा उसको पकड़ा दी जाती है। इसके पीछे कारण चाहे डॉक्टर को दवाई कम्पनी की तरफ से मिलने वाला कमीशन हो या और कुछ हो लेकिन जो गरीब आदमी चिकित्सा के लिए वहां आता है और जिसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है तो अपनी जमीन, जेवर गिरवी रख कर चिकित्सा के लिए पैसे लेकर आता है, उस आदमी को यदि इस प्रकार से यहां बरबादी के रास्ते पर डाल दिया जाये तो उसे राहत मिलने के बजाय क्षति पहुंचती है और वह आर्थिक क्षति ऐसी है कि जिसकी पूर्ति कभी सम्भव नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और दूसरी बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूं। अस्पताल के अन्दर जब किसी की मृत्यु हो जाती है, मेरी खुद की आंखों देखी बात है, सन् 1978 में मेरे क्षेत्र की एक महिला की मृत्यु सवाई मानसिंह अस्पताल में हुई थी। रात्रि के 8 बजे उसकी मृत्यु हुई और दूसरे रोज पोस्टमार्टम करके दिन के दो बजे उस लाश को सुपुर्द किया गया। लाश को सुपुर्द करने में जो समय लगा सो लगा लेकिन उसके साथ ही लाश के लिए मुख्य कम्पाउण्डर महोदय की मौजूदगी में हरिजन ने 75 रुपया लिया। यह कहा गया कि यह लाश बिखर जायेगी इसका प्लास्टर करने के लिए आप पैसे दो तो हम इसको प्लास्टर में बांध देंगे ताकि लाश सुरक्षित पहुंच जाये। माननीय सभापति महोदय, जब परिवार में से किसी की मृत्यु होती है तो एक और तो उस पर दुखद घटना घटती है, वह परेशानी में होता है उसको लाश, रात को मरने वाले की लाश सुबह दस बजे तक भी दे दे तो भी मैं उसको ठीक मानता हूं लेकिन 2 बजे तक अनावश्यक विलम्ब किया जाये तो यह दुखद बात है। ऐसे समय में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटे, इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय स्वयं ध्यान दें क्योंकि यह घटना एक ऐसी घटना है जो कि दुखद घटना होती है। दुखी आदमी के साथ ज्यादती हो तो बहुत बुरा महसूस करता है।

माननीय सभापति महोदय, बड़े डॉक्टर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते होंगे लेकिन चिकित्सा के लिए जब कोई आदमी आता है अस्पताल में तो उनको देखने का समय बहुत कम मिलता है। एक बाहर से आने वाला आदमी डॉक्टर का अस्पताल में इन्तजार करता है और अन्त में डॉक्टर के घर जाकर दिखाने के लिए उसे मजबूर होना पड़ता है और 25 से 40 रुपया तक फीस देनी पड़ती है। गरीब आदमी को यदि हम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकें तो यह सबसे बुरी बात है। मैं समझता हूं कि गरीब आदमियों के लिए कम से कम रियायती दर पर एक ही डॉक्टर विशेष को लगा दें और जिसके पास पैसा नहीं है और जो गरीब आदमी हैं उसको वह स्वयं देखे और उसकी व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेदिक औषधालयों की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आयुर्वेदिक औषधालय ग्रामीण क्षेत्रों में जो हैं पहले तो

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

उनको खोलने के मामले में असमानता है। एक पंचायत समिति में 9 औषधालय खुले हुए हैं जब कि एक पंचायत समिति में 26 औषधालय खुले हुए होने चाहिए। तो यह स्थिति विचारणीय है। अब नवीन औषधालय खोले जायें तो उन पंचायत समितियों में खोले जायें जहां कि औषधालयों की संख्या कम है। ऐसे स्थानों पर औषधालय अब खोलने की आवश्यकता नहीं है जहां पहले ही दुगने और ढाई गुने औषधालय खुले हुए हैं। उन्हीं पंचायत समितियों में खोलते हैं तो दूसरे क्षेत्र वंचित रहते हैं चिकित्सा सुविधाओं से। मैं मन्त्री महोदय को आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में जिन पंचायत समितियों में कम औषधालय खुले हुये हैं वहां प्राथमिकता दें खोलने के अन्दर। एक निवेदन यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधालयों में वैद्य कम रहते हैं और सात दिन भी एक महीने में औषधालय खुल जायें तो मैं उसको उपयुक्त मानता हूं कि वैद्य जी 7 दिन में पहुंच कर औषधालय खोलते हैं लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि महीने में केवल दो बार वैद्य जी वहां पहुंचते हैं और दिनों औषधालय बन्द रहता है। कम्पाउण्डर खोलता है या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी खोलता है। अगर यह स्थिति रही...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पायगी। माननीय सभापति महोदय, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मन्त्री महोदय से पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आयुर्वेदिक औषधालय खोले हैं, वैद्यों को ठहरने की सुविधा दीजिये, अन्य सुविधा दीजिये। ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिये वैद्यों का रहना नितांत आवश्यक है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, छोटे आयुर्वेदिक औषधालयों के लिये 1500 रुपये का बजट है। तनख्वाहों पर 24 हजार रुपये खर्च करते हैं। आप स्वयं ही अन्दाजा कीजिये कि हम कितनी चिकित्सा उपलब्ध करा पा रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कोई और चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं है, आयुर्वेदिक औषधालय ही उपचार का माध्यम है, वहां आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करें और अगर आवश्यक दवाइयां उपलब्ध नहीं करेंगे तो जो वैद्य अंग्रेजी दवाइयां प्रयोग में लेते हैं उनकी प्रेक्टिस चालू रहेगी। जो उनके वेतन के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं वह बेकार सिद्ध होगा। मुझे उम्मीद है, आप इस ओर अवश्य ध्यान देंगे

श्री सभापति : श्री उम्मेदसिंह। माननीय उम्मेदसिंह जी। आप 5 मिनिट में बात समाप्त करें।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) : सभापति महोदय, मैं डीडवाना तहसील की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। डीडवाना क्षेत्र में डीडवाना, खाटू, कोलासर इनके अलावा आसपास के गांवों में कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। यह तीनों अस्पताल 20-30 किलोमीटर दूरी पर हैं। इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जाने चाहिये। गांवों के लोग चिकित्सा के अभाव में अकाल मृत्यु को

(श्री उम्मेद सिंह)

प्राप्त हो जाते हैं। इसलिये, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, हर पंचायत क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का कष्ट करें। विशेष रूप से खाटू, कोलासन पांच-पांच हजार की आबादी के गांव हैं किन्तु वहां चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। इसलिये मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि इन गांवों में कम से कम कोई न कोई व्यवस्था हो। चाहे सब सैन्टर, चाहे औषधालय कुछ न कुछ खोलें।

मोबाइल यूनिट की जो योजना सरकार ने बना रखी है उसको गांवों की तरफ भी भेजना चाहिए जिससे ग्रामीण लोगों को फायदा हो। खास तौर से पश्चिम क्षेत्र में इसका ज्यादा उपयोग हो सकता है नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर की तरफ।

श्री सभापति : माननीय श्री बृज सुन्दर शर्मा!

श्री बृज सुन्दर शर्मा (बूंदी) : सभापति महोदय, मैं ज्यादा भाषण तो नहीं देना चाहता, कुछ सुझाव और निवेदन इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं।

पहला निवेदन मैं कैमिकल लैबोरेट्री के बारे में करना चाहता हूं। राजस्थान के लिये बहुत पहले ही की योजना थी लेकिन अभी तक कैमिकल एक्जामिनेशन के लिये कलकत्ता ही भेजना पड़ता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितना रुपया इसके लिये मन्जूर हुआ था, वह कैमिकल लैबोरेट्री बहुत बड़ी लैबोरेट्री है जिस की व्यवस्था बहुत जल्दी से जल्दी की जानी चाहिये। मुझे यह मालूम पड़ा है कि लेबोरेट्री के लिये जो बिल्डिंग बनी है उसका उपयोग किसी दूसरे काम के लिये होने जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

दूसरी चीज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम बहुत जोरों से शुरू हुआ लेकिन अभी भी मलेरिया मौजूदा है। राजस्थान से मलेरिया का इरेडिकेशन नहीं हुआ और आज से 10 वर्ष पहले की जो स्थिति थी, आज उसी स्थिति में मलेरिया राजस्थान में पाते हैं। मलेरिया आज भी राजस्थान के गांवों में है। उतनी तादाद में नहीं है लेकिन काफी तादात में है।

तीसरी चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं फूड अडल्ट्रेशन के बारे में राजस्थान में इन्सपेक्शन तो होना ही बन्द हो गये हैं। पता नहीं राजनैतिक कारणों से जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा किया हो लेकिन इस काम को तरजीह देते हुए फूड अडल्ट्रेशन के बारे में वापस इन्सट्रक्शन्स इश्यू किये जाने चाहिये। जो बहुत ज्यादा अडल्ट्रेशन करते हैं, मिलावट का धन्धा करते हैं, उनको पकड़ने में असमर्थ रहते हैं। क्या एक्शन लिया जाता है इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

चौथा हमारे अस्पतालों की सफाई की व्यवस्था के बारे में निवेदन करूंगा। आप जयपुर का अस्पताल ले लीजिये। मुझे जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में जाने का मौका मिला। मैंने देखा वार्ड्स में सफाई नहीं है। लैट्रिन बनी हुई हैं सफाई का कोई इन्तजाम नहीं है। रात को कोई मौत हो जाती है, लाश वहां की वहां पड़ी रहती है। औरतें डरती हैं। इसलिए यह सारी की सारी जो लैट्रीन बनी हुई हैं, जिस ढंग से

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

स्थान पर बनी हुई हैं वह अलग हो। सफाई की व्यवस्था की जा सकती है। मैं नहीं समझता कि सवाई मानसिंह अस्पताल की ऐसी दुर्दशा हो। मैं यह जरूरी समझता हूं कि बड़े अस्पतालों में मैट्रन को इसका काम देने के बजाय अलग से होना चाहिए जो इस काम को देखे। उसका काम ही यही हो कि वह सैनिटरी वर्क देखे। उसको जिम्मेदारी से काम करने दिया जाये।

पांचवा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अस्पतालों में जितना बजट बढ़ना चाहिए उतना बजट बढ़ता नहीं है। मैडिसन्स बाहर से खरीदी जाती हैं। जैसा मेरे साथियों ने कहा हर एक डॉक्टर अपने अपने ढंग से अलग अलग मेडिसन्स प्रेस्काइब करता है। सब स्टेन्डर्ड मेडिसन्स दी जाती हैं। इसके ऊपर बहुत जबरदस्त चैक रहना जरूरी है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक हो सके, जो हसबेन्ड एण्ड वाइफ अगर डॉक्टर्स हैं तो उन दोनों को एक ही जगह रखें तो ठीक रहेगा। यहां तक हो, नर्सिंग स्टाफ में भी हसबैण्ड और वाइफ की नियुक्ति एक ही जगह रखें तो एफिशियेन्सी बढ़ेगी। एफिशियेन्सी बढ़ने का कारण है। अगर ज्यादा दूर फेंक दिया गया तो एफिशियेन्सी में कमी आयेगी। घर के नजदीक रहेगा तो एफिशियेन्सी से काम करेगा नहीं तो उसके दिमाग में परेशानी रहेगी। नर्सिंग स्टाफ के किसी आदमी को बाड़मेर भेज दिया तो एफिशियेन्सी में फर्क आयेगा।

एक बात और जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि मेरे यहां का जो बूंदी का जिला अस्पताल है, वहां भी मरीजों को तकलीफें हैं। उसका स्टेण्डर्ड बहुत गिर गया। बरामदों में बैड्स लगाये गये हैं। मरीजों की वहां 197 की तादाद थी, जब मैं वहां गया जब कि वहां 100 के करीब बैड्स हैं मैंने वहां के लोगों से बात है और मैं मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि मैंने उन लोगों को राजी कराया है कि वार्ड बनाने का जो खर्चा होगा लाख, डेढ़ लाख रुपया चन्दे के रूप में इकट्ठा करके दे देंगे। बून्दी जिले के अस्पताल के पास काफी इस बात की गुंजाइश भी है अतः उसको (बी) श्रेणी का घोषित कर दिया जाय। आगे भी ऐसा किया गया था।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा और वह यह है कि आम तौर पर डॉक्टर्स में कोआर्डिनेशन नहीं है। उस कोआर्डिनेशन की वजह से अस्पताल का सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन खराब होता है। कोआर्डिनेशन नहीं रहने का एक मात्र कारण यह है कि वे प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं– अमुक की ज्यादा प्रेक्टिस होती है तो अमुक की कम प्रेक्टिस होती है और जब वास्तविक रूप में यह आ जाती हैं तो फिर वे दूसरी तरफ ध्यान देते हैं इसलिए जो पे-क्लिनिक का काम शुरू किया है वह मैं समझता हूं कोई दूसरा ही सुधार करें, और कोई ऐसा डॉक्टर रखें जो पे-क्लिनिक में देखे। आप वहां जाकर उसकी निगरानी नहीं करते हैं कि किस डॉक्टर ने क्या क्या किया? आज एडमीशन उसी को मिलता है जो पे-क्लिनिक में दिखाता है और उसी को सब सहूलियत मिलती है और बाकी के रह जाते हैं, इसलिए ज्यादा अच्छा यह है कि पहले जो सिस्टम था वही रहे, उसमें कुछ सुधार कर लें। यह सिस्टम है यह निरर्थक साबित हुआ है।

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

एक मेरा निवेदन यह भी है, हर जिला अस्पतालों के प्रांगण में चीप दामों पर मेडिसन मिलने की व्यवस्था करें। डॉक्टर गंगवाल ने यहां शुरू की थी कि कम मुनाफे पर दवाइयां गरीबों को मिल जायं। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था करनी चाहिए और इसमें जो सहयोग मिल सके, वह लिया जाना चाहिये। इतनी बात कह कर ही मैं निवेदन करूंगा कि बून्दी जिले के अस्पताल को (बी) श्रेणी का अस्पताल घोषित करने की चिकित्सा मंत्री जी कृपा करें।

श्री सभापति : चिकित्सा मंत्री जी !

(व्यवधान)

माननीय सदस्य 7-00 बजे तक का समय है और आपके दल के सदस्यों ने समय ले लिया है···

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पांच मिनट का समय दे दीजिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन करूं माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, कभी तो विरोधी दल की भी मानें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। अधिक समय आप ही दोनों माननीय सदस्यों ने लिया है···

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : पांच मिनट के लिये आज्ञा दे दें···

श्री सभापति : मैं अलाऊ नहीं करूंगा··

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : या तो फिर किसी को समय मत दीजिये नहीं तो···

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आज्ञा दीजिए··

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरा नाम भी है, सभापति महोदय···

श्री सभापति : आपके दल ने समय ले लिया है। मेरा निवेदन है आपके दल ने अधिक समय पहले ही ले लिया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं 5–7 मिनट में ही समाप्त कर दूंगा।

श्री सभापति : आपको पांच मिनट दे देता हूं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर।

एक माननीय सदस्य : ये अंगूठा दिखा रहे हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कटौती प्रस्तावों के जरिये माननीय मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं। यह पूंजीवादी व्यवस्था है अपने गरीब देश में

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

यदि गरीब को अस्पताल आना पड़े, उसके लिये बहुत बड़ी कठिनाई होगी इस व्यवस्था को ऐसी बनाने की आवश्यकता है जिसमें गरीब के पास चिकित्सा की व्यवस्था पहुंचे। इसमें मेरा पहला निवेदन यह है, प्रत्येक जिला अस्पताल जो है उसको कम से कम एक वर्ष में एक बार सर्जिकल कैम्प प्रत्येक पंचायत समिति में लगाना चाहिये। नम्बर दो, हमारे यहां मोबाइल सर्जिकल यूनिट जो है उसमें कुछ प्रयास किये गये थे, पिछले दो वर्षों में 300 बैड्स 500 बैड्स किये गये थे, उदयपुर और जयपुर में 30-50 बैड्स स्थापित किये गये थे। मैं उसी बात के लिये निवेदन करना चाहता हूं, जोधपुर, कोटा और बीकानेर-इनमें 50-50 और बैड्स के मोबाइल सर्जिकल यूनिट बनाये जायें जिससे चिकित्सक लोग गरीबों तक पहुंचने की व्यवस्था कर सकते हैं। मोबाइल के जरिये उन तक पहुंचें ऐसा मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं पिछली बार योजना बनाई थी कि प्रत्येक नगरपालिका में प्रसूति गृह हों मैं उसी फण्डामेंटल बात को साबित करने के लिये निवेदन करना चाहता हूं। कुछ नगरपालिकायें बची हैं जिनमें प्रसूति गृह नहीं हैं। शायद दस हजार की जनसंख्या तक की नगरपालिकाओं में प्रसूति गृह बन रहे हैं। मेरा निवेदन है कोई भी पंचायत समिति केन्द्र और तहसील केन्द्र इस प्रकार का न रहे कि जहां प्रसूति गृह न पहुंच पाये। यह बहुत उचित है कि गरीब कम से कम डिस्टेन्स पार करके पहुंच सके, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह भी मेरा नम्र निवेदन है कि प्राथमिक शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की जिम्मेदारी में जो राशि आंवटन होती है वह चिकित्सा विभाग में की जानी चाहिये। इन सारी डिस्पेन्सरीज और औषधालयों पर यह जिम्मेदारी डालनी चाहिये कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाय और एक चार्ट बनाकर दिया जाय। वर्ष में एक बार परीक्षण हो। अगली कक्षा में प्रवेश हो तो वह चार्ट रहेगा। बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति इस प्रकार की बने कि उनके गार्जियन्स को भी जानकारी होती रहे ताकि उन्हें ध्यान रहे कि कौनसा कदम बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में लेना है। इसलिये इस विभाग में राशि आवंटन करना आवश्यक है। जैसा सभापति महोदय, आपने भी कहा था कि परिवार नियोजन और परिवार कल्याण में बहुत बड़ी बाधा आ गई इस कारण विकास की गति धीमी पड़ गई। मेरा भी निवेदन है परिवार नियोजन और परिवार कल्याण, इस बात पर विशेष रूप से आगे काम होना चाहिये। आगे काम ही नहीं गरीबों में फैली अज्ञानता को दूर करने के लिये परिवार नियोजन और परिवार कल्याण की शिक्षा को माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर दिया जाना भी आवश्यक है। कानून की आवश्यकता नहीं, फोर्स की आवश्यकता नहीं....

(व्यवधान)

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं माध्यमिक स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर इसके लिये एक स्लेबस बने ताकि उन जवानों को, किशोरों को इन सारी बातों की जानकारी मिल सके कि यह बहुत बड़ी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

समस्या है और इसका निराकरण करना है।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की स्वयं इस प्रकार की बहुत इच्छा है और मैं उस इच्छा में मेरी यह भावना भी जोड़ना चाहता हूं, गरीबों के स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिये फिर वही बात कहना चाहता हूं कि योग साधना एक ऐसी विद्या है जिसको बालक ले लेता है तो स्वयं ही निरोग रह सकता है। क्या इस प्रकार की शिक्षा देने की आप कोई व्यवस्था कर सकेंगे ? मेरा निवेदन है आप यह अवश्यमेव करें। उन गरीबों के लिये निवेदन करना चाहता हूं पैथोलोजी डिपार्टमेंट है, बायोकेमिस्ट डिपार्टमेंट है मुझे बड़ा दुख होता है जब बड़े बड़े डॉक्टर उन गरीब लोगों को बड़े-बड़े नुस्खे बता देते हैं कि जाओ फलां क्लिनिक पर जाओ जाओ तुम खुराना क्लिनिक पर वहां से परीक्षण करा के लाओ। मुझे समझ में नहीं आता कि किसी भी डॉक्टर को, बड़े से बड़े डॉक्टर को यह कहने की क्या आवश्यकता है कि फलां क्लिनिक पर जाओ। हमारे कैमिस्ट्री में प्रोफेसर्स, पैथोलोजी में इतने प्रोफेसर्स इतने रीडर्स, इतने लैक्चरर्स हैं, 24 घण्टे व्यवस्था चले, गरीबों को राहत मिले और सब प्रकार से टैस्ट ठीक रूप से हों। मुझे तो कभी-कभी शंका होती है, क्या कमीशन बंधा है बड़े-बड़े डॉक्टरों का, इन बड़े बड़े क्लिनिक्स से। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इन क्लिनिक्स में लोग ट्रेण्ड नहीं। Prevention is the better than cure. यहां हमारे पैथोलोजी डिपार्टमेंट, बायोकैमेस्ट्री डिपार्टमेंट है, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इनको 24 घण्टे चलाने की व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा इस दृष्टि से और कुछ कहना है। मैडिकल कॉलेज सब जगह हैं। कोटा ही एक ऐसा स्थान है जहां मैडिकल कॉलेज नहीं है। मैं मैडिकल कॉलेज की मांग नहीं करता किन्तु मैं मांग करता हूं जूनियर स्पेशलिस्ट की, सीनियर स्पेशलिस्ट की। आज किसी भी क्षेत्र में 500 बैड्स का अस्पताल है, एक ही जूनियर स्पेशलिस्ट और सीनियर स्पेशलिस्ट से काम नहीं चलेगा परन्तु इस प्रकार के स्पेशलिस्ट, आप एक जूनियर स्पेशलिस्ट और एक सीनियर स्पेशलिस्ट कम से कम भेज दीजिए। मैं मेडिकल कॉलेज की मांग नहीं करता अभी। कोई आगे चलकर करूंगा। This is very urgent। 500 बैड्स का अस्पताल है, इसलिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, एक बात और कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। जैसे डॉक्टरों की समस्या आपके सामने है, अभी माननीय विद्या जी ने उसकी कुछ चर्चा की थी कि हमारे यहां कितनी तकलीफ हो रही है किन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 24 घन्टे काम करते हैं। जो 1100 की संख्या है, 700 और 450 इस प्रकार 1150 योग हैं। क्या व्यवस्था है 77 से पहले कुछ प्रयत्न नहीं किया उनको कुछ नहीं मिलता था। प्रेस हुआ 77 में, 78 में, 79 में और आज 80 में स्थिति यह है कि मांग इकट्ठी होती जा रही हैं, 24 घन्टे डॉक्टर काम करते हैं, आज हड़ताल पर है,

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं आज विस्तार में जाना नहीं चाहता, विस्तार में जाने का समय नहीं है। अभी माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि उनके साथ बातचीत करिये, उनकी समस्याओं को समझिये, उनकी समस्याओं के हिसाब से उनको पैसा दीजिए और उनकी रेट ...स करिये। 580 रुपये, 400 रुपये, 555 रुपये बहुत कम है, उसे थोड़ा सा बढ़ाइये। मैं अंतिम बात कहकर एक मिनट में..

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वह बात मेरी यह है, मैंने मुख्य रूप से यह निवेदन करने की कोशिश की है, कम से कम राजनीति का प्रवेश इन अपाइंटमेंट और पोस्टिंग में करने की कोशिश मत कीजिए। यह बात मैं आपसे अवश्य कहूंगा जिस बात को मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से बताना चाहता था, मैं आपके ध्यान में इसलिए लाना चाहता हूं कि शायद आपको पता होगा, जानकारी आपको होगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आज तक जो रीडर हैं, प्रोफेसर्स हैं, इनकी जो पोस्टिंग होती है, इनकी जो नियुक्ति होती है, इनको जब लगाया जाता है तो प्योरली मैरिट के बेस पर लगाया जाता है। इनके कुछ नार्म्स बने हैं, कुछ नियम बने हैं, पिछले वर्षों की कुछ व्यवस्था है। किन्तु मुझे बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि राजनैतिक प्रभाव ऐसा डाला गया है कि जिसके कारण उन नियमों को तोड़ने की कोशिश की गयी है। आपके माध्यम से चिकित्सा मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं क्या हुआ उस केस का, जो सामने आया था। एक पोस्ट एडवर्टाइज की गयी, यहां इनके प्रिंसिपल साहब ने एक पोस्ट निकाली, 3 दरख्वास्तें आयीं। एक दरख्वास्त में तो शर्तें पूरी नहीं की थीं, उसका प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति था कि जिसने सैकण्ड अटैम्प्ट में एम. बी. बी. एस. पास किया था, उनके बारे में आर्डर्स हो गये कि इनको लगाया जाता है। मैं आक्षेप करना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी पर क्योंकि उन्होंने राजनैतिक दबाव के कारण इस प्रकार की बात की। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मन्त्री महोदय से एक बात कहना चाहता हूं कि लगा दिया, जयपुर के डॉक्टर एशोसियेशन के पास पहुंचा और उनसे कहा कि आप नियम देखिये, मैरिट भी देखिये, तीसरे व्यक्ति की मैरिट है, उसने एक वर्ष की इन्टर्नशिप करली है, उसको पोस्ट नहीं किया और आपने सैकण्ड क्लास किसी तीसरे व्यक्ति, जिसने सैकण्ड अटैम्प्ट में पास किया है उसको लगाया तो प्रिंसिपल महोदय कहने लगे, मेरी बहुत बड़ी श्रद्धा है उनके बारे में, मैं जानता हूं कि बहुत ईमानदारी से, कर्मठता से कर्त्तव्यनिष्ठा से सारे काम को कर रहे हैं किन्तु पता नहीं कौन से दबाव से ...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

एक मिनट में बात को समाप्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि चिकित्सा मन्त्री उसकी इन्क्वायरी करें। हुआ क्या उसके बाद, जब जूनियर डॉक्टर्स का एसोसिएशन वहां

Page No. 180

(180)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

पहुंचा, उन्होंने इस बात की चर्चा की, बताया सैकण्ड अटैम्प्ट में किया, प्रिंसिपल साहब ने कहा, क्या विचार करते हैं। कैसे करते, वह शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति हैं। शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति की पोस्ट एडवर्टाइज करते समय वह लिखा जाना चाहिए, वह नहीं लिखा गया और वह शिड्यूल्ड कास्ट की पोस्ट नहीं कौन से दबाव थे, उसके कारण जानना चाहूंगा। मैं चिकित्सा मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वहां के प्रिंसिपल महोदय ने उनका नाम रिजेक्ट करके जो व्यक्ति एस.के. भटनागर या आर. के. भटनागर जिसका नाम था, उनकी पोस्ट किया और मिस्टर ओसवाल थे, उनको रिजेक्ट किया। उन्होंने···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : समाप्त कीजिए माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक मिनट। चार दिन के बाद स्थिति क्या बनी। फिर पता नहीं कौन सी फोन खड़का, मुख्य मन्त्री जी के यहां से पता नहीं क्या लिखा गया, Do the needful, Do the needful लिखा गया, मुख्य मन्त्री जी के हाथ से। डिप्टी सैक्रेटरी ने फोन किया, उन्होंने पत्र लिखा कि नहीं इस व्यक्ति को लेना है, फटाफट रखो। वह कौनसी आवश्यकता थी, वह कौन से कारण थे कि नियमों के विरुद्ध वहां के प्रिंसिपल ने जाकर उस ओसवाल का नाम रिजेक्ट किया, वापस एस. के. भटनागर कर दिया।

(व्यवधान)

बार बार यह कह रहे हैं कि उन्होंने यह लैंग्वेज···

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आप अपने वायदे पर कायम रहिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आधा मिनट में समाप्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, एक बार नियम से ओसवाल को दे दिया था, आर. के. भटनागर का फोन आ गया, मुख्य मन्त्री जी का इशारा आ गया, राजनैतिक दबाव आ गया और उस दबाव के कारण क्या हुआ कि फिर नाम काटा गया, मिस्टर भटनागर का नाम लिख दिया। नाम ओसवाल का लेकर जब डाक्टर आ गये तो उन्होंने कहा, प्रिंसिपल साहब क्या करते हैं, ये कैसे किया गया, सर्टिफिकेट को कैसे नजर अन्दाज कर सकते हैं ऐसे एडमिशन के लिए, पिछली परम्परा में कभी एडमिशन नहीं हुआ, मैरिट के आधार पर एडमिशन हुआ और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कोर्ट ने कहा, प्रिंसिपल साहब की हिम्मत नहीं हो सकती, वह ऐसा कर सकें, राजनैतिक दबाव के कारण, कोर्ट ने कहा कि नहीं भटनागर को वापस लेना पड़ेगा और ओसवाल लिया जायेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सवाल करना चाहता हूं, आपके माध्यम से कि इस राजनीति को मत आने दीजिए। मुख्य मन्त्री जी उनको अपना कारण बनाना चाहते हैं, वह व्यक्ति तो ओसवाल है किन्तु जाति से वह खटीक है, इसको लगा दीजिए। अगर इस प्रकार की स्थिति होती है, अगर राजनीति चलती है तो होगा क्या। मैं आपसे निवेदन करता चाहता हूं, इस बात की जांच हो, कारण ढूंढे जायें, फाइल पर नोटिंग पढ़ी जाये, इसका कारण है. कोई

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
राजनैतिक दबाव लायेंगे और राजनैतिक दबाव मुख्य मन्त्री लायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह राजनीति है, यह भ्रष्टाचार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय चिकित्सा मन्त्री जी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (चिकित्सा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय,

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ! माननीय चिकित्सा मन्त्री जी। आप आरम्भ कीजिए।

(व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, मैं करीब 17 साल बाद फिर इसी विभाग में आया हूं। पहले मैं इसी विभाग में कई साल तक रहा और इसी नाम से राजस्थान सरकार में मुझे जाना था। पहले का जो विभाग था और आज जो मेडिकल डिपार्टमेन्ट है, इसमें काफी फर्क हो गया।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बातें नहीं करें कृपया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे इस समय दो महीने हुए हैं, 18 तारीख को मिनिस्टर बना था और कल 19 तारीख को दो महीने पूरे होंगे। इस डिपार्टमेंट में मैं जब से आया हूं तब से बहुत ही गहराई से इस मामले को, इस सारे डिपार्टमेंट को देख रहा हूं। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम कर रहा हूं। इसमें इतनी समस्यायें हैं कि जिनको कण्ट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। माननीय सदस्यों को एक बात बहुत नम्रता से कहना चाहता हूं कि मैं कोई राजनैतिक दबाव नहीं मानता हूं। न मैंने किसी के दबाव में आना सीखा है और न मैं किसी दबाव में आता हूं। दूसरी बात मैं माननीय सदस्यों को और कहना चाहता हूं कि मैं किसी करप्शन का मामले हो, या मिलावट का मामले हो, या बेईमानी का मामले हो, कोई रियायत करना नहीं जानता। और कोई भी मामला मेरे सामने ऐसा आएगा तो किसी तरह की कोई रियायत नहीं की जाएगी और उसको सख्ती से निपटाया जाएगा। मैं इस सम्बन्ध में

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं माननीय सदस्यों से इस बात के लिए विनम्रता से निवेदन करता हूं कि कोई भी सदस्य अपने इलाके के अन्दर किसी तरह की गड़बड़ हो रही हो, कोई गलत कार्यवाही हो रही हो तो उसके बारे में मेरे ध्यान में लायेंगे तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ भी कार्यवाही होगी, मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा और जहां तक होगा उस

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
कमी को दूर करने की निश्चित रूप से कोशिश करूंगा।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : यह नहीं समझ लें कि आप हमेशा ही इस डिपार्टमेंट में बने रहेंगे।

श्री सभापति : No interruption.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब जो बहुत से माननीय सदस्यों ने जो अपनी बातें कही हैं, उन सब का वाकई में मैं बहुत आभारी हूं। बहुत से सदस्यों ने ऐसी ऐसी बातें कहीं हैं कि शायद मैं उनसे उम्मीद भी नहीं करता था। जैसे कि सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो मैडिकल एजूकेशन के बारे में, मैडिकल कॉलेजों के बारे में, कई बातों की जो जानकारी दी है, मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन्हें इतनी जानकारी है। इसी तरह से बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने इलाके की बातें कही हैं और बहुत से अच्छे सुझाव भी दिए हैं, मैं उन सब सुझावों का बड़ा स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि उन बातों को जो यहां पर कही गई हैं, मैंने नोट किया है और उसके बारे में उचित कार्यवाही जो भी होगी वह अवश्य की जाएगी।

सभापति महोदय, दो बातें खास तौर से कही गई हैं। एक तो यह कि शहरों के जो हास्पिटल्स हैं उनकी हालत बहुत खराब है। वाकई में मुझे भी अस्पतालों में जाने का मौका मिला है तो उसकी जानकारी मिलती है और बहुत से माननीय सदस्य जो अस्पतालों में जाते हैं उनको भी तजुर्बा होता है कि हास्पिटल्स की हालत वाकई में अच्छी नहीं है। हमने इस साल 45 लाख रुपया इन शहरों के अस्पतालों, रूरल एरिया के जो हास्पिटल्स हैं उनको ठीक करने के लिए रखा है। उसके रख रखाव, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए जो होना चाहिए, स्टाफ के बारे में, इन सब बातों के लिए रखा है। इस साल तो 45 लाख रुपया इसलिए कम रखा है कि क्योंकि अभी यह अगस्त का महीना चल रहा है और साल समाप्त होने में थोड़ा ही समय रहेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस साल तो कम कार्यवाही कर पायेंगे और आयन्दा के लिए शहरों के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, जैसे जयपुर का हॉस्पिटल है, बीकानेर के हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनकी व्यवस्था को ठीक करने का वास्तव में प्रयत्न करेंगे। ये पुराने जमाने के चले आ रहे हैं और जितना इनको बढ़ा रहे हैं उनसे भी अव्यवस्था है।

इसके साथ साथ डॉक्टरों की और पैरा मैडिकल स्टाफ की जितनी आवश्यकता है वह बिल्कुल दूर नहीं हो पाई है। इसलिए इस सम्बन्ध में मैंने अपने विभाग से बात की है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सिलसिले में जरूरी कार्यवाही की जाएगी।

इसके अलावा जो रूरल एरियाज हैं, उनके बारे में आम तौर पर जो माननीय सदस्य यहां पर बोले हैं, वे रूरल एरियाज के रहने वाले हैं। रूरल एरिया के बारे में बहुत ही बातें कही गई और इस बात की शिकायत की गई है कि शहरों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और जो गांव हैं

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

और गांवों की जो डिसपेंसरियां हैं, जो अस्पताल हैं, उनकी तरफ कम ध्यान दिया जा रहा है।

मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय हमारे यहां पर जो व्यवस्था है, वह भारत सरकार की ओर से मिनिमम नीड प्रोग्राम एप्रूव किया गया है और वह सारे जो हमारे रूरल एरियाज हैं उन पर एप्लाई करते हैं। उस प्रोग्राम के अन्तर्गत हर एक पंचायत समिति में एक पी.एच.सी., एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर आता है जो एक लाख की आबादी के हैं और उसके साथ-साथ जो पैटर्न एप्रूव कर रखा है उसमें तीन डिस्पेंसरीज होनी चाहिए जिससे की पी.एच.सी. और तीन डिस्पेंसरीज के अन्दर उसके मुताबिक 25 हजार की आबादी पर एक डिस्पेंसरी की व्यवस्था कर सकेंगे। उसके नीचे और सब-सेंटर्स खुलवाने का प्रावधान है इन सब-सेंटर्स में जो इस समय व्यवस्था है उसमें ए. एन. एम., एक मल्टीपर्पज वर्कर, इन दो व्यवस्था वहां की होनी चाहिए। मुझे वाकई यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब से यह विभाग मेरे पास आया है, स्टाफ की कमी थी। करीब 246 डॉक्टरों की शोर्टेज थी और फाइनेंस डिपार्टमेन्ट ने यह बैन लगा रखा थी बिना पी. एस. सी. की एप्रूवल किसी डॉक्टर को नहीं रखा जाएगा। मैंने आने के बाद डिपार्टमेन्ट से काफी झगड़ा करके और उन डॉक्टरों के रिक्रूटमेन्ट में…

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किससे झगड़ा कर लिया…

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से झगड़ा करके…

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, 246 डॉक्टरों को एडहॉक बेसिस पर लगाने का था और हमारे आफीसीजन्स प्रमोशन पर एडहॉक बेसिस पर लगाने की हमें फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से मन्जूरी मिल गई है और एक हफ्ते के अन्दर आर्डर्स हो जायेंगे। हमारे पास पहले ही से 900 के करीब दरख्वास्तें आई हुई हैं और मैरिट के बेसिस पर करीब तीन रोज में स्क्रूटिनाइज करके एक हफ्ते के अन्दर ये सारे डॉक्टरों के अपॉइन्टमेंट हो जायेंगे।

श्री ईश्वरीलाल सैनी : सुनो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, इसके अलावा…

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बातें नहीं करें माननीय सदस्य।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, इसके अलावा इस विभाग में तीन सौ कम्पाउण्डर्स और इतने ही ए. एन. एस. की

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जगह खाली थी और ट्रेंड स्टाफ अवेलेबल नहीं था। करीब दो साल पहले यह ट्रेनिंग का काम जो यहां पर रेडक्रोस को दिया गया था, रेड-क्रोस की लापरवाही की वजह से, उसकी गफलत की वजह से 17 ट्रेनिंग सेंटर जो थे, वे सब बन्द हो गए थे और आज हमारे यहां दो सालों से ट्रेनिंग का जितना काम था वह बन्द हो गया था, अभी कुछ दिनों से ही इन 17 ट्रेनिंग सैन्टर्स को दुबारा चालू किया गया है और जो ट्रेंड पर्सन्स होने चाहिए वे उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। मुझे यह उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में एक बैच, सन् 80 के सितम्बर में आने वाला है और यह उम्मीद है कि ट्रेंड स्टाफ जिसमें कम्पाउण्डर और ए. एन. एम. स्टाफ की कमी है उसको पूरा कर सकेंगे। उस समय तक के लिए यह पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है उसको देखना पड़ेगा क्योंकि एडवरटाईजमेंट करने से स्टाफ मिलता नहीं है। ट्रेंड स्टाफ लगाकर कमी दूर करनी पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं और आपके सामने निवेदन करूं कि भारत सरकार की परमिशन से और उनकी अप्रूवल से एक रूरल एरियाज के लिए जो हमारी ट्रेडिशनल दाई हैं उनको ट्रेंड करने का प्रोग्राम हाथ में लिया गया है और उनको ट्रेंड किया जायगा। इस समय हमारे यहां पर 11027 दाई राजस्थान 26 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है और ट्रेनिंग के टाइम पर एक महीने में तीन सौ रुपया स्टाइपेण्ड दिया जाता है। इस तरह से 11 हजार के अलावा इस साल 80-81 में पांच हजार ट्रेडिशनल दाइयों को ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम है और उनको ट्रेनिंग के लिए इनपुट्स भी दिया जा रहा है और किट्स भी दिए जा रहे हैं जो यूनीसेफ से कोटा मिला हुआ है।

और यह ख्याल है कि ए. एन. एम. के साथ साथ इन दाइयों को भी लगा दिया जाए, क्योंकि अभी शार्टेज है। एडीशनल दाई के रूप में इनको लगा दिया जाए तो साथ में उनकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी।

श्रीमती विद्या पाठक : मल्टी पर्पज।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें। मन्त्री महोदय का उत्तर आने दें। आपको अवसर दूंगा। मन्त्री महोदय आप जारी रखें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह एच. डब्ल्यू. कल ही मुझ से मिले थे। उनको इस बात की शिकायत थी कि जिस बात की ट्रेनिंग उनको दी गई है उस काम के लिए उनको नहीं लगाया गया है। मैंने उनसे यह कहा है कि एक-दो दिन बाद बातचीत कर के कोई व्यवस्था बिठाने की कोशिश करूंगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति आर्डर प्लीज।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, रूरल और अरबन डिस्पेंसरीज के अलावा और भी बहुत-सी बातें यहां पर कही गयी हैं। उनमें से एक बात रेजीडेन्ट डॉक्टरों की हड़ताल के बारे में है। इस सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव आया था। अध्यक्ष महोदय,

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

ने निर्देश दिया था कि उस पर प्रकाश डालूं। रेजीडेन्ट डॉक्टर्ज ने अपनी डिमान्डस 31 तारीख को रखी थी और उसके पहले भी कई बार वे मिलते रहे हैं। उस रोज मांग-पत्र प्रस्तुत किया था और मैंने उनसे यह कहा था कि असेम्बली की वजह से व्यस्त हूं, बाद में बात करूंगा। 7 तारीख को वे मेरे मकान पर आये, वे बीस के करीब होंगे, वे काफी जोश में थे। कहा कि आप कब बातचीत करेंगे। हमने 9 तारीख के लिए कहा। 9 तारीख को मेरे दफ्तर में सीनियर ऑफिसर के सामने बातचीत हुई। काफी देर तक तीन घन्टे तक बातचीत करते रहे। अफसोस की बात है कि 1977 में इन्होंने स्ट्राइक की और इनके 25/- रुपये बढ़ा दिये गये। इसके बाद 1979 में इन्होंने स्ट्राइक की और 30/- रुपये बढ़ा दिये। अब की बार उनकी डिमान्ड यह है कि जो सी. ए. एस. डॉक्टर्स नहीं हैं जिनको कि 750/- या 850/- रुपया मिलता है, उनको भी यह सी.ए.एस. की तनख्वाह दी जाए। इसका मतलब यह है कि सी. ए. एस. डाक्टर्ज 750/- रुपये से स्टार्ट करता है और इसके साथ उनको सहूलियतें मिलती है, वह भी उनको दी जायें। मैंने उनको यह कहा कि हम उनकी यह मांग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सभापति महोदय, 9 तारीख को बातचीत हुई। मैंने उनसे यह कहा कि एक हफ्ते की छुट्टी आ रही है। उसके बाद 18 तारीख को डिमान्ड है। 19-20 तारीख को कमिश्नर महोदय बाहर रहेंगे। इसलिए 21 तारीख को मिलेंगे। उन्होंने यह कहा कि हमारी जनरल बॉडी नहीं मानेगी। मैंने कहा कि 11 तारीख को मैं आपकी जनरल बॉडी के सामने आऊंगा और उनको जो हमारा प्वाइंट आफ व्यू है वह पेश करूंगा। उन्होंने वायदा कर लिया था परन्तु मुझे यह जानकर ताज्जुब हुआ कि वे 11 तारीख से ही हड़ताल पर चले गये। 10 तारीख को मैं बाहर था।

एक माननीय सदस्य : उनको तो उकसाया गया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : 21 तारीख को दिन के 4 चार बजे मिलने का वायदा किया था परन्तु उसके बावजूद भी वायदा खिलाफी करके वे हड़ताल पर चले गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप तो बुजुर्ग हैं और वे बच्चे हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। No interruption.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, इसके बाद रेजीडेन्ट डाक्टर्ज का एक डेपूटेशन मुझसे 15 तारीख की शाम को फिर मिला। उनका कहना था कि हमारी मांगों पर विचार करना चाहिए। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है परन्तु आप लोगों ने इस बार स्ट्राइक की है। आप से बातचीत की थी कि स्ट्राइक नहीं होगी। 16 तारीख को मेरे दफ्तर में छुट्टी थी फिर भी दस बजे से 12 बजे तक मैं, मेडिकल डिपार्टमैंट के कमिश्नर, हमारे डाइरेक्टर साहब और सीनियर ऑफिसर दो घण्टे बैठे रहे। 11 बजे उनके आने का प्रोग्राम था और पांच व्यक्तियों को आने के लिए कहा था। परन्तु पांच व्यक्तियों के आने के बजाय वे सेक्रेटेरियट के दरवाजे पर जुलूस लेकर आये।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

उन्होंने यह कहा, सब लोग यह कहते हैं कि मिनिस्टर आकर यहां पर बात करें। मैंने कहलवाया कि मेरी उनसे बातचीत तय हुई है पांच के बजाय चाहें तो 6 आ सकते हैं। साढ़े ग्यारह बजे की बात है। मैं उनका इन्तजार करता रहा परन्तु वे नहीं आये और इसके बाद जबरन घुसने की उन्होंने कोशिश की। पुलिस को कन्ट्रोल करना पड़ा। उनको रोका गया और वे वापस चले गये। इसके बाद परसों शाम को फिर मेरे पास आये कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। मैंने डाइरेक्टर ही मजिस्ट्रेट से जानकारी ली। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बातचीत की। मैंने कहा कि पांच व्यक्ति आएंगे। आपको इस तरह से जलूस बनाकर नहीं आना चाहिए था। यह कहना कि मिनिस्टर खुद दरवाजे पर आकर बात करें यह कहां तक उचित था।

मैं कल शाम को फिर आपकी डिमाण्ड के बारे में देख रहा था, चार बजे के करीब उनके एक सज्जन और हमारे शहर के एम. एल. ए. दुबारा आए····

श्री श्रीराम मंटेगला : हम उकसाने वाले नहीं है। हम सुल्टाने वाले हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया आपस में बात न करें। कृपया धैर्यपूर्वक सुनें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कल शाम को चार बजे मीटिंग हुई। दो घंटे चलती रही। उस समय हमारे मेडिकल डाइरेक्टर, कमिश्नर, कालेज के प्रिन्सिपल ये सब थे। दो-तीन घंटे बातचीत हुई। मेन डिमाण्ड यह थी कि उनको सी. ए. एस. की पे-स्केल दे जाए। 750/- का पे-स्केल दी जाए। स्टाइपन्ड के बारे में हम इन्कार नहीं करते हैं····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : ऐसा मालूम पड़ता है कि दिल्ली में हड़ताल हो रही है रेजीडेन्ट डाक्टर्स की और उस बात को लेकर यहां भी हड़ताल करें, यह हो सकता है। ताज्जुब की बात तो यह है कि मैंने बातचीत की, उनको बुलाया। जुलूस लेकर वे आये। वे चाहते हैं कि पिछली बार 1977 में बढ़ा, जनता सरकार ने यह बढ़ा दिया और अब वे चाहते हैं सी. ए. एस. डाक्टर के बराबर उनको किया जाए। मैं समझता हूं कि यह उनकी बात, मांग गैर वाजिब है और सरकार इसको मानने में असमर्थ है।

(व्यवधान)

उनकी मांग थी उसके बारे में मैंने कई बार बात की। फाइनेन्स से भी बात की और सदन में भी लगातार बात की। शाम को सारा टाइम उनके बारे में फिर सुबह आ गये तब फिर उनको समझाया सब कुछ किया। हमारे जो फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स के नेता हैं उन्होंने भी समझाया और हड़ताल को समाप्त करने के लिए वे स्वयं भी यहां पर आये और उनको समझाया। जो कुछ कर सकते थे किया। हड़ताल को तुड़वाने के लिये पूरी कोशिश की। मैं भी उनसे बार बार हर वक्त मिलता रहता हूं। यह नामुमकिन है कि उन्होंने जो यह मांग रखी है कि उनको हम सी0 ए0 एस0 डाक्टर्स मान ले और उनके बराबर वेतन दें अगर

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

यह मान लें तो फिर नये अपाइन्टमेंट की जरूरत हीं क्या है। हमारे पास जो सी. ए. एस. डाक्टर्स की वेकेन्सी है तो वे ये छोड़कर के वह जो ज्वाइन कर लें। हमारा जो बजट पास होगा तो 100 डाक्टर्स की और जगह खाली होने वाली है अगर वह एप्लाई करेंगे तो उसमें आ जायेंगे। इस तरह हड़ताल करके वे हमको दबाने की कोशिश करते हैं तो....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया आपस में बात न करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वैद्यों के बारे में माननीय जोशी जी ने बड़ी हमदर्दी दिखलायी है उनकी बड़ी वकालत की है। वैद्यों के साथ तो मुझे भी बहुत हमदर्दी है और मुझे वैद्यों के साथ साथ उनके साथ भी ..... —

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि जब सन् 77 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी अप्रैल के महीने में तो उनकी कुछ मांगे हमने मन्जूर की थी। केबिनेट ने भी पास कर दी थी। उसके बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट आयी तो उनकी मांग को नामंजूर कर दिया और पे कमीशन के पास भेज दिया........

(व्यवधान)

और अब यह सारा मामला पे कमीशन के सामने मौजूद है। पहले भी मैं इस सम्बन्ध में सदन के सामने निवेदन कर चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

कृपया आपस में बात न करें। माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : और भी बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने कहीं हैं, एक बात माननीय सदस्य ने कही है। एक बात कही, prevention is better than cure, उस सिलसिले में योग और प्राकृतिक चिकित्सालय का भी जिक्र किया। जिन्होंने यह मांग की है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा तो इस मामले में बहुत पक्का विश्वास है। 20 साल पहले हमारे यहां यूनिवर्सिटी के सामने राज्य सरकार की ओर से जब मैं मिनिस्टर था योग रिसर्च सेंटर कायम किया गया था। जब से से लेकर आज तक गवर्नमेंट की तरफ से इन्स्ट्रूमेंट दिये गये हैं, एक लाख की लागत के। वहां एक महात्मा हैं जो वाकई में बाल ब्रह्मचारी हैं। वे सही मायने में योगी हैं वे इन्चार्ज हैं। इसमें एक होल टाइम डॉक्टर है और एक पार्ट टाइम डॉक्टर है और यह जो संस्था है

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

इसका इन्टरनेशनल फेम है. बाहर से लोग आते हैं और उसको देखते है। भारत सरकार के योग रिसर्च के जो डायरेक्टर हैं वे भी इसको ऐड देते हैं। यह 20 साल से हिन्दुस्तान में अकेला संस्थान है जो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है। वरना इस प्रकार का कोई संस्थान हिन्दुस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से नहीं चलाया जाता है।

(व्यवधान)

मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो जानकारी मुझे मिली है मैं अक्सर वहां जाता आता रहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी इनक्योरेबल बीमारियां हैं, आपकी सांस की बीमारी है, आपकी डायबिटीज की बीमारी है...

एक माननीय सदस्य : हमको तो नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसी को भी है...

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसी को भी है। तो योग रिसर्च सेंटर में फ्री ट्रीटमेंट है 20 बैड का फ्री हास्पिटल है और कोई खर्चा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर वहां 15 दिन रह जाये और 14-15 दिन तक घर पर एक्ससाइज करता रहे तो वह अपने जीवन में कभी बीमार नहीं होगा...

एक माननीय सदस्य : मरेगा नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्य ने एक बात कही कि मरेगा नहीं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप तो चतुर्वेदी जी हैं, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने योग पर विश्वास के साथ योग की स्टडी भी की है। मैं इस बात को जानता हूं कि भारतीय योग विद्या जो है वह हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। मैं इस बात को भी जानता हूं कि भारतीय योग और योगी वास्तव में प्रख्यात थे। यदि आप इसमें और बातें जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक किताब रेफर करता हूं...

(व्यवधान)

एक अंग्रेज था, एक इंगलिश मैन था जो कि यहां पर आया था उसने...

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसने हिन्दुस्तान में आकर हिमालय के ऊपर रिसर्च की और उसने एक किताब लिखी "हरमिट ऑफ हिमालया"। उसने इस सम्बन्ध में तपस्या की है। योग की यह किताब हमारी असेम्बली लाईब्रेरी में मौजूद है। आप पढ़िये एक बात और आपको कुण्डली योग के बारे में बताता हूं...

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कलकता हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस थे मि. सर जोन वुडरफ। उन्होंने कुण्डलिनी योग पर एक किताब लिखी है जो हमारे असेम्बली की लाइब्रेरी में है और वह इतनी मोटी किताब है। कुण्डलिनी योग आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधी, हठयोग ये आसन योग है और कुंडलिनी योग है। कुंडलिनी योग पर उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी है। आप असेम्बली की लाइब्रेरी में पढ़िये। वह अंग्रेज था, पहले हाई कोर्ट का जज था फिर चीफ जस्टिस हो गया था। उसने इतनी बढ़िया किताब लिखी है। जो हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं वे हिन्दुस्तानी योग की महानता को भूल गये और बाहर के लोगों ने अध्ययन कर करके ऐसी किताबें लिखी है।

(व्यवधान)

श्री समापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं। माननीय चतुर्वेदी जी ने कहा था कि कोटा में ई. एस. आई. का हॉस्पिटल बनना चाहिये। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा में 100 बैड्स का ई. एस. आई. का हास्पिटल मंजूर हो गया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : दो साल पहले हो गया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह अब मंजूर हुआ है। उसके लिए रुपया खर्च किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री समापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बहस करोगे तो कैंसिल कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आपस में बात न करें।

माननीय मंत्री जी, जारी रखें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, एक मिनट —

श्री समापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

बहुत विस्तार से उत्तर आ गया है।

एक माननीय सदस्य : ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में और बतला दें।

(व्यवधान)

श्री समापति : ऑर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : सभी का जवाब दे दिया है।

श्री घनश्याम तिवाडी : सभापति महोदय, कुण्डलिनी शक्ति के बारे में माननीय मन्त्री महोदय कह रहे थे।

मांग संख्या 26 का पारण

श्री समापति : माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 55,49,82,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 19 अगस्त, 1980 के दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.02 बजे मंगलवार दिनांक 19 अगस्त, 1980 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 519 की सूची

आगार वार निरस्त सेवाओं एवं इन सेवाओं हित स्वीकृत चालक/परिचालकों की सूची

क.सं.	आगार का नाम	स्वीकृत सेवाओं की संख्या	निरस्त सेवाओं की संख्या	निरस्त सेवाओं हित स्वीकृत	
				चालक	परिचालक
1	2	3	4	5	6
1.	अलवर	122	31	42	42
2.	भरतपुर	83	14	19	19
3.	धौलपुर	25	—	—	—
4.	कोटपुतली	58	9	12	12
5.	जयपुर	88	13	17	17
6.	हिन्डौन	41	11	15	15
7.	दुर्गापुरा	71	7	9	9
8.	उपनगरीय	35	8	10	10
9.	सीकर	58	2	—	—
10.	खेतड़ी	35	7	9	9
11.	झुंझुनूं	52	16	21	21
12.	कोटा	57	7	9	9
13.	झालावाड़	62	14	19	19
14.	बून्दी	43	7	9	9
15.	टोंक	47	15	20	20
16.	अजमेर	89	7	9	9
17.	भीलवाड़ा	58	2	—	—
18.	ब्यावर	56	—	—	—
19.	नागौर	54	9	12	12
20.	जोधपुर	66	3	4	4
21.	आबूरोड	45	10	13	13
22.	सिरोही	41	5	7	7
23.	जालौर	35	—	—	—
24.	बाड़मेर	34	5	5	5
25.	फलौदी	31	4	5	5
26.	उदयपुर	57	5	7	7

1	2	3	4	5	6
27.	डूंगरपुर	57	2	—	—
28.	चित्तौड़गढ़	47	2	—	—
29.	बांसवाड़ा	47	12	16	16
30.	बीकानेर	58	13	24	24
31.	गंगानगर	91	8	10	10
32.	हनुमानगढ़	62	12	16	16
33.	सरदारशहर	46	7	9	9
34.	नगर व हा सेवा	85	7	9	9
		1939	278	357	357

निगम के साथ निजी अनुबन्धित वाहनों का विवरण

क्र.सं.	आगार का नाम	वाहन संख्या	मार्ग
1	2	3	4
1.	उप-नगरीय	आर एस एम 6605	जयपुर-केकड़ी
2.	,,	आर एस जी 5271	घाटगेट-तूगा
3.	,,	आर आर जी 2348	घाटगेट-दौसा
4.	,,	आर आर जी 354	घाटगेट-लवाण
5.	,,	आर आर एम 8661	जयपुर-केकड़ी
6.	,,	आर जे एल 7715	जयपुर-चौमू-रींगस
7.	,,	आर आर जी 2355	घाटगेट बस्सी
8.	,,	आर एम जी 2469	चांदपोल-कालाडेरा
9.	,,	आर एस बी 1436	जयपुर-चाकसू
10.	,,	आर जे आई 922	चांदपोल चौमू
11.	,,	आर एस बी 2036	जयपुर चाकसू
12.	,,	आर एस बी 5076	घाटगेट-सिकन्दरा
13.	,,	आर एस बी 5084	घाटगेट-लवाण
14.	,,	आर एस जी 5511	जयपुर-केकड़ी
15.	,,	आर आर जी 3635	चांदपोल-चौमू
16.	,,	आर आर जी 1032	जयपुर केकड़ी
17.	,,	आर एस एम 241	बस्सी-घाटगेट
18.	अलवर	आर जे एन 9507	अलवर-जयपुर
19.	,,	आर एस बी 1478	अलवर-जयपुर
20.	,,	आर एस बी 4488	अलवर-जयपुर-तिजारा
21.	जयपुर	आर एस जी 2821	जयपुर-मण्डावा
22.	,,	आर आर जी 5367	जयपुर-सिकन्दरा
23.	,,	आर आर एम 9051	जयपुर-अजमेर
24.	,,	आर आर जी 8018	जयपुर-अजमेर
25.	,,	आर आर जी 8074	जयपुर अलवर
26.	,,	आर आर जी 5172	जयपुर-बालाजी-सिकन्दरा
27.	,,	आर एस बी 1217	जयपुर-बयाना
28.	,,	आर एम बी 945	जयपुर-महुआ
29.	,,	आर एस बी 2016	जयपुर-नोखा

1	2	3	4
30.	जयपुर	आर एस बी 2153	जयपुर-केकड़ी-डिग्गी
31.	,,	आर एस बी 2205	जयपुर-अलवर
32.	,,	आर एस बी 2106	जयपुर-अलवर
33.	,,	आर आर बी 3875	जयपुर-महुवा
34.	,,	आर एस बी 2991	जयपुर-तूगा
35.	,,	आर एस बी 2421	जयपुर-मकराना
36.	,,	आर आर एम 8651	जयपुर-अलवर
37.	,,	आर एस बी 4437	जयपुर-बनस्थली
38.	,,	आर एस बी 3945	जयपुर-लाडनू
39.	,,	आर आर एम 8586	जयपुर-चौमू
40.	,,	आर आर एम 9215	जयपुर-सिकन्दरा
41.	,,	आर एस बी 2388	जयपुर-नोखा
42.	,,	आर एस बी 2110	जयपुर-अजमेर
43.	,,	आर आर बी 3837	जयपुर केकड़ी
44.	,,	आर एस बी 5082	जयपुर सिकन्दरा
45.	,,	आर एस बी 2396	जयपुर-अलवर
46.	,,	आर एस बी 5078	जयपुर-महुआ
47.	,,	आर एस बी 1374	जयपुर-झुन्झनूं-वाया बिसाऊ
48.	,,	आर जे एस 2647	जयपुर-रामगढ़
49.	,,	आर एस जी 5297	जयपुर-रामगढ़
50.	,,	आर एस जी 2252	जयपुर-कूदन
51.	,,	आर जे ए 8587	जयपुर-झुंझनूं
52.	,,	आर आर एम 9951	जयपुर-कुचामन
53.	,,	आर एस बी 7711	जयपुर-गंगापुर
54.	,,	आर आर एल 6378	जयपुर-केकड़ी
55.	,,	आर आर एम 8972	जयपुर-मालपुरा
56.	,,	आर एस जी 40	जयपुर-केकड़ी
57.	,,	आर आर एम 9927	जयपुर-मालपुरा
58.	,,	आर एस जी 2132	जयपुर-केकड़ी
59.	,,	आर आर एल. 2445	जयपुर-चौमू-कालाडेरा
60.	,,	आर आर एस 6683	जयपुर-चौमू
61.	भरतपुर	आर आर जी 3882	भरतपुर-जयपुर

1	2	3	4
62.	भरतपुर	आर एस डी 551	जयपुर-भरतपुर
63.	,,	आर एस बी 4427	भरतपुर-जयपुर
64.	,,	आर एस बी 7731	भरतपुर-जयपुर
65.	टौंक	आर एस बी 2021	टौंक-अजमेर
66.	,,	आर एस बी 2775	टौंक-जयपुर-केकड़ी
67.	,,	आर एस बी 7620	कोटा-जयपुर-टौंक
68.	,,	आर जे बी 1668	कोटा-जयपुर-टौंक
69.	,,	आर एस बी 3156	टौंक-जयपुर-कोटा
70.	,,	आर एस बी 4311	टौंक-जयपुर-कोटा
71.	सीकर	आर एस बी 1956	जयपुर-सीकर-लाडनूं
72.	,,	आर एस बी 3768	सीकर-जयपुर-चूरू
73.	,,	आर जे बी 3123	सीकर-जयपुर-लाडनूं
74.	,,	आर एस बी 4751	सीकर-जयपुर-चूरू
75.	द्रुतगामी	आर एस बी 1251	जयपुर-पिलानी
76.	,,	आर एस बी 2512	जयपुर-उदयपुर
77.	,,	आर एस बी 4151	जयपुर-जोधपुर
78.	,,	आर एस बी 5129	जयपुर-बीकानेर
79.	,,	आर एस बी 5255	जयपुर-बीकानेर
80.	,,	आर एस बी 5195	जयपुर-उदयपुर
81.	,,	आर एस बी 7446	जयपुर-करौली
82.	,,	आर एस बी 2973	जयपुर-बीकानेर
83.	,,	आर एस बी 3103	जयपुर-बीकानेर
84.	बीकानेर	आर एस बी 1436	बीकानेर-जयपुर
85.	,,	आर एस बी 1596	बीकानेर-जयपुर
86.	,,	आर एस बी 1585	बीकानेर-जयपुर
87.	,,	आर आर के 9011	बीकानेर-गंगानगर-पदमपुर
88.	,,	आर एस बी 6341	बीकानेर-जैसलमेर
89.	,,	आर एस बी 5107	बीकानेर-चूरू
90.	,,	आर एस बी 7817	रायसिंहनगर-बीकानेर
91.	जोधपुर	आर आर जी 6821	जोधपुर-जयपुर
92.	,,	आर एस बी 4418	जोधपुर-जयपुर
93.	,,	आर एस बी 1437	जोधपुर-जयपुर
94.	बांसवाड़ा	आर जे एफ 9767	बांसवाडा-जयपुर

1	2	3	4
95.	बांसवाड़ा	आर एस बी 2667	बांसवाड़ा-जयपुर
96.	,,	आर जे बी 2091	बांसवाड़ा-उदयपुर
97.	हिण्डौन	आर एस बी 1464	हिन्डौन-महावीरजी
98.	खेतड़ी	आर एस बी 236	कोपर खेतड़ी-जयपुर
99.	,,	आर एस बी 2755	कोपर खेतड़ी-जयपुर
100.	,,	आर एस बी 4479	खेतड़ी-जयपुर
101.	,,	आर एस बी 6087	खेतड़ी-जयपुर
102.	कोटपूतली	आर आर जी 9842	कोटपूतली-बहरोड़-जयपुर
103.	,,	आर एस बी 2997	जयपुर-कोटपूतली-बहरोड़
104.	,,	आर आर एम 9167	जयपुर-बहरोड़-कोटपूतली
105.	गंगानगर	आर आर के 8177	अनूपगढ़-गंगानगर-सूरतगढ़
106.	,,	आर आर के 6828	रायसिंहनगर-गंगानगर-अनूपगढ़-पदमपुर
107.	अजमेर	आर एस जेड 4278	अजमेर-जयपुर-सांभर
108.	,,	आर एस बी 1455	जयपुर-अजमेर
109.	,,	आर एस जेड 3267	जयपुर-अजमेर
110.	,,	आर एस बी 1244	अजमेर-कोटा
111.	,,	आर एस जेड 4755	जयपुर-अजमेर
112.	,,	आर एस जेड 5165	अजमेर-महावीरजी
113.	चित्तौड़गढ़	आर एस बी 2658	चित्तौड़गढ़-अजमेर
114.	,,	आर एस बी 5093	जयपुर-चित्तौड़गढ़
115.	बून्दी	आर जे जी 2439	बून्दी-कोटा-उदयपुर
116.	ब्यावर	आर एस जेड 4695	ब्यावर-बीकानेर
117.	,,	आर एस जेड 171	बीकानेर-ब्यावर
118.	,,	आर एस जेड 2191	ब्यावर-नसीराबाद
119.	झालावाड़	आर एस बी 5484	जयपुर-इकलेरा
120.	,,	आर एस बी 7927	जयपुर-इकलेरा
121.	कोटा	आर एस बी 5493	कोटा-जयपुर

Page No. 197

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

श्री गंगानगर शहर के लिये आवंटित सीमेन्ट

523. श्री राधेश्याम (श्रीगंगानगर) : क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्रीगंगानगर शहर के लिए गत 6 माहों में सार्वजनिक वितरण के लिए कितना सीमेन्ट का आवंटन हुआ एवं आवंटन के विरुद्ध कितना सीमेन्ट वास्तव में प्राप्त किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में जहां श्री गंगानगर शहर को 5000 मैट्रिक टन सीमेन्ट का कोटा आवंटित होता था, वहां अब 2000 मैट्रिक टन से भी कम होता है जिससे जनता की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती ?

(3) यदि हां, तो सरकार श्री गंगानगर शहर की जनता की सीमेन्ट की मांग की पूर्ति के लिए क्या सीमेन्ट कोटे के आवंटन को बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना और कब ?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर शहर के लिए गत 6 माह में 4100 मै. टन सीमेन्ट का सार्वजनिक वितरण हेतु आवंटन किया गया था। उपरोक्त आवंटित पूरी मात्रा उठाली गई है।

(2) जी हां। पूर्व में अधिक सीमेन्ट प्राप्त होने के कारण 5000 मै. टन श्री गंगानगर जिले को दिया गया था, परन्तु अब भारत सरकार से कम आवंटन प्राप्त होने के कारण 2000 मै. टन सीमेन्ट का आवंटन दिया गया है।

(3) केन्द्र सरकार से अधिक मात्रा में आवंटन प्राप्त होने पर ही श्रीगंगानगर जिले के सीमेन्ट के कोटे में वृद्धि करना सम्भव है।

ग्राम गढ़ी सवाई राम (अलवर) में आतिशबाजी कांड में दिवंगत व दुर्घटनाग्रस्त बच्चों के परिवारों को राहत

529. श्री समर्थलाल (राजगढ़) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 19 अप्रेल, 1980 को ग्राम गढ़ी सवाईराम तहसील राजगढ़ (अलवर) में आतिशबाजी काण्ड में लगभग 10 बालकों की मृत्यु हो गई थी, लगभग 40 बालक घायल हो गये थे तथा शेष बालक अपाहिज हो गये ?

(2) क्या मृतकों व जख्मी बालकों के परिवारजनों को सरकार की ओर से किसी प्रकार की मदद दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस दुर्घटना में 10 बालकों की मृत्यु हुई एवं 23 बालक घायल हुए। इसके अलावा ना कोई घायल हुआ और ना ही अपाहिज हुआ।

(मुख्य मंत्री)

(2) 10 मृतकों के परिवारजनों को 1000/- रुपया प्रति मृतक के हिसाब से 10000/- व 23 घायलों को 250/- प्रति घायल के हिसाब से 5750/- रुपये जो आर्थिक सहायता मुख्य मन्त्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष से दी गई।

कोटा जिला की शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को चेतक कापियों का वितरण

530. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में प्राइमरी, मिडल, सैकन्डरी व हायर सैकण्डरी विद्यालयों की संख्या एवं विद्यार्थियों की संख्या क्या है ?

(2) सरकार ने कक्षावार कापियों के वितरण की संख्या क्या तय कर रखी है ?

(3) कोटा जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र संस्था एवं छात्रा संस्थाओं ने कितनी चेतक कापियों की मांग की थी एवं कितनी भिजवाई गयी ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में 979 प्राथमिक, 249 उच्च प्राथमिक, 84 माध्यमिक एवम् 21 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें कक्षा-वार छात्र संख्या निम्न प्रकार है:—

कक्षा	कुल छात्र संख्या
(1) पूर्व प्राथमिक	14306
(2) कक्षा–1	48487
(3) कक्षा–2	37464
(4) कक्षा–3	26508
(5) कक्षा–4	23160
(6) कक्षा–5	16837
(7) कक्षा–6	16115
(8) कक्षा–7	11291
(9) कक्षा–8	10103
(10) कक्षा–9	9578
(11) कक्षा–10	7006
(12) कक्षा 11	4170

(2) राज्य सरकार द्वारा, कागज की उपलब्धि व राज्य में समान वितरण को दृष्टिगत रखते हुए कापियों के वितरण संख्या हेतु निम्नलिखित मापदण्ड अपनाये गये हैं —

क्र. सं.	कक्षा		कापियों की किस्म तथा सं. 64 पृष्ठ	96 पृष्ठ	192 पृष्ठ	योग
1.	कक्षा 3 से 5	प्रति छात्र	2	—	—	2
2.	कक्षा 6	प्रति छात्र	5	--	—	5
3.	कक्षा 7 व 8	प्रति छात्र	3	3	—	6
4.	कक्षा 9 व 10	प्रति छात्र	3	5	—	8
5.	कक्षा 11	प्रति छात्र	–	--	8	8

(3) जिला शिक्षा अधिकारी कोटा द्वारा कापियों की मांग का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि मण्डल कार्यालय ने निदेशक प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा से प्राप्त सभी जिलों की कक्षावार छात्र संख्या के हिसाब से कापियां उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया है। तद्नुसार कोटा जिले की आवश्यकता तथा उपलब्धि निम्न प्रकार है:—

मापदण्ड अनुसार अपेक्षित कापियों की संख्या 64 पेज	96 पेज	192 पेज	उपलब्ध कराई गई कापियों की संख्या 64 पेज	96 पेज	192 पेज
327519	147102	33360	326777	166860	33385

झालावाड़ व झालरापाटन में जल प्रदाय की समुचित व्यवस्था

531. श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन के झालावाड़ नगर में जल प्रदाय काली सिंध नदी से होता है ?

(2) क्या यह सही है कि झालरापाटन की जनता को गर्मी में केवल आधा घण्टे से कम समय के लिए जल प्रदाय किया गया जब कि झालावाड़ में सरकारी बंगलों पर 24 घण्टे पानी दिया जाता रहा है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(3) जिलाधीश के सामने साम्यवादी पार्टी द्वारा पानी के लिये प्रदर्शन करने पर अधिशासी अभियन्ता, जल प्रदाय विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि जनता के कई प्रतिनिधि समय-समय पर अधिशासी अभियन्ता को पानी के बारे में शिकायतें करते रहे हैं ? यदि हां, तो उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

(5) क्या जनता की मांग पर दोनों शहर झालारापाटन व झालावाड़ के लिए सीमेन्ट के अलग-अलग टैंक बना कर जल प्रदाय करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो दोनों जगह टैंक कब बना दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) नगर में पेयजल वितरण का स्रोत काली सिन्ध नदी के अतिरिक्त मुडलिया खेड़ी तालाब तथा काका जी का कुआ भी है।

(2) जी नहीं। सामान्यतया सप्लाई 3 घण्टे की जाती है परन्तु गर्मी के मौसम में लगभग 7.5 लाख गैलन के स्थान पर 5 लाख गैलन प्रतिदिन उत्पादन होने के कारण सप्लाई कुछ कम समय के लिए की जा सकी। सप्लाई सरकारी बंगलों व अन्य स्थानों पर समान रूप से की गयी।

(2) प्रदर्शन से पूर्व ही दो अतिरिक्त कुओं से दैनिक वितरण की मात्रा बढ़ाने हेतु कार्य हाथ में लिया गया था। जिससे 30 हजार गैलन प्रतिदिन अधिक सप्लाई की गई।

(4) गर्मी की ऋतु में पेय जल की मात्रा में कुछ कमी हो जाने के कारण जनता द्वारा अधिशासी अभियन्ता को शिकायत की गई परन्तु स्रोतों में जल की कमी के कारण लगभग 5.5 लाख गैलन से अधिक सप्लाई नहीं हो सकी।

(5) दोनों नगरों में टंकी बनाने व अन्य सुधार करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

जिला बाड़मेर में सीलिंग कानून के अन्तर्गत अवाप्त भूमि का मुआवजा

532. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या जिला बाड़मेर में सीलिंग कानून के तहत श्री बलवंत सिंह व अमर कंवर वगैरह की भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहण कर काश्तकारों को आवंटित की जा

(श्री भगवान दास शास्त्री)
चुकी है व काश्तकारों से कीमत भी वसूल की जा चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि सीलिंग कानून के तहत ली गई उक्त जमीन का मुआवजा पांच वर्ष बीतने पर भी अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

काश्तकारों से उक्त भूमि का प्रिमियम नियमानुसार किश्तों में हर वर्ष वसूल किया जा रहा है।

(2) पुराने सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहित भूमि का मुआवजे का चुकारा जागीरदारों को किया जा चुका है। नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत मुआवजे का मामला विचाराधीन है, जिस पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जावेगा।

जयपुर में राम प्रकाश सिनेमा के पीछे के क्षेत्र में नियमित सफाई की व्यवस्था

533. श्री गिरिराम गोटेवाला (किशनपोल): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि राम प्रकाश सिनेमा के पीछे काफी गंदगी रहती है ? यदि हां, तो सरकार भविष्य में सफाई नित्य हो, इसके लिये, क्या कोई समुचित कदम उठायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि यहां जो नालियां बनी हुई हैं उनकी नित्य सफाई नहीं होती ? यदि हां, तो उन्हें पूर्णरूपेण स्वच्छ न रखने के लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) सफाई की समुचित व्यवस्था कर दी गई है।

(2) जी नहीं।

टौंक डिवीजन के विद्युत मण्डल के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही

534. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या विद्युत मण्डल, टौंक डिवीजन के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद दुरुपयोग एवं अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायतों की जांच विद्युत मण्डल एवं सरकार द्वारा की गई है ?

(2) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ? कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, श्री एस.एल. राय, अधिशासी अभियन्ता जब टौंक डिवीजन में पदस्थापित थे उस समय उनके विरुद्ध क्रय केसेज मे अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायतों की प्राथमिक जांच विद्युत मण्डल द्वारा की गई।

(2) श्री एस. एल. राय के विरुद्ध आरोप प्रथम दृष्टया पाये गये। अतः उनके विरुद्ध मेजर पेनेल्टी की अनुशासनात्मक

Page No. 201

(201)

(विधि मन्त्री)

कार्यवाही प्रारम्भ की गई। श्री राय द्वारा आरोप पत्र के सन्दर्भ प्रेषित उत्तर के पश्चात् प्रकरण विभागीय जांच अधिकारी को सौंपा गया है। अन्तिम जांच प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।

निलम्बित तहसीलदारों के मामलों में शीघ्र कार्यवाही करना

535. **श्री देवेन्द्रसिंह** (बनेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(i) राजस्थान में इस समय कितने तहसीलदार कितने समय से निलम्बित हैं? राजस्व मण्डल द्वारा उन्हें कितनी वार सुनवाई का अवसर दिया गया? इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

(2) निलम्बन के उक्त मामलों में राजस्व मंडल द्वारा सुनवाई करने में क्या काफी विलम्ब हो गया है? इनका निर्णय शीघ्र हो सके इस हेतु सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) वर्तमान में 16 तहसीलदार निलम्बित हैं। सूची संलग्न है। यह आवश्यक नहीं कि निलम्बन का प्रत्येक मामला व्यक्तिगत सुनवाई से सम्बन्धित हो। जिन मामलों में विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित हो जाते हैं, तथा गम्भीर शक्तियां देना प्रस्तावित हो व संविधान की धारा 311 (2) के तहत कारण बताओ नोटिस दिया जाना आवश्यक हो और अधिकारी स्वयं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर मांगे, तभी सुनवाई का अवसर देना आवश्यक होता है। इसलिए कोई विलम्ब नहीं होता।

(2) राजस्व मन्त्री द्वारा निलम्बन के मामलों की सुनवाई का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिये विलम्ब का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

निलम्बित तहसीलदारों की सूची

क्र सं.	नाम तहसीलदार	निलम्बन की तिथि
1.	श्री रणजीमल मुरड़िया	19-7-77
2.	श्री कृष्ण दत्त त्रिपाठी	7-10-78
3.	श्री प्रेमप्रकाश गुप्ता	26-4-79
4.	श्री नरेन्द्रदेव शुक्ल	30-7-79
5.	श्री हरीराम पुरोहित	11-12-79
6.	श्री प्रकाशचन्द	29-1-80
7.	श्री नरपतकरण	11-2-80
8.	श्री वेदपाल कृष्ण धीर	21-2-80
9.	श्री दामोदरलाल सोलंकी	11-3-80
10.	श्री गोरी शंकर मिश्र	10-4-80
11.	श्री राधामोहन भटनागर	10-4-80
12.	श्री धर्मपालसिंह	10-4-80
13.	श्री विशनलाल सुनारियां	22-4-80
14.	श्री भगवतीप्रसाद सक्सेना	25-6-80
15.	श्री बद्रीनारायण शर्मा	1-8-80
16.	श्री [illegible]लाल	17-5-80

भारत ओवरसीज लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मुकदमें

536. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) गत तीन वर्षों में भारत ओवर-सीज प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध किस--किस थाने में कितने मुकद्दमे किस किस धारा में पंजीवद्ध हुये हैं ? कृपया प्रत्येक मुकद्दमें की प्रथम सूचना रपट सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) इन प्रत्येक मामलों में अनुसंधान में क्या प्रगति हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने अब अनुसंधान कार्य बंद कर दिया है ?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन सभी अभियोगों में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा अन्वेषण जारी है। आवश्यक रिकार्ड उपलब्ध किया जा रहा है एवं कुछ मुद्दों पर जयपुर उद्योग लिमिटेड से रिकार्ड के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(3) जी नहीं।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सूरसागर विधान सभा क्षेत्र का विकास

528. **श्री नरपतराम बरवड़** (सूर-सागर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) नगर विकास न्यास, जोधपुर में वर्ष 1977-78 व 78-79 में विभिन्न बस्तियां तथा योजनाओं के लिए कुल कितना बजट रखा गया था तथा उसमें से किस-किस बस्ती व योजना में कितना कितना खर्चा हुआ और कितनी राशि शेष रही ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें तथा यह भी बतायें कि किस अधिकारी की लापरवाही से विकास कार्य में बाधा पड़ी ?

(2) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास जोधपुर में सूरसागर विधान सभा क्षेत्र का 95 प्रतिशत हिस्सा विकास करने योग्य है और नगर विकास न्यास के क्षेत्राधिकार में है जिसे भूतपूर्व सरकार ने जान बूझकर अढाई वर्षों में विकसित करने में अकर्मण्यता बरती ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा वर्ष 1977-78 व 1978-79 में विभिन्न बस्तियों तथा योजनाओं के लिए कुल बजट और उसमें से जिन जिन बस्तियों व योजनाओं पर खर्चा हुआ और जो राशि शेष रही उसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। विकास कार्य समय से पूरा नहीं होने के कारण परिशिष्ट चार में अंकित किये गये हैं। इन कारणों के आधार पर किसी अधिकारी का लापरवाही बिना जांच निश्चित करना सम्भव नहीं है।

(2) सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में नगर विकास न्यास जोधपुर के क्षेत्राधिकार में सूची 5 में निर्दिष्ट योजनायें हाथ में ली

(नगर आयोजना मन्त्री)

है। राज्य सरकार इन सभी कार्यों का मूल्यांकन करने का विचार रखती है जिससे विकास कार्यों में अकर्मण्यता आदि के बारे में निश्चित रूप में जिम्मेदारी नियत की जा सके।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पुलिस थाना बांदीकुई में दर्ज हत्या का प्रकरण

539. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सत्य है कि पुलिस थाना बांदीकुई में दिनांक 8 मई, 1980 को श्रीमती ग्यारसी, कोली जाति की महिला की हत्या का मामला पंजीकृत हुआ था तथा इसमें किसी अभियुक्त का नाम भी अंकित किया गया था ?

(2) क्या इस मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिये पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या अभियुक्त को फरार घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? और यदि नहीं, तो पुलिस अब आगे क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। अभियुक्त को गिरफ्तार करने हेतु वारंट गिरफ्तारी प्राप्त किये जा चुके हैं। उसे गिरफ्तार करने के सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तारी के प्रयास असफल होने पर अभियुक्त को फरार घोषित कराने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

टौंक में बनास नदी पर निर्मित पुल

540. श्री रामकंवार बैरवा (फागी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टौंक में बनास नदी की पुलिया की मियाद कितने वर्षों की थी ? क्या यह सही है कि कुछ समय पहले भारी वाहनों को पुलिया पर से आने जाने पर रोक लगा दी गई थी ? यदि हां, तो क्यों और किस कारण से ?

(2) बनास नदी पर नया पुल बनाने पर कितना खर्च आयेगा और कब तक सरकार नया पुल बनाने की योजना को अंतिम रूप दे सकेगी ?

उत्तर

(1) लगभग 44 वर्ष पहले बने इस पुल की क्या मियाद निश्चित की गई थी यह सूचना उपलब्ध नहीं है। जी नहीं, पिछले करीब सात साल से ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है।

(2) वर्तमान में नये पुल की लागत करीब एक करोड़ रुपये होगी किन्तु अभी नये पुल बनाने की तत्काल में कोई योजना नहीं है।

नीम-का-थाना राजकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षायें खोलना

541. श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का-थाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गत सरकार द्वारा नीम-का-थाना राजकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ करने की स्वीकृति या आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो आज तक वहां स्नातकोत्तर कक्षायें खोलने में क्या कठिनाई है ?

(2) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में छात्रों की संख्या को देखते हुए इस वर्ष स्नातकोत्तर कक्षायें खोलेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय स्वीकृति के अभाव में यह सम्भव नहीं हुआ।

(2) इस वर्ष किसी महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव नहीं है।

बाबा गांव क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सुमेरपुर

542. श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सुमेरपुर क्षेत्र की बाबा गांव क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना अब तक पूरी हो जानी चाहिये थी ?

(2) यदि हां, तो किन कारणों से पूरी नहीं हो सकी व सरकार इसे कब तक पूरा करने का विचार रखती है ? द्वितीय चरण में कौन कौन से गांवों को पानी दिया जाना है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या उक्त जल प्रदाय योजना समय पर पूरी नहीं होने के कारण लाखों रुपयों का व्यय कर गांवों में टंकियों से पानी पहुंचाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। योजना वर्ष 1976 से पहले ही पूर्ण हो चुकी है।

(2) द्वितीय चरण के प्रथम भाग में गांव पेनावा हेतु विस्तार योजना प्रगति में है। द्वितीय चरण के दूसरे भाग में चार ग्राम प्रस्तावित है जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

बाबा गांव क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना प्रस्तावित द्वितीय चरण

क्रमांक	गांवों का नाम
(1)	सकादड़ा
(2)	सुदेलाव
(3)	साली
(4)	भावनगर

परिशिष्ट—3

(तारांकित प्रश्न संख्या 515 की सूची)

मैसर्स डेरोलिया ब्रादर्स श्री महावीर जी (राजस्थान) वर्ष 1980 के दौरान मेला अवधि में पथ पर चालित नियमित बसों को दिये गये डीजल तेल का विवरण।

क्र.सं.	वाहन नं.	दी गई मात्रा	दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	—	—	21-3-80	
2.	आर जे आर 3109	80 लीटर	22-3-80	
	आर एस आर-1884	80 ,,	,,	
	आर आर एल 8476	80 ,,	,,	
	आर जे आर 5115	80 ,,	,,	
	आर जे आर 5461	40 ,,	,,	
	आर जे डी 2707	80 ,,	,,	
	आर जे यू 986	80 ,,	,,	
	आर एस एल 5586	80 ,,	,,	
	आर जे डी 4319	80 ,,	,,	
	आर जे वी 1309	80 ,,	,,	
	आर जे वी 1143	80 ,,	,,	
	आर जे वी 2181	40 ,,	,,	
	आर जे वी 1185	80 ,,	,,	
	आर जे वी 1752	80 ,,	,,	
		1040 लीटर		
3.	आर एस एल 4359	40 ,,	23-3-80	
	आर जे आर 4461	40 ,,	,,	
	आर जे वी 2181	40 ,,	,,	
		120 लीटर		

1	2	3	4	5
4.	आर जे आर 3109	40 लीटर	24-3-80	
	आर जे यू 1884	40 ,,	,,	
	आर एस एल 5586	40 ,,	,,	
	आर एस एल 4359	40 ,,	,,	
	आर जे यू 986	40 ,,	,,	
	आर जे बी 4319	40 ,,	,,	
	आर जे यू 1114	40 ,,	,,	
		280 लीटर		
5.	आर जे डी 2707	40 लीटर	25-3-80	
	आर जे बी 1752	40 ,,	,,	
	आर एस एल 5586	40 ,,	,,	
	आर जे आर 4461	40 ,,	,,	
	आर जे आर 5115	40 ,,	,,	
	आर एस एल 4359	40 ,,	,,	
	आर जे डी 4319	40 ,,	,,	
	आर जे यू 986	40 ,,	,,	
		320 लीटर		
6.	आर एस एल 5586	40 लीटर	27-3-80	रूट बसों का
	आर एस एल 4359	40 ,,	,,	,,
	आर जे यू 1752	40 ,,	,,	,,
	आर जे यू 1114	40 ,,	,,	,,
	आर जे डी 4319	40 ,,	,,	,,
	आर जे यू 986	40 ,,	,,	,,
	आर जे आर 5115	40 ,,	,,	,,
	आर जे डी 2707	40 ,,	,,	,,
	आर जे यू 1185	40 ,,	,,	,,
	आर जे आर 3109	40 ,,	,,	,,
	आर जे यू 1884	40 ,,	,,	,,
		440 लीटर		

1	2	2	4	5
7.	आर जे आर 3109	40 लीटर	28-3-80	
	आर जे वी 1752	40 ,,	,,	
	आर जे आर 5115	40 ,,	,,	
	आर जे यू 2181	40 ,,	,,	
	आर जे आर 4461	40 ,,	,,	
	आर जे यू 1884	40 ,,	,,	
	आर जे यू 986	40 ,,	,,	
	आर जे डी 4319	40 ,,	,,	
	आर एस एल 5586	40 ,,	,,	
	आर एस एल 4359	40 ,,	,,	
		400 लीटर		
8.	आर एस एल 5586	40 लीटर	29-3-80	
	आर जे डी 4319	40 ,,	,,	
	आर जे यू 986	40 ,,	,,	
	आर जे यू 1114	40 ,,	,,	
	आर जे वी 1752	40 ,,	,,	
	आर जे यू 2181	40 ,,	,,	
	आर जे आर 4461	40 ,,	,,	
	आर एस एल 7976	40 ,,	,,	
	आर जे यू 1309	40 ,,	,,	
		360 लीटर		
9.	आर एस एल 5586	40 लीटर	30-3-80	
	आर जे यू 1114	40 ,,	,,	
	आर जे यू 1752	40 ,,	,,	
		120 लीटर		
10.	आर एस एल 5586	40 लीटर	31-3-80	
	आर जे यू 1114	40 ,,	,,	
		80 लीटर		

1	2	3	4	5
11.	आर एस एल 5586	40 लीटर	1-4-80	
	आर एस एल 4359	40 ,,	,,	
	आर एस के 5439	40 ,,	,,	
	आर जे डी 4319	40 ,,	,,	
		160 लीटर		
12.	आर जे यू 1114	40 लीटर	2-4-80	
	आर एस एल 4359	40 ,,	,,	
	आर एस एल 5586	40 ,,	,,	
	आर जे वी 1752	40 ,,	,,	
	आर एन बी 3500	40 ,,	,,	
	आर एस एल 4359	40 ,,	,,	
		240 लीटर		
	कुल योग:—	3560 लीटर		

मैसर्स डेरालिया आदर्श श्री महावीर जी वर्ष, 1980 में आयोजित श्री महावीरजी मेले पर नियमित बसों के अतिरिक्त आई गई यात्री बसों को अतिरिक्त डीजल का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	दिनांक	वाहन नं.	दी गई मात्रा लीटरों में	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	21-3-80	—	—	—
2.	22-3-80	एच आर जी 5625	20 लीटर	यात्री मेटाडोर गाड़ी
3.	23-3-80	एच वाई आर 1124	20 ,,	,,
	,,	एच आर एस 5625	15 ,,	,,
	,,	यू टी एम 1756	18 ,,	यात्री जोंगा
	,,	आर जे 0 36	20 ,,	,,
	,,	डी ई पी 5632	40 ,,	यात्री बस
	,,	आर जे एक्स 8415	40 ,,	,,
			153	

1	2	3	4	5
4.	24-3-80	आर एस बी 3500	40 लीटर	यात्री बस
	"	आर आर जेड 8581	20 "	यात्री जोंगा
	"	एम वाई एक्स 9426	30 "	यात्री मेटाडोर
	"	डी एल पी 5612	20 "	यात्री जोंगा
			110 लीटर	
5.	25-3-80	आर एस बी 3500	20 लीटर	यात्री मेटाडोर
	"	आर आर एल 7855	40 "	यात्री बस
			60 लीटर	
6.	26-3-80	—		—
7.	27-3-80	एम जे जे 1553	30 लीटर	यात्री मेटाडोर
8.	28-3-80	दि. जैन मंदिर श्री महावीर जी	2500 लीटर	द्वारा डी. आर्डर एस. डी. एम. साहिब
	"	आर एस जी 4285	20 "	यात्री मेटाडोर
	"	डी एल के 9695	30 "	यात्री बस
			2550 लीटर	
9.	29-3-80	आर जे यू 2035	40 लीटर	यात्री [illegible]
	"	आर जे एच 872	40 लीटर	यात्री बस
	"	यू पी वी 1052	40 "	"
	"	एच आर एस 5625	40 "	"
			160 लीटर	
10.	30-3-80	सी पी जी 3555	20 लीटर	यात्री जीप
	"	यू पी बी 3264	40 "	यात्री बस
	"	आर जे एल 5040	20 "	यात्री जीप
	"	डब्लू जी एफ 2262	30 "	यात्री कार
	"	आर जे क्यू 9990	30 "	यात्री बस
			140 लीटर	

1	2	3	4	5
11.	31-3-80	आर जे ए 2668	40 लीटर	यात्री बस
	,,	सी आर जे 1151	40 ,,	,, ,,
	,,	सी आर जे 5251	40 ,,	,, ,,
	,,	एच आर एस 5625	30 ,,	,, मेटाडोर
	,,	एन एल के 7516	30 ,,	,, बस
	,,	सी आर जे 7225	20 ,,	,, मेटाडोर
	,,	यू एस टी 5981	40 ,,	,, बस
	,,	यू एस टी 5981	20 ,,	हो. आर्डर एस.डी.एम साहिब
	,,	एम पी आई 2291	20 ,,	यात्री बस
	,,	एच बाई आर 649	35 ,,	,,
			505 लीटर	
12.	1-4-80	यू टी आर 5249	40 लीटर	यात्री बस
	,,	आर आर एल 3239	32 ,,	मेटाडोर
	,,	सी आर एस 5467	200 ,,	हो. आर्डर एस.डी.एम. साहिब
	,,	सी आर एस 5467	40 ,,	,,
	,,	आर जे ए 2667	40 ,,	,,
	,,	एच वाई आर 670	20 ,,	मेटाडोर
	,,	एच वाई आर 5625	20 ,,	,,
	,,	यू टी जी 225	40 ,,	यात्री बस
	,,	यू एस वी 9925	40 ,,	,,
	,,	यू पी एस 1815	40 ,,	,,
	,,	यू टी जी 4144	40 ,,	,,
	,,	सी आर जी 1125	20 ,,	जीप
	,,	सी पी जी 1181	200 ,,	हो. आर्डर एस.डी.एम. साहिब
	,,	सी आर एस 5667	40 ,,	यात्री बस
	,,	यू टी एक्स 2665	40 ,,	यात्री बस
	,,	यू एस आर 9981	40 ,,	,,
	,,	डी ई ए 1087	20 ,,	,, जीप
	,,	यू एस जी 8540	20 ,,	मेटाडोर
	,,	यू टी जी 9217	100 ,,	हो. आर्डर एस.डी.एम. साहिब
	,,	सी आर जी 9221	40 ,,	यात्री बस
	,,	एम एल के 4219	20 ,,	,,
			1092 लीटर	

211

1	2	3	4	5
13.	2-4-80	एच वाई आर 649	20 लीटर	यात्री मेटाडोर
	"	एच वाई आर 670	20 "	"
	"	आर एस के 5439	200 "	स्टे. आफिसर एस.डी.एम. साहिब
	"	डी ई पी 4289	40 "	यात्री बस
	"	आर जे बी 2057	20 "	"
			300 लीटर	
		कुल योग:—	5120 लीटर	

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न सं. 520 की सूची

मन्दिरों की भूमि की तहसीलवार सूची

तहसील सोजत जिला पाली

1.	मन्दिर के खातेदारी में दर्ज संख्या	391
2.	मन्दिर की भूमि जो पुजारी अथवा अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज हो गई है।	321
3.	कुल संख्या जिनमें रेफरेन्स हेतु भू-प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर को मामले भेजे हैं	2
4.	कुल संख्या जिन में कार्यवाही की जा रही है	321

तहसील बाली जिला पाली

1.	मन्दिर के खातेदारी में दर्ज संख्या	260
2.	मन्दिर की भूमि जो पुजारी अथवा अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज हो गई है	253
3.	कुल संख्या जिनमें रेफरेन्स हेतु भू-प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर ने मामले भेजे हैं	0 (शून्य)
4.	कुल संख्या जिनमें कार्यवाही की जा रही है।	253
	तहसील सोजत के कुल खाते	712
	तहसील बाली के कुल खाते	513
	कुल जिनमें कार्यवाही होनी है	321 + 253=574

बेचान मामलों की तहसीलवार सूची

	नाम तहसील	संख्या
1.	खारची	75
2.	देसूरी	18
3.	सोजत	15
4.	रायपुर	65
5.	जैतारण	59
6.	पाली	38
	योग:	270

(213)

परिशिष्ट-5

तारांकित प्रश्न सं. 522 की सूची

(ग)

क्र. सं.	ग्राम का नाम	थाना	नकबजनी करने वाले घरों में प्रवेश कर सामान चुराने वाले एवं मवेशी चुराने वालों के नाम	लूटपाट करने वालों का नाम	कार्यवाही नतीजा तफतीश
1.	मौजा टिकरिया	प्रागपुरा	कैलाश पुत्र सुल्तान मीना नि. खेलना	--	अपराधी कैलाश पुत्र सुल्तान मीना निवासी खेलना का चालान दिनांक 5-6-80 को किया गया।
2.	प्रागपुरा	प्रागपुरा	कु. रेशमा पुत्री सुरजा मीना	--	कु. रेशमा पुत्री सुरजा का चालान 14-6-80 को किया गया।
3.	ग्राम टोरड़ा	प्रागपुरा	ओंकार, दशरथा, रामली, मकोरी, दड़कली निवासी टोरड़ा।	--	जेर तफतीश पुलिस।
4.	कोटपूतली	कोटपूतली	—	श्री घनश्यामदास पुत्र वन्शीधर पंजाबी श्री गिरधारी पुत्र भंवरिया गुजर नि. खेरड़ी	अपराधियान का चालान दिनांक 22-5-80 को किया गया।

214

परिशिष्ट-8

तारांकित प्रश्न सं 326
की सूची (क)

तहसील सोजत में कोयले पर आधारित इकाइयों की सूची

1. मैसर्स सोजत लाइम इण्डस्ट्रीज, सोजत रोड़
2. ,, स्वास्तिक कैमिकल्स लाइम इण्ड. सोजत रोड़
3. ,, नेशनल लाइम इण्डस्ट्रीज, सोजत रोड़
4. ,, पोकरण भंवर लाल सांखला भटपडा सोजत रोड़
5. ,, हिन्दुस्तान लाइम प्रोडक्ट्स सोजत रोड़
6. ,, प्रिति केमिकल प्रा. लि. धानवरी सोजत रोड़
7. ,, अजय कैमिकल्स लाइम इण्डस्ट्रीज सोजत रोड़
8. ,, गहलोत लाइम इण्ड. सोजत रोड़
9. ,, प्रकाश लाइम कम्पनी, सोजत रोड़

सूची (ख)

सोजत जिला पाली की इकाइयों को वर्ष 1976-77, 1977-78 एवं 1978-79 में दिये गये कोल/कोक का विवरण पत्र।

क्र. सं.	इकाई का नाम	1976-77 (मै. टनों में)	1977-78 (मै. टनों में)	1978-79 (मै. टनों में)
1.	मैसर्स सोजत लाइम कम्पनी, सोजत रोड़ पाली	11,035-100	9,380,435	5,812,740
2.	मैसर्स स्वास्तिक कैमिकल लाइम इण्ड. सोजत रोड़ (पाली)	6,792-800	5,119,500	3,412,740
3.	मैसर्स नेशनल लाइम इण्ड. सोजत रोड़, पाली	4,311,200	3,129,300	2,215,300
4.	मैसर्स हिन्दुस्तान लाइम प्रोडक्ट्स सोजत रोड़ (पाली)	1,611,100	1,426,300	1,178,750
5.	मैसर्स पोकरण भंवरलाल सांखला सोजत सिटी (पाली)	2,006,300	2,190,000	1,204,300
6.	मैसर्स अजय केमीकल्स एण्ड लाइम इण्ड. सोजत सिटी (पाली)	1,175,000	916,700	830,200
7.	मैसर्स गहलोत लाइम प्रोडक्ट्स, सोजत रोड़ सिटी (पाली)	—	—	224,000
8.	मैसर्स प्रिति कैमिकल प्रा. लि. धानेरी सोजत सिटी, (पाली)	1,122,200	875,600	760,800

परिशिष्ट – 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 405 की सूचना

परिशिष्ट "अ"

30 जून, 1980 को चालू पंजिका पर उपलब्ध जिलेवार शिक्षित आशार्थियों की सूची –

क्र. सं.	जिले का नाम	सैकेण्डरी	हा. सैकण्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर
1.	अजमेर	3294	4344	3307	—
2.	अलवर	2693	3475	2422	—
3.	बांसवाड़ा	981	1249	321	—
4.	बाड़मेर	117	68	8	—
5.	भरतपुर	3258	4335	2325	—
6.	भीलवाड़ा	1297	2031	931	—
7.	बीकानेर	1504	1813	1138	—
8.	बूंदी	671	875	293	—
9.	चित्तौड़गढ़	985	1548	595	—
10.	चूरू	944	1142	505	—
11.	डूंगरपुर	778	926	229	—
12.	जयपुर	14195	9344	13077	—
13.	जैसलमेर	69	19	5	—
14.	जालौर	594	689	201	—
15.	झालावाड़	666	1030	342	—
16.	झुंझुनूं	3920	3307	1660	—
17.	जोधपुर	2573	2263	1756	—
18.	कोटा	2443	3297	1857	—
19.	नागौर	2575	2446	1443	—
20.	पाली	1119	1442	512	—
21.	सवाई माधोपुर	2605	2217	1034	—
22.	सीकर	1786	2273	1113	—
23.	सिरोही	632	655	199	—
24.	श्रीगंगानगर	2677	2070	1435	—
25.	टोंक	874	1432	400	—
26.	उदयपुर	2768	2821	1669	—
27.	व्यवसायिक एवं प्रशासनिक अनुभाग, जयपुर	—	—	4534	4983
28.	विशेष नियो. कार्या. विकलांग	70	102	64	—
	योग: –	56088	54382	4[illegible]375	4983

परिशिष्ट– 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 406 की तालिका

बांसवाड़ा जिला सेवा संघ, परतापुर को वर्ष 78–79 एवं 79–80 में स्वीकृत अनुदान का विवरण

क्र. सं.	नाम छात्रावास	स्वीकृत राशि वर्ष 78–79	प्रतिमाह प्रति छात्र पर व्यय	स्वीकृत राशि वर्ष 79–80
1.	छात्रावास परतापुर	42,997	86 रु.	40,000
2.	छात्रावास खमेरा	25,796	74 रु.	28,000
3.	छात्रावास खोडन	14,953.50	74 रु	18,000
4.	छात्रावास गनोड़ा	20,924.86	83 रु.	24,000
5.	छात्रावास बागीदोरा	20,243.00	89 रु.	24,000
6.	छात्रावास भूखियां	19,672.94	78 रु.	24,000
7.	छात्रावास चांदरवाड़ा	19,259.93	77 रु.	24,000
8.	छात्रावास जोलाना	19,305.00	77.20 रु	24.000
9.	छात्रावास करजी	19,133.43	75.20 रु.	22,000
10.	छात्रावास अरथूना	20,307.81	81.20 रु.	24,000
11.	छात्रावास भूगंडा	17,183.22	68.70 रु.	24,000
12.	छात्रावास खादू	19,550.00	78.20 रु.	24,000

नोट: -1. प्रतिमाह प्रति छात्र पर व्यय स्वीकृत रकम के अनुपात से है।

2. वर्ष 1979-80 की अनुदान की राशि अग्रिम स्वीकृत की गई है जिसका समाधान इस वर्ष 1980-81 में ऑडिटेड स्टेटमेंट प्रस्तुत करने पर किया जावेगा।

218

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 411 की सूची

चम्बल क्षेत्र में खराब पड़ी मशीनों की सूची

क्रम संख्या	खराब मशीन का नाम	संख्या	खराबी	दिनांक जब से मशीन खराब है	मशीन का अनुमानित मूल्य
1	2	3	4	5	6
1.	केटरपिलर बुलडोजर	एक	ट्रांसमिशन गियर व हाइड्रोलिक पम्प	जुलाई, 1979	एक लाख रु.
2.	ट्रैक्टर (आयातित)	दो	टायर व ट्यूब उपलब्ध नहीं	जून, 1978	40 हजार रु.
3.	हिन्दुस्तान ट्रैक्टर	दो	स्टेयरिंग	अप्रेल, 1980	एक लाख रु.
4.	एलीवेटिंग स्क्रेपर (वयेको आयातित)	एक	हाईड्रोलिक शॉफ्ट तथा टायर्स	अगस्त, 1979	पांचलाख रु.
5.	एलीवेटिंग स्क्रेयर (केटरपिलर) (आयातित	एक	इंजन ब्रेक डाउन	मई, 1980	सात लाख रु.

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 413 की सूची

काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों, उन पर व्यय की गई राशि व कार्यों की स्थिति तथा जारी किये गये प्रमाण-पत्रों की सूची

नाम कार्य	ग्राम	कुल व्यय हुई राशि	पूर्ण कार्यों की स्थिति		उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी	
			पूर्ण	अपूर्ण	पंचायत	पं. समिति
1	2	3	4	5	6	7
ग्राम पंचायत डोंडा						
1. सार्वजनिक कूप निर्माण	डोंडा	14647.91	पूर्ण	–	–	–
2. सार्वजनिक शौचालय	डोंडा	741.13	,,	–	हां	–
3. जच्चा भवन	डौंडा	14939.54	,,	–	–	हां
4. सार्वजनिक खुरंजा निर्माण	वोरदा	11293.00	,,	–	–	हां
5. स्कूल मरम्मत	बाली	7906.81	–	अपूर्ण	–	–
6. कुहयां निर्माण पिछड़ी जाति	बिंरदा	9304.31	पूर्ण	–	–	हां
7. सार्वजनिक कूप निर्माण	बिन्दा	5150.22	,,	–	हां	–
8. सार्वजनिक कूप निर्माण	चौकी	4423.47	,,	–	हां	–
9. सार्वजनिक कूप.अनुसूचित जाति	जरेल	5308.79	,,	–	हां	–

219

Page No. 220

1	2	3	4	5	6	7
10. सड़क निर्माण डोंडा से राष्ट्रीय मार्ग तक	डोंडा	47495.10	,,	—	—	हां
11. शाला भवन डावली	कलां	19689.66	—	अपूर्ण	—	—
12. तालाब मरम्मत	टोलखेड़ा	3808.80	पूर्ण	—	हां	—
ग्राम पंचायत झुमको						
13. सार्वजनिक कूप मरम्मत एवं खेल	झुमको	4995.00	पूर्ण	—	हां	—
14. डिस्पेन्सरी निर्माण	मोडाश्याम पुरा	27937.98	,,	—	,,	—
15. काइन हाउस	,,	12858.50	,,	—	,,	—
16. स्कूल भवन निर्माण	श्यामपुरा	29060.85	—	अपूर्ण	,,	—
17. शाला भवन	जगन्नाथपुरी	18224.40	—	अपूर्ण	,,	—
ग्राम पंचायत पिपलोद:						
18. स्कूल मरम्मत	वंजारी	1488.00	पूर्ण	—	हां	—
19. स्कूल भवन	चन्दलोई	11625.00	—	अपूर्ण	—	—
20. मिडिल स्कूल मरम्मत	पिपलोद	6750.00	—	अपूर्ण	—	—
21. मरम्मत पंचायत भवन	पिपलोद	3965.00	पूर्ण	—	हां	—
22. पंचायत भवन कमरा तिवारी निर्माण	पिपलोद	10050.00	,,	—	—	—
23. औषधालय भवन निर्माण	दित्याखेड़ी	1250.00	,,	अपूर्ण	—	—
24. कूप मरम्मत	माहरडी	725.00	पूर्ण	—	हाँ	—
25. कूप भिवान मरम्मत	पिपलोद	725.00	,,	—	हाँ	—

26. सार्व. कूप	पीपलोद	725.00	पूर्ण	—	हाँ	—
27. बावड़ी कूप मरम्मत	,,	725.00	,,	—	हाँ	—
28. कूप निर्माण वाखेल	,,	9409.00	,,	—	—	—
29. कूप महावीर मरम्मत	दित्याखेड़ी	1350.00	,,	—	हाँ	—
30. कूप खेल मरम्मत	बंजारी	1050.00	,,	—	हाँ	—
31. कूप निर्माण चन्दलोई	चन्दलोई	7500.00	—	अपूर्ण	—	—
32. कूप निर्माण	मंगाल	8500.00	—	,,	—	—
33. सड़क निर्माण	किशनपुरिया	4375.00	—	अपूर्ण	—	—
34. रास्ता दुरस्ती	पिपलोद	2500.00	पूर्ण	—	हाँ	—
35. धर्मशाला निर्माण	,,	5000.00	—	अपूर्ण	—	—
4. ग्राम पंचायत खानपुरिया						
36. शाला भवन मरम्मत	खानपुरिया	629.75	पूर्ण	—	हाँ	—
37. शाला भवन	निमोदा	14980.68	,,	—	—	हाँ
38. रास्ता दुरुस्ती सभी ग्राम	सभी ग्राम	482.50	,,	—	हाँ	—
39. कुइया खेलवमाराम	ऊंखल	3184.60	,,	—	हाँ	—
40. सड़क खानपुरिया से रलायतो	रलायतो	4522.90	,,	—	हाँ	—
41. खुरंजा रास्ता कर्माखेड़ी से निमोदा		1659.60	,,	—	हाँ	—
42. खुरंजा नोमोदा से पाटन		3612.20	पूर्ण	—	हाँ	—
43. खुरंजा ग्राम	रलायतो	3440.89	,,	—	हाँ	—
44. खुरंजा ग्राम	ऊंण्डला	1321.20	,,	—	हाँ	—
45. खुरंजा रास्ता निमोदा से खानपुरिया		3801.80	,,	—	हाँ	—

1	2	3	4	5	6	7
46. कुइया चमारान	रलायती	4893.82	पूर्ण	—	हाँ	—
47. खुरंजा खाल	रलायती दांती	6945.16	,,	—	हाँ	—
48. खुरंजा रलायती	नीचला	2014.80	,,	—	हाँ	—
49. रास्ता मरम्मत	लोकसभा चुनाव	69.40	,,	—	हाँ	—
50. सार्व. तालाब	करमाखेड़ी	2062.80	,,	—	हाँ	—
51. सार्व. तालाब	ऊंडला	3038.40	,,	—	हाँ	—
52. प्राथमिक शाला भवन	रलायती	2285.05	—	अपूर्ण	—	—
5. ग्राम पंचायत जूनाखेड़ा						
53. खुरंजा अनु. जाति	जूलाखेड़ा	4348.00	पूर्ण	—	हाँ	—
54. तलाई निर्माण	मेखर	5390.40	पूर्ण	—	हाँ	—
55. पटाव निर्माण चमारान गली	जूलाखेड़ा	3400.60	पूर्ण	—	हाँ	—
56. खुरंजा सीतापुरा किशनलाल के कुवे से भूवान के मकान तक		4869.20	पूर्ण	—	हाँ	—
57. तलाई निर्माण सीतापुरा (कांकड़िया तलाई)		4968.00	,,	—	हाँ	—
58. खुरंजा किशनलाल के कुवे से ट्रांसफारमर तक	सीतापुरा	6913.20	,,	—	हाँ	—
59. सार्व. कूप सेमली	सेमली ग्राम	2351.22	—	अपूर्ण	—	—
60. खुरजा निर्माण माताजी	मेखर	5936.30	पूर्ण	—	हाँ	—
61. खुरंजा ट्रान्सफारमर से काकड़िया तलाई	सीतापुरा	3726.00	—	अपूर्ण	—	—

1. ग्राम पंचायत रूपरेल						
62. पंचायत भवन रूपारेल	रूपारेल	13947.60	—	अपूर्ण	—	—
63. औषधालय भवन	रूपारेल	12240.00	—	अपूर्ण	—	—
64. कुइया निर्माण रमड़ी	रमडी	1600.00	—	,,	—	—
65. कूप मरम्मत बडवेली	बडवेली	2950.00	—	अपूर्ण	—	—
66. कूप चमारान	हरीपुरा	7036.00	पूर्ण	—	हाँ	—
67. कुइया पश्चिमी	हरीपुरा	5251.00	पूर्ण	—	हाँ	—
68. कुइया बीच ग्राम	हरीपुरा	5256.00	,,	—	हाँ	—
69. सार्व. कूप पुरा	पुरा	63000.00	—	अपूर्ण	—	—
70. सार्व. कूप कुंडवारी	कुंडवारी	1225.00	—	अपूर्ण	—	—
71. तलाई मरम्मत बडबेला	बड़खेला	3125.00	पूर्ण	—	हाँ	—
72. रास्ता दुरुस्ती पुरा	पुरा	3250.00	पूर्ण	—	हाँ	—
73. रास्ता दुरुस्ती	सेवला	3374.00	,,	—	हाँ	—
7. ग्राम पंचायत गोरधनपुरा						
74. खेल निर्माण	बांस घटी	2181.65	पूर्ण	—	हां	—
75. कुइयां चमारान	बांस घटी	4551.05	पूर्ण	—	हां	—
76. तलाई मरम्मत	सहबाका	2600.00	पूर्ण	—	हां	—
77. काइन हाउस निर्माण	गोरधनपुरा	4602.65	पूर्ण	—	हां	—
78. घाटी-पलवाई	कोलाना	768.20	पूर्ण	—	हां	—
79. खुरंजा पीपल्या	पीपल्या	4833.45	पूर्ण	—	हां	—
80. घाटी फुड़वाई	पृथ्वीपुरा	746.30	पूर्ण	—	हां	—

1	2	3	4	5	5	7
81. तलाई मरम्मत	घटलाई	1900.00	पूर्ण	—	हाँ	—
82. ग्राम रास्ता दुरुस्ती चुनाव		414.54	पूर्ण	—	हां	—
83. शाला भवन निर्माण	गोरधनपुरा	3957.10	—	अपूर्ण	—	—
84. शाला भवन	वांस घटी	15149.06	—	अपूर्ण	—	—
85. शाला भवन मरम्मत	पृथ्वीपुरा					
	चूनाभाटी	267.90	—	अपूर्ण	—	—
8. ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा						
86. स्कूल भवन, गोविन्दपुरा	गोन्विदपुरा	12965.50	पूर्ण	—	—	—
87. कूप निर्माण	धानोता	11005.00	—	अपूर्ण	—	—
88. कूप निर्माण	गिरधरपुरा	4885.00	—	अपूर्ण	—	—
89. सड़क निर्माण	भंवरासा	10520.00	—	अपूर्ण	—	—
90. खुरंजा भंवरासा	भंवरासा	3026.00	—	अपूर्ण	—	—
91. कूप मरम्मत	नेहरान					
	हेमड़ा	4950.00	पूर्ण	—	हां	—
92. कूप मरम्मत	थानोती	1777.00	पूर्ण	—	हां	—
93. खुरंजा	हेमड़ा	8400.00	पूर्ण	—	—	—
94. खुरंजा	खेरासी	5000.00	पूर्ण	—	हां	—
95. खुरंजा	गोविन्दपुरा	4325.00	पूर्ण	—	हां	—

1	2	3	4	5	6	7
9. ग्राम पंचायत पनवासा						
96. नागजी की खाली	पनवासा	120.00	पूर्ण	—	हां	—
97. पंचायत भवन मरम्मत	पनवासा	85.00	पूर्ण	—	हां	—
98. रास्ता दुरुस्ती	कुवाभाव	85.62	पूर्ण	—	हां	—
99. खुरंजा वार्ड नं. 7, 8	पनवासा	2500.00	पूर्ण	—	हां	—
100. खुरंजा	वाथोली	2500.00	पूर्ण	—	हां	—
101. पंचायत भवन पुसाई	पनवासा	85.00	पूर्ण	—	हां	—
102. तालाव नाला खुरंजा	पनवासा	1500.00	पूर्ण	—	—	—
103. रास्ता मरम्मत हरीपुरा से	पनवासा	8095.25	पूर्ण	—	—	—
104. रास्ता मरम्मत पनवासा से	पलनासर	3010.00	पूर्ण	—	हां	—
105. रास्ता सामोदिया से	दयाभाव	2309.00	पूर्ण	—	हां	—
106. खुदाई हुगली	हुगली	2135.00	—	अपूर्ण	—	—
107. तलाई खजूरी खुर्द	खजूरीखुर्द	2625.00	—	अपूर्ण	—	—
108. सड़क पनवासा से	इकताला	9561.00	—	अपूर्ण	—	—
109. स्कूल भवन दयाभाव	दयाभाव	2500.00	—	अपूर्ण	—	—
110. खेल-कूद मरम्मत	कुवाभाव	4545.00	—	,,	—	—
111. नवकूप दूगनी	दूगनी	1725.00	—	अपूर्ण	—	—
112. कूप निर्माण	भोमतपुरा	2225.00	—	अपूर्ण	—	—
		78	पूर्ण	34 अपूर्ण	64 पंचायत	5 पंचायत समिति

225

रिशिष्ट (अ)

गोश्वारा ग्राम पंचायत वाईज, पंचायत समिति, झालरापाटन, जिला झालावाड़

क्रम सं.	ग्राम पंचायत का नाम	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	योग	पूर्ण कार्यों के जारी किये गये प्रमाण पत्रों की संख्या		
					पंचायत द्वारा	पं. समिति द्वारा	योग
1.	डोंडा	10	2	12	5	4	9
2.	झूमको	3	2	5	1	—	1
3.	पिपलोद	11	7	18	9	—	9
4.	खानपुरिया	16	1	17	15	1	16
5.	जूनाखेड़ा	7	2	9	7	—	7
6.	रूपारेल	6	6	12	6	—	6
7.	गोरधनपुरा	9	3	12	9	—	9
8.	गोविन्दपुरा	6	4	10	4	—	4
9.	पनवासा	10	7	17	8	—	8
	योग....	78	34	112	64	5	69

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 414 की सूची)

31-7-80 तक बीकानेर जिले में पंजीकृत निर्माणियों का विवरण।

क्र. सं.	रजि. संख्या	पंजीकृत निर्माणी का नाम व पता
1	2	3
1.	6387	मैसर्स उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, बीकानेर।
2.	6940	,, उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, लूणकरणसर।
3.	6287	,, शक्ति फ्लोर रोलर मिल्स, 6-7 इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर।
4.	6939	,, रतन दाल मिल्स, नोखा, बीकानेर।
5.	7093	,, बीकानेर डेरीस्त्रीट्स, गंगाशहर रोड़, बीकानेर।
6.	5376	,, महावीर ऑयल मिल्स, इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर
7.	4940	,, एस. बी. वूलन ऑयल मिल्स, बीकानेर।
8.	7265	,, श्री जैन फ्लोर एण्ड ऑयल मिल्स, लूणकरणसर, बीकानेर।
9.	6842	,, मोहता फ्लोर मिल्स, पो. नोखा, बीकानेर।
10.	7266	,, लक्ष्मी फ्लोर एण्ड ऑयल मिल्स, लूणकरणसर, बीकानेर
11.	4947	,, किरण शेखर भाई शेखर, बीकानेर।
12.	6983	,, बजरंग मिर्च फैक्ट्री, नोखा, बीकानेर।
13.	5379	,, शकीन शरीफ ऑयल मिल्स, बीकानेर।
14.	7025	,, तेलघाणी उद्योग, खादी मन्दिर, उद्योग भवन इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर।
15.	5381	,, रामा फ्लोर मिल्स, नोखा, बीकानेर।
16.	5580	,, मोहम्मद इब्राहीम एण्ड कम्पनी, बीकानेर।
17.	4876	,, वली मोहम्मद ऑयल एण्ड फ्लोर मिल्स, बीकानेर
18.	4718	,, महेश ऑयल मिल्स, बीकानेर।
19.	4842	,, नवलखा ग्राम एण्ड दाल मिल्स, बीकानेर।
20.	4698	,, चम्पालाल राइस दाल एण्ड फ्लोर मिल्स, बीकानेर
21.	332	,, रामपुर राइस फैक्ट्री, बीकानेर।
22.	6283	,, खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर।
23.	1780	,, छेलानी वूलन मिल्स, बीकानेर।
24.	7559	,, जे. के. वूलन इण्डस्ट्रीज, इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर।

1	2	3
25.	6941	मैसर्स ओसवाल वूलन मिल्स, इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर।
26.	5815	,, महावीर वूल इण्डस्ट्रीज, बीकानेर।
27.	6981	,, जनता कार्डिंग एण्ड स्पिनिंग इण्डस्ट्रीज, बीकानेर।
28.	4379	,, नवलकिशोर वूल क्लीनर्स, रानीबाजार, बीकानेर।
29.	7159	,, नारायण चण्डक वूल क्लिनर्स, जस्सूसर गेट, बीकानेर
30.	6532	,, नवलकिशोर वूल क्लिनर्स, राजस्थान प्रेस के सामने, बीकानेर
31.	7257	,, दर्शन एण्टर प्राईजेज, जस्सूसर गेट, बीकानेर।
32.	3549	,, रामचन्द्र चेतन प्रकाश वूल क्लिनिंग, बीकानेर।
33.	7392	,, भारत वूलन मिल्स, यूनिट नं. 2, बीकानेर।
34.	3759	,, महावीर वूल स्टोर, बीकानेर।
35.	7530	,, राजस्थान कारपेट्स वूल एजेन्सीज, बीकानेर।
36.	695	,, गणेश ट्रेडर्स, बीकानेर वूलन प्रेस, बीकानेर।
37.	4627	,, विजय लक्ष्मी वूल सेन्टर, रानी बाजार, बीकानेर।
38.	2604	,, गणेश ट्रेडर्स मार्फत राजस्थान वूल प्रेसिंग, बीकानेर।
39.	3133	,, रामसिंह पुरोहित मार्फत पुरोहित वूल क्लिनिंग फैक्ट्री, बीकानेर।
40.	2530	,, श्री वूल ग्रेडिंग कम्पनी, बीकानेर।
41.	2325	,, खादी ग्रामोद्योग संस्थान, बीकानेर।
42.	3733	,, कोचर एण्ड कम्पनी, वूल क्लिनिंग फैक्ट्री, बीकानेर।
43.	4274	,, जे. सी. वूल ट्रेडर्स, रानी बाजार, बीकानेर।
44.	3734	,, महेश प्रोसेसर्स, बीकानेर।
45.	3629	,, कोचर एण्ड कम्पनी इन साइड, श्री गंगानगर वूल प्रेसिंग फैक्ट्री, लिमिटेड, बीकानेर।
46.	3804	,, महेश एण्टर प्राईजेज, नया शहर, बीकानेर।
47.	4193	,, कादर एण्टर प्राईजेज, बीकानेर।
48.	4278	,, रामा ट्रेडर्स एण्ड शार्टर्स, बीकानेर।
49.	3503	,, श्री गोपाल राम एण्ड कम्पनी, बीकानेर।
50.	4024	,, बी. चन्द्रा एण्ड सन्स, रानी बाजार, बीकानेर।
51.	4383	,, कोठारी इम्पोर्टर इनसाइड, जस्सूसर, बीकानेर।
52.	5377	,, ओरियन्ट वूलन टैक्सटाइल्स प्रा. लि, जस्सूसर गेट, बीकानेर।
53.	5378	,, गणपति वूलन मिल्स, बीकानेर।
54.	1087	,, राजस्थान वूलन मिल्स, जस्सूसर गेट, बीकानेर।

1	2	3
55.	2834	मैसर्स वूल ग्रेडिंग एण्ड मार्केटिंग सेन्टर, बीकानेर
56.	7393	,, राजस्थान स्टेट शीप एण्ड वूलन विपणन फेडरेशन लि., बीकानेर।
57.	125	,, बीकानेर वूलन प्रेस, बीकानेर।
58.	7143	,, सरोज इण्डस्ट्रीज, बीकानेर।
59.	230	,, राजस्थान वूलन मिल्स, गजनेर रोड, बीकानेर।
60.	7244	,, जनरल इण्डस्ट्रीज, इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर।
61.	890	,, बीकानेर वूलन मिल्स, रानी बाजार, बीकानेर
62.	906	,, गणेश वूलन प्रेसिंग कम्पनी, बीकानेर।
63.	3256	,, गिरधरलाल भागीरथ, बीकानेर।
64.	3251	,, भजनलाल वूल क्लिनिंग, रानी बाजार, बीकानेर।
65.	2893	,, इण्डिया वूल इण्डस्ट्रीज, रानी बाजार, बीकानेर।
66.	5677	,, एलाईड फाईनेन्स एण्ड टैक्सटाइल्स कारपोरेशन, इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर।
67.	2741	,, खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान उत्पादक केन्द्र, बीकानेर।
68.	3251	,, जगन्नाथ जीवनमल वूलन मिल्स, बीकानेर।
69.	3995	,, अशोक वूलन मिल्स, गजनेर रोड, बीकानेर।
70.	7351	,, राजस्थान वूल सिन्डीकेट, बीकानेर।
71.	7352	,, मनीश एण्ड कम्पनी, गजनेर रोड, बीकानेर।
72.	4292	,, लक्ष्मी वूलन मिल्स, लालगढ गजनेर रोड, बीकानेर।
73.	4293	,, गणेश वूलन मिल्स, बीकानेर।
74.	4752	,, फ्रेन्ड्स वूलन इण्डस्ट्रीज, बीकानेर।
75.	4377	,, एच. जे. वूलन मिल्स, माल गोदाउन रोड, बीकानेर।
76.	2752	,, क्षेत्रीय सीमा विकास सर्व लोक खादी ग्रामोउद्योग कमीशन, रानी बाजार, बीकानेर।
77.	1829	,, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान संघ, यूनिट फिनिशिंग प्लान्ट इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर।
78.	3683	,, मॉडर्न वूलन मिल्स, इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर।
79.	7558	,, कमल कार्पेट्स, इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर।
80.	6319	,, भारत वूलन मिल्स, बीकानेर।
81.	809	, छोटा लाल रामदेव सा मिल्स, बीकानेर।
82.	6362	,, एम. जी. एन. कम्पनी, इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर।
83.	815	,, राजस्थान टिम्बर सप्लाई कम्पनी, कोट गेट, बीकानेर।
84.	1242	,, भुवनेश आरा मशीन, बीकानेर।
85.	1281	,, भवरलाल अरोड़ा आरा मशीन, बीकानेर।

Page No. 230

230

1	2	3
86.	1287	मैसर्स चुन्नीलाल सोहनलाल आरा मशीन, सदर बाजार, बीकानेर।
87.	1000	,, धनराज देवकरण चण्डक आरा मशीन, नोखा, बीकानेर।
88.	1288	,, बदरी नारायण जेठमल आरा मशीन, बीकानेर।
89.	3397	,, नोखा सा. मिल्स इण्डस्ट्रीज, नोखा बीकानेर।
90.	1651	,, गणेश श्रमिक वर्क्स इनसाईड कोट गेट, बीकानेर।
91.	1917	,, उदयराम सुथार सा मशीन, नोखा बीकानेर।
92.	2126	,, विश्वकर्मा फर्नीचर हाउस, बीकानेर।
93.	4949	,, राजस्थान टिम्बर इण्डस्ट्रीज, नागानर, बीकानेर।
94.	5516	,, आरा एण्ड लुहारी उद्योग, इण्डस्ट्रीयल एरिया, खादी मन्दिर, बीकानेर।
95.	1918	,, चुन्नीलाल रामचन्द्र संकर सदर बाजार, नोखा बीकानेर।
96.	2824	,, कानीराम भीमराज टिम्बर मार्ट, नोखा बीकानेर।
97.	7245	,, श्री हनुमान पेकर इण्डस्ट्रीज, माल गोदाम रोड़, बीकानेर।
98.	5879	,, बीकानेर बेंन्डसा मशीन, बीकानेर।
99.	625	,, राजकीय प्रेस, बीकानेर।
100.	210	,, एज्यूकेशनल प्रेस, बीकानेर।
101.	2273	,, शिक्षा भारती प्रेस, बीकानेर
102.	2271	,, जैन आर्ट प्रेस, रंगानी मोहल्ला, बीकानेर।
103.	4116	,, ज्ञान ज्योति प्रिन्टिंग प्रेस. बीकानेर।
104.	7190	,, हिन्दुस्तान प्रिन्टर्स, बीकानेर।
105.	7026	,, राठी प्रिन्टिंग प्रेस, इनसाइड पाबुवाडी, बीकानेर।
106.	7243	,, राजपुरोहित प्रिन्टिंग प्रेस, बीकानेर।
107.	5676	,, कुंवर आर्ट प्रेस, गंगा शहर रोड़, बीकानेर।
108.	7267	,, प्रताप प्रिन्टर्स, बीकानेर।
109.	3846	,, जनसेवी प्रिन्टर्स, बीकानेर।
110.	6361	,, भारती प्रिन्टिंग प्रेस, बीकानेर।
111.	1885	,, जयश्री महला प्रेस, बीकानेर।
112.	655	,, लक्ष्मी प्रिन्टिंग प्रेस, बीकानेर।
113.	4941	,, यादव प्रिन्टिंग प्रेस, बीकानेर।
114.	4380	,, दुर्गा प्रिन्टिंग प्रेस, कोट गेट, बीकानेर।
115.	3641	,, मोहन प्रिन्टिंग प्रेस, बीकानेर।
116.	3870	,, मानव प्रिन्टिंग प्रेस, जस्सूसर गेट, बीकानेर।
117.	1804	,, शिव प्रिन्टिंग प्रेस, बीकानेर।
118.	3762	,, मेहता मुद्रणालय, बीकानेर।

1	2	3
119.	811	मैसर्स सतीश प्रिन्टिंग प्रेस, बीकानेर।
120.	4272	,, जैन आर्ट प्रेस, रामपुरिया गली, बीकानेर।
121.	4914	,, गजराज प्रिन्टिंग प्रेस, कोट गेट, बीकानेर।
122.	448	,, चांद प्रिन्टिंग प्रेस, बीकानेर।
123.	617	,, गोपाल प्रिन्टिंग प्रेस, बीकानेर।
124.	1240	,, आदर्श मुद्रणालय, बीकानेर।
125.	1306	,, पवन आर्ट प्रेस, बीकानेर।
126.	1312	,, टाइम ऑफ राजस्थान प्रेस, कोट गेट, बीकानेर।
127.	2925	,, पंजाब प्रिन्टिंग प्रेस, बीकानेर।
128.	4382	,, माया आर्ट प्रिन्टर्स, बीकानेर।
129.	3051	,, नेशनल आर्ट प्रेस, बीकानेर।
130.	3477	,, मरदीप प्रिन्टिंग प्रेस, बीकानेर।
131.	2971	,, नीलम आर्ट प्रेस, बीकानेर।
132.	2488	,, शशि प्रिन्टर्स, रानी बाजार, बीकानेर।
133	4294	,, इण्डिया प्रिन्टर्स, बीकानेर।
134	2929	,, भारत दूत प्रिन्टिंग प्रेस, बीकानेर।
135.	2405	,, राजश्री प्रिन्टर्स, बीकानेर।
136.	5579	,, गोयल प्रिन्टर्स, बीकानेर।
137.	3596	,, कुशाल मुद्रणालय, बीकानेर।
138.	813	,, जवाहर प्रेस, बीकानेर।
139.	2900	,, जोशी आर्ट प्रिन्टर्स, नोखा, बीकानेर।
140.	1198	,, मोहता आयुर्वेदिक रसायनशाला, स्टेशन रोड बीकानेर।
141.	1199	श्रीकृष्ण गोपाल टाइल्स फैक्ट्री रानी बाजार, बीकानेर।
142.	2875	प्रकाश टाइल्स फैक्ट्री, पोस्ट नापासर, बीकानेर।
143.	4867	ए. के. टाइम्स फैक्ट्री, रानी बाजार, बीकानेर।
144.	1275	खजांची टाइल्स फैक्ट्री, कोट गेट दरवाजे के अन्दर, बीकानेर।
145.	4053	हनुमान टाइल्स एण्ड पाइप्स फैक्ट्री नापासर, बीकानेर।
146.	5741	सहायक अभियन्ता, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, सब डिविजन प्रथम खण्ड, बीकानेर।
147.	4741	आर. सी. सी. ब्रिक क्लीन, आर. डी. 507 4वी-सब डिवीजन नया खण्ड छत्तर गढ़, बीकानेर।
148.	4942	टाइल्स क्लीन भट्टा, आर. डी. 427, छत्तरगढ़, बीकानेर।
149.	5033	भट्टा भुरजी 64, आर. एम. सी. आर. सी. पी. ग्यारहवां डिवीजन छत्तरगढ़, बीकानेर।

1	2	3
150.	2258	बीकानेर सिरेमिक प्रा. लि. इण्ड. ऐरिया बीकानेर।
151.	4381	रा-प्रोडोक्टस इण्ड फर्टीलाइजर्स, इण्ड. ऐरिया, बीकानेर।
152.	3189	राज. प्लास्टिक प्रा. लि. इण्ड. एरिया, बीकानेर।
153.	4380	मार्डन प्लास्टर वर्क्स, इण्ड. ऐरिया, बीकानेर।
154.	642	भारत मेटल आयरन वर्क्स, बीकानेर।
155.	2342	श्री मुन्दड़ा मेटल वर्क्स, रानी बाजार, बीकानेर।
156.	358	वर्कशाप, इलैक्ट्रीकल मेकेनिकल डिपार्टमेन्ट, बीकानेर।
157.	3763	कमल इन्जीनियरिंग, रानी बाजार, बीकानेर।
158.	6696	आनन्द इण्डस्ट्रीज, रानी बाजार, बीकानेर।
159.	2991	जी. एस. एस. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, बीकानेर।
160.	357	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, बीकानेर।
161.	4501	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, देवा बांध सागर, बीकानेर।
162.	6942	पम्पिंग स्टेशन द्वितीय, मलमोसर, बीकानेर।
163.	7158	पम्पिंग स्टेशन, प्रथम राजियासर सब स्टेशन, लुणकरणसर बीकानेर
164.	6943	पम्पिंग स्टेशन, द्वितीय, खारा प्रथम डिवीजन, आर. सी. पी. लूणकरणसर, बीकानेर।
165.	6944	पम्पिंग स्टेशन, चतुर्थ, सब डिवीजन प्रथम, लूणकरणसर, बीकानेर।
166.	2912	अधिशासी अभियन्ता वाटर वर्क्स, स्टेडियम हैड वर्क्स, वर्कशाप टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के पीछे बीकानेर।
167.	3810	सैन्ट्रल वर्कशाप, आर. सी. सं. लालगढ़, बीकानेर।
168.	4213	डिपो वर्कशाप, आर. एस. आर. टी. सी. रानी बाजार, बीकानेर।
169.	262	लोको गेरेज एण्ड वैगन वर्कशाप, बीकानेर।
170.	7787	वर्धमान इण्डस्ट्रीज, बीकानेर।
171.	7788	नेमचन्द जाजू फ्लोर मिल, नोखा, बीकानेर।
172.	7883	घनश्याम एण्ड कम्पनी, नोखा, बीकानेर।
173.	7964	आदर्श टेक्सटाइल्स, गजनेर रोड़, बीकानेर।
174.	7965	पूरणमल सत्यनारायण इण्डस्ट्रीज, नापासर, बीकानेर।
175.	8033	डिवीजनल वर्कशाप, आर. एस. आर. टी. सी. बीकानेर।
176.	8104	हनुमान प्रिन्टिंग प्रेस, डागाचौक, बीकानेर।
177.	8161	श्रीराम सेल्स, रानी बाजार, बीकानेर
178.	8167	तिवाड़ी वूल एजेन्सीज, गजनेर रोड़, बीकानेर।
179.	8168	ओझा वूलन मिल्स, 94–इण्ड. एरिया, बीकानेर।
180.	8169	गंगाराम इण्डस्ट्रीज, 88–इण्ड. ऐरिया, बीकानेर।
181.	8170	क्षेत्रीय समग्र लोक विकास संघ, सर्वोदय भवन, बीकानेर।

1	2	3
182.	8327	एलाइड फाइबर्स एण्ड टैक्सटाइल्स कार. यूनिट नं. 2, इण्ड. ऐरिया, बीकानेर।
183.	8404	एलाइड फाइबर्स एण्ड टैक्सटाइल्स कार. 21-ए, इण्ड. ऐरिया, बीकानेर।
184.	8405	रवि प्रिन्टिंग प्रेस, इन्दिरा कटला, बीकानेर।
185.	8406	कोठ्यारी टाइल्स फैक्ट्री, बी.-2 इण्ड. ऐरिया, बीकानेर।
186.	8407	अग्रवाल वूलन मिल्स, 43, इण्ड. ऐरिया बीकानेर।

आवेदित अपंजीकृत निर्माणियां, जिला बीकानेर

क्र.सं.	नाम कर्मशाला	स्थान
1.	कोठारी टाइल्स फैक्ट्री, बी.-2 इण्डस्ट्रीयल एस्टेट,	बीकानेर
2.	मै. श्री श्याम दाल एण्ड ग्रॉयन मिल्स, 73 इण्डस्ट्रीयल ऐरिया	बीकानेर
3.	मै. लक्ष्मी वूलन मिल्स, लालगढ़ गजनेर रोड	बीकानेर
4.	मै. हिन्दुस्तान प्रिन्टर्स, कुचीलपुरा, बीकानेर	बीकानेर

(234)

परिशिष्ट -12

अतारांकित प्रश्न संख्या 419 की सूची

	नाम फर्म	नाम सामान	तादाद
1.	मैसर्स काष्ठ कला उद्योग, डीडवाना	1. अध्यापक कुर्सी	24
		2. ब्लैक बोर्ड	24
		3. लोहे की घंटी	24
		4. अध्यापक टेबिल	24
		5. बाल्टी 12"	24
		6. लालटेन प्रभात	24
		7. लोहे का बक्सा	24
		8. स्टूल	24
2.	मैसर्स हिन्दी प्रकाशन मन्दिर, सीकर	1. छात्र उपस्थिति रजिस्टर	600
		2. प्रवेश फार्म	1000
		3. स्टॉक रजिस्टर	50
		4. टी. सी. बुक	50
		5. रसीद बुक	200
		6. सामूहिक प्रगति लिखा रजिस्टर	125
		7. परीक्षाफल अभिलेख इकाई रजिस्टर	125
		8. परीक्षाफल रजिस्टर	125
3.	मैसर्स करनी एन्टरप्राइज सांगरिया	1. अध्यापक रजिस्टर पंजिका	100
		2. प्रवेश रजिस्टर	50
		3. टी. सी. बुक	60
		4. मानचित्र संसार, भारत, राजस्थान	360

(255)

परिशिष्ट--13

अतारांकित प्रश्न संख्या 420 की सूची

(Rs. in Lacs)

Statement showing the Net Profit and Loss since 1964.

Years		Net	Profit/Loss
1964-65		(+)	2.70
1965-66		(—)	13.25
1966-67		(—)	21.42
1967-68		(—)	12.66
1968-69		(+)	8.57
1969-70		(+)	2.68
1970-71		(+)	16.74
1971-72		(+)	6.60
1972-73		(+)	2.12
1973-74		(+)	25.25
1974-75		(+)	22.97
1975-76		(—)	92.70
1976-77		(—)	60.48
1977-78	(Provisional)	(—)	164.18
1978-79	,,	( )	163.33
1979-80	,,	( )	429.74

परिशिष्ट – 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 426 का विवरण

QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE

1. For Dy. Managers	(a) Graduate with five years or post graduate with 3 years experience in Govt./business, industrial/financial organisation in supervisory capacity, or (b) CAS with or without experience or (c) Engineering Graduate with experience or without experience with special qualifications like MBA etc.,
2. For Asstt. Managers	(a) Graduate in Commerce, Engineering or Law with a minimum of 55% marks, or (b) Post Graduate in Economics or in commerce with a minimum of 50% marks. (c) First class graduate or post graduate in any other subject, or (d) Any other graduate, with 2 years relevant experience in Govt./Business/industrial/financial organisation.

C.A.S. MBAS and condidates with experience in relevant organisation will be preferred.

237

राजस्थान वित्त निगम, जयपुर

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त उप प्रबन्धकों/सहायक प्रबन्धकों की सूची

उप प्रबन्धक

क्र. सं.	नाम	स्थान जहां कार्यरत है
1	2	3
1.	श्री सिद्धार्थ भगत	जयपुर शाखा
2.	श्री एस. एल. सिंघल	मुख्य कार्यालय, जयपुर
3.	श्री प्रकाशचन्द्र जैन	पाली शाखा
4.	श्री अबु तालिब	मुख्य कार्यालय, जयपुर
5.	श्री गंगा राम गोयल	बालोतरा शाखा
6.	श्री कृष्ण कान्त पाराशर	गंगानगर शाखा
7.	श्री आर. के. तायल	अजमेर शाखा
8.	श्री रवि कुमार अग्रवाल	मुख्यालय, जयपुर
9.	श्री लक्ष्मी नारायण वर्मा (अ. जा.)	मुख्यालय, जयपुर
10.	श्री ओंकारमल चोहला (अ. जा.)	भरतपुर शाखा
11.	श्री रूड़मल आसवाल (अ. जा)	मुख्यालय, जयपुर

सहायक प्रबन्धक

1.	श्री योगेन्द्र नाथ शर्मा	मुख्यालय, जयपुर
2.	श्री सत्यपाल (अ. जा.)	मुख्यालय, जयपुर
3.	श्री गिरिराज पारीक	जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर
4.	श्री भंवरलाल मीणा (अ.ज.जा.)	पाली शाखा
5.	श्री सत्यनारायण बाहेती	अलवर शाखा
6.	श्री जे. एन. शर्मा	उदयपुर शाखा
7.	श्री प्रतीप कुमार सिंघल	मुख्यालय, जयपुर
8.	श्री आर. के. जैन	जोधपुर शाखा
9.	श्री नरेन्द्रमल डागा	बालोतरा शाखा
10.	श्री जगदीश प्रसाद मीणा (अ.ज.जा.)	सीकर शाखा
11.	श्री राम स्वरूप बैरवा (अ. जा.)	भीलवाड़ा शाखा
12.	श्री ओंकारमल	नागौर शाखा
13.	श्री अरविन्द स्वरूप माथुर	जयपुर शाखा
14.	श्री आर.के. पाखरना	उदयपुर शाखा

1	2	3
15.	श्री भंवरलाल पारीक	जयपुर शाखा
16.	श्री राधेश्याम गुप्ता	जयपुर शाखा
17.	श्री वी. के. जालवाल	मुख्यालय, जयपुर
18.	श्री लक्ष्मण दास चारण	टोंक शाखा
19.	श्री विरेन कुमार कारोडिया	मुख्यालय, जयपुर
20.	श्री एन. के. गुप्ता	मुख्यालय, जयपुर
21.	श्री राम कुमार (प्र.जा.)	मुख्यालय, जयपुर
22.	सुश्री गीता सिपदेव (प्र.ज.जा.)	मुख्यालय, जयपुर
23.	श्री किशन स्वरूप सिंघल	मुख्यालय, जयपुर
24.	श्री मालीराम छिन्नवाल(प्र. जा.)	मुख्यालय, जयपुर

239

परिशिष्ट—15

अतारांकित प्रश्न संख्या 431 की सूचना

सूची मुकदमात हत्या थाना जावर जिला झालावाड़, राजस्थान दिनांक 1-4-77 से 31-3-80 तक मय विवरण

क्र. सं.	मु. नं.	दिनांक	धारा	नतीजा पुलिस
1.	71/77	3-6-77	302	चालान 22-6-77
2.	175/77	20-11-77	302,394	चालान 17-1-78
3.	31/79	21-5-78	302	प्रदम वकू 6-10-78
4.	26/79	25-4-79	302	चालान 17-5-79
5.	11/80	16-3-80	302	तफतीश जारी है।

परिशिष्ट—16

अतारांकित प्रश्न संख्या 433 का ब्योरा

सूची 'क'

तहसील बामनवास:—

तहसील बामनवास के अस्थाई कर प्रस्तावना का अनुमोदन किया जाकर टेन्टेटिव रेन्ट रेट रिपोर्ट का राज-पत्र में दिनांक 17-4-80 को प्रकाशन हो चुका है। 2-3 माह में अन्तिम कर प्रस्तावना के प्रस्ताव भू-प्रबन्ध अधिकारी अलवर द्वारा होने की सम्भावना है। उक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर समीक्षा की जाकर विभाग द्वारा अपनी टिप्पणी सहित प्रस्ताव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भेजे जायेंगे। राजस्व मण्डल अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी सहित प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे। तदुपरान्त भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा पर्चा लगानी तैयार करवा कर कृषकों में उनको वितरण किया जायेगा।

तहसील गंगापुर:—

तहसील गंगापुर की अस्थाई कर प्रस्तावना दिनांक 1-8-80 को भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय में अनुमोदनार्थ प्राप्त हो चुकी है। इसका शीघ्र ही परीक्षण किया जाकर प्रकाशन कराया जायेगा। तदुपरान्त तहसील बामनवास के सम्बन्ध में लिखित सभी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा अन्तिम कर निर्धारण प्रस्ताव अग्रिम 5-6 माह में प्राप्त होने की सम्भावना है।

तहसील नादोती:—

तहसील नादोती के 84 गांवों की स्वीकृति है उनमें से 64 ग्रामों का सर्वे व रेकार्ड राइटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है केवल 20 गांवों का कार्य बाकी है जो करीबन 8-10 माह में सम्पन्न होने की सम्भावना है। उसके उपरान्त अस्थाई कर प्रस्तावना प्राप्त होगी और उसके पश्चात ऊपर वर्णित तहसीलों में वर्णित कार्य प्रणाली अपनाई जायेगी।

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 439 की सूची

सूची मुआवजा ग्राम गुड़ला तहसील करौली बांध पांचना

क्र. सं.	नाम काश्तकार
1	2
1.	रेखसिंह पुत्र पदमसिंह गुर्जर
2.	घमंडी पुत्र हटीला जाटव
3.	रामधन पुत्र देवी राम जाटव
4.	राम स्वरूप पुत्र नानगा
5.	कमल पुत्र नंगी गुर्जर
6.	ईशरिया पुत्र घोसा जाटव
7.	शंकर पुत्र पदमा गुर्जर
8.	रामसिंह पुत्र बुद्धा जाटव
9.	प्रताप पुत्र नानगा गुर्जर
10.	भरोसी पुत्र दुर्जन कुम्हार
11.	सिरदार पुत्र सुखराम गुर्जर
12.	श्रीमती मोहनी बेवा जयलाल गुर्जर
13.	गणेश पुत्र रूपा गुर्जर
14.	भौंरया पुत्र ऊंकार गुर्जर
15.	भौंरया पुत्र ऊंकार गुर्जर
16.	बनेसिंह पुत्र भौंरयां
17.	मिश्री पुत्र सुन्दर जाटव
18.	सुखलाल पुत्र सुन्दर जाटव
19.	सुरेश पुत्र धन्ना जाटव
20.	रूपा पुत्र अंगद गुसाई
21.	बीरबल पुत्र हटीला जाटव
22.	ज्वाला पुत्र नवल गुर्जर
23.	सोना पुत्र हटीला गुर्जर
24.	मोतीराम पुत्र मुरली
25.	रूपा पुत्र नथना कुम्हार
26.	कानजी, किशनलाल, पुखराज, सुखचन्द, मोहरसिंह पुत्र देवीराम
27.	भरोसी, भूरसिंह पुत्र नथेली जाटव
28.	सिरदार पुत्र सुखराम भम्मू पुत्र चेनसुख
29.	सिरदार पुत्र सुखराम भम्मू पुत्र चेन सुख
30.	सिरदार पुत्र सुखराम भम्भू पुत्र चेन सुख
31.	श्रीधर, भैरोंसिह पुत्र घमन्डी
32.	हन्सी पुत्र मलखण्डी, तुहीं राम गुलसन पुत्र हीरा गुर्जर
33.	श्रीफल, भगवानसिह पुत्र भम्बू गुर्जर
34.	श्रीफल, भगवानसिह पुत्र भम्बू गुर्जर
35.	कान्ती, पुखराज, किसनलाल सूबचन्द मोहर सिह पुत्र देवीराम
36.	सरूप पुत्र गुजरमल जौहरी, किशोरी पुत्र लटूर
37.	जोहरी किशोरी पुत्र लटूर
38.	रामजीलाल, स्वरूपा, रजन, वल्तू, मिश्री, पुत्र खेमू गुर्जर
39.	लल्लू पुत्र सीता जाटव, सोनी बेवा हर फूल जाटव
40.	शिवचरण, रतनली पुत्र चिरमोखी
41.	गंगा विशन पुत्र धोले गुर्जर
42.	हरवन्स पुत्र भजन गुर्जर
43.	मन्टोली पुत्र हन्डू जाटव
44.	सोहरी पुत्र लट्टूर गुर्जर
45.	किशोरी पुत्र लटूर गुर्जर
46.	मुन्शी पुत्र हन्टू जाटव
47.	प्रभु पुत्र रामेत गुर्जर

1	2
48.	सरुपा पुत्र गुजरमल गुर्जर
49.	भरतसिंह पुत्र रामसिंह
50.	रतन पुत्र हन्डू जाटव
51.	धन्नी पुत्र बन्शी जाटव
52.	बिसन्या पुत्र टण्डा जाटव
53.	प्रेमसिंह पुत्र नवल गुर्जर
54.	गिरधारी पुत्र नानगा गुर्जर
55.	पून्या पुत्र टन्डा जाटव
56.	छोटे पुत्र सुखा राम
57.	देवीलाल पुत्र सुवाराम
58.	बिहारी पुत्र सुखलाल
59.	मिश्री पुत्र छटीला
60.	रामजी पुत्र भूरा जाटव
61.	किशोरी पुत्र बलदेव जाटव
62.	किशोरी पुत्र सुन्दर जाटव
63.	दुर्गो पुत्र मल्ली गुर्जर
64.	सूखी पुत्र चौथे गुर्जर
65.	नथुवा पुत्र अर्जुन कहार
66.	सिरदार पुत्र सुखराम गुर्जर
67.	प्रभु पुत्र जूडिया गुर्जर
68.	कानजी पुत्र देवीलाल
69.	जुआनसिंह पुत्र हरमख
70.	नीके लल्लू पुत्र परमल्ले गुर्जर
71.	विजयसिंह पुत्र पदमा गुर्जर
72.	कान्जी पुत्र देवीराम गुर्जर
73.	हरबन्स पुत्र भजन
74.	हरवन्स पुत्र भजन, श्रीफल, भगवान सिंह पुत्र भम्बू गुजर
75.	लटूर पुत्र तुईराम गुर्जर
76.	हरवंसपुत्र भजन, श्रीफल, भगवान पुत्र भम्भू
77.	नारायन, पुत्र हरमुख
78.	भोरिया पुत्र ऊंकार
79.	भोरिया पुत्र ऊंकार
80.	भोरिया पुत्र ऊंकार
81.	परशादी, सुरज पुत्र भागीरथ
82.	सिरद्धी पुत्र देवी राम गुर्जर
83.	चिरंजी पुत्र दोजी
84.	सिरदार पुत्र सुखराम गुर्जर
85.	राम भरोसी पुत्र बटेरा
86.	चौथी, घीस्या पुत्र रामचन्द्र
87.	सुखलाल, मिश्री किशोरी पुत्र सुन्दर जाटव
88.	किशन लाल पुत्र किशोरी जाटव
89.	राम खिलाड़ी, रामस्वरूप, भगवानसिंह पुत्र हन्नू
90.	सिरदार, रामसिंह, बादाम पुत्र राम लाल
91.	गुस्ला पुत्र किशनलाल
92.	मुठल रघुवर, दुल्लीचन्द पुत्र कुण्डी
93.	भुज्जन, तुईराम पुत्रहीरा
94.	बाबूलाल पुत्र बक्के जाटव
95.	रघुनाथ पुत्र लल्लू जाटव
96.	राम विलास, रामावतार पुत्र श्री धर गुर्जर
97.	जोहरी पुत्र जीवन ब्राह्मण
98.	जोहरी पुत्र जीवन ब्राह्मण
99.	कुलशन, तुईराम, पुत्र हीरा
100.	करनसिंह पुत्र शोराम
101.	शिवनारायम पुत्र हंसी गुजर
102.	रामसिंह पुत्र हरहंस गुजर
103.	,, ,,
104.	विजयसिंह पुत्रा पदमा गुजर
105.	,, ,,
106.	,, ,,
107.	रामसिंह पुत्र रघुवर गुड़ला
108.	लक्की, भबूती पुत्र भौन्दू, सूखे पुत्र चौबे, मण्डू पुत्र कुन्दे

243

1	2
109.	भम्बल पुत्र हुसैनी फकीर
110.	दोजी पुत्र सुन्दर दोवी
111.	प्रभाती पुत्र सुखा जाटव
112.	राम सहाय पुत्र जंगलिया दोबी
113.	सुगन पुत्र भून्दर दोवी
114.	भरोसी पुत्र दोजी जाटव
115.	राम स्वरूप पुत्र दोजी जाटव
116.	दुर्गी पुत्र गिरधर, हरनन्द पुत्र मल्ली
117.	राजाराम, रमेश पुत्र परसादी, गिरराज, कन्दई पुत्र धुन्वी
118.	रामजीलाल, स्वरूप, रजन वरतू, मिश्री पुत्र हेमू
119.	हरनन्द पुत्र मल्ली
120.	फेली पुत्र चन्दे
121.	शिम्बू, हरज्ञान पुत्र भण्डे
122.	बृज मोहन, भरतसिंह पुत्र शिम्बू, भागसिंह पुत्र मन्जू
123.	बृज मोहन, भरतसिंह पुत्र शिम्बू, भागसिंह पुत्र मन्जू
124.	धारया, कल्ला पुत्र सरबन, बाबूलाल पुत्र सुखा मौन्दू, मुन्शी, सरूपा पुत्र गुट्हल
125.	मौन्दू मुन्शी सरूपा पुत्र गुट्टल
126.	मौन्दू मुन्शी सरूपा पुत्र गुट्टल
127.	मौन्दू मुन्शी सरूपा पुत्र गुट्टल
128.	मौन्दू मुन्शी सरूपा पुत्र गुट्टल
129.	मौन्दू मुन्शी सरूपा पुत्र गुट्टल

अतारांकित प्रश्न संख्या 437 का ब्यौरा

सूची

सूची जिन सड़कों की, जो इस वित्तीय वर्ष में जयपुर जिले में टेन्डर आमंत्रित किये गये।

क. सं.	कार्य का नाम	मौजूदा स्थिति
1.	बचाव कार्य दूदू फागी रोड कि. मी. 22, 23 व 24	कार्य प्रगति पर है।
2.	बचाव कार्य माशी नदी कि. मी. 48 सांगानेर मालपुरा रोड	कार्य प्रगति पर है।
3.	डामर कार्य दूदू फागी रोड कि. मी. 15 से 18	कार्य प्रगति पर है।
4.	डामर कार्य दूदू फागी रोड कि. मी. 4, 12 13 व 14	कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट—20

अतारांकित प्रश्न संख्या 445 की सूची

जिला सवाई माधोपुर में डकैती, चोरी, कत्ल, बलात्कार वगैरहा के पंजीबद्ध हुए अपराध एवं निस्तारण (माह मार्च, 79 से जून, 80 तक)

क्र सं	शीर्षक	पंजीबद्ध हुए अपराध	अदम वकू	अदम पता	अदम सबूत	जेर तफतीश	चालान	गिरफ्तार हुए मुल्जिमानों की संख्या
1.	डकैती	24	1	5	—	15	3	29
2.	नकबजनी	449	45	283	5	34	82	189
3.	चोरी	846	186	353	9	82	216	629
4.	कत्ल	41	2	8	1	10	20	168
5.	बलात्कार	24	—	7	—	4	13	17

245

परिशिष्ट–21

अतारांकित प्रश्न संख्या 176 की सूची

छत्र सागर बान्ध निर्माण तहसील जैतारण, जिला पाली सूची।

क्रमांक	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	पेटा काश्त	नहर द्वारा सिंचित (छतर सागर)	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हजारी पण्डा पुत्र कालू कुमार	1535 1536	30	बरानी	निल	3	
2.	घेवर, गोवर, मोहन पि. रावत कौम कुम्हार	1595	19"/3	,,	,,	19"/3	
3.	धन्ना, हीरा पि. गोपा कुम्हार	1606	6"	,,	,,	6"/3	
4.	बगैरह सदर	1605	6"/3	,,	,,	6"/3	
5.	मांगीलाल वगैरह ब्राह्मण	1606	12"/4	,,	,,	12"/4	
6.	लक्ष्मीनारायण जी का मंदिर	1609	8/3	,,	,,	8/3	
7.	हीरालाल वगैरह ब्राह्मण	1610	18"/4	,,	,,	18/4	
8.	चन्द्रा पुत्र सीताराम ब्राह्मण	1611	12"/3	,,	,,	12/3	
9.	रामेश्वर पुत्र कुन्दनमल ब्राह्मण	1611/9	2/3	,,	,,	2/3	
10.	सुन्दर वेवा गोकल ब्राह्मण	1611/2	3/4	,,	,,	3/4	
11.	बाबू बगदा मुकना पि. सोहन कुमार	1630	21"/3	,,	,,	21"/3.	
12.	भागीरथ बगैरह ब्राह्मण	1639	15	,,	,,	15	
13.	मु. तीजाबाई वेवा सुखिया चौकीदार	1632	30	,,	,,	30"	
14.	भागीरथ वगैरह ब्राह्मण	1633 से 1639	43"/4	,,	,,	43"/4	

Page No. 246

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	रतनलाल पिण्छासीराम ब्राह्मण	1695	6″	बरानी	निल	6″	
16.	भागीरथ पुत्र बंशीलाल	1706	3	,,	,,	3	
17.	मोकिया वगैरह कुमार	1709	130″	चाही 4	,,	100	
18.	हावू वगैरह कुमार	1715	49	,,	,,	40	
19.	,, ,,	1714	22/4	,,	,,	20″/4	
20.	बंशीलाल पुत्र शिवलाल नाई	1715	6″/2	बा-1	,,	6″/2	
21.	हापू वगैरह कुमार	1716	65″/4	चा 4	,,	65″/2	
22.	मुकनसिंह वगैरह पुरोहित	1744	80	बा-1	,,	53	
23.	भदिया वगैरह गूजर	1755	11/2	बा-1	,,	11″/2	
24.	अजनीसिंह वगैरह राजपूत	1756	5/2	बी. आई	निल	5″/2	
25.	,, ,,	1757	3 /2	,,	,,	3″/2	
26	हजारी पुत्र जैसा कोम भंगी	1156	6 /	,,	,,	6″/3	
27.	भंवरलाल नारायण पि. रावत नाई	1808	14/2	,,	,,	14/2	
28.	ऊंकार पुत्र उदा भवरिया पुत्र हरदेव	1809	11″/2	,,	,,	11″/2	
29.	मोहनीया पुत्र मंगला सुथार	1810	4″/3	,,	,,	4″/3	
30.	तारा पुत्र आशासीखी	1811	4/	,,	,,	4/	
31.	बावू पुत्र विरदा सुथार	1812	3/3	,,	,,	3″/3	
32.	चांदू पुत्र ममारक सुथार	1813	4/	,,	,,	4″/	
33.	पीरू खलील पि. उसमान	1814	4″/1	,,	,,	4″/1	
34.	सुजा वगैरह सुथार	1817	36″/	,,	,,	36″/	
35.	त्रिलोक पुत्र लालू जटिया	1815	7/	,,	,,	7/	
36.	गोकल पुत्र सिता सुथार	1817	5/	,,	,,	7/	
37.	पांचू पुत्र लालू जटिया	1817/7	7/	,,	,,	7/	
38.	पुरबीया वगैरह नि.	1818/8	6/	,,	,,	7/	
39.	हरदेव पुत्र लालू रेगर	1818/9	7/	,,	,,	7/	
40.	घन्ना पुत्र लालू रेगर	1818/10	7/	,,	,,	10/	
41.	चौथा वगैरह जाटिया पुखराज महाजन	1818	119/	,,	,,	119/	
42.	भंवरलाल पुत्र छोला	1818 14, 17 तक	91/	,,	,,	91/	

1	3	3	4	5	6	7	8
43.	रतीया वगैरह जटिया पूरबीया वगैरह जटिया	1818 18 से 21	32/	बारानी	निल	94/	
44.	करीमन वगैरह मु. जोडा वगैरह माली	1818/ 22	52/	,,	,,	52/	
45.	देवराम वगैरह सींधी	1928	.16/3	बी-2	,,	60/	
45.	अलीया पुखीया वगैरह खिसवी	1929	179/	चाही-2	,,	179	
47.	रघुनाथसिंह पुत्र उम्मेदसिंह राजपूत	1963	33"/1	नहरी-2	निल	33"/1	
48.	,, ,,	1964	13"/	,,	,	13"/	
49.	भागीरथसिंह पुत्र उदयसिंह रा.पु.	1965	597/	,,	,,	20/	
50.	हापूराम पुत्र गंगासहाय वगैरह	1965/5	3/.	,,	',	3/	
51.	मांगीलाल पुत्र रामा दरोगा	1965/6	3/	,,	,,	3/	
52.	मना पुत्र तारा मीखी	1965/7	3/	,,	,,	3/	
53.	जयकिरती देवी पुत्री जनकसिंह रा. पू. सा. जय.	1965/8	25/	,,	,,	25/	
54.	प्रतापसिंह पुत्र उम्मेदसिंह राजपूत	1965/9	25/	,,	,,	25/	
55.	शक्तिसिंह पुत्र उम्मेदसिंह	1966मि.	28/	,,	,,	28/	
56.	तेजसिंह पुत्र किशोरसिंह राजपूत	1966/1	30/	,,	,,	30/	
57.	दुर्गाकुमारी पत्नि मानसिंह राजपूत	1966/2	30/	,,	,,	30/	

योग. — 1300

वर्ष वार विगत जो रकवा (कमाण्ड एरिया व दीगर एरिया) सिंचित हुआ

सम्वत्	कमाण्ड एरिया (नहरी भूमि)		चाही		बारानी		तीनों का योग	
	कुल रकवा	सिंचित हुआ	कुल रकवा	सिंचित हुआ	कुल रकबा	सिंचित	कुल रकबा	सिंचित हुआ
2032	253	219	456	—	591	811	1300	227.11
2033	253	177	456	18	591	313/4	1300	508.1/4
2034	253	112	456	232	591	448.11/1	1300	792.11/1
2035	253	199	456	107	591	413/3	1300	719/3
2036	253	253	456	456	591	591	1300	1300

सूची

वर्ष वार विगत खरीफ, रवी बिना काश्त, दुपज भूमि का ब्योरा छतरसागर के पास की भूमि

सम्वत्, 2032						सम्वत्, 2033					
खरीफ			रवी			खरीफ			रवी		
सिंचित काश्त	असिंचित काश्त	बिना काश्त	सिंचित काश्त	असिंचित काश्त	दुपज काश्त	सिंचित काश्त	असिंचित काश्त	बिना काश्त	सिंचित काश्त	असिंचित काश्त	दुपज काश्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
—	599	472	227.8	—	—	78	617	440	508.8	—	343.7

सम्वत्, 2034						सम्वत्, 2035					
खरीफ			रवी			खरीफ			रवी		
सिंचित काश्त	असिंचित काश्त	बिना काश्त	सिंचित काश्त	असिंचित काश्त	दुपज काश्त	सिंचित काश्त	असिंचित काश्त	बिना काश्त	सिंचित काश्त	असिंचित काश्त	दुपज काश्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	692	377	792.9	—	597.8	42	662	312	719.3	—	435.3

परिशिष्ट—22

प्रतारांकित प्रश्न संख्या 262 की तालिका

सूची "क"

क्रमांक	सड़क का नाम	वर्ष 1979-80 के लिए आवटंन	डामर पर कार्य की सूची राशि	सड़क सामग्री खर्च की गई राशि	वर्ष 1979-80 का कुल व्यय
	न्यूनतम आवश्यक कार्य-क्रम (एम. एन. पी.)				
1.	जिरलोका से कुरछी	10,0000 –	92,510	1,99,987	2,92,597
2.	आयत से राजोद वाया सियाना	10,0000/–	—	95,812	95,812
3.	देकम माछपुर	10,0000/	—	24 610	24,610
4.	एप्रोच रोड टू आकेती	5,0000	49,980	52,587	1,02,669
5.	डेगाना से इडया	1,10,000	—	60,548	60,648
6.	मकराना से घुडसर	1,000	—	252	252
7.	मेड़ता सिटी से सिपाडसिटी रोड	50,000	—	274	274
	दुग्ध मार्ग				
1.	कुरेरा से अडवड [मेड से मेड़ता सड़क]	2,00,000	—	3,23.532	3,23,552
2.	रोटू से मेड़ता [बुडियाल सांडू]	5,00,000	—	3,91,957	3,91,957
3.	बाडी घाटी रुट	—	—	1,393	1,393
4.	घघराना से फालनी	—		517	517
5.	भेड मार्ग [भेड माकरोप]	—	—	2,160	2,160
	योग:—	12,21,000	1,42,590	11,53,601	12,96,191